


मूविंग फॉरवर्ड

मंदबुधि बच्चों के अभिभावकों
के लिए एक शिक्षाप्रद संदर्शिका



लेखकगण
रीता पेशावरिया
डी. के. मेनन
राहुल गाँगुली
सुमित रौय
राजम पी. आर. एस. पिल्ले
आशा गुप्ता
आर. के. होरा



राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान

(कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार)

मनोविकास नगर, सिकन्दराबाद - 500 009, आन्ध्र प्रदेश, भारत

शक्तिप्रद परिवार परियोजना दल

डॉ. रीता -पेशवारिया	:	प्रधान अन्वेषिका
डॉ. डी. के. मेनन	:	परामर्शक
डॉ. राजम पी.आर.एस. पिल्ले	:	सह-जाँचकर्ता
श्रीमती आशा गुप्ता	:	सह-जाँचकर्ता
श्री सुमित रौय	:	सह-जाँचकर्ता
श्री राहुल गायुली	:	अनुसंधान अधिकारी
श्री विनोद कुमार	:	अनुसंधान सहायक (21-11-93 से 30-5-94 तक)
श्री राधेश्याम गिरी	:	अनुसंधान अधिकारी (23-11-93 से 10-1-94 तक)
सुश्री लामत अयूब	:	अनुसंधान अधिकारी (21-1-94 से 31-3-94 तक)

विषय - सूची

	पृष्ठ
प्राक्कथन	i-iv
भूमिका	v-vii
आभार	viii-ix

भाग

1. मानसिक विकलागता पर सामान्य जानकारी	1-20
2. परिवार पर प्रभाव	21-34
3. शोध उपचार / प्रारंभिक अंतराक्षेपण	35-46
4. शिक्षा	47-62
5. व्यवहार-समस्याये	63-76
6. सप्रेषण	77-92
7. दैनिक क्रिया-कलाप	93-108
8. शैक्षिक योग्यता	109-122
9. अवकाश	123-134
10. रोज़गार	135-156
11. लैगिकता (काम-वासना)	157-168
12. विवाह	169-178
13. अभिभावक सहयोग	179-190
14. समुदाय सहयोग	191-200
15. छात्रावास	201-212
16. आर्थिक योजना	213-220
17. कानून / वैधानिक	221-228
18. सरकारी / अभिभावकता	229-236
19. सरकारी लाभाधिकार एवं छूट	237-250

परिशिष्ट

1. उत्कृष्ट पाठ्य-सामग्री	251-256
2. एन.आई.एम.एच. के प्रकाशन	257-258
3. पंजीकृत अभिभावक-समुदाय	259-262
4. व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र	263-264
5. लेखक एवं अनुवादक संबंधी	265-272
6. पुनर्निवेश फार्म	A-G

प्राक्कथन

वह समाज जो लोगों को निष्पक्ष समान एवं स्वतंत्र जीवन देता है, जहाँ लोकतंत्र के मूल्य हमारी विचार-धारा का नेतृत्व करते हैं, जहाँ मनुष्यता और बौद्धिवाद हमारे जीवन के ताने बाने में बुना हुआ है, वही एक लोकतंत्र कल्याणकारी समाज है जिसके बारे में हम बात करते हैं।

मानसिक विकलाग व्यक्तियों के लिए सेवाओं का दर्जा बढ़ाने के लिए हमें सरल, नूतन एवं उन्नत जानकारी, विचार एवं युक्तियों की आवश्यकता है और उनके जीवन को बेहतर बनाने में उनकी सहायता करने के लिए अपने अनुसंधान कार्यों एवं अनुभवों का विशेष-शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, आयुर्विज्ञान, सामजिक आन्दोलन, जनता जागृति और परिवारिक सहयोग जैसे क्षेत्रों के साथ आदान-प्रदान करना चाहिए। इस बहु-प्रोटोगिकीय समाज में अयोग्यता प्राथमिकता के विचार से विशेष आवश्यकताओं वाले मानसिक विकलाग व्यक्तियों को अन्य विकलागों के मुकाबले कम ध्यान दिया गया है। इस सबध में मानसिक विकलाग व्यक्ति यद्यपि बौद्धिक योग्यता में तथा सामाजिक जीवन में बहुत सीमित है फिर भी वे हमारे समाज का एक अभिन्न अग हैं। मानव समता के लिए, उन्हें भी पर्याप्त अवसर जैसे; शिक्षा का अवसर, चिकित्सा सेवाये प्रदान करने का अवसर, पारिवारिक जीवन का सुख लेने का अवसर और सामुदायिक क्रिया-कलापों में भाग लेने का अवसर आदि दिये जाने चाहिये।

वैयक्तिक आधारित शिक्षा लागू करते हुए यह जरूरी है कि, ऐसी शिक्षा प्रणाली, लक्ष्य, कार्यक्रम, एवं विधियाँ बनाई जाएं जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की योग्यताओं का पूर्णरूप से विकास हो सके। अधिकतर अधिगम मनोविज्ञान पर आधारित है क्योंकि, वह शिक्षा के सिद्धान्त बताता है। बच्चा कितना सीखता है यह निर्भर करता है उनकी बौद्धिक योग्यता पर, अधिगम शैली पर, अधिगम गति पर और अधिगम स्थितियों पर। जहाँ तक सभव हो सके इन सबको प्रभावशाली बनाने के लिए स्रोत बनाना आवश्यक है।

सामाजिक, आर्थिक और आयुर्विज्ञान उन्नति से मानसिक विकलागता के क्षेत्र में बहुत प्रगति हुई है। फिर भी हम देखते हैं कि, हमारे कार्य करने के

लिए अभी भी बहुत सी समस्याये हैं जिससे मानसिक विकलाग व्यक्तियों की आवश्यकताओं के प्रति जनता की असवेदनशीलता शामिल है। सामान्यतः मानसिक विकलाग व्यक्तियों के माता-पिता विभिन्न सदेहों एवं प्रश्नों से चिन्तित रहते हैं और अपने मानसिक विकलाग बच्चों की आवश्यकताओं को बेहतर रूप से समझने के लिए सहायक ज्ञान की खोज करते रहते हैं। ऐसे बच्चों की सहयता कैसे की जाए, उनके माता-पिता को विभिन्न प्रकार की चिंताये धेर रहती हैं जैसे - 'क्या वे कभी सामान्य हो सकेंगे?' यदि नहीं तो कम अवलम्बित पराश्रित जीवन के लिए उनकी कैसे मदद की जाए? उनको देखभाल कौन करेगा? और हमारे बाद इनका क्या होगा? क्या ये काम कर सकते हैं? क्या इनका कभी विवाह होगा? क्या कार्य - स्थिति में इनका शोषण किया जाएगा इत्यादि।

इन विषयों पर ध्यान देना आवश्यक है क्योंकि, यही दीर्घकालिक तनाव का कारण बनता है दूसरी ओर, इनके कम पराश्रित जीवन के लिए रचनात्मक योगदान में बाधा बन जाता है इसके अतिरिक्त अभिभावकगण एक दुर्गमनीय शक्ति के साथ उभर कर आ रहे हैं जिसमें वे मानसिक विकलाग पुत्र या पुत्री को दिए गए प्रशिक्षण कार्यक्रम की क्षमता एवं स्वरूप पर बहुत ध्यान दे रहे हैं। और इन शक्तियों को तदूनभूतिपूर्ण एवं आदान - प्रदानात्मक ढंग से स्थिर रखने की आवश्यकता होती है। व्यावसायिकों का कान न धरना और हमें सब मालूम है जैसे रुख छोड़कर इस प्रबाह के साथ समझौता करके सकारात्मक रूप से कार्य करने की आवश्यकता है।

ज्ञान ही शक्ति है और उसे अभिभावकों को समुचित जानकारी देकर उन्हें समर्थ बनाना है जिसके वे अधिकारी हैं। अज्ञानता, गलतफहमी और उदासीनता जैसी पुनर्वास प्रक्रिया में आने वाली अजेय बाधाओं को हटाने के लिए हमारा मुख्य केन्द्र इसी शक्ति पर होना चाहिए।

अपर्याप्त या अधूरा ज्ञान रखने वाला अभिभावक अन्य अभिभावकों के मुकाबले अपने पुत्र या पुत्री के लिए अधिक खतरनाक हो सकता है। आज के अभिभावक की बढ़ती चिन्ताओं के लिए जितना भी कार्य किया जाए कम ही है। हमें विभिन्न स्तरों के पढ़े लिखे और अनपढ़, सुदूर ग्रामों और जनजातियों में रहने वाले और शहरों में रहने वाले अभिभावकों को सचेत

करने के लिए सामग्री तैयार करने की आवश्यकता है क्योंकि, उनके संदेह एक जैसे हैं, उनकी चिन्ताये भी एक जैसी है चाहे उनके व्यक्त करने का ढांग अलग अलग हो । उसी को अनुसार उन्हें समझने की और समर्थ बनाने की आवश्यकता है ।

1982-92 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा विकलाग दशक की घोषणा होने से विश्व भर में जागरूकता लाने के लिए बहुत सुविधाये उपलब्ध कराई गई । भारत में चाहे देर से ही शुरू हुआ मगर ठाकुर हरिप्रसाद मानसिक विकलाग अनुसंधान एवं पुनर्वास संस्थान द्वारा 2 फरवरी से 5 फरवरी 1987 में मानसिक विकलाग के लिए राष्ट्रीय पद्धति बनाने के लिए एक अखिल भारतीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया । यह एक ऐतिहासिक घटना थी, अर्थात् इस संगोष्ठी में भुगतने वालों यानि कि, मानसिक विकलाग बच्चों के अभिभावकों, वैज्ञानिकों, व्यावसायिकों, इस क्षेत्र में कार्य कर रही गैर-सरकारी संस्थाओं, पद्धति के योजनाकारों, जिसमें योजना आयोग के साथ साथ कल्याण मंत्रालय नियन्त्रित मंत्रालय और मंत्रालयों एवं राज्य सरकारों के अन्य संबंधित प्रतिनिधियों ने भाग लिया ।

मेरे और मेरे मुख्य समिति सदस्यों ने उस समय के प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी के सम्मुख 14 जनवरी 1988 में राष्ट्रीय पद्धति रिपोर्ट प्रस्तुत की जो कि मानसिक विकलाग व्यक्तियों के जीवन में एक ऐतिहासिक घटना थी । कुछ ही दिनों में भारत के प्रधान मंत्री ने न्यायमूर्ति बहरुल इस्लाम समिति बनाई जिसे इस दस्तावेज का विस्तृत अध्ययन करने का आदेश दिया गया । विधि निर्माण की सिफारिश की गई, आठवीं पचवर्षीय योजना में पहली बार विकलागों के लिए एक एकनिष्ट कार्यकारी दल बनाया गया, समय समय पर विकलागों की विभिन्न समस्याओं की जांच करने के लिए अंतर्मंत्रालय समिति का निर्माण किया गया । इसके परिणाम स्वरूप भारत की पुनर्वास परिषद का आयुर्विज्ञान परिषद की तरह संविधिकरण किया गया, जो जनशक्ति का विकास करने की तैयारी के लिए पाठ्यशर्चर्या विकास का मानकीकरण और सर्वव्यापकता का परिवोक्षण करेगी जो वास्तव में एक अच्छा शागुन है । इसके अलावा मानसिक विकलागों के कल्याण के लिए और मानसिक विकलाग बच्चों के यत्रणाग्रसित माता-पिता के इस प्रश्न कि 'हमारे मरने के बाद हमारे मानसिक विकलाग बच्चे का क्या होगा' का उत्तर देने के लिए राष्ट्रीय द्रष्ट की

स्थापना का प्रस्ताव रखना, और समाविष्ट विकलांग अधिनियम बनाना वास्तव में सही दिशा की ओर अग्रसर है, जो इस मानसून सत्र से पहले निश्चित कर दिया जाएगा और जो भारत में विकलांगता के इतिहास में एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना सिद्ध होगा ।

क्योंकि, विकलांगों का कल्याण सभी के साथ जुड़ा हुआ है इसलिए हमने पिछले 10 वर्षों से विकलांगों के कल्याण के लिए विभिन्न पद्धतियाँ विकसित और कार्यान्वयित की हैं । हमें वर्तमान कानून एवं पद्धतियों अपने प्रयत्नों को केन्द्रित करके ऐसे तरीके अपनाने होंगे जो विकलांगों के जीवन को सीधा छू सके ।

मानसिक विकलांगता किसी देश या व्यक्ति की समस्या नहीं है बल्कि, पूरी मानवजाति से सबधित समस्या है । इसलिए मैं सोचता हूँ, किसी भी अन्य क्षेत्र के मुकाबले इस क्षेत्र में सबद्ध सम्पदाओं और देशों के बीच, शिक्षा, आयुर्विज्ञान, कल्याण इत्यादि के क्षेत्रों में सहयोग की अधिक आवश्यकता है ।

हम एक ऐसा समाज बनाना चाहते हैं और आशा रखते हैं उसमें मानसिक विकलांग व्यक्ति अपने अन्य मानव साधियों के साथ पूर्ण रूप से समझे हुए और सहयोग प्राप्त किए हुए शांति से रह सकेंगे ।

मुझे खुशी है कि "मूविंग फॉरवर्ड" पुस्तक में डॉ. रीता पेशावरिया और उनके साधियों ने मानसिक विकलांग बच्चों के अभिभावकों के लिए एक जानकारी सदर्शिका बनाकर सही स्वतः प्रेरणा दी है । मुझे विश्वास है कि, यह अभिभावकों को आवश्यकताओं को पूरा करके अंतराल को भर देगी और अज्ञानता के कारण होने वाली गलत धारणाओं, मन-घढ़त वातों को दूर करके अनेक क्षेत्रों में जानकारी प्रदान करेगी ।

मैं एक बार फिर इस पुस्तक के लेखकों को शुभ कामनायें देता हूँ कि, वे इस पुस्तक छापने के उद्देश्य की पूर्ति में सफल हों ।

मुझे आशा है कि, यह पुस्तक पुनर्वास प्रक्रिया में अभिभावकों और विशेषज्ञों के बीच के अंतराल को मिटा कर साझेदारी को बढ़ावा देगी ।

(डॉ ठाकुर वी. हरिप्रसाद)

भूमिका

पुस्तक "मूर्विंग फॉरवर्ड" : मानसिक मंद व्यक्तियों के अभिभावकों के लिए एक ज्ञानप्रद मार्गदर्शिका", राष्ट्रीय मानसिक विकलाग संस्थान सिकन्दराबाद में सन् 1993-94 में आरंभ की गई बहुकेन्द्रीय परियोजना "परिवारों को सशक्त बनाए" के परिणाम स्वरूप तैयार की गई है। यह देश में कार्य कर रहे तीन अन्य गैर सरकारी संस्थानों के सहयोग से चलाई गई परियोजना है। इस परियोजना के दौरान जिन्होंने योगदान दिया है (क) व्यावसासिकों के लिए पुस्तक छापी गई" नीड्स ऑफ इन्डियन फैमिलीज हैविंग चिल्ड्रन विद मैन्टल रिटार्डेशन" और (ख) मानसिक मंद बच्चों के अभिभावकों के लिए 30 मिनट की - एक हिन्दी वीडियो फिल्म बनाई गई "मजिल की ओर" जिसके उपशीर्षक अग्रेजी में है।

मानसिक मद के क्षेत्र में बीस वर्षों तक काम करने के बाद मुझे अभी भी इस तरह की बाते सुनाई पड़ती हैं जैसे कि "असहयोग देनेवाले अभिभावक" "अभिभावकों को दुकान-दुकान (शापू हंटिंग) फिरने की जिजासा है" "अभिभावक अत्यधिक चितित रहते हैं" "उन्हें उपचार के लिए सिर्फ दवाए ही चाहिए" "वे सोचते हैं कि, किसी मन्दिर में जाना लाभदायक है" "अभिभावक अपने बच्चों को सिर्फ फेक देना चाहते हैं"। यह सब सुनने में बड़ा कठुणामय लगता है। ये सब इस बात का दृढ़ सकेत देते हैं कि, हम ने विशेषज्ञ होने के नाते अपने सोखे हुए कौशलों को, मानसिक मद बच्चा होने की इस अकर्मात् परिस्थिति को समझने और स्वीकार करने के लिए विवश अभिभावकों पर, कितना कम प्रयोग किया है।

परियोजना के अंतर्गत सिकन्दराबाद, भोपाल, तिरुवानन्तपुरम और दिल्ली के मानसिक मद बच्चों के 140 परिवारों, जिसमें माता-पिता, बहन, भाई, दादा-दादी भी सम्मिलित थे, के साथ आयोजित साक्षात्कारों के विश्लेषण को देखकर और व्यावसायिक अनुभवों के आधार पर हमें ऐसा अनुभव होता है कि, मानसिक मद बच्चों के अभिभावकों की सबसे अधिक आवश्यकता है अपने मानसिक मंद बच्चे की अवस्था के बारे में सही समय पर सही प्रकार से सही जानकारी प्राप्त करना। यानि कि, शीघ्र ही सही जानकारी, सही

समय पर तदनुभूतिपूर्ण और संवेदनात्मक विधि से प्रदान की जाए। अभिभावकों का विशेषज्ञों के साथ प्रथम संपर्क बहुत महत्वपूर्ण है चाहे वह डाक्टर के साथ हो, मनोवैज्ञानिक के साथ, अध्यापक के साथ या किर सामाजिक कार्य-कर्ता के साथ। इस अवस्था में उनके साथ किस प्रकार का बर्ताव किया जाता है। इसी पर निर्भर करता है कि, वे सामान्य बच्चा न पाने की क्षति के साथ कैसे समझौता करते हैं और मानसिक मद बच्चों और ऐसी स्थिति के प्रति किस प्रकार के विचार रखते हैं। ऐसा देखा गया है कि, एक बार विशेषज्ञ से अच्छा सबध बन जाने पर अभिभावक बहुत कुछ पूछ कर स्पष्टीकरण करना चाहते हैं और अभिभावकों की इन आवश्यकताओं की पूर्ति करना आवश्यक है।

प्रत्येक बच्चे की आवश्यकताये अनन्य है इसी प्रकार परिवार की भी। फिर भी, इस अद्वितीयता में, मानसिक मद बच्चों के अभिभावक की अपनी विभिन्न अवस्थाओं में और अपने बच्चे के जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में कुछ सामान्य विषय भी होते हैं। इस प्रकार की सामान्य चिन्नाओं; प्रश्नों/शक्ताओं को एकत्रित किया गया जो अभिभावक प्रायः पूछते रहते हैं। पिछले दस वर्षों से राष्ट्रीय मानसिक विकलाग संस्थान में और देशभर में सामूहिक अभिभावक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए जिससे एक विश्वसनीय "प्रश्नों का कुण्ड (पूल)" तैयार किया गया। साथ ही पुस्तक के लेखकों ने अपने विस्तृत व्यावसायिक अनुभवों के आधार पर अभिभावकों द्वारा अवसर पूछे जाने वाले सामान्य प्रश्नों का आलेखन करने में मदद की। इसके पश्चात् इन प्रश्नोंको विभिन्न भागों में विभाजित किया गया जैसे कि, मानसिक मंदन पर सामान्य जानकारी, परिवार पर प्रभाव, शीघ्र उपचार, विद्यालय, शिक्षा, दैनिक क्रियाकलाप, संप्रेषण, व्यवहार, रोजगार, अवकाश, लैगिकता, विवाह, अभिभावक समर्थन, समुदाय समर्थन, आर्थिक नियोजन, कानून, सामाजिक सुरक्षा, छात्रावास, सरकारी लाभाधिकार/रियायते।

भारतीय सदर्भ को विशेष रूप से ध्यान में रख कर, इन प्रश्नों के उत्तर दिए गए और स्पष्टीकरण किया गया। इन प्रश्नों के उत्तर देना उतना आसान काम नहीं था क्योंकि, भारत में कुछ क्षेत्रों में हम अभी भी "मूर्विंग फार्वर्ड" बढ़ने के लिए संघर्ष कर रहे हैं विशेष रूप से जब ऐसे विषयों को लिया

जाए जैसे कि, समाकलित विद्यालय, रोजगार के अवसर, मानसिक मद बच्चों की कानूनी सामाजिक सुरक्षा । जैसे - तैसे हम बहुत दूर तक आ गए हैं और अभी बहुत दूर तक जाना है । लेखकों ने बड़ी ईमानदारी से उपलब्ध जानकारी को अभिभावकों के सम्मुख स्पष्टतया रखने का प्रयास किया है । अभिभावकों के लिए लिखी गई यह पुस्तक अंग्रेजी और हिन्दी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है । पुस्तक की भाषा जान-बूझ कर सरल रखी गई है और जहाँ तक सभव हो सका विशिष्ट शब्दावली से मुक्त ही रखी गई है । फिर भी, कुछ सामान्य तकनीकी शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिससे अभिभावक उन्हें पहचान सके और विशेषज्ञों से बेहतर संप्रेषण बनाने में सहायता मिल सके ।

अभिभावकों के लाभ के लिए उत्कृष्ट पाठ्य-सामग्री की सूची, देश में मानसिक मद व्यक्तियों के कल्याण के लिए कार्यरत पजीकृत अभिभावक संस्थाओं के पते और व्यावसायिक पुर्नवास केन्द्रों की सूची साथ सलान है, जिससे वे अतिरिक्त जानकारी प्राप्त कर सकें ।

हमें पूर्ण विश्वास है कि, एक जानकारी प्राप्त अभिभावक अपने बच्चे व परिवार के लिए बेहतर और विवेकपूर्ण निर्णय लेने योग्य हो जाते हैं । इस पुस्तक का मुख्य उद्देश्य यही है और यह आशा करते हैं कि, अभिभावक इस पुस्तक को "प्रगति की ओर" बढ़ाने के लिए एक अच्छा आरंभ मानेंगे और अपनी अनन्य वैयक्तिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न स्रोतों से जानकारी प्राप्त करेंगे ।

मानसिक मद बच्चों वाले अभिभावकों से निवेदन है कि, वे ईमानदारी से पुस्तक के अत में सलान पुनर्निवेश (फीडबैक) फार्म का प्रयोग करके अपना पुनर्निवेश दे और साथ ही अतिरिक्त प्रश्नों की वह सूची भी जिनके उत्तर अभिभावक हमसे इस पुस्तक के अगले सकलन में प्राप्त करना चाहेंगे।

रीता पेशावरिया
डॉ. रीता पेशावरिया
प्रधान अन्वेषिका

आभारोक्ति

सविनय और अत्यन्त कृतज्ञता के साथ हम मानसिक मद बच्चों के उन अभिभावकों और परिवारों का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने अपने मामलों को समझने में हमारी सहायता की । उनके विश्वास और साझेदारी के बिना हमें यह नहीं पता लगता कि, इस पुस्तक में किन मामलों पर केन्द्रीभूत करना है ।

राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान ने पहली बार इस प्रकार की बहु - केन्द्रीय परियोजना को गैर - सरकारी संस्थानों के सहयोग से निधिवद किया है । मैं एन.आई.एम.एच. के निदेशक डॉ. डॉ. के. मेनन को इस प्रकार की परियोजना आरंभ - करने में प्रोत्साहित करने के लिए हार्दिक धन्यवाद करती हूँ, जिसका उद्देश्य, मानसिक मद बच्चों के परिवारों को सशक्त बनाना है । साथ ही, इस परियोजना में उनके द्वारा दिया गया दक्ष मार्गदर्शन और सतत सहयोग बहुत प्रोत्साहक रहा ।

परियोजना के समन्वयकर्ता के दल डॉ. राजम पी. आर. एस. पिल्लये निदेशक, बालविकास संस्थान, तिरुवनन्तपुरम, श्रीमती आशा गुप्ता, निदेशिका, नवजयोति केन्द्र, दिल्ली, और श्री सुमित रौय, कार्यकारी निर्देशक, दिग्दर्शिका, पुनर्वास और अनुसंधान संस्थान, भोपाल, के साथ मिलकर कार्य करने का अनुभव बहुत सर्वर्धक था ।

श्री राहुल गांगुली, अनुसंधान अधिकारी विशेष रूप से उल्लेखनीय है । वे इस परियोजना के लिए एक महत्वपूर्ण देन रहे । मेरे लिए यह बड़े गौरव की बात है कि, वे किस प्रकार मेरे सामने देखते ही देखते मेरे विद्यर्थी से मेरे सहकर्मी बन गए । उनकी सच्ची और पूर्ण आलिप्ती और परियोजना में किया गया महत्वपूर्ण योगदान विशेष रूप से प्रशংসनीय है ।

यह पेरेन्ट एसोसिएशन फॉर द वेलफेयर ऑफ मैन्टली हैन्डीकैप्ड पर्सन्स, (ऐमैनकैप), हैदराबाद के अभिभावक सदस्यों का विशेष रूप से धन्यवाद करते

हैं जिन्होने हमारे निवेदन पर इस पुस्तक का पुनरावलोकन करके लाभदायक और प्रोत्साहक समीक्षा की ।

किसी कलाकार के लिए अपनी भावनाएँ व्यक्त करना आसान है लेकिन किसी और के विचार कला के रूप में व्यक्त करना एक बहुत बड़ी चुनौती है । लेकिन यह श्री करुनाकर ने बड़ी चातुरी से प्राप्त कर लिया है । इस पुस्तक में उनके द्वारा किए गए कला के कार्य और चित्र बड़े आकर्षक लगे ।

एन.आई.एम.एच. के आशुलिपिक श्री वी शंकर कुमार ने आलेख को जैसे और जब आवश्यकता थी वैसे टंकण (टाईप) करके पूरा सहयोग दिया । उनके योगदान के लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं ।

इस परियोजना का दल, एन.आई.एम.एच. के कार्यकारी निदेशक (प्रशासन) श्री एल. गोविन्दराव और उनके प्रशासन और लेखा विभाग के समर्पित दल के कर्मचारियों का भी धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होने परियोजना के दौरान सकारात्मक विचार रखे और सदा सहायक रहे ।

इस पुस्तक का हिन्दी अनुवाद करने में डॉ. मीरा दुबे एवं श्रीमती आरती होरा ने जो अथक प्रयास किया है उसके लिये मैं उन दोनों को हृदयपूर्वक आभार मानती हूँ ।

रीता पेशावरीया

डॉ. रीता पेशावरिया
प्रधान अन्वेषिका

सामान्य जानकारी

उनका बच्चा मानसिक मद है, ऐसा सुनकर माता-पिता बहुत घबरा जाते हैं। यह तकनीकी भाषा शायद उनके लिए कोई मतलब नहीं रखती कि, मानसिक मदन क्या है, ऐसा क्यों हुआ, क्या इसके लिए कोई इलाज है, इसके पूर्व-लक्षण क्यां हैं क्या वह कभी-सामान्य हो सकेगा या नहीं? मानसिक मदन के साथ-यदि बच्चे को अन्य संबंधित समस्याये, भी हों जैसे कि, मिरगी/दौरे, संवेदनात्मक समस्याये स्वलीनता (ऑटिज्म) आदि, हो तो अभिभावकों के लिए परिस्थिति को समझना और भी कठिन हो जाता है इससे अभिभावक व्याकुल हो कर अपने बच्चे की स्थिति के बारे में सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसा देखा गया है कि, अभिभावकों की सर्वोपरि आवश्यकता होती है अपने बच्चे की मानसिक मदन के बारे में सही और सच्ची जानकारी प्राप्त करना। अभिभावकों की प्रतिक्रिया, उनका समायोजन, उनका रूख और उनका अपने बच्चे के प्रशिक्षण, में आलिप्त होना, इस बात पर निर्भर करता है कि, उन्हे जानकारी कितनी प्रभावशाली एवं संवेदनशीलता से दी गई है। इस भाग में ऐसे कई प्रश्नों के उत्तर दिए गये हैं जो सामान्यतः, अभिभावकगण मानसिक मदन के बारे में पूछते हैं जैसे कि, इसके कारण, संबंधित स्थितियाँ और इनका प्रबंध आदि।



1. क्या ऐसे कुछ विशेष लक्षण होते हैं जिससे हम यह पता लगा सकें कि, बच्चा मन्दबुद्धि है ?

सभी मानसिक मंद बच्चे एक जैसे नहीं होते देखने वालों को मंदता किस रूप में दिखाई देती है यह निर्भर करता है बच्चे की मानसिक मंदन की प्रकृति पर, इसकी गंभीरता पर और बच्चे की समस्या का सामना करने की शक्ति पर । फिर भी कुछ ऐसे संकेत एवं लक्षण हैं जिससे बच्चे के देर से विकास का शीघ्र ही पता लगाया जा सकता है, (डब्लू. एच. ओ. 1989) ।

- बच्चा कोई भी नई क्रिया उतनी आसानी से नहीं सीखता जितने कि, दूसरे बच्चे सीखते हैं ।
- बच्चे को बैठने में, हाथों के प्रयोग में, या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में कठिनाई महसूस होती है ।
- दूसरों के बोलने पर और आसपास हो रही घटनाओं पर बच्चे की प्रतिक्रिया देर से होती है ।
- बच्चा जो देखता है, सुनता है, छूता है, सूधता है और खाता है दूसरे लोगों के समान पूरी तरह नहीं समझ पाता ।
- बच्चा अपनी आवश्यकताओं और भावनाओं को ऐसे व्यक्त नहीं कर पाता जिसे दूसरे समझ - पायें ।
- बच्चा ठीक से सोच नहीं पाता । उदहारण के लिए, बच्चा व्यक्तियों और वस्तुओं की आपस में तुलना नहीं कर पाता । बच्चे को यहाँ या वहाँ, अभी या बाद में अथवा अधिक या कम के बीच का अंतर समझ में नहीं आता । बच्चा कहाँ, कब, क्या कितना और क्यों जैसे शब्दों का अर्थ नहीं जानता ।
- जो कुछ भी बताया गया है या हो चुका है वह बहुत कम समय के लिए याद रख पाता है । या बिल्कुल भी याद नहीं रख पाता ।

- बच्चा किसी एक व्यक्ति या एक कार्य पर बहुत समय तक ध्यान नहीं लगा पाता ।
 - बच्चे को अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पाने में कठिनाई होती है ।
 - बच्चे को निर्णय लेने में कठिनाई होती है । उसे क्या करना है, क्या कहना है, क्या पहनना है अदि क्रियाओं के बारे में जानकारी नहीं होती।
2. बच्चा मानसिक मद है ऐसा जल्द से जल्द निश्चित रूप से कब कहा जा सकता है ?

शीघ्र पता लगाना मानसिक मदन की प्रकृति एवं उसकी गभीरता पर निर्भर करता है :

- कुछ अनुवाशिक असामान्यताये जन्म से पहले ही पता लगाई जा सकती है । पता लगाने के लिए कुछ तरीके हैं एम्बीयो सेन्ट्रेसिस, फीटोस्कोपी, कोरिओनिक बाईलस सैम्प्लिंग, सोनोग्राफी, और ब्लड-स्क्रीनिंग टेस्ट ।
- डाऊन सिन्ड्रोम, माईक्रोसेफली (छोटा सिर होना) जैसी स्थितियों का पता जन्म से ही लग जाता है ।
- जन्म के पश्चात् यदि विकास और विकासात्मक विलब/देरी हो और तत्रिकीय सकेत एवं लक्षण विद्यमान हो तो एक वर्ष के भीतर ही मानसिक मदन का पता निश्चित रूप में लग सकता है ।
- जहाँ विकासात्मक विलब/देरी बहुत कम हो उन मामलों में बौद्धिक गतिविधियों का मूल्यांकन करना अत्यावश्यक हो जाता है जिसके आधार पर 3-5 वर्ष की आयु में विश्वासपूर्वक रोग निदान किया जा सकता है ।

3. हमारे देश में मानसिक मंद अवस्था की व्यापकता कितनी है ?

हमारे देश में सामान्य जनसंख्या में लगभग दो प्रतिशत मानसिक मंदन से प्रभावित हैं। इस समय हमारे देश में लगभग 168 लाख मानसिक मंद व्यक्ति हैं। मानसिक मंदता जीवन के सभी स्तरों के व्यक्तियों को प्रभावित कर सकती है।

4. क्या सभी मानसिक मंद बच्चों को एक जैसी समस्यायें होती हैं ?

सभी मानसिक मंद बच्चे एक जैसे नहीं होते प्रत्येक मानसिक मंद बच्चे की समस्यायें अनन्य हैं जो स्थिति की गंभीरता और समस्या का सामना करते की योग्यता पर निर्भर करती हैं। फिर भी, मानसिक मंद बच्चों में सामान्यतः निम्न लिखित कठिनाईयाँ याइ जाती हैं।

- गत्यात्मक समन्वयता,
- दैनिक क्रियायें जैसे : शौचादि, स्नान आदि,
- पढ़ने, लिखने, एवं गणित,
- संप्रेशन,
- व्यवहार, और
- सामाजीकिकरण.

कुछ मानसिक मंद व्यक्तियों में संवेदनात्मक दोष भी होते हैं जैसे: दृष्टि क्षीणता, श्रवण क्षीणता और अन्य समास्यायें जैसे मिरगी/दैरे इत्यादि।

5. क्या मस्तिष्क विकास का संबंध मानसिक मंद के साथ है?

मस्तिष्क शरीर की विभिन्न गतिविधियों को नियंत्रित एवं समन्वित करता है। मस्तिष्क का प्रत्येक अंग व्यक्ति के किसी न किसी व्यवहार को

नियंत्रित करता है और उसके आस-पास के संसार को समझने में सहायता करता है। मस्तिष्क न केवल हमारे अंगों की अनैच्छिक गतिविधियों जैसे कि, दिल, गुर्दे आदि को नियंत्रित करता है बल्कि, हमारी ऐच्छिक गति-विधियों जैसे : चलना, भागना और उच्च कोटि की क्रियायों जैसे सोचना, समझना (तर्क-वितर्क करना), स्मरण करना आदि को भी नियंत्रित करता है। मस्तिष्क के किसी भी भाग की असामान्य विकासात्मक गतिविधि से व्यक्ति अपने वातावरण में कम समायोजित हो पाता है और विभिन्न विकार बढ़ जाते हैं जिसमें से एक मानसिक मंदन है।

6. क्या मस्तिष्क की इस क्षति के उपचार के लिए कोई दवाईयाँ होती हैं?

मानसिक मंदन एक अनुत्कृष्णीय (जिसे रद्द नहीं किया जा सकता) स्थिति है। मस्तिष्क को हुई क्षति स्थायी होती है। मानसिक मंदता पर प्राप्त ज्ञान, प्रबंधों, तकनीकों और उपचार के अनुसार ऐसी कोई दवा उपलब्ध नहीं जो मस्तिष्क में हुई क्षति की पूर्ति कर सके।

7. निकट संबंधियों में विवाह करने से मानसिक मंद बच्चे पैदा होने की कितनी संभावना होती है?

देश भर के विभिन्न चिकित्सालयों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार मानसिक मंद व्यक्तियों में से 60% प्रति कैसों में विकलांगता अनुवाशिक विकारों के कारण होती है। समरक्त विवाह जैसे : मामा-भाजी का विवाह, बुआ-भतीजे का विवाह, चचेरे ममेरे भाई-बहनों अथवा संबंधित भाई-बहनों के बीच के विवाह से अनुवाशिक विकारों वाले बच्चे पैदा होने की संभावना अधिक होती है जिसमें मानसिक मंदन भी शामिल है। यदि पहले से ही एक मानसिक मंद बच्चा है तो माता-पिता को दूसरे बच्चे के बारे में सोचने से पहले अनुवाशिक परामर्श अवश्य ले लेना चाहिए।

8. क्या सामान्य या मंद बच्चे पैदा करने के लिए गर्भाधान के समय माता/पिता/दोनों की आयु एक आवश्यक निर्णायक होती है ?

सामान्य बच्चा पैदा करने के लिए माता की आयु बहुत आवश्यक है । 35 वर्ष से अधिक आयु वाली माताओं में निम्न लिखित विषयों पर अधिक खतरा रहता है ।

- क्रोमोजोमल ॲबनॉर्मिलिटिस / गुणसूत्र संबंधी विकार
- समयपूर्व (अपरिपक्वता)
- गर्भकाल के दौरान समस्यायें
- बच्चे में जन्मजात विकार

15 वर्ष की आयु से छोटी अपरिपक्व माताओं में, जिनमें प्रजनन तंत्र अभी अपरिपक्व होता है और जिनके शरीर में अभी विकास हो रहा होता है, असामान्य बालक के पैदा होने की बहुत आशंका रहती है । मानसिक मंदन का सबसे अधिक खतरा उन बच्चों में होता है जिनकी माताओं ने 20 वर्ष की आयु से पहले तीन बच्चों को जन्म दिया है और उन माताओं के बच्चों में जिन का प्रथम गर्भ 35 वर्ष के बाद हुआ हो ।

माता की आयु बढ़ने के साथ-साथ अनुवांशिक विकार भी बढ़ जाते हैं उदाहरण के लिए - डाऊन सिन्ड्रोम के अनुवर्ती ऑकड़ों के अनुसार 20 वर्ष की महिलाओं में प्रति 2000 केसों में एक केस मानसिक मंद होने की संभावना होती है जबकि, 45 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं में प्रति 50 केसों के पीछे एक मानसिक मंद होने की संभावना होती है ।

जहाँ तक पिता की आयु का संबंध है मानसिक मंद बच्चा पैदा होने की संभावना अधिक हो जाती है जब पिता की आयु 50 वर्ष से अधिक हो ।

9. बच्चा पैदा होने से पहले ऐसे कौन से कारण हैं जो मानसिक मंदता को बढ़ावा देते हैं ?

कुछ महत्वपूर्ण कारण निम्न हैं

- गुणसूत्र संबंधी विकार,
- अनुवाशिक विकार,
- गर्भवती महिला को पहले तीन महीनों में संक्रामक रोग होना । कुछ संक्रामक रोग जो भूष के मस्तिष्क के विकास पर प्रभाव डालते हैं वे हैं रूबैला, हरपीस, सिफिलिस, सी.एम.बी., टोक्सोप्ला स्मोसिस ।
- माता के रोग जैसे मधुमेह, उच्च-रक्त चाप, हाईपोथाईरोडिज्म और हाईपर थाईरोडिज्म ।
- कुपोषण,
- गर्भ के प्रारंभिक महीनों में एक्स-रे करवाना । हानिकारक दवाईयों का प्रयोग करना ।
- आर. एच. फॉक्टर
- माता द्वारा शराब, मादक (ड्रग) और धूम्रपान का सेवन ।

10. क्या गर्भकाल में हम यह पता लगा सकते हैं कि, बच्चा ठीक है या नहीं?

गर्भवती माताओं के अजन्मे बच्चे में, विकार हैं या नहीं इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए कई तरीके प्रयोग किए जाते हैं जो हैं:-

नाम	विवरण	निदान	सुरक्षा
1. एनोयोसेन्टोसिस	स्थानीय नियंत्रण टेकर और अल्ट्रासोनोग्राफी द्वारा एनोयोटिक फ्लूइड निकाला जाता है जिसका	• भूष का लिंग • ट्राइसोटिक बच्चा • जन्मजात उपायचय • सबधौ त्रुटियाँ	गर्भात की आशका 1-1.5% एमोयोसेन्टोस

नाम	विवरण	निदान	सुरक्षा
	बाद में विश्लेषण किया जाता है। सही समय - गर्भ के 12-16 सप्ताहों के भीतर	• एस - सबधी त्रृटियाँ	में 9% गर्भपात्र की आशका
2. अल्ट्रासोनोग्राफी	अल्ट्रासोनोग्राफी द्वारा उत्पन्न प्रतिफ़ूलनि सही समय - गर्भ के 8-15 सप्ताहों के भीतर	• एनसोफेली • माइक्रोसोफेली • जन्मजात हृदय रोग • गमकिय के भीतरी विकास में कठोरी • स्पाईडा बाईकोडा	नहीं
3. कोरिअन वाइलम सैम्पॉलिंग	एक खोखले उपकरण से कोरिओट्रोनिक टिशू का चूषण किया जाता है और फिर विश्लेषण किया जाता है सही समय-गर्भ के 8-10 सप्ताह	• ट्राइसोमिक बच्चा • एस-सबधी विकार	गर्भपात्र 10/1000
4. फोटोस्कोपी	फोटोस्कोप एनीओटिक गुहाका में डालते हैं सही समय :- गर्भ के 18-22 सप्ताह में	• चेहरे, जननग, रोद की हड्डी, या अन्य अग्नों की विकृति	गर्भपात्र की आशका 5-10%
5. फोटोस्कोपी सैम्पॉलिंग	नापि रजनु के आधार में से रक्त निकाला जाता है सही समय - 18 सप्ताह	• थेलासोमिया • सिक्कल कोशिका रोग	गर्भपात्र की आशका 10%

11. यदि कोई गर्भवती स्त्री गर्भकाल के दौरान कुंठा, विफलता एवं निराशा से ग्रस्त रहती है तो इन परिस्थितियों से मानसिक मद बच्चा पैदा होने की संभावना कितनी बढ़ जाती है ?

कुंठा, विफलता एवं निराशा का मानसिक मद बच्चा पैदा होने के साथ कोई सीधा संबंध नहीं है, फिर भी ये तत्व अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए-एक गर्भवती महिला जो दुःखी रहेगी, वह ठीक से खा नहीं पाएगी जो बाद में बच्चे के विकास को प्रभावित करेगा।

12. यदि गर्भकाल के दौरान कोई समस्या नहीं आती, क्या फिर भी जन्म के समय बच्चे के मानसिक मंद होने की संभावना हो सकती है ?

मानसिक मंदन निम्न लिखित कारणों से भी हो सकता है

- समय पूर्व जन्म,
- हाईपोक्रिस्या (कम ऑक्सीजन) की लम्बी अवधि,
- जन्म के समय कम वज़न होना,
- नवजात शिशु के सिर पर चोट लगना,
- लम्बी अवधि तक प्रसव होना,
- धूण के गले में नाभि-रज्जु का अधिक लिपटजाना,
- धूण की असामान्य स्थिति,
- विभिन्न कारणों से नवजात शिशु में अत्यधिक पीलिया होना.

13. क्या वह बच्चा जो सामान्य पैदा हुआ है वह बाद में मानसिक मंद हो सकता है ?

18 वर्ष की आयु के दौरान मस्तिष्क में लगी किसी प्रकार की चोट के कारण मानसिक मंदन के लक्षण जन्म के काफी बाद भी दिखाई दे सकते हैं। मस्तिष्क को चोट लगने के निम्न लिखित कारण हो सकते हैं।

- जन्म से दो वर्ष तक के जीवन में बच्चे में अत्यधिक कुपोषण का होना,
- बच्चे में मस्तिष्कावरण शोथ (मैनिन्जाइटस) या मस्तिष्क शोथ (एन्स फेलाइटिस) (ब्रेन फीवर) जैसे सक्रामक रोग होना,
- मिरगी के दौरे बार-बार पड़ना,

- दुर्घटना या गिरने से मस्तिष्क को चोट लगना,
- गला घुटना, धूँआ निश्वासन या लगभग ढूबना,
- सायोगिक विषाक्त करना

14. क्या टीका लगवाने से बच्चों में मानसिक मदता हो सकती है?

विशेष रूप से यह समस्या विरले ही होती है जब ट्रिपल वेक्सीन लगवाने के बाद परदूसिस के कारण एसेफेलोपैथी हो जाती है। इसके कारण माता - पिता को टीका लगवाना बंद नहीं कर देना चाहिए क्योंकि, यह कई जानलेवा रोगों से शिशु को बचाता है।

15. यदि मानसिक मदन का मतलब बूद्धिक क्रियाकलापों का सामान्य से कम काम करना है तो क्या व्यक्ति की बुद्धि बढ़ाने के लिए कोई दवाईयाँ हैं?

अभी तक ऐसी कोई दवा वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित, उपलब्ध नहीं है जो बुद्धि को बढ़ाने का दावा कर सके। यदि ऐसा होता तो दुनियाँ में मानसिक मद व्यक्ति समाप्त हो जाते मगर अभी ऐसा नहीं है। यदि बुद्धि बढ़ाने की दवायें उपलब्ध - होती तो यह संसार जिसमें हम रहते हैं बिल्कुल भिन्न होता, केवल प्रतिभावान व्यक्तियों से भरा होता।

16. क्या बादाम, दूध, देशी घी, मक्खनयुक्त विशेष प्रकार का आहार बच्चे की मानसिक क्षमताओं को बढ़ा सकता है ?

पहले दो वर्षों में बच्चे को संतुलित और पौष्टिक आहार जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण तथा विटामिन आदि सम्मिलित हों, देना आवश्यक है क्योंकि, वह उसके मानसिक एवं शारीरिक विकास पर प्रभाव डालते हैं, परन्तु बच्चे के आहार में केवल बादाम, देशी घी, मक्खन या दूध पर अधिक जोर देने से उसके लिए घातक सिद्ध हो सकता है।

17. क्या मानसिक मंद बच्चों का पूर्णतया उपचार हो सकता है?

मानसिक मंदता का एक अवस्था के रूप में उपचार नहीं हो सकता। इसे स्थायी भी कहा जाता है क्योंकि, एक बार मस्तिष्क में हुई क्षति से यह स्थिति उत्पन्न होती है और फिर यह स्थिति अनिवार्य होती है। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हैं जिसमें इसे रोका जा सकता है। जिन केसों में मानसिक मंदता फिनाइल कीटोमीनिया (पी.के.यू.) के कारण होती है उस में कम पी.के.यू. वाला विशेष आहार लेने की आवश्यकता होती है। थाईरोइड की कभी के कारण हुई मानसिक मंदता को औषधीय उपचार द्वारा रोका जा सकता है जब कि, हाईड्रोसेफलस के मामले में शल्य - चिकित्सा द्वारा शट (बाह्य पथ) के प्रयोग से मस्तिष्क में दबाव कम किया जा सकता है।

18. यदि मानसिक मंदता का कोई उपचार नहीं है तो ऐसे बच्चों का क्या करना चाहिए?

मदन के हिसाब से बच्चा जो कुछ भी संभव है वह सब सीख सकता है बशर्ते कि, उसे सीखने के अवसर शीघ्र अतिशीघ्र प्रदान किए जाएं। अभिभावकों के साथ सहयोग पूर्वक कार्य कर रहे व्यावसायिक, मानसिक मंद व्यक्ति को कार्यात्मक रूप से स्वतंत्र बनाने के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए प्रयत्न करते रहते हैं। अतः अभिभावकों के लिए ऐसी सेवायें शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त करना आवश्यक है।

19. मानसिक मंद व्यक्ति का जीवन कितना लंबा होता है?

मानसिक मंद व्यक्तियों का जीवन उनकी मानसिक मदन की प्रकृति एवं कारण पर निर्भर करता है। यदि मानसिक मंद बच्चे को सबधित चिकित्सीय समस्यायें भी हों, जो जानलेवा भी हो सकती हों, तो ऐसे बच्चे ज्यादा देर तक नहीं जीते। फिर भी, विकसित चिकित्सीय देखभाल के साथ मानसिक मंद बच्चे का जीवन सामान्य व्यक्ति के समान ही बढ़ाया जा सकता है।

20. क्या मानसिक मंद व्यक्ति पागल होते हैं ?

मानसिक मंद व्यक्ति पागल नहीं होते । मानसिक मंदन एक ऐसी स्थिति है जो सामान्यतः अपगता की ओर ले जाती है, जबकि, पागलपन या मानसिक रोग एक बिमारी है । मानसिक मंद व्यक्ति सीखने में अथवा विकास में बहुत धीमे होते हैं उनकी मानसिक आयु शारीरिक आयु से कम होती है । उदाहरण के लिए-सात वर्ष के एक मानसिक मंद बच्चे का कार्य, बातचीत और व्यवहार तीन वर्ष के सामान्य बालक जैसा होगा । इस प्रकार उसमें चार वर्ष का विकासात्मक विलंब हो गया । दूसरी ओर मानसिक रोगी या पागल व्यक्तियों में इस प्रकार का कोई विकासात्मक विलंब नहीं होता । उनके व्यवहार में अशांति (बेचैनी) दिखाई पड़ती है जैसे कि, बहुत मूँडी होना, चिड़चिड़ा होना, एकात में रहना (असामाजिक), जो नहीं, हैं वह देखना और सुनना, कम सोना आदि । परन्तु मानसिक मंद बच्चे भी मानसिक रोगों से ग्रस्त हो सकते हैं जिसके लिए मनोचिकित्सीय उपचार लेना चाहिए ।

21. एक बधिर बच्चा और एक मानसिक मंद बच्चा, दोनों को ही बातचीत करने में कठिनाई होती है क्या ये दोनों स्थितियाँ एक जैसी हैं ?

चाहे बधिर बच्चे और मानसिक मंद बच्चे दोनों को ही बातचीत में कठिनाई होती है लेकिन दोनों स्थितियाँ एक जैसी नहीं हैं । एक बधिर बच्चा केवल भाषा और संप्रेषण में ही विलंब दर्शाता है जबकि, एक मानसिक मंद बच्चा गत्यात्मक, संवेदनात्मक, सामाजिक, भाषा आदि सभी क्षेत्रों में व्यापक रूप से विलंब दर्शाता है ।

22. क्या एक मानसिक मंद बच्चे को शारीरिक विकलांगता दृश्य या श्रव्य समस्यायें भी हो सकती हैं ?

मानसिक मंद बच्चे को शारीरिक विकलांगता, दृश्य या श्रव्य समस्यायें भी हो सकती हैं जितना अधिक मस्तिष्क को नुकसान होगा उतनी

अधिक सानसिक मंदन से संबंधित अन्य कहु-विकार होने की संभावना बढ़ जाएगी ।

23. सेरीब्रल पाल्सी क्या है ?

सेरीब्रल पाल्सी एक जटिल अप्रगतिशील स्थिति है जो जीवन के पहले तीन वर्षों में हुई मस्तिष्क की क्षति के कारण होती है जिससे माँसपेशियों में सामंजस्य न होने के कारण और कमज़ोरी से अपांगता आ जाती है। 'सेरीब्रल' शब्द का अर्थ है 'मस्तिष्क' और "पाल्सी" का अर्थ है "गतिविधि एवं अंगविन्यास के विकार" ।

सेरीब्रल पाल्सी के साथ विभिन्न प्रकार के पूर्ण एवं सूक्ष्म गत्यात्मक सामंजस्यों में (ग्रोस एंड फाइन मोटर कोऑर्डिनेशन) विकार दोष हो जाते हैं । सेरीब्रल पाल्सी के अति सामान्य प्रकार हैं ।

- स्पैस्टिक (सेरीब्रल पाल्सी मामलों में से 50%, सबसे अधिक व्यापक) इसके लक्षण हैं ऐच्छिक माँसपेशियों पर नियन्त्रण की कमी। मस्तिष्क के सेरीब्रम नामक भाग में क्षति होने के कारण अतितानता (स्पैस्टिस्टी) हो जाती है ।
- कोरियो - एथिटोएड - इसमें शरीर की असंबद्ध अनैच्छिक गतिविधियाँ विद्यमान होती हैं । इस प्रकार की सेरीब्रल पाल्सी में गतिविधियों पर नियन्त्रण करना ओर अपनी भाव भंगिमा बनाए रखना बहुत कठिन होता है । ऐसा बेसल गैरिलिया क्षति होने के कारण होता है ।
- मिश्रित - जैसा कि, नाम से ही स्पष्ट है - मिश्रित सेरीब्रल पाल्सी में स्पैस्टिक और एथिटोएड दोनों ही शामिल होते हैं । उदाहरण के लिए-मिश्रित सेरीब्रल पाल्सी वाले बच्चों में बाहें स्थिर (सख्त) हो सकती हैं जबकि, टांगे अतितान (स्पैस्टिक) होगी या फिर वही बच्चा समय-समय पर कभी स्थिर (सख्त) और कभी अस्थिर हो सकता है ।



मानसिक मंद बच्चों को संबधित स्थितियाँ भी हो सकती हैं।

24. क्या सेरिब्रल पाल्सी, वाला बच्चा मानसिक मंद भी हो सकता है ?

मस्तिष्क की जिस क्षति से सेरिब्रल पाल्सी होती है उस से कई अन्य विकार भी हो सकते हैं जिस में मानसिक मदता, दौरा पड़ना, दृष्टि या श्रवण त्रृटियाँ भी सम्मिलित हैं। जितनी ज्यादा मस्तिष्क की क्षति होगी उतनी ही बच्चे के मानसिक मदता की सभावना बढ़ जायेगी। इसलिए यह जान लेना आवश्यक है कि, सभी सेरिब्रल पाल्सी बच्चे मानसिक मंद नहीं होते बहुत से सेरिब्रल पाल्सी व्यक्तियों की बुद्धि सामान्य व्यक्तियों की तरह होती है। मानसिक मदता तभी होती है जब मस्तिष्क में क्षति व्यापक रूप से हो।

25. क्या ऐसे मानसिक मंद बच्चे, जिसे सेरिब्रल पाल्सी भी हो, क्या उन्हे विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है ?

किसी मानसिक मंद बच्चे को सेरिब्रल पाल्सी भी हो तो उसकी समस्याये दुगुनी हो जाती हैं। ऐसे बच्चों को दैनिक क्रियाकलापों में, भाषा एवं सप्रेषण में सामाजीकिकरण में, क्रियात्मक - शैक्षिकता और सवेदनात्मक क्षेत्रों में अन्य मानसिक मंद बच्चों की भाँति प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त भौतिक/शारीरिक चिकित्सकों और व्यावसायिक चिकित्सकों जैसे विशेषज्ञों के सेवाओं की भी आवश्यकता होती है जिससे कि, समायोजित ऐच्छिक गतिविधियों और भाव भगिमाओं का प्रशिक्षण दिया जा सके।

26. डाऊन सिन्ड्रोम क्या है ?

डाऊन सिन्ड्रोम एक गुणसूत्र संबंधी विकार है जो 21 नवर जोड़े में एक अतिरिक्त गुणसूत्र विद्यमान होने के कारण हो जाता है। साधारण जनसंख्या में इस का अनुपात प्रति 800 नवजात बच्चों में एक होता है लेकिन माता की उम्र बढ़ने के साथ-साथ इसका अनुपात भी बढ़ जाता है (45 वर्ष से अधिक आयु की माताओं में प्रति 50 के पीछे एक)।

प्रभावित बच्चों की आखे तिरछी, नाक चपटी और जीभ बड़ी होती है। जन्मजात हृदय विकार और जठरांत्र (गैस्ट्रोइन्टेस्टाइनल) विकृति तो सामान्य हैं। डाऊन सिन्ड्रोम वाले बच्चे अधिकतर अल्प से अत्यल्प मानसिक मदता वाले होते हैं।

27. ऑटिज़म क्या है ?

ऑटिज़म एक बहुत ही विरला विकार है जो लगभग 10,000 बच्चों में से 4 को होता है। ऑटिस्टिक बच्चे की चिन्तन - शक्ति, भाषा और व्यवहार सभी प्रभावित होते हैं। यह विकार स्त्रियों के मुकाबले पुरुषों में दो से चार गुना अधिक होता है। सामान्यतः ऑटिस्टिक बच्चों में निम्न प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं।

- भाषा - विकार : भाषा में विलंब एवं विसामान्यता,
- विचित्र व्यवहार - जैसे विशेष विधि से हाथों का हिलाना - जुलाना, व्यवहार की पुनरावृत्ति, एक जैसा व्यवहार बार-बार करना।
- सामाजिक अलगाव : उन्हें किसी के द्वारा पकड़े जाना या आलिंगन करना अच्छा नहीं लगता और वे दूसरों की भावनाओं को न तो समझते हैं और न ही उस पर कोई प्रतिक्रिया ही दिखाते हैं।

कुछ बच्चों में अलग प्रकार के अकेलेपन के कौशल होते हैं उदाहरण के लिए - वे कुछ जटिल पहेलियों को सुलझाने में समर्थ होते हैं, जेब में रखे कैल्कुलेटर के समान जल्दी से गुणा कर लेते हैं और अभिव्यक्ति के साथ अखबार / समाचार पत्र पढ़ लेते हैं पर समझ नहीं पाते।

28. क्या मानसिक मद बच्चों में ऑटिस्टिक लक्षण होते हैं ?

कुछ ऑटिस्टिक लक्षण जैसे सामाजिक रूप से अलग रहना, विशेष प्रकार के व्यवहार, भाषा में विलंब और विसामान्यता, कुछ मानसिक मद बच्चों में देखे जा सकते हैं। उनके व्यवहार में अत्यधिक सामाजिक

अलगाव भी हो सकता है और अल्प सामाजिक अलगाव भी । अत्थधिक अलगाव वाले मामलों को सामाजिक अनुपयुक्त संलक्षण नाम से वर्गीकृत किया जा सकता है ।

29. मिरगी/दौरे क्या होते हैं ?

मिरगी कोई रोग नहीं है । मिरगी के दौरे मस्तिष्क में असामान्य बिजली उत्पन्न होने के कारण होते हैं जो समाविष्ट हो जाती है । मिरगी या दौरे एक ऐसी स्थिति है जो दो-तीन मिनट तक रहती है और इसमें शरीर में झटके लगते हैं । इसके दौरान व्यक्ति लगभग 20-30 मिनट तक बेहोश रहता है । इस प्रकार की मिरगी को 'ग्रेन्डमाल' कहा जाता है । मिरगी के दौरे के बाद व्यक्ति को दौरे के दौरान हुई कोई भी बात की याद नहीं रहती । यदि यह दौरा व्यक्ति को चलते हुए गाड़ी चलाते हुए या खाना पकाते हुए होता है तो इसका आरंभ व्यक्ति के गिरने से हो सकता है । इस गिरने के कारण व्यक्ति को चोट भी लग सकती है जो इस बात पर निर्भर करती है कि, व्यक्ति कहाँ और किस प्रकार की क्रिया कर रहा था ।

एक अन्य प्रकार की मिरगी को 'पेटिटमाल' कहते हैं जिसमें कुछ सैकेन्ड से अधिकतम 20 सैकेन्ड तक व्यक्ति को बेहोशी हो जाती है । पेटिटमाल के दौरे के बाद व्यक्ति वही कार्य फिर से आरंभ कर सकता है ।

30. क्या सभी मानसिक मंद व्यक्तियों को दौरे पड़ते हैं ?

लगभग 10% मानसिक मंद व्यक्तियों को दौरे पड़ते हैं । जितनी अधिक विकलांगता होगी उतनी ही मिरगी होने की संभावना बढ़ जाएगी । यह दौरा जन्म के साथ ही या फिर बाद में भी शुरू हो सकता है । यदि इस पर ध्यान न दिया जाए तो यह दौरे मानसिक मंद व्यक्ति को हानि पहुंचा सकते हैं जैसे कि :-

- बार-बार दौरे पड़ने से मस्तिष्क को क्षति हो सकती है और मंदता और बढ़ सकती है।
- इस से स्मरण शक्ति में विकार आ सकते हैं जो अधिगम क्रियाओं में बाधा उत्पन्न करती है।

31. क्या इन दौरों को रोका जा सकता है ?

दौरों के नियंत्रण के लिए औषधीय उपचार करना आवश्यक है। उपचार अन्य प्रकार के भी होते हैं जैसे - विशेष आहार जिसे "केटोजेनिक डाईट" कहा जाता है और "शल्य-चिकित्सा"। साधारणतया प्रयुक्त औषधियाँ हैं ;

- फौनीटोएन सोडियम / एपटोएन
- फीनोबारबिटल
- प्राइमिडौन
- कारबामाजैपीन (टैग्रीटोल)
- सोडियम वैल्पोरेट (वैलपरीन)
- क्लोनाजीपाम

दौरों की रोकथाम के लिए माता-पिता को डाक्टरी सलाह लेनी चाहिए। दवा की मात्रा और दवाओं का संयोजन, डाक्टर के द्वारा दिए गए नुस्खे के अनुसार ही लेना चाहिए। यह उपचार सामान्यतः लम्बा होता है जो दौरे बंद होने के बाद भी तीन-चार वर्ष तक चलता रहता है।

32. बच्चे के बहुत दिनों तक दवा लेने के बावजूद भी दौरे पड़ते रहते हैं, ऐसा क्यों होता है ?

दवा लेने के बाद भी दौरे पड़ते हो तो इसके कई कारण हो सकते हैं :

- मानसिक मदन की गंभीरता ऐसी होती हो कि, मस्तिष्क की क्षति व्यापक रूप से हो जाती है फलस्वरूप दवाएँ दौरों पर नियंत्रण नहीं कर पाती।
- दवा की मात्रा कम लेना ।
- दवा का अनियमित रूप से सेवन करना ।
- डॉक्टर की सलाह के बिना एकदम दवा बंद कर देना ।
- अन्य उपापचयी विकार जो दवाओं से नियंत्रित नहीं किए जा सकते ।

33. क्या बहुत लम्बी अवधि तक दवाईयाँ देने से बच्चे को नुकसान हो सकता है ?

बहुत से मानसिक मद व्यक्तियों को बहुत लम्बी अवधि तक दौरे रोकने की दवाये देने से उन दवाओं का अन्य प्रभाव (साईड इफेक्ट) पड़ने का भय रहता है । दौरों के लिए आम तौर से प्रयोग होने वाली दवाओं से होने वाले अन्य प्रभाव हैं आलसीपन, अति सक्रिय होना, पित्तिका (रैश) होना या जिगर में क्षति होना, लेकिन अधिकतर प्रभाव प्रतिवर्ती होते हैं । फिर भी अन्य अतिरिक्त प्रभावों के बावजूद, सभी परिस्थितियों में सामान्य रूप से कार्य करने के लिए दौरे की दवाईयों का नियमित सेवन करना आवश्यक है ।

परिवार पर प्रभाव

मानसिक मंद बच्चे के होने से परिवार में एक बहुत बड़ा तनाव आ जाता है और माता-पिता एवं अन्य परिवारिक सदस्यों को जीवन भर समझौते करने की आवश्यकता होती है। कई बार माता-पिता को पूरे परिवार की आवश्यकताओं के साथ मानसिक मंद बच्चे की आवश्यकताओं को पूरा करना कठिन लगता है। घर में मानसिक मंद बच्चा होने से परिवार में भाई-बहनों और अन्य सदस्यों जैसे कि, दादा-दादी पंर विशेष रूप से प्रभाव पड़ता है। इस भाग में सामान्यतया परिवार किस प्रकार प्रभावित होते हैं, इस प्रकार की परिस्थितियों का सामना करते हुए माता-पिता को क्या लाभदायक लगा और क्या नहीं तथा आवश्यकता पड़ने पर किस प्रकार के विशेषज्ञों से संपर्क करना चाहिए, इस पर जानकारी दी गई है। इसके अलावा सामान्यतया अभिभावकों द्वारा पूछे जाने वाले विचित्र प्रश्न, जैसे कि, मानसिक मंद बच्चों के भाई-बहनों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है आदि, भी इसमें सम्मिलित किए गए हैं।



34. मानसिक मंद बच्चे के पैदा होने से परिवार के सभी सदस्यों पर बहुत बड़ा दबाव पड़ जाता है। क्या मानसिक मंद बच्चे वाले सभी परिवार ऐसा ही अनुभव करते हैं?

बच्चे के पैदा होने से दबाव तो पड़ता ही है चाहे वह मंद हो अथवा अविकलांग (सामान्य) क्योंकि, इससे परिवार के विभिन्न सदस्यों को आपस में कुछ सामंजस्य स्थपित करना पड़ता है और कुछ अतिरिक्त दायित्व भी संभालने पड़ते हैं। लेकिन, मानसिक मंद बच्चा पैदा होने से परिवार पर कुछ अधिक ही दबाव पड़ता है क्योंकि, बच्चे को विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है, अतिरिक्त आर्थिक बोझ आ पड़ता है और इन सबसे बढ़कर चिन्ता, कि बच्चा सामान्य नहीं है।

35. मानसिक मंद बच्चा पैदा होने से परिवार पर क्या प्रभाव पड़ता है?

इस संसार में प्रत्येक बच्चा अनन्य है और ऐसे ही प्रत्येक परिवार भी, जिसकी समय - समय पर आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए अपनी ही शक्तियाँ और कमजोरियाँ होती हैं। स्वाभाविक है कि, अधिकतर माता-पिता और परिवार के अन्य सदस्य मानसिक मंद बच्चे के भविष्य के बारे में सोच कर चिंतित हो जाते हैं, बच्चे के जीवन की विभिन्न अवस्थाओं से दुःखी या हताश हो जाते हैं। परिवार का सामाजिक जीवन प्रभावित होता है + वे अपने आपको अन्य लोगों से अलग रखना पसन्द करते हैं और मनोरंजक या फुर्सत के क्रिया-कलापों में कम भाग लेते हैं। उन्हें परिवारों, मित्रों और संबंधियों से उपेक्षा एवं तिरस्कार मिलता है जिसके फलस्वरूप उनके आपसी संबंध तनावपूर्ण हो जाते हैं और उन्हें हिम्मत नहीं मिल पाती। कुछ, सामान्यतया, माताये अपनी नौकरी भी छोड़ देती हैं जिससे आर्थिक दबाव बढ़ जाता है। पिता भी ऐसे स्थानों पर नौकरियाँ ढूँढ़ते हैं या स्थानातरण चाहते हैं जहाँ ऐसे बच्चों के लिए सेवाये उपलब्ध हों। परिवार पर पड़ने वाला प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि, उन्हें कितना और कैसा भावुक, आर्थिक एवं शारीरिक समर्थन प्राप्त है बच्चे के मंदन की मात्रा एवं उसकी आयु

कितनी है और क्या उस बच्चे को अतिरिक्त समस्याएं भी हैं या नहीं जैसे कि : शारीरिक विकलांगता या व्यवहार समस्या आदि।

36. क्या मानसिक मंद बच्चे के होने से परिवार को कुछ अनुकूल अनुभव भी हो सकते हैं ?

उन परिवारों में जहाँ मानसिक मंद बच्चा होने से पहले माता-पिता का वैवाहिक संबंध अच्छा होता है जैसे कि, देखभाल और साझेदारी में मज़बूत संबंध हो तो वे मानसिक मंद बच्चे के होने के बाद की परिस्थितियों का सामना करने के लिए और भी निकट हो जाते हैं । कुछ अभिभावकों का कथन है कि, वे अपने विचारों में अधिक धैर्यवान् एवं मानवतावादी हो गए हैं ।

मानसिक मंद व्यक्तियों के भाई-बहन अपने लिए सहायता रोज़गार-चुन सकते हैं क्योंकि, वे अन्य लोगों के साथ संबंधों में अधिक विनम्र, अधिक विचारशील अधिक दिलचस्पी ले सकते हैं अधिक सहयोगी और सहनशील हो सकते हैं ।

37. बच्चा मानसिक मंद है, ऐसा जानकर माता-पिता की सामान्यता क्या भावुक प्रतिक्रियायें होती हैं ?

बच्चा मानसिक मंद है और वह कभी भी ऐसी अवस्था से पूर्ण रूप से ठीक नहीं हो पाएगा, ऐसा जानकर माता-पिता की सभी आशाये चूर-चूर हो जाती हैं । ऐसे शोक की परिस्थिति में किसी भी व्यक्ति की ये प्रतिक्रियायें बड़ी स्वाभाविक हैं । अलग अलग अभिभावकों की अलग-अलग प्रतिक्रियायें होती हैं । कुछ को आरंभ में धक्का-सा लगता है और एक अविश्वास सा रहता है कि, उनका बच्चा मानसिक मंद है । कुछ इस को अस्वीकार करते हैं ऐसी आशा रखते हैं कि, कुछ समय बाद सब ठीक हो जाएगा । कुछ बहुत उत्तेजित हो जाते हैं और ऐसी अवस्था के लिए अपने आप को अथवा दूसरों को दोषी ठहराते हैं । कुछ माता-पिता अत्यधिक अशात और हताश हो जाते हैं और उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता । ये प्रतिक्रियायें स्थायी नहीं रहती हैं । ऐसा भी आवश्यक नहीं है कि, सभी माता-पिता ऐसी प्रतिक्रियाओं से गुजरें ही ।

यहाँ यह जान लेना आवश्यक है कि, इस शोक की परिस्थिति में इन प्रकार की प्रतिक्रियाये होना बड़ी सामान्य-सी बात है। कुछ माता-पिता परिस्थितियों के साथ समझौता करने में दूसरों के मुकाबले अधिक समय लेते हैं जिसके बाद ही वे ऐसी परिस्थितियों का सामना करने के लिए सृजनात्मक कदम उठा सकते हैं और अपने मानसिक मद बच्चे को प्रशिक्षित करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं।

38. क्या अभिभावक अपनी आवेग-पूर्ण प्रतिक्रियाओं को स्वयं ही संभाल सकते हैं अथवा उन्हे किसी विशेषज्ञ की सहायता की आवश्यकता होती है ?

कुछ अभिभावक अपनी भावनाएं स्वयं समझ सकते हैं और अपनी समस्याओं का स्वयं ही विश्लेषण भी कर सकते हैं और जल्दी ही संभल भी जाते हैं इसलिए उन्हे विशेषज्ञों से कम से कम सहायता प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। कुछ माता-पिता को बहुत समय लगता है और उन्हे अपने सदमे, अपराध, क्रोध, उदासी और अस्वीकार की भावनाओं को दूर करने के लिए विशेषज्ञों की सहायता की अधिक आवश्यकता होती है।

39. यदि वे भावुक प्रतिक्रियाये अनुत्तरित रहे तो इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है ?

जितनी जल्दी इन भावनाओं पर काबू पा लिया जाए उतना ही अच्छा है क्योंकि, यदि वे अधिक समय तक ऐसे रहेंगे तो उनके परिवार के स्वस्थ समायोजन पर दुष्प्रभाव पड़ेगा फलस्वरूप माता-पिता के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य पर क्षतिपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। इससे मानसिक मद बच्चे के लिए सही प्रशिक्षण-कार्यक्रमों को आरंभ करने अथवा पूरा करने में अनावश्यक ही विलब हो सकता है और अभिभावकों एवं विशेषज्ञों के साथ स्वस्थ संबंधों में बाधा भी उत्पन्न हो सकती है।

40. माता - पिता की भावुक प्रतिक्रियाओं को संभालने में कौन-कौन से लोग सहायक सिद्ध हो सकते हैं ?

प्रशिक्षित परामर्शदाता, मनोवैज्ञानिक या प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ता कुछ

ऐसे विशेषज्ञ हैं जिन से सलाह ली जा सकती है। डॉक्टर, अध्यापक आदि अन्य विशेषज्ञ भी सहायक सिद्ध हो सकते हैं, यदि वे परामर्श कौशलों में प्रशिक्षण प्राप्त हो। जिन लोगों पर भरोसा होता है, विशेष रूप से वे जो अपने विचार आप पर लादे बगैर आप को बड़े ध्यान से सुनते हों, ऐसे लोगों से अपने दुःख-सुख कह लेना या बाँट लेना बहुत सहायक होता है। इसमें आपकी पत्नी, सगे संबंधी, मित्रगण या फिर मिलती जुलती परिस्थिति वाले अन्य माता - पिता जिनके मानसिक मद बच्चे हैं, वे भी समिलित हो सकते हैं।

41. एक मानसिक मद बच्चा होने का माता, पर क्या प्रभाव पड़ता है ?

मानसिक मद बच्चा होने की परिस्थिति का कुछ माताये दूसरों के मुकाबले अधिक अच्छी तरह से सामना कर सकती है। फिर भी, बच्चे के पालने के दायित्व में सामान्यतः माता पर होने के कारण माँ को सबसे अधिक तनाव एवं दबाव का सामना करना पड़ता है। आम तौर से पिता सामान्य परिवारों के मुकाबले कुछ अधिक योगदान नहीं देते अतः माँ अपने मानसिक मद बच्चे की अतिरिक्त आवश्यकताओं के साथ-साथ घर के अन्य काम काज को पूरा करने में भी संघर्ष करती रहती है। यदि माँ नौकरीपेशा है, तो उस पर यह दबाव कहीं अधिक पड़ता है। मानसिक मद बच्चे के पिता के मुकाबले माता को अधिक तनाव रहता है। माताओं को तनाव संबंधी रोग जैसे माईग्रेन, तनाव, सिरदर्द, बदन दर्द, उच्च रक्त चाप, घबराहट, उदासीनता आदि होने का अधिक डर रहता है।

42. क्या मानसिक मद बच्चा होने से पिता पर किसी प्रकार का प्रभाव पड़ता है?

सामान्यतः ऐसा माना जाता है कि, पिता मानसिक मद बच्चा होने की स्थिति को अपनाने में अधिक समय लगाते हैं। ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि, वे बच्चे के साथ बहुत कम समय बिताते हैं और

उनका विशेषज्ञों के साथ संबंध भी बहुत कम होता है जिससे उन्हे अपनी समस्या का समाधान करने का बहुत कम मौका मिलता है। कभी-कभी सभी समस्याओं को स्वयं ही सुलझाने की पौरूष भावना के साथ-साथ दूसरों को बताने का मौका कम मिलने से और मानसिक मंद बच्चे से संबंधित अपनी सच्ची भावनाओं को छिपा कर रखने के कारण उन्हें परिस्थिति को स्वस्थ रूप में अपनाने में कठिनाई होती है। पिता को भी निराशा होती है मगर माता के मुकाबले में कम और वे भी अपने वैवाहिक संबंधों में और व्यक्तित्व में समस्याये उत्पन्न कर सकते हैं। उनका पदीय कार्य प्रभावित हो सकता है और उनके अपने अफसर और सहपाठियों के साथ संबंध भी बिगड़ सकते हैं।

43. क्या मानसिक मंद बच्चे के माता-पिता को वैवाहिक समस्यायें अधिक होती हैं ?

मानसिक मंद बच्चों के माता-पिता के बीच वैवाहिक समस्याये उत्पन्न होने की अधिक संभावना रहती है। वैवाहिक समस्यायें माता-पिता के बीच अनेक प्रकार के अंतर्द्वन्द्वों के कारण उत्पन्न होती हैं। बच्चे की देखभाल की अतिरिक्त माँगों को आपस में बाँटने में माता-पिता के बीच दून्द उत्पन्न होने से वैवाहिक समस्याये पैदा हो जाती हैं। ऐसा बच्चा पैदा करने के लिए एक दूसरे पर दोषारोपण करने लगते हैं, बच्चे के उपचार के संबंध में एक दूसरे के साथ असहमत हो सकते हैं। थकावट, एवं एकात की कमी के कारण अथवा उसी प्रकार का दूसरा बच्चा पैदा होने के भय से यौन-समस्याये पैदा हो सकती हैं।

44. क्या परिवार में एक मानसिक मंद बच्चा होने से अविकलांग अथवा सामान्य बच्चों (भाई-बहनों) पर कोई प्रभाव पड़ता है ?

सामान्यतः बहनों पर इसका अधिक प्रभाव पड़ता है क्योंकि, अपने खाली समय में, खेलने या पढ़ाई के समय में भी उनसे उनके मानसिक विकलांग भाई या बहन की देखभाल की अपेक्षा की जाती है। अपने


मित्रों के बीच वे शर्मिंदगी अनुभव करते हैं, विशेष रूप से यदि उनका भाई या बहन सामाजिक दृष्टि से अस्वीकार्य रूप से पेश आए। माता-पिता भी मानसिक विकलांग बच्चे की कम उपलब्धि की पूर्ति के लिए सामान्य बच्चे पर अधिक उपलब्धि के लिए दबाव डालते हैं। माता-पिता सामान्य बच्चे के साथ कम समय बिताते हैं, जिससे वे उपेक्षित या ईर्ष्यालू हो जाते हैं। ऐसे सबधों की कभी महसूस करते हैं जो कि, सामान्य भाई-बहनों में हो सकते हैं। अपने मानसिक विकलांग भाई-बहन के भविष्य के बारे में चितित रहते हैं ऐसे जीवन साथी को पाने की चिंता करते रहते हैं जो उनके मानसिक विकलांग भाई-बहन को अपना सके और उनके साथ निर्वाह कर सके तथा स्वयं मानसिक विकलांग बच्चा पैदा करने के भय से भी ग्रस्त रहते हैं।

45. क्या परिवार में मानसिक मंद बच्चा होने से बुजुर्गों (दादा-दादी, नाना-नानी) पर भी कुछ प्रभाव पड़ता है ?

परिवार में मानसिक मंद बच्चे के होने से सभी पर प्रभाव पड़ता है और बुजुर्ग (दादा-दादी या नाना-नानी) भी इससे अछूते नहीं रहते हैं। परिवार से उनके संबंध एवं आलिप्ती कैसी है इसके अनुसार वे मानसिक विकलांग बच्चे एवं उसके भविष्य के बारे में चिंता करते हैं। वे अपने पुत्र/पुत्री के लिए भी चितित होते हैं जिस पर मानसिक विकलांग बच्चे के पालन-पोषण का बोझ आ पड़ा है। कभी-कभी वे मानसिक मंद बच्चे की देखभाल की जिम्मेदारी को निभाने में प्रभावित माता-पिता का यथा समय अर्थिक और भावनात्मक समर्थन भी करते हैं। कभी-कभी दादा-दादी या नाना-नानी अपने ही बच्चों द्वारा उपेक्षित महसूस करते हैं या उनके मानसिक मंद बच्चे (दोहते, पोते) की विशेष देखभाल की आवश्यकता के कारण उनका सामाजिक जीवन एवं मनोरंजक क्रिया कलाप छूट जाते हैं।

46. ऐसे कौन से तत्व हैं जो मानसिक मंद बच्चे के परिवारों को बेहतर रूप से समायोजित करने में सहायक होते हैं ?

भारतीय अभिभावक के कथनानुसार मानसिक मंद बच्चा होने की कठिन



माता-पिता दोनों की आत्मप्रिय सहायक सिद्ध होती है ।

परिस्थिति का सामना करने के लिए बच्चे की देखभाल में पति/पत्नी या दादा-दादी, नाना-नानी द्वारा दी गई सहायता सबसे अधिक लाभदायक पाई गई । अन्य चीजे जो लाभप्रद पाई गई, वे हैं दादा-दादी, या नाना-नानी द्वारा मानसिक मंद बच्चे को अपनाना, अर्थिक सहायता, व्यावसायिकों द्वारा दिया गया शीघ्र और यथासमय परामर्श और उनका तदनुभूतिपूर्ण रवैया (रुख) । इन सबसे बढ़कर अभिभावकों का कहना है कि, ईश्वर पर विश्वास समय समय पर तनाव कम करने में बहुत सहायक सिध्द होता है ।

47. क्या ऐसे भी तत्व होते हैं जो परिवार में मानसिक मंद बच्चे होने की परिस्थिति का सामना करने में बाधा उत्पन्न करते हैं ?

भारत के अभिभावकों के अनुसार ऐसी परिस्थिति का सामना करते समय कुछ मुख्य तत्व जो बाधा उत्पन्न करते हैं वे हैं परिवार में मानसिक मंद बच्चे को न अपना पाना, विशेष रूप से दादा-दादी, अन्य संबंधी, व्यावहारिक पड़ौसी, और समाज के अन्य व्यक्ति । व्यवहार समस्या वाले मानसिक मंद बच्चे को संभालना सबसे बड़ी समस्या है । व्यावसायिकों द्वारा गलत या देर से दी गई संलाह और उनका परिस्थिति का असवदेनशील व्यवहार अभिभावकों के लिए सबसे अधिक दुःखदायी एवं निराशापूर्ण लगता है । अन्य बाधायें हैं—परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य ठीक न रहना, मानसिक मंद बच्चे के प्रशिक्षण के लिए सुविधाएं उपलब्ध न होना और परिवार के सदस्यों एवं संबंधियों द्वारा सहायता न प्राप्त होना ।

48. क्या पिता के लिए कुछ ऐसी अतिरिक्त ज़िम्मेदारियाँ होती हैं जिससे परिवार को मानसिक मंद बच्चे की परिस्थिति का बेहतर रूप से सामना करने में सहायता मिल सके ?

घर में मानसिक मंद बच्चा होने के कारण माता और पिता दोनों परिवार पर आई अतिरिक्त मांग को पूरा करने में मुख्य भूमिका निभाते हैं । ऐसा देखा गया है कि, जहाँ पिता अपनी पत्नी की मानसिक मंद बच्चे की

देखभाल करने में और घर के अन्य कार्यों में पत्नी को सहयोग देते हैं, जो अपनी पत्नी को दुःख के समय में भावुक समर्थन देते हैं वे परिवार को इस चुनौती का सामना करने के लिए अधिक शक्तिशाली बनाने में सहायता करते हैं। पिता को रोजी-रोटी (जीविका) कराने के साथ-साथ अपने मानसिक मंद बच्चे के प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर व्यावसायिकों के साथ संपर्क स्थापित करना चाहिए और अपनी पत्नी एवं बच्चों के साथ - उनकी देखभाल में कुछ समय बिताना चाहिए।

49. क्या मानसिक मंद बच्चे के भाई-बहन उसकी सहायता कर सकते हैं ?

भाई-बहनों में आपस का साथ और सहारा माता-पिता और बच्चे के बीच के संबंध से कही अधिक देर तक रहता है। यह सभी परिवारों के साथ होता है। भाई-बहन एक-दूसरे के प्राकृतिक सहारा होते हैं जो समाज की आवश्यकताओं के अनुसार सामाजिक-सांस्कृतिक ढाँचे में उसे मजबूत कर सकते हैं और प्रयोग में लाये जा सकते हैं। भारत-सरकार द्वारा दी गई कोई सामाजिक सुरक्षा समर्थन प्रणाली उपलब्ध नहीं है जो कि, अन्य विकसित देशों में है। अतः यह और भी आवश्यक हो जाता है कि, प्राकृतिक सहारे को बढ़ाया जाए और मजबूत किया जाए। भाई-बहन मानसिक मंद बच्चों के भविष्य के प्राकृतिक सरक्षक माने जाते हैं। जितनी जल्दी भाई-बहनों को मानसिक मंद बच्चों की आवश्यकताओं के बारे में संवेदनशील बना दिया जाए उतना ही अच्छा होता है। माता-पिता मानसिक मंद बच्चे की अन्य भाई-बहनों के साथ के संबंध बेहतर बनाने में सहायता कर सकते हैं उन्हें मानसिक मंद भाई/बहन की अवस्था के बारे में सही जानकारी दे कर, उन्हें आपस में खेलने, बात करने, एक-दूसरे की देखभाल करने में सहायता कर सकते हैं।

50. यदि भाई/बहन अपने मानसिक मंद भाई/बहन की देखभाल में समय बितायेगे तो क्या इसका उनकी पढ़ाई व भविष्य पर बुरा प्रभाव

नहीं पड़ेगा ?

इस संसार में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति जीवन की विभिन्न परिस्थितियों के साथ समझौता करता है। मानसिक मद बच्चे के भाई-बहनों को भी स्वयं इस स्थिति में समझौता कर लेने की आवश्यकता होती है कि, उनका एक भाई/बहन मानसिक मद है। इस प्रकार की परिस्थिति का सामना करने के लिए माता-पिता अपने अविकालाग बच्चे की बड़ी सहायता कर सकते हैं। उन्हें मानसिक मद भाई/बहन से दूर रखने से कोई फायदा नहीं है। यदि माता-पिता बच्चे की देखभाल में सही तकनीकों का प्रयोग करते हैं तो वे भाई-बहनों को समय का सटुपयोग करना सीखा सकते हैं। यदि आगे आने वाले समय में भाई-बहनों को पढ़ाई और भविष्य बनाने के साथ-साथ, मानसिक मद भाई/बहन की देखभाल में योगदान देने की जिम्मेदारियाँ निभाने में सहायक होगा।

51. मानसिक मद बच्चे वाले परिवार में बड़े बुजुर्गों का होना एक बाधा है या सहायता ?

यदि बड़े बुजुर्ग परिवार की सहायता करते हैं तो वे सहायक सिद्ध हो सकते हैं और यदि वे परिवार के लिए समस्याये पैदा करते हैं तो बाधक हैं। बड़े-बुजुर्ग परिवार के लिए नैसर्गिक सहायक हो सकते हैं। वे घर की जिम्मेदारियों में और बच्चे की देखभाल में हाथ बटा सकते हैं। अपने बच्चों को भावुक सहारा दे सकते हैं और यदि वे सभव हो तो अर्थिक संकट से गुज़रते हुए परिवार को अर्थिक मदद भी दे सकते हैं। वे बाधक भी हो सकते हैं यदि वे आलोचना करते रहे, अपने बच्चों की उपेक्षा करें या उन पर दोषारोपण करें। मानसिक मद बच्चे की देखभाल में हिस्सा लेते हो, अपनी आवश्यकताओं के लिए बच्चों से अतिरिक्त देखभाल की माँग करते हो, आर्थिक योगदान के बदले आर्थिक संकट का कारण बनते होते हैं। यदि घर में जगह की समस्या हो तो वे एकात की कमी का कारण बनते हैं।

देखभाल करने में और घर के अन्य कार्यों में पत्नी को सहयोग देते हैं, जो अपनी पत्नी को दुःख के समय में भावुक समर्थन देते हैं वे परिवार को इस चुनौती का सामना करने के लिए अधिक शक्तिशाली बनाने में सहायता करते हैं। पिता को रोज़ी-रोटी (जीविका) कराने के साथ-साथ अपने मानसिक मंद बच्चे के प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर व्यावसायिकों के साथ संपर्क स्थापित करना चाहिए और अपनी पत्नी एवं बच्चों के साथ - उनकी देखभाल में कुछ समय बिताना चाहिए।

49. क्या मानसिक मंद बच्चे के भाई-बहन उसकी सहायता कर सकते हैं ?

भाई-बहनों में आपस का साथ और सहारा माता-पिता और बच्चे के बीच के संबंध से कही अधिक देर तक रहता है। यह सभी परिवारों के साथ होता है। भाई-बहन एक-दूसरे के प्राकृतिक सहारा होते हैं जो समाज की आवश्यकताओं के अनुसार सामाजिक-सास्कृतिक ढाँचे में उसे मज़बूत कर सकते हैं और प्रयोग में लाये जा सकते हैं। भारत-सरकार द्वारा दी गई कोई सामाजिक सुरक्षा समर्थन प्रणाली उपलब्ध नहीं है जो कि, अन्य विकसित देशों में है। अतः यह और भी आवश्यक हो जाता है कि, प्राकृतिक सहारे को बढ़ाया जाए और मज़बूत किया जाए। भाई-बहन मानसिक मंद बच्चों के भविष्य के प्राकृतिक संरक्षक माने जाते हैं। जितनी जल्दी भाई-बहनों को मानसिक मंद बच्चों की आवश्यकताओं के बारे में संवेदनशील बना दिया जाए उतना ही अच्छा होता है। माता-पिता मानसिक मंद बच्चे की अन्य भाई-बहनों के साथ के संबंध बेहतर बनाने में सहायता कर सकते हैं उन्हें मानसिक मंद भाई/बहन की अवस्था के बारे में सही जानकारी दे कर, उन्हें आपस में खेलने, बात करने, एक-दूसरे की देखभाल करने में सहायता कर सकते हैं।

50. यदि भाई/बहन अपने मानसिक मंद भाई/बहन की देखभाल में समय बितायेंगे तो क्या इसका उनकी पढ़ाई व भविष्य पर बुरा प्रभाव

52. हम अपने अन्य बच्चों के मुकाबले मानसिक मंद बच्चे के साथ अधिक समय बिताते हैं क्या इस का उन पर कोई दुष्प्रभाव पड़ सकता है ?

मानसिक मंद बच्चे की विशेष आवश्यकताओं के कारण माता-पिता ऐसा समझते हैं क्योंकि, उनके मानसिक मंद बच्चे को उनकी अधिक आवश्यकता है। लेकिन यह समझ लेना आवश्यक है कि, प्रत्येक बच्चा चाहे वह मदबुद्धि है अथवा अविकलाग, उसकी अपनी आवश्यकताये होती है जिन्हें माता-पिता को समझना होता है और पूरा करना होता है। यदि ये आवश्यकताये पूरी नहीं होती तो बच्चा उपेक्षित व अकेला महसूस करने लगता है और कभी-कभी वह अपने भाई-बहनों के साथ दुर्व्यवहार (ईर्ष्या) करने लगता है। माता-पिता का अन्य बच्चों के साथ सबध गहरा होता है। यह ज़रूरी नहीं कि, कोई मानसिक मंद बच्चे के साथ या अन्य बच्चे के साथ कितना समय बिता रहा है बल्कि, यह देखना ज़रूरी है कि, आप कितनी अच्छी तरह अपने बच्चों के साथ समय बिताते हैं और उन्हें आवश्यक और इच्छित महसूस कराते हैं।

53. क्या मानसिक मंद बच्चे के होने से परिवार में उत्पन्न हुई समस्याओं को सुलझाने के लिए विशेषज्ञों की सहायता उपलब्ध है ?

यदि माता-पिता परिवार में समस्याओं का सामना करते हैं तो उन्हें विशेषज्ञों की सलाह लेनी चाहिए। चिकित्सा मनोवैज्ञानिक, मनोचिकिस्तक, प्रशिक्षित परामर्शदाता या सामाजिक कार्यकर्ता कुछ ऐसे विशेषज्ञ हैं जो माता-पिता की समस्याये सुलझाने में मदद कर सकते हैं। ये लोग प्रायः मानसिक एवं सामान्य अस्पतालों, बाल मार्गदर्शन चिकित्सालयों (चाईल्ड गाईडेन्स क्लीनिक), विवाह अथवा परिवार परामर्श चिकित्सालयों, संस्थानों अथवा मानसिक मंद व्यक्तियों के लिए विशेष विद्यालयों में उपलब्ध होते हैं।

NOTES

शीघ्र उपचार

चाहे हमारे देश में स्थिति पहले से बेहतर हो रही है फिर भी बहुत सारे अभिभावक मानसिक मद बच्चे के लिए उपलब्ध सही सेवाओं में बहुत देर से पहुँचते हैं। इसके पीछे भी कई कारण हैं जैसे कि, उचित मार्गदर्शन न मिलना, सेवायें उपलब्ध न होना, परिवार के सदस्यों की ओर से ढील, कि, बच्चा जैसे-जैसे बड़ा होगा सामान्य होता जाएगा, ऐसी गलत फहमी या फिर कलक का टीका जैसी धारणायें इस भाग में शीघ्र उपचार से संबंधित माता-पिता के सदेहों और विभिन्न पहलुओं को लिया गया है। विशेष रूप से शीघ्र उपचार क्या है, यह किस पर लागू होता है, शीघ्र उपचार विकासात्मक विलंब वाले बच्चे पर कितना शीघ्र आंरंभ किया जा सकता है, शीघ्र उपचार के अंतर्गत कौन-कौन सी सेवायें प्रदान की जाती हैं, ये सेवायें कहाँ उपलब्ध हैं तथा कौन प्रदान करता है, आदि।



सोनम अब एक वर्ष की हो गई है। वह अभी तक बैठ नहीं पाती हमें इसे किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए।



मौं, इस डॉक्टर को दिखाने में कोई हज़र नहीं है देखो वह क्या कहता है।



54. माता-पिता को यह कैसे पता लगता है कि, उनके बच्चे का सामान्य रूप से विकास नहीं हो रहा है ?

बुद्धि और विकास का एक पूर्वानुमेय स्वरूप होता है क्योंकि, सभी बच्चे विकास की एक सी अवस्थाओं से गुज़रते हैं। जैसे कि, लाभग तीन महीने तक गर्दन सम्पालते हैं छः मास तक बैठते हैं ग्यारह मास तक खड़े होते हैं और एक वर्ष तक चलने और बोलने लगते हैं। फिर भी व्यक्तिगत भिन्नताओं के कारण विकास की दर सब के लिए एक जैसी नहीं होती। आरंभिक वर्षों में बच्चे की वृद्धि एवं विकास की गति बहुत तेज या धीमी हो सकती है। एक आयु के अन्य बच्चों के मुकाबले यदि बच्चा विकास में धीमा या पीछे रह जाए तो माता-पिता को मानसिक मंदता का संदेह हो जाना चाहिए।

55. यदि बच्चा विकास में धीमा पाया जाए तो माता-पिता को क्या करना चाहिए ?

यदि बच्चा अपनी आयु के अन्य बच्चों के मुकाबले विकास में धीमा या पिछड़ा हुआ पाया जाए तो बाल रोग चिकित्सक जो नवजात शिशुओं के साथ काम करते हैं (नीयोनेटोलोजिस्ट) डॉक्टर से शीघ्रतिशीघ्र परामर्श प्राप्त करना चाहिए। ऐसे विशेषज्ञ मेडिकल विश्वविद्यालयों और बड़े-बड़े अस्पतालों में पाये जाते हैं। योजनात्मक चिकित्सीय परिक्षण से यह जानकारी प्राप्त होती है कि, बच्चा सामान्य विकास से कितना पिछड़ा हुआ है और इससे विकासात्मक विलंब वाले बच्चे की चिकित्सा, पोषण और देखभाल में मदद मिलती है।

56. शीघ्र उपचार सेवाओं में क्या होता है ?

पाँच वर्ष से कम आयु वाले मानसिक मंद बच्चों के लिए शीघ्र उपचार सेवाओं में संवेदनात्मक एवं गत्यात्मक प्रशिक्षण और शिशु प्रेरक कार्यक्रमों पर विशेष बल दिया जाता है। विशेष शीघ्र उपचार कार्यक्रमों का उद्देश्य

विकासात्मक विलंब वाले बच्चों में ऐसी क्रियाओं में प्रशिक्षण देना है जिससे विकास एवं नए कौशल सीखने को प्रोत्साहन मिल सके। जो स्वाभाविक रूप से अपने आप इन बच्चों में शायद न आए। जिन मानसिक मद बच्चों में सेरिब्रल पाल्सी जैसी अन्य संबंधित स्थितियाँ होती हैं उन्हे शारीरिक चिकित्सा और अंग-विन्यास चिकित्सा दी जाती है।

57. क्या शीघ्र उपचार से सहायता मिलती है ?

विकासात्मक विलंब वाले बच्चे के मानसिक एवं शारीरिक क्षमताओं के स्वस्थ विकास के लिए शीघ्र उपचार कार्यक्रम अत्यावश्यक है। शीघ्रउपचार न केवल बच्चे के लिए बल्कि, परिवार और समाज के लिए भी लाभदायक है। शीघ्र उपचार से होने वाले कुछ उल्लेखनीय लाभ निम्नलिखित हैं। बच्चे को होने वाले लाभ :

- शीघ्र उपचार से भविष्य में कुछ भी सीखने के लिए कौशलों को विकसित करने में सहायता मिलती है।
- संबंधित विकलागताएँ कम करता है।
- आरंभ से ही परिवार के साथ रहने का अवसर प्रदान करता है।
- बच्चा अधिकम अर्तनिहितता - प्राप्त कर सकता है।
- माता पिता को होने वाले लाभ :
- माता-पिता को अपने बच्चे को पढ़ाने और प्रेरित करने के लिए प्रभावशाली कौशल सीखने में सहायता मिलती है।
- शीघ्र परामर्श सेवाओं द्वारा माता-पिता अपने बच्चों को बेहतर तरीके से अपनाने में मदद करते हैं।
- शीघ्र परामर्श सेवाओं से परिवार विघटन की संभावना कम की जा सकती है और परिवार के सदस्यों के बीच मज़बूत संबंधों को स्थापित किया जा सकता है।



शोधु पहचान और शोधु उपचार से सहायता मिलती है।

भाई-बहनों को होने वाले लाभ :

- मानसिक मंद बच्चों के भाई-बहन जब उन्हें समझ लेते हैं तो उनसे स्वयं की कीमत बढ़ जाती है और वे मानसिक मंद बच्चे के पूर्ण विकास के लिए परिवार के रचनात्मक प्रयत्नों का एक हिस्सा बन जाते हैं।
- भविष्य में संरक्षकता निभाने में सहायता मिलती है इस बात पर ध्यान देना आवश्यक है कि, शीघ्र उपचार से विकलांगता पूर्णतया ठीक नहीं होती बल्कि, इससे बच्चों को उनकी क्षमताओं को समझने के अधिक अवसर मिलते हैं, सहारे के स्रोत बनाए जाते हैं और परिवार को मानसिक मंद बच्चों को होने की परिस्थिति का सामना करने के लिए सशक्त बनाया जाता है।

58. बच्चों के विकासात्मक विलंब का पता लगने के बाद माता-पिता को शीघ्र उपचार सेवाये कितनी जल्दी प्राप्त करनी चाहिए ?

जैसे ही यह पता लगे कि, बच्चे में विकासात्मक विलंब है शीघ्र ही उपचार एवं अंतरापेक्षण आरंभ कर देना चाहिए, इससे बच्चे को अपनी क्षमता के अनुसार उपलब्ध प्राप्त करने में सहायता मिलती है। उपचार एवं अंतरापेक्षण शीघ्र आरंभ करना आवश्यक है क्योंकि, बच्चों का मस्तिष्क बहुत ही अनुकूलशील एवं परिवर्तनशील होता है। जैसे कि, सर्वीविदित है कि, सामान्य बच्चों के जीवन के पहले चौबीस महीनों में बहुत तेज़ी से वृद्धि एवं विकास होता है। अतः जितनी जल्दी माता-पिता शीघ्र उपचार सेवाये प्राप्त करें उतना ही बच्चे के लिए अच्छा है।

59. बच्चे को शीघ्र उपचार सेवाये कितने समय तक लेनी होती है?

शीघ्र उपचार सेवाये सामान्यतः बच्चे के पारंपरिक विद्यालय कार्यक्रमों से

पहले तीन से पाँच वर्ष की आयु में दी जाती है। शीघ्र उपचार सेवाओं के कार्यक्रम पाँच वर्ष तक की आयु की आशका वाले बच्चों के लिए बनाए गए हैं।

60. शीघ्र उपचार सेवाओं में किन विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है?

मानसिक मदन का प्रभाव बच्चे के विकास के सभी पहलुओं पर दिखाई पड़ता है इसलिए यदि उपचार प्रयत्न, प्रभावशाली बनाने हों तो बच्चे के पूर्ण हित पर ध्यान देना चाहिए जिसमें उसके शारीरिक, सर्वेदनात्मक, गत्यात्मक, भाषाई, ज्ञानात्मक और सामाजिक विकास भी शामिल हो। इन सभी क्षेत्रों के विकास आपस में संबंधित हैं। किसी एक क्षेत्र के विकास से दूसरी को मदद मिलती है अंतः उपचार के दृष्टिकोण प्रत्येक विकासात्मक क्षेत्र में बच्चे की आवश्यकताओं के अनुसार होना चाहिए। शीघ्र उपचार एक बहुविशेषज्ञी कार्यक्रम है जिसमें सेवाये कई विशेष क्षेत्रों से जुड़ी हुई हैं। प्रभावशाली उपचार के लिए कई विशेषज्ञों जैसे-बाल रोग चिकित्सक, शारीरिक चिकित्सक, विशेष चिकित्सक, मनोवैज्ञानिक, व्यवसायिक चिकित्सक, सामाजिक कार्यकर्ता और बाणी रोग विशेषज्ञ के सहयोग पूर्ण कार्यों की आवश्यकता होती है। ये सभी विशेषज्ञ विकासात्मक विलंब और शंका वाले बच्चों और उनके परिवारों के साथ कार्य करते हैं।

61. क्या विकासात्मक विलंब वाले बच्चों का इलाज केवल दवाईयों से हो सकता है?

विकासात्मक विलंब वाले बच्चों के इलाज के लिए कोई दवा उपलब्ध नहीं है जो उसे सामान्य बना सके। लेकिन विकासात्मक विलंब वाले बच्चों में होने वाले कुछ संबंधित रोग जैसे मिरगी के दौरे के इलाज के लिए दवाईयाँ होती हैं अन्य चिकित्सीय अवस्थाओं जैसे कि, अंग-विकार के लिए संशोधनात्मक शल्य चिकित्सा की आवश्यकता होती है।

62. यदि परिवार में मानसिक मंद बच्चे के होने से कोई समस्या होते तो माता-पिता को किससे परामर्श लेना चाहिए ?

प्रायः मानसिक मंद बच्चों के माता-पिता को लगता है कि, उनके विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे को पालने में आने वाली कठिनाईयों को उनके परिवार के सदस्य और उनके मित्र नहीं समझ पा रहे हैं। माता-पिता को लोगों से कई तरह की सलाह मिलती रहती है। परिवार में मानसिक मंद बच्चा होने के कारण घर में उठने वाली समस्याओं के लिए माता-पिता को व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित विशेषज्ञों से परामर्श लेना चाहिए जैसे कि, नैदानिक मनोवैज्ञानिक या सामाजिक कार्यकर्ता। समस्याओं के लिए एक अन्य स्रोत आता है माता-पिता के धार्मिक सबधन से। लेकिन आरंभ में माता-पिता के लिए सही मार्ग-दर्शन एवं जानकारी बहुत आवश्यक है जो कि, व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित व्यक्तियों से ही प्राप्त हो सकती है।

63. शीघ्र उपचार सेवाये कहाँ उपलब्ध हैं ?

शीघ्र उपचार सेवाये उपलब्ध हैं :

- सामान्य एवं मानसिक रोग अस्पतालों के चाईल्ड गार्डडेर्नस क्लीनिक में,
- बाल-रोग केन्द्र के वैल-बेबी क्लीनिक में,
- मानसिक मंद व्यक्तियों के पुर्नवास में कार्यरत संस्थानों के शीघ्र उपचार क्लीनिक में।

देश भर में विभिन्न स्थानों के शीघ्र उपचार केन्द्रों के बारे में जानकारी एन.आई.एम.एच. सिकन्दराबाद द्वारा प्रकाशित निर्देशिका (डायरेक्टरी) द्वारा प्राप्त की जा सकती है जो मानसिक मंद व्यक्तियों के कल्याण के लिए कार्य कर रहे अधिकांश संस्थानों में उपलब्ध है।

64. क्या शीघ्र उपचार सेवाये देशभर के सभी स्थानों में एक जैसी ही है ?

शीघ्र उपचार का मुख्य उद्देश्य है बच्चे का पूर्ण विकास । लेकिन, क्योंकि, कोई भी दो मानसिक मंद बच्चे एक जैसे नहीं होते इसलिए उपचार कार्यक्रम बच्चे की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तैयार किए जाते हैं । संवेदनात्मक गत्यात्मक, ज्ञानात्मक और सामाजिक क्षेत्रों में प्रशिक्षित वाणी-चिकित्सक, अभिभावक परामर्श सेवाएं एवं प्रशिक्षण, आयुर्विज्ञान एवं पोषण संबंधी उपचार, इन सेवाओं में मुख्य रूप से जोड़े जाते हैं ।

65. जहाँ परिवार रहता है यदि वहाँ शीघ्र उपचार सेवाएं उपलब्ध नहीं हो तो परिवार को क्या करना चाहिए ?

एन.आई.एम.एच. सिकन्दराबाद में परिवार कुटीर कार्यक्रम उपलब्ध है जहाँ परिवार अपने मानसिक मंद बच्चे के साथ रहकर विभिन्न सेवायें प्राप्त कर सकता है । वहाँ उन्हें एक सप्ताह से तीन सप्ताह तक रहने दिया जाता है । जो बच्चे एवं परिवार की आवश्यकताओं पर निर्भर करता है । अनुवर्ती सेवाये आवश्यकतानुसार दी जाती हैं । विस्तृत जानकारी के लिए लिखे संचालक, परिवार कुटीर कार्यक्रम, एन.आई.एम.एच. सिकन्दराबाद । देश में अन्य स्थानों पर शीघ्र उपचार सेवाओं के बारे में जानकारी एन.आई.एम.एच. द्वारा प्रकाशित निर्देशिका द्वारा प्राप्त की जा सकती है जो मानसिक मंद व्यक्तियों के कल्याण के लिए कार्य कर रहे अधिकाश संस्थानों में उपलब्ध है ।

66. बच्चों के विकास में माता-पिता कैसे सहायक हो सकते हैं ?

शीघ्र उपचार में माता-पिता की भूमिका महत्वपूर्ण है । माता-पिता अपने विकासात्मक विलंब वाले बच्चे के साथ चिकित्सक, सहचिकित्सक या

अध्यापक की भूमिका निभाते हैं। माता-पिता अवसर प्रदान करके, प्रेरणा देकर सामान्य देखभाल और सही पालन-पोषण द्वारा बच्चों में भविष्य में सीखने के लिए आवश्यक कौशलों का विकास करते हैं।

67. क्या शीघ्र उपचार कार्यक्रमों में माँ के अतिरिक्त, पिता को भी सम्मिलित करना आवश्यक है?

आरभिक वर्षों में जब माता-पिता अपने बच्चे की मंदता को पहचानते हैं, समझते हैं और फिर उन्हें अपना लेते हैं, इस दौरान पिता का समर्थन अति आवश्यक होता है। इस कोशिश और अवसर कष्टदायक प्रक्रिया में माता-पिता को एक दूसरे के समर्थन की आवश्यकता होती है। मानसिक मद बच्चा होने से परिवार पर अतिरिक्त बोझ आ पड़ता है जो परिवार के सभी सदस्यों द्वारा बांटा जाना आवश्यक होता है, जिसमें पिता भी सम्मिलित है। माता और पिता दोनों को ही मानसिक मद बच्चा होने के कारण अपनी भावुक प्रतिक्रियाओं और चिंताओं से बाहर निकल कर शीघ्रातिशीघ्र हालात से समझौता कर लेना चाहिए। शीघ्र उपचार कार्यक्रम अधिक सफल होते हैं यदि माता-पिता दोनों ही इसमें भाग ले। अतः शीघ्र उपचार कार्यक्रमों में पिता को सम्मिलित करना अति आवश्यक है।

68. क्या बच्चे के विकास में परिवार के अन्य सदस्य भी सहायता कर सकते हैं?

मानसिक मद बच्चे के जन्म से परिवार में एक तनाव सा उत्पन्न हो जाता है। परिवार कितना तनाव अनुभव करता है, उनका सामंजस्य और तनाव का सामना करने का बल कितना है यह मुख्यतः निर्भर करता है बच्चे की अवस्था की गभीरता पर और परिवार के लिए उपलब्ध सहायों पर, जैसे कि, परिवार वालों द्वारा या बाहर वालों द्वारा दी गई भावुक शारीरिक एवं आर्थिक मदद। परिवार को बेहतर रूप से संयोजित करने

मे महत्वपूर्ण परिवारिक सदस्य भाई-बहन, दादा-दादी की मुख्य भूमिका है। वे किसी विशेषज्ञ अथवा प्रशिक्षित अभिभावक के मार्गदर्शन मे बच्चे के साथ उपचार कार्यक्रम मे भाग लेकर अपना योगदान दे सकते हैं।

69. क्या यह सत्य है कि, यदि अभिभावक बच्चे को प्रशिक्षित करने मे अधिक समय लगाते हैं तो इसके परिणाम बेहतर होते हैं ?

प्रत्येक बच्चे की प्रशिक्षण आवश्यकताये वैयक्तिक होती है जिनका प्रशिक्षण समय भिन्न-भिन्न होता है। बच्चे को प्रशिक्षित करने को क्रियाये रहन-सहन के ढंगो और दैनिक क्रिया-कलापो मे भी जोड़ी जा सकती है जिससे बच्चे का अभिभावक के साथ संबंध बना रहे। अच्छे परिणामो के लिए यह आवश्यक नहीं कि, माता-पिता बच्चे के साथ कितना समय बिताते हैं बल्कि, यह आवश्यक है कि, माता-पिता बच्चे के साथ कितनी अच्छी तरह समय बिताते हैं।

70. अभिभावक यह निर्णय कैसे लेते हैं कि, शीघ्र उपचार सेवाये जारी रखनी है या बच्चे को किसी प्री-स्कूल या नर्सरी मे भेजना चाहिए ?

साधारणतया शीघ्र उपचार कार्यक्रम तीन वर्ष की आयु तक के बच्चो के लिए उपलब्ध है जो पाँच वर्ष की आयु तक बढ़ाये जा सकते हैं। उसके बाद बच्चा आगे की शिक्षा के लिए प्री-स्कूल मे प्रवेश पाता है। इस क्षेत्र मे आगे का मार्गदर्शन विशेष शिक्षको एवं मनोवैज्ञानिको द्वारा प्राप्त किया जा सकता है।

71. शीघ्र उपचार के बाद फिर क्या ?

भारत मे शीघ्र उपचार पाँच वर्ष की आयु तक दिया जाता है। एक बार बच्चा पाँच वर्ष का हो जाए तो अभिभावक उसे सामान्य, समाकलित

(इन्टीग्रेटेड) या विशेष विद्यालयों में भेज सकते हैं जो बच्चे की गभीरता के स्तर पर और उपलब्ध साधनों पर निर्भर करता है। यदि मानसिक मंद बच्चे की मानसिक मंदता अति गंभीर है और उसे कोई विद्यालय प्रवेश नहीं देता तो घर पर आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम अपनाने चाहिए। विशेष शिक्षक और नैदानिक मनोवैज्ञानिक अभिभावकों को सेवाओं का चयन करने में मदद कर सकते हैं। लेकिन ज्यादा तो इसी बात पर निर्भर करता है कि, उनके मानसिक मंद बच्चे के लिए उस स्थान पर क्या सेवायें उपलब्ध हैं।

शिक्षा

सरकार द्वारा निशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा को महत्व देने से तेज़ी से बढ़ता हुए नगरीकरण और साथ ही आज के समाज में पढ़ेलिखों के अधिकार एवं लाभ के बारे में लोगों की बढ़ती हुई जागृति के साथ, माता-पिता भी अपने बच्चों की शैक्षिक उपलब्धियों के लिए अधिक आकांक्षाएं रखने लगे हैं। इस प्रकार की पृष्ठभूमि के साथ जब अभिभावक बौद्धिक रूप से सामान्य बच्चों को विद्यालयों में भर्ती होते हुए और पढ़ाई में अच्छा कार्य करते हुए देखते हैं जो कि, उनके मानसिक मंद बच्चों के बिल्कुल विपरीत है जो बहुत ही पिछड़ा हुआ है, तो उनकी चिन्ताएं एवं घबराहट बढ़ने लगती हैं। अभिभावकों को अपने मानसिक मंद बच्चे को विद्यालय में भर्ती करने में कठिनाई हो सकती है। वे यह तय कर पाने में असमर्थ होते हैं कि, उन्हें अपना बच्चा सामान्य विद्यालय में भेजना चाहिए या मानसिक मंद बच्चों के विद्यालय में। कुछ अल्प मानसिक मंद बच्चे जो सामान्य विद्यालयों में किसी प्रकार प्रवेश पा लेते हैं, सामान्य विद्यालय के पाठ्य क्रम के अनुसार कार्य करने में कठिनाई महसूस करते हैं जिससे उनकी बौद्धिक कमियाँ स्पष्ट दिखाई देने लगती हैं। प्रायः ऐसी परिस्थिति में अभिभावकगण उचित मार्गदर्शन के लिए भटकते दिखाई देते हैं जिससे उन्हें क्या करना चाहिए यह निर्णय लेने में मदद मिल सके। पुस्तक के इस भाग में ऐसे ही कुछ प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं जो अभिभावकगण अपने मानसिक मंद बच्चे की शिक्षा से संबंधित प्रश्न प्रायः पूछते रहते हैं।



72. मानसिक मंद बच्चे को कितनी जल्दी विद्यालय में भर्ती करवा देना चाहिए ?

मानसिक मंद बच्चों को विद्यालय में पाँच से छः वर्ष की आयु में प्रवेश दिलाना चाहिए । फिर भी उचित यही होगा बच्चों को किसी भी औपचारिक विद्यालय में प्रवेश दिलाने से पहले माता-पिता को शीघ्र उपचार एवं पूर्व-विद्यालय (प्री-स्कूल) सेवाओं का पता लगा लेना चाहिए।

73. विशेष विद्यालय में भर्ती के लिए क्या नियम अपनाए जाते हैं ?

भारत में विशेष विद्यालयों में भर्ती के लिए उनके अपने ही नियम होते हैं । भर्ती के लिए अपनाए गए कुछ सामान्य मार्गदर्शी सिद्धान्त हैं :

- बच्चा मानसिक मंद है इस का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना,
- बच्चा पाँच से अठारह वर्ष तक की आयु के बीच होना चाहिए,
- बच्चे को शौच प्रशिक्षित होना चाहिए,
- बच्चा चलता - फिरता होना चाहिए,
- बच्चे को कोई उल्लेखनीय संबंधित रोग नहीं होने चाहिए जैसे कि, मिरगी, व्यवहार समस्या आदि ।

फिर भी, कुछ विशेष विद्यालयों में ऐसे मानसिक मंद बच्चों के लिए गृह-पर आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जिन्हे किन्हीं कारणों से विद्यालय में भर्ती नहीं किया जाता । ऐसे हालात में अभिभावकों को, बच्चों को घर पर ही प्रशिक्षित करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है जब तक बच्चा विशेष विद्यालय में भर्ती होने योग्य नहीं हो जाता ।

74. यदि मानसिक मंद बच्चे को व्यवहार-समस्या हो तो क्या उसे विशेष विद्यालय में भर्ती करने से मना कर दिया जाएगा ?

मानसिक मंद व्यक्तियों के व्यवहार-समस्याओं के प्रबंध के लिए

अध्यापकों को विशेष ज्ञान, नैपुण्य और समय की आवश्यकता होती है। किसी विशेष विद्यालय में उपलब्ध साधनों की कमी के आधार पर वे व्यवहार-समस्या वाले मानसिक मंद बच्चे को भर्ती करने से इन्कार कर सकते हैं।

75. क्या विशेष विद्यालय में भर्ती के लिए बुद्धिलब्धि परीक्षण आवश्यक है?

मानसिक मंदन की परिभाषा के अनुसार मानसिक मंद केस की पहचान और निदान के लिए उसका बौद्धिक कार्यों का मूल्यांकन करना आवश्यक है। यह निश्चित करने के लिए कि, मानसिक मंद विद्यालयों में केवल मानसिक मंद बच्चों को ही भर्ती किया जा रहा है, बुद्धि लब्धि मूल्यांकन करना अत्यावश्यक है।

बौद्धिक परीक्षण के प्राप्ताक नेदानिक उद्देश्यों, शिक्षण एवं छात्रवृत्ति देने में तथा विद्यार्थियों का वर्गीकरण करने में, केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों द्वारा दिए गए लाभाधिकारों के लिए भी ये परीक्षण सहायक सिद्ध हुए हैं। फिर भी, कार्यक्रम बनाने के लिए और शिक्षण के लिए बच्चे के अनुकूल व्यवहार, भाषा कौशल, शैक्षिक उपलब्धि, विद्यालय के अनुभव, सास्कृतिक पृष्ठभूमि, प्रेरणा, जीवन का वातावरण और अन्य तत्वों का मूल्यांकन करना आवश्यक है।

76. मानसिक मंद व्यक्तियों के शिक्षण के लिए अन्य कौन से विकल्प उपलब्ध हैं?

मूलत : मानसिक मंद व्यक्तियों के शिक्षण एवं प्रशिक्षण के लिए तीन विकल्प उपलब्ध हैं।

- विशेष विद्यालय जो विशेष रूप से केवल मानसिक मंद व्यक्तियों के लिए हो।
- समाकलित विद्यालय जहाँ मानसिक मंद बच्चों को अविकलांग बच्चों

के साथ प्रशिक्षित किया जाता है ।

- गृह पर आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम जहाँ अभिभावकों को अपने मानसिक मंद बच्चों को, प्रशिक्षित करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है ।

77. विशेष विद्यालय क्या है ?

विशेष विद्यालय ऐसे संस्थान हैं जहाँ मंद व्यक्तियों को दिन के समय में सिखाने की सेवा उपलब्ध होती है साधारणतया यह विद्यालय अंधों, बहरों और श्रवण विकार, एवं मानसिक मंद और शारीरिक विकलांग बच्चे के लिए होते हैं । इन विशेष दैनिक विद्यालयों का मुख्य उद्देश्य विशेष शिक्षण सेवा प्रदान करना है ।

विशेष विद्यालयों में छात्रावास सेवाएँ हो भी सकती हैं और नहीं भी । जिन विद्यालयों में छात्रावास सेवा उपलब्ध होती है उन्हें विशेष छात्रावास विद्यालय कहा जाता है जबकि, जिनमें छात्रावास सुविधा नहीं होती उन्हें विशेष दैनिक विद्यालय के नाम से जाना जाता है ।

78. समाकलन क्या होता है ? समाकलित विद्यालय क्या होता है ?

समाकलन (एकीभवन, समग्र) का अर्थ है मंद बच्चों को सामान्य नियमित विद्यालय कार्यक्रमों के द्वारा अविकलांग बच्चों के साथ प्रशिक्षित करना जिसमें विकलांग बच्चों की विशेष आवश्यकताओं के लिए कुछ अतिरिक्त अवलंबन सेवाओं और रिसोर्स अध्यापक मिला लिए जाते हैं । मानसिक मंद विद्यार्थी के लिए समाकलित संगठन दो भिन्न प्रकार का हो सकता है जैसे :-

- मानसिक मंद बच्चा अविकलांग बच्चे के साथ एक ही कक्षा में बैठता है । लेकिन उसकी आवश्यकताओं के अनुसार विशेष कक्षा में अतिरिक्त शिक्षण प्रदान किया जाता है या विशेष अध्यापक के पास एक-एक करके भेजा जाता है ।

- मानसिक मंद बच्चों के साथ एक ही कक्षा में शिक्षा पाता रहता है और उसे विशेष शिक्षण नहीं दिया जाता। लेकिन, विशेष अध्यापक, कक्षा-अध्यापक को समय-समय पर विशेष बच्चों की विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए सहायता करता रहता है।

79. क्या भारत में समाकलित विद्यालय हैं ?

हमारे देश में समाकलित सेवायें प्रदान करने वाले विद्यालय हैं परन्तु उनकी संख्या बहुत कम है। अधिक जानकारी के लिए लिखे सूचना एवं प्रलेखन अधिकारी, एन.आई.एम.एच. सिकन्दराबाद अथवा संयुक्त सचिव (विद्यालय शिक्षा) शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली, अथवा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, नई-दिल्ली।

80. बच्चों को विशेष विद्यालय में भेजने के क्या लाभ होते हैं ?

मानसिक मंद बच्चों को वैयक्तिक मूल्यांकन और विशेष प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है विशेष विद्यालय, मानसिक मंद विद्यार्थी को निम्नलिखित लाभाधिकार प्रदान करते हैं।

- कम बच्चों की कक्षा, 6-8 विद्यार्थी,
- विशेष रूप से प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापक,
- व्यक्तिगत अथवा छोटे समूहों में शिक्षण,
- विशेष अधिगम अपादान एवं सामग्री का प्रयोग,
- प्रतियोगिता और शैक्षिक दबाव कम,
- सामाजिक जीवन एवं व्यावसायिक कौशल के लिए प्रशिक्षण,
- एक सौहार्दपूर्ण, सहिष्णु एवं स्वीकृतिपूर्ण वातावरण,

- प्रत्येक बच्चे की अपनी आवश्यकताओं के अनुसार गहन, प्रशिक्षण, एवं चिकित्सा,
- विद्यार्थी की क्षमता के वास्तविक मूल्यांकन के अनुसार शैक्षिक आकांक्षाएं,
- विशेष विद्यालय के संरचनात्मक, नियंत्रित एवं सुव्यवस्थित क्रियाकलाप ।

81. अभिभावक यह कैसे तय करें कि, उन्हें अपने मानसिक मद बच्चे को शिक्षण के लिए कहां भेजना है ?

प्रत्येक बच्चे की आवश्यकताये एवं वातावरण अनन्य है । उनका श्रेणीकरण करने के निर्णय के लिए किसी मनोवैज्ञानिक अथवा विशेष शिक्षक द्वारा मूल्यांकन करना अत्यावश्यक है । फिर भी, कोई निर्णय लेने से पहले सामान्यतः निम्न बातों को ध्यान में रखना चाहिए :

- बच्चे की विकलांगता की प्रकृति एवं गंभीरता
- बच्चे की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पास-पड़ौस के विद्यालय में उपलब्ध साधन,
- समाज में बच्चे की देखभाल के लिए उपलब्ध साधन
- समाज एवं पड़ौस में बच्चे का साथी है या नहीं
- बच्चों की दैनिक देखभाल का उसके परिवारिक जीवन अथवा परिवारिक संबंध पर प्रभाव

82. मानसिक मद बच्चों को एक दिन में कितने घंटों के लिए विशेष विद्यालय में जाने की आवश्यकता है ?

यदि बच्चा नियमित रूप से विशेष विद्यालय में जाता है तो विद्यालय के समय का निर्णयिक विद्यालय का प्रशासक होता है । जो लगभग 5 से 6 घंटा प्रतिदिन होता है ।

83. क्या सभी मानसिक मंद बच्चों को एक जैसी शिक्षा दी जाती है ?

सभी मानसिक मंद बच्चों को एक जैसी शिक्षा नहीं दी जा सकती क्योंकि, उनकी वैयक्तिक आवश्यकताएँ भिन्न-भिन्न होती हैं। मानसिक-मंद बच्चे तभी सीख सकते हैं जब उचित शिक्षण कार्यक्रम प्रदान किया जाए और शिक्षण प्रक्रिया उनकी वैयक्तिक आवश्यकताओं के अनुरूप हो। प्रत्येक बच्चे के लिए वैयक्तिक शिक्षण कार्यक्रम का विकास किया जाता है और उसी का अनुकरण किया जाता है। क्या सिखाना है, इसका निर्णय प्रत्येक बच्चे के वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है जैसे कि, बच्चा पहले से क्या जानता है या क्या नहीं जानता। सामान्य तौर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में माता-पिता, विद्यालय की अध्यापिका, विशेषज्ञ जैसे मनोवैज्ञानिक, वाणी चिकित्सक, व्यावसायिक चिकित्सक डॉक्टर आदि और जहाँ कहीं सभव हो संबंधित बच्चे को भी सम्मिलित किया जाता है।

84. क्या सभी मानसिक मंद बच्चों के लिए एक ही प्रकार की शिक्षण प्रणाली प्रयुक्त की जाती है ?

मानसिक मंद विद्यार्थियों के शिक्षण एवं प्रशिक्षण की प्रणालियाँ व्यवहारिक मनोविज्ञान के क्षेत्र से ली जाती हैं। इस दृष्टिकोण से कार्य को छोटे-छोटे भागों में विभाजित कर लिया जाता है और धीरे-धीरे व्यवहारों को पुरस्कृत करके ऐच्छित लक्ष्य की ओर मोड़ा जाता है।

मानसिक मंदता वाले सभी विद्यार्थियों के लिए शिक्षण पद्धति एक जैसी नहीं रहती। अधिक गंभीर विकलांग बच्चों को अधिक व्यवस्थित एवं सुनिश्चित शिक्षण प्रतिमान की आवश्यकता होती है जिससे उन्हें कोई भी कुशलता को और भी छोटे-छोटे भागों में सीखने में सहायता मिल सके।

85. क्या देश के सभी विशेष विद्यालयों में एक जैसी पाठ्यचर्चर्या लागू की जाती है ?

शिक्षा का उद्देश्य मानसिक मंद बच्चों को ऐसे आवश्यक अनुकूली जीवन कौशल सिखाना है जिससे उनकी दूसरों पर निर्भरता कम रहे व आत्म-निर्भरता बढ़े । देश भर में एक ही पाठ्यचर्चर्या लागू करना संभव नहीं क्योंकि, प्रत्येक बच्चे की आवश्यकताएं भिन्न-भिन्न हैं और सामाजिकीय की मांग देश भर में अलग-अलग है । यद्यपि पाठ्यचर्चर्या के क्षेत्र वही रहते हैं जैसे गत्यात्मक, अपनी देखभाल आप, सामाजिक संप्रेषण और क्रियात्मक शैक्षिक कौशल, फिर भी, बच्चे की वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तन किए जा सकते हैं ।

86. यदि बच्चे को घर में बोली जाने वाली भाषा के अलावा किसी अन्य भाषा में सिखाया जाए तो क्या मानसिक मंद बच्चे पर इसका कोई प्रभाव यड़ता है ?

यद्यपि भाषा का प्रशिक्षण बच्चे की मातृभाषा के अनुसार ही होता चाहिये जिससे संप्रेषण के अवसरों का विकास हो सके, फिर भी, हमारा सामाजिक स्वाभाविक रूप से बहुभाषीय है यानि कि, हममें से अधिकांश एक से अधिक भाषा का प्रयोग करते हैं । ऐसा देखा गया है कि, मानसिक मंद बच्चे के साथ सीखने की स्वाभाविक प्रक्रिया में विभिन्न भाषाओं का प्रयोग करने से वह कई भाषाएं सीख लेता है । फिर भी, मानसिक मंद बच्चे को एक से अधिक भाषा सीखने में कठिनाई होती है । कभी-कभी शैक्षिक उपलब्धि एक दम कम हो जाती है जिसके फलस्वरूप बच्चा निराश हो जाता है और अपना आत्म-सम्मान खो बैठता है ।

इसलिए, उचित यही होगा कि, माता-पिता एवं विद्यालय के अध्यापकों के बीच एक ऐसा सहयोग हो जिससे उपचार, प्रशिक्षण एवं शिक्षण कार्यक्रमों में जहाँ तक संभव हो मातृभाषा का प्रयोग किया जा सके । उपाख्यान प्रतिवेदन (एनेकडोटल रिपोर्ट) और अनुसंधान के परिणामों से यह ज्ञात होता है कि, सुअवसर प्रदान करने वाले वातावरण में कुछ

मानसिक मंद व्यक्ति दूसरी भाषा भी सीख लेते हैं, जब वह विद्यालय के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सम्मिलित कर ली जाती है।

87. मानसिक मंद विद्यार्थी शिक्षा में कहाँ तक सीख सकते हैं ?

अधिकांश मानसिक मंद विद्यार्थी मूल शैक्षिक विषयों में प्रशिक्षण प्राप्त करके लाभान्वित होते हैं। सुव्यवस्थित शिक्षण कार्यक्रम द्वारा अल्प मानसिक मंद बच्चा पढ़ने और गणित में इतना सीख लेता है जितना कि, एक पाँचवीं या छठी कक्षा का विद्यार्थी। क्योंकि, मानसिक मंद बच्चे उतनी जल्दी और प्रभावशाली ढंग से नहीं सीख पाते जितना कि, उनके अविकलांग सहपाठी, इसलिए ऐसे बच्चों को मूल शैक्षिक कौशल सिखाने के लिए पारपरिक दृष्टिकोण या तरीके अपनाना उचित नहीं होगा। मध्यम और अत्यधिक विकलांगों के लिए शैक्षिक कौशलों जैसे पढ़ना, लिखना और गणित आवश्यक नहीं है। ऐसे बच्चों के लिए प्रशिक्षण अनुकूली जीवन कौशलों पर केन्द्रित रहता है।

88. विशेष विद्यालयों में सभी बच्चे मानसिक मंद होते हैं। क्या इस तरह का वातावरण मानसिक मंद व्यक्ति पर बुरा प्रभाव छोड़ता है ?

विशेष विद्यालयों के कई लाभ होते हैं परन्तु कुछ सीमिततायें भी होती हैं। मानसिक मंद बच्चे को विशेष विद्यालय में भेजने का संभावित दुष्प्रभाव यही हो सकता है कि, ऐसे बच्चे को अविकलांग सहपाठियों से अलग करना पड़ता है। फलतः अपने सहपाठियों की आयु के अनुसार उचित कौशल एवं सामाजिक व्यवहारों को देखने/अनुकरण करने का अवसर नहीं मिल पाता जो उनके लिए प्रतिमान (मॉडल) हो सकते थे। एक अन्य संभावित दुष्प्रभाव यह हो सकता है कि, वे वास्तविक दुनियाँ के वातावरण से पृथक हो जाते हैं जिसमें मानसिक मंद व्यक्ति को फिर भी कार्य करना सीखना होता है। यदि अध्यापक उनके व्यवहारों को सही ढंग से संभाल न पाए तो, बच्चे कई बुरे व्यवहार भी सीख लेते हैं इन सबकी प्रतिपूर्ति करने के लिए मानसिक मंद बच्चों को घर में और समाज में अविकलांग व्यक्तियों से बातचीत करने के बहुत

से अवसर प्रदान करने चाहिए ।

89. मानसिक मंद बच्चे को बेहतर और जल्दी सीखने में क्या सहायक हो सकता है ?

मानसिक मंद बच्चा बहुत जल्दी सीखता है यदि :

- पढ़ाने के लिए उद्देश्य और लक्ष्य, वर्तमान क्रिया स्तर के अनुसार चुने गए हों ।
- पढ़ाने के उद्देश्य और लक्ष्य उसकी वर्तमान एवं भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर बनाए गए हों ।
- अवसर घर में या समाज आंदि के प्राकृतिक वातावरण में इन कौशलों के अभ्यास के अवसर प्रदान करें ।
- शिक्षण में सुव्यस्थित प्रणाली अपनाएं ।
- उच्चकुल एवं विशेषज्ञों की उचित आलिप्ती ।

90. क्या मानसिक मंद बच्चों का सामान्य विद्यालय में जाने से पहले विशेष विद्यालय में जाना आवश्यक होता है ?

सामान्य विद्यालय में जाने से पहले बच्चे का विशेष विद्यालय में जाना आवश्यक नहीं है । फिर भी, बच्चे की विशेष आवश्यकताओं और उपलब्ध साधनों के अनुसार यह निर्णय लिया जा सकता है कि, सामान्य विद्यालय में भर्ती करने से पहले बच्चे को थोड़े समय के लिए विशेष विद्यालय में भेजना है या नहीं ।

91. क्या एक मानसिक मंद बच्चा एक ही कक्षा में लगातार रहता है ?

विशेष विद्यालयों में मानसिक मंद बच्चों को समूह-बद्ध करने के अपने ही नियम होते हैं जो सामान्य विद्यालय में अविकलांग (सामान्य) बच्चों को समूह-बद्ध करने के लिए अपनाई गई प्रणाली से भिन्न होते हैं ।

विशेष विद्यालयों में बच्चों की मानसिक आयु, क्रियात्मक अनुकूल स्तर और शारीरिक आयु के आधार पर समूह-बद्ध किया जाता है। उन्हें प्री-नर्सरी, नर्सरी, प्राईमरी, प्री-वोकेशनल और वोकेशनल कक्षाओं में या फिर प्री-प्राईमरी, प्राईमरी, सैकैन्डरी और प्री-वोकेशनल कक्षा में विभाजित किया जा सकता है।

प्रत्येक कक्षा में कौशलों के कुछ क्षेत्र लिए जाते हैं जैसे—गामक, सप्रेषण, सामाजिक, अपनी सहायता आप आदि। बच्चे को अगली कक्षा में जाने के लिए कौशलों में नैपुण्य प्राप्त करना होता है। सामान्य तौर पर, अगली कक्षा में जाने से पहले पिछली कक्षा के 80% कौशल सीख लेने चाहिए।

92. विशेष शिक्षण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों का मूल्यांकन कब-कब किया जाता है ?

बच्चे के विशेष शिक्षण कार्यक्रम में दीर्घ कालिक उद्देश्य और लघु कालिक लक्ष्य होते हैं। लघु कालिक लक्ष्यों के लिए प्रति तीन मास बाद मूल्यांकन किया जाता है जबकि, दीर्घ कालिक उद्देश्यों के लिए वार्षिक मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन में विशेष शिक्षक के अतिरिक्त अभिभावक, अन्य विशेषज्ञ जैसे कि, वाणी चिकित्सक, मनोवैज्ञानिक, डॉक्टर, व्यावसायिक चिकित्सक, सामाजिक कार्यकर्ता और जहाँ कहीं संभव हो संबंधित बच्चे को भी सम्मिलित करना लाभप्रद होता है।

93. एक विशेष शिक्षक माता-पिता की किस प्रकार मदद कर सकता है ?

विशेष शिक्षक माता-पिता की कई प्रकार से मदद कर सकता है।

- अध्यापक माता-पिता को उनके विशेष बच्चे को समझने में मदद कर सकता है।
- अध्यापक बच्चों और माता-पिता की परस्पर क्रियाओं के स्तर को

सुधारने में मदद कर सकता है जिससे कि, ये आदान-प्रदान सीखने की प्रक्रिया में अधिक सहायक हो सके ।

- अध्यापक अभिभावकों को अपने बच्चों को प्रशिक्षित करने के तरीकों में प्रशिक्षण दे सकते हैं ।
- अध्यापक अभिभावक की आलिप्ती बढ़ाने में उनकी सहायता कर सकते हैं जिससे उन्हें घर पर कार्यक्रम चलाने में सहायता मिलती है ।
- अध्यापक ऐसे खिलौने, खेल, रिकार्ड, किताबें और अन्य शैक्षिक सहायता उपकरण प्रयोग करने की सलाह दे सकते हैं जो विद्यालय के कार्यक्रमों के अनुपूरक हो ।
- परिवार की आवश्यकताओं को पहचान कर तुरन्त अन्य सहायता सेवाओं की ओर निर्देश कर सकते हैं ।

94. क्या अपने मानसिक मद बच्चे को पढ़ाने में माता-पिता की कोई भूमिका है ?

बच्चों के व्यक्तित्व और जीवन को बनाने में माता-पिता की मुख्य भूमिका होती है । जो देखभाल और लालन-पालन वे करते हैं, और बच्चे के साथ के आदानप्रदान की प्रकृति, कुछ ऐसे तत्व हैं, जो उनकी शैक्षिक उपलब्धियों को प्रभावित करती हैं । अभिभावक अपने बच्चे के प्रशिक्षण कार्यक्रम को नियोजित करने में, रूपरेखा बनाने में और उसे कार्योन्नित करने में मुख्य भूमिका निभाते हैं । अभिभावक अपने बच्चे और परिवार के लिए एक सशक्त अधिवक्ता भी हो सकते हैं ।

95. अभिभावकों को अध्यापक से कितनी बार मिलना चाहिए ?

अभिभावक-अध्यापक बैठकों के लिए प्रत्येक विद्यालय के अपने मार्गदर्शी सिद्धान्त होते हैं । फिर भी, अभिभावकों को अध्यापक से व्यक्तिगत रूप से महीने में एक बार बच्चे की प्रगति के लिए मिलना उचित रहता है । इसके अलावा, माता-पिता को बच्चे की डायरी के



अधिभावक-अध्यापक बेट्टक

बच्चे को उचित वृद्धि एवं विकास के लिए अधिभावक-अध्यापक के बीच सकारात्मक संबंध होना आवश्यक है।

माध्यम से यदि प्रतिदिन नहीं तो सप्ताह में एक बार अवश्य संप्रेषण करना चाहिए ।

96. क्या कारण है कि, विद्यार्थी कुछ क्रियाये घर में कर लेता है लेकिन वही क्रियाये विद्यालय में नहीं कर याता या इसके ठीक विपरीत करता है ? ऐसा क्यों होता है ?

यह सामान्यीकरण की समस्या है जहाँ मानसिक मंद बच्चे ने यह नहीं सीखा होता कि, सीखी हुई यह क्रिया सभी स्थितियों और स्थानों में की जानी चाहिये । अतः इसके लिए प्रशिक्षण-कार्यक्रम के मूल्यांकन करने की आवश्यकता है जिसके लिए विशेष अध्यापक से परामर्श लिया जा सकता है ।

97. क्या कोई विशेष विद्यालय मानसिक मंद बच्चे को विद्यालय से बहिष्कृत कर सकता है क्योंकि, बच्चे मे व्यवहार-समस्या है ?

कुछ विशेष विद्यालय माता-पिता से अपने अत्यधिक समस्या-व्यवहार बाले बच्चे को स्कूल से जब तक उनका समस्या-व्यवहार नियंत्रित नहीं हो जाता तब तक निकाल लेने का आग्रह करते हैं जब इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न हो तब अभिभावकों को नैदानिक मनोवैज्ञानिक/मनोरोग विशेषज्ञ से संपर्क करना चाहिए ।

98. मानसिक मंद बच्चे को विशेष विद्यालय में कितने समय तक जाना चाहिए ?

सैद्धान्तिक रूप से मानसिक मंद बच्चे को 18 वर्ष की आयु तक विशेष विद्यालय में जाना चाहिए जिसके बाद उसे व्यावसायिक अथवा वयस्क दैनिकक्रिया प्रशिक्षण केन्द्र से प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए ।

NOTES

व्यवहार-समस्यायें

लगभग 50-60% मानसिक मंद व्यक्तियों में व्यवहार सबधी समस्या ये होती हैं। व्यवहार-समस्या होने से अभिभावक और परिवार के अन्य सदस्यों में बहुत तनाव एवं प्रबंध की कठिनाईयाँ उत्पन्न हो जाती हैं। कभी-कभी शुभ-चिन्तकों द्वारा दी हुई अधिक सख्ती बरतने या बुरे व्यवहार सहने की और मानसिक मंद बच्चों को खुश रखने के लिए उनकी सभी मागे पूरी करने की, गलत सलाहों से बात और भी बिगड़ जाती है। व्यवहार-समस्या के कारण मानसिक मंद बच्चों को विद्यालयों में प्रवेश पाने में कठिनाई होती है। सामाजिक रूप से अस्वीकार्य व्यवहारों के कारण माता-पिता और परिवार के सदस्य शर्मिन्दगी महसूस करते हैं। यदि समस्या-व्यवहार जारी रहे तो मानसिक मंद व्यक्तियों को अपनी नौकरी बनाए रखने में या कार्यस्थान में समायोजित होने में कठिनाई होती है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि, बहुत से अभिभावकों के लिए इन व्यवहार-समस्याओं को नियन्त्रित करना सबसे जरुरी है। इस भाग में समस्या-व्यवहार से संबंधित प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं जैसे कि, कोई भी व्यवहार-समस्या कब बन जाता है, इसका क्या कारण है, और इन समस्याओं के प्रबंध में सहायता के लिए कहाँ जाए।

रमेश, एकदम नीचे उतरो, तुम खाना चुरा रहे हो ? आज तुम्हे आईसक्रीम नहीं मिलेगी ।




यह एक छोटा बच्चा है, और मंद भी है तुम इसे सजा क्यों दे रही हो ।

अगर हम इसे यह नहीं सिखायेंगे कि, क्या सही है और क्या गलत है तो यह कैसे सीखेगा।



आईसक्रीम देने का इससे क्या संबंध है ।



अगर इसने कोई गलत काम किया है, तो इसे मालम होना चाहिए । जब यह कुछ ठीक काम करता है तो क्या आप नहीं देखते कि, मैं इसे गले लगा लेती हूँ और प्रशंसा करती हूँ !



लेकिन फिर भी यह अभी बच्चा है ।

अगर हम इसे सही व्यवहार अभी से नहीं सिखायेंगे तो बाद में यह एक समस्या बन जाएगा और आप का पोता एक खानाचोर के नाम से जाना जाएगा क्या आप ऐसा चाहते हैं ?



मेरे ख्याल से तुम ठीक कहती हो ।



99. क्या मानसिक मद व्यक्तियों में बौद्धिक रूप से सामान्य व्यक्तियों के मुकाबले अधिक, कम या बराबर ही समस्या-व्यवहार होते हैं ?

मानसिक मद व्यक्तियों में बौद्धिक रूप से सामान्य व्यक्तियों के मुकाबले व्यवहार-समस्यायें चार से पाँच गुना अधिक होती हैं ।

100. मानसिक मद व्यक्तियों को व्यवहार-समस्या अधिक होने के क्या कारण हो सकते हैं ?

व्यवहारिक दृष्टिकोण के अनुसार मानसिक मद व्यक्तियों को व्यवहार-समस्या सुनिश्चित रूप से निम्न लिखित कारणों से होती हैं ।

- विभिन्न स्थितियों का सामना करने में कठिनाई होना,
- ज्ञानात्मक योग्यता की कमी,
- सामाजिक कौशलों की कमी,
- संप्रेषण कौशलों की कमी और इसके अतिरिक्त :
- वातावरण में लोग द्वारा किए गए गलत संचालन ।

101. मानसिक मद व्यक्तियों में किस प्रकार की व्यवहार-समस्यायें होती हैं ?

मानसिक मद व्यक्तियों में विभिन्न प्रकार की व्यवहार-समस्यायें होती हैं जैसे कि ;

- आक्रमणकारी एवं विनाशकारी (तोड़फोड़ वाले) व्यवहार,
- विद्रोहात्मक एवं अवज्ञाकारी व्यवहार,
- चिड़चिड़ापन जैसे कि, रोना या जब तक माँग पूरी न हो तब तक अड़े रहना,

- स्वयं घातक व्यवहार, जैसे कि, सिर फोड़ना, स्वयं को काटना आदि,
- घर से भाग जाना,
- व्यवहार दोहराना, जैसे कि, जल्दी-जल्दी/लगातार शरीर को हिलाते रहना,
- यौन समस्याये, जैसे कि, और लोगों की उपस्थिति में हस्तमैथुन करना ; दूसरों के गुप्त अगों को छूना आदि ।

किसी भी मानसिक मद बच्चे में एक या अधिक व्यवहारिक-समस्या हो सकती हैं जो माता-पिता के लिए अत्यधिक चिन्ता का कारण हो जाते हैं ।

102. क्या मानसिक मद व्यक्ति सामान्यतः अवज्ञाकारी होते हैं ?

मानसिक मद बच्चे के अभिभावकों द्वारा बताई गई समस्या-व्यवहारों की शिकायतों से से मुख्य शिकायत होती है, बच्चे के अवज्ञाकारी अथवा जिद्दी होने की यानि कि, जैसा कहा जाए वैसा नहीं करते अथवा जैसा कहा जाए ठीक उसका उलटा करते हैं या जो कहा जाए वह करने में बहुत देर लगाते हैं ; लेकिन वहुत से मानसिक मद बच्चे वहत महज और आज्ञाकारी भी नहीं हैं ।

103. कभी-कभी बुजुगों और शुभ चिन्तको द्वारा यह सलाह दी जाती है कि, यदि बच्चा दुर्व्यवहार कर रहा है तो इसमें चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि, वह अभी छोटा है, बड़ा हो कर ठीक हो जाएगा । ऐसा कहाँ तक सही है ?

यह तो सभा अच्छी तरह जानते हैं कि, मानसिक मद बच्चे कुछ भी सीखने में या सीखा हुआ भुलाने में बहुत समय लगाते हैं । मानसिक

मंद बच्चे अपने आप स्वाभाविक रूप से व्यवहार-समस्या ठीक नहीं कर सकते। उनके समझने की क्षमता कम होने के कारण वे यह नहीं समझ पाते कि, वे जो कर रहे हैं वह गलत है, जब तक उन्हें अपना व्यवहार बदलने को न कहा जाए। व्यवहार-समस्या के बातावरण में बदलाव लाकर और प्रबंध की विशेष व्यवहारिक तकनीकों का प्रयोग करके, मानसिक मंद बच्चों के व्यवहार-समस्या का नियन्त्रण किया जा सकता है। मानसिक मंद बच्चे में व्यवहार-समस्या शीघ्रतिशीघ्र नियन्त्रित करना आवश्यक है नहीं तो वे सामाजिक रूप से अपनाए नहीं जाते।

104. अभिभावकों को अपने मानसिक मंद बच्चे के व्यवहारिक समस्या का प्रबंध कितनी जल्दी करना चाहिए?

माता-पिता को अपने मानसिक मंद बच्चे के व्यवहार-समस्याओं को कितनी जल्दी नियन्त्रित करना चाहिए इस के लिए कोई विशेष आयु सीमा सुनिश्चित नहीं है। जैसे ही बच्चे में व्यवहारिक समस्या दिखाई दे उस का प्रबंध कर लेना चाहिए।

105. क्या कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिससे अभिभावक यह जान सके कि, बच्चे के किसी व्यवहार को उपचार एवं नियन्त्रण की आवश्यकता है?

सामान्यतः किसी भी व्यवहार को यह कहना कि, वह व्यवहार-समस्या है या नहीं यह बड़ा व्यक्तिनिष्ठ मामला है। कुछ अभिभावक अपने बच्चों के दुर्व्यवहार को बहुत देर तक सह सकते हैं जो वस्तुतः उचित नहीं है क्योंकि, वे बदले जा सकते हैं। निम्नलिखित व्यवहारिक तथ्यों से माता-पिता को यह निर्णय लेने में मदद मिलेगी कि, उनके बच्चे का व्यवहार बदलना चाहिए या नहीं।

- यदि व्यवहार-समस्या बारबार होता है,
- यदि वह अधिक समय तक रहता है,

- यदि वह बहुत तीव्र है,
- यदि वह अधिगम प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करता है,
- यदि वह सामाजिक दृष्टि से अस्वीकार्य है,
- यदि वह बच्चे के स्वयं के लिए भी हानिकारक है,
- यदि वह दूसरे के लिए भी हानिकारक है या बाधा उत्पन्न करता है।

यदि ऊपर लिखे हुए तथ्यों में से कोई एक भी बात बच्चे के व्यवहार में लागू होती है तो निश्चय ही बच्चे के व्यवहार में तबदीली लाना आवश्यक है।

106. कभी-कभी इस प्रकार की सलाह भी दी जाती है कि, क्योंकि हमारा बच्चा मानसिक रूप से मंद है अतः हमें उसे खुश रखने के लिए उसकी सभी मागें पूरी कर देनी चाहिए। क्या हमें उसकी इसी प्रकार देखभाल करनी चाहिए?

माँ-बाप की अपने बच्चों को खुश रखने की इच्छा बड़ी नेक होती है, परन्तु इसके लिए उनकी नाजायज मागों की भी पूर्ति करना ठीक नहीं। बच्चों को अनुशासन सिखाने का दायित्व भी माँ-बाप का होता है जिससे बच्चों का जीवन व्यवस्थित हो सके और वे समाज में स्वीकार्य रूप से जी सके। नाजायज मागों की पूर्ति करने से व्यवहार-समस्या, अनुशासनहीनता हो जाती है जिसे बाद में नियन्त्रित करना आवश्यक हो जाता है।

107. क्या मानसिक मंद बच्चों की व्यवहारिक-समस्या को ठीक करने के लिए दवाओं का प्रयोग भी करना चाहिए?

यदि व्यवहारिक-समस्या कुछ जैविक अथवा आंतरिक कारणों से है तो दवाओं का प्रयोग लाभप्रद हो सकता है। दवाओं के कुछ अतिरिक्त

प्रभाव भी हो सकते हैं जैसे कि, निद्रा स्थिति रहना, प्रतिक्रिया स्तर बहुत कम हो जाना, कार्य करने के लिए ध्यान केन्द्रित न कर पाना, तथा शारीरिक परिवर्तन । दवाये देना आरंभ करने से पहले यह ध्यान देना चाहिए कि, इन दवाओं के प्रयोग से दीर्घकालिक लाभ कहाँ तक हो सकता है । यदि व्यवहारिक समस्या बहुत गभीर नहीं है तो पहले दवाओं के बिना ही व्यवहार नियंत्रण करना उचित होगा । कभी-कभी अत्यंत गभीर व्यवहारिक समस्या वाले मामलों में व्यवहार आशोधन तकनीकों के साथ दवाओं का भी प्रयोग किया जाता है बाद में धीरे-धीरे दवाये हटा दी जाती हैं और व्यवहार प्रबंध पूर्णतया लागू किया जाता है ।

108. हमें बताया गया है कि, माता और पिता दोनों को बच्चे के साथ सख्त नहीं होना चाहिए क्योंकि, इससे बच्चा बिगड़ जाता है । इसके बदले सही सतुलन रखने के लिए एक को सख्त रहना चाहिए और दूसरे को नर्म (मृदु) । क्या यह सही है ?

यदि माता-पिता ये चाहते हैं कि, उनका बच्चा शिष्ट, सुशील एवं अनुशासन बद्ध हो तो दोनों को ही बराबर की जिम्मेदारी निभानी होगी । माता-पिता को अपने बच्चे के लिए एक अच्छे प्रतिमान (मॉडल) बनना चाहिए । माता-पिता को बच्चे के साथ न तो मृदु और न ही सख्त होना चाहिए उन्हे अपने व्यवहार में बच्चे के साथ ढृढ़ रहना चाहिए ।

109. क्या यह सत्य है कि, जब मानसिक मंद बच्चा किशोरावस्था में पहुँचता है तो इसे बहुत सारी यौन समस्यायें होती हैं ?

मानसिक मंद बच्चे भी बौद्धिक रूप से सामान्य बच्चों की भाँति शारीरिक वृद्धि एवं विकास की अवस्थाओं से गुज़रते हैं । अतः मानसिक मंद बच्चे भी विकास के दौरान किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक एवं हार्मोन संबंधी परिवर्तनों का अनुभव वैसे ही करते हैं । मानसिक मंद बच्चों में, अपनी कम अनुकूलनशीलता और इस स्थिति का सामना करने


से अनजान होने के कारण, इस अवस्था के दौरान होने वाली समस्याओं से ग्रसित होने की सभावना अधिक होती है। विशेष शिक्षकों, मनोवैज्ञानिकों और परामर्शदाताओं की सहायता से इन्हें संवेदनशील बनाया जा सकता है और किशोरावस्था की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तैयार एवं प्रशिक्षित किया जा सकता है परन्तु इन समस्याओं पर काबू पाने में बहुत समय लग जाता है।

110. "स्प्रेयर दी रॉड एण्ड स्पोइल द चार्फल्ड" यह कथन मानसिक मंद बच्चे पर कहाँ तक लागू किया जा सकता है ?

बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए पिटाई करना, थप्पड़ मारना या गाली देना अच्छे तरीके नहीं है। इससे बच्चे कुठा, घृणा एवं क्रोध से ग्रसित हो जाते हैं और उससे बच्चे का आत्म - सप्रत्यय कमज़ोर होता है, आत्म - सम्मान और आत्म - विश्वास की क्षति होती है। इन तरीकों का प्रयोग करने वाले स्वयं पहले अत्यधिक क्रोध और फिर अपराध भाव जैसी निषेधक भावनाओं से ग्रसित होते हैं। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए, जैसे कि, बच्चे को अनुशासन बढ़ करने के लिए दूसरे उचित तरीके भी उपलब्ध हैं, जिन्हें व्यवहार परिवर्तन तकनीके कहा जाता है।

111. व्यवहार परिवर्तन दृष्टिकोण क्या है ?

व्यवहार परिवर्तन तकनीके बच्चों में ऐच्छिक व्यवहारों को बढ़ाने के लिए और/या अनैच्छिक व्यवहारों को घटाने के लिए प्रयोग की जाती है। यह पद्धतियाँ मनोविज्ञान क्षेत्र के अधिगम सिद्धान्तों पर आधारित हैं। यह तकनीक इस पूर्व धारणा पर आधारित है कि, सभी अच्छे या बुरे व्यवहार सीखे जा सकते हैं अतः वे भूले भी जा सकते हैं। उनका विश्वास है कि, प्रत्येक बच्चा अनन्य है और वैसे ही उसका व्यवहार भी। इस तकनीक में किसी विशेष व्यवहार को उसके होने वाले वातावरण के संदर्भ में समझा जाता है। बच्चे के व्यवहार, जैसे कि, बच्चे का लोगों के साथ संबंध, से जुड़े हुए वातावरण के सभी तत्व, कारण, बच्चे के



मानसिक मंद बच्चों के समस्या व्यवहारों को सुधारा जा सकता है।

गुण, बाहरी वातावरण आदि का फ़क्षनल एनालिसिस या इको बिहेवियर एनालिसिस पद्धतियों द्वारा वैज्ञानिक और व्यवस्थित ढंग से अध्ययन किया जाता है, जिसके बाद किसी व्यक्ति के किसी विशेष व्यवहार को घटाने और/या बढ़ाने के लिए व्यवहारिक तरीकों का चयन किया जाता है।

112. क्या यह व्यवहार-परिवर्तन दृष्टिकोण सभी मानसिक मंद व्यक्तियों पर लागू किया जा सकता है ?

यह दृष्टिकोण (पद्धति) मानसिक मंद व्यक्तियों की आयु, लिंग या मानसिक मदन की गंभीरता का विचार किए बिना सभी पर लागू किया जा सकता है। यह किसी भी पर्यावरण जैसे कि, घर, विद्यालय, कार्य या समुदाय में लागू किया जा सकता है। ये मानसिक मंद व्यक्तियों के समूहों पर या वैयक्तिक रूप में दोनों ही प्रकार से लागू किया जा सकता है।

113. क्या व्यवहार परिवर्तन तकनीकों में अभिभावकों को प्रशिक्षित किया जा सकता है ?

अभिभावक प्रशिक्षण-कार्यक्रमों से बहुत लाभान्वित होते हैं जिससे उन्हें अपने बच्चे के व्यवहार परिवर्तन को बेहतर बनाने में सहायता मिलती है। इस प्रकार के कई प्रशिक्षण कार्यक्रम अभिभावकों के समूहों के लिए और वैयक्तिक रूप से भी एन.आई.एम.एच. सिकन्दराबाद में आयोजित किए जाते हैं। मानसिक मंद व्यक्तियों के लिए काम कर रहे अन्य संस्थानों अथवा ऐसे विशेषज्ञ जिन्होंने व्यवहार परिवर्तन तकनीकों में प्रशिक्षण एवं नैपुण्य प्राप्त किया हो, उनसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं।

114. क्या मानसिक मंद बच्चे को पुरस्कृत करना और उसे सीखने के लिए रिश्वत देना आवश्यक है ? क्या उसे स्वयं ही यह नहीं समझ लेना चाहिए कि, उसे सीखने की आवश्यकता है ?

मानसिक मंद व्यक्तियों की अधिगम क्षमता बहुत कम होती है। वे अपने

आप ही मूल कौशल या व्यवहार सीखने की आवश्यकता महसूस नहीं करते जो उन्हें सासार में जीने के लिए सहायक हो सकते हैं । इसके विपरीत बौद्धिक रूप से सामान्य व्यक्ति अपने बातावरण में अंतःक्रिया (आदान-प्रदान) के दौरान ही सब बड़े स्वाभाविक ढंग से सीख लेते हैं उदाहरण के लिए : अपने आप खाना, शौचादि, स्नान करना या कपड़े पहनना आदि । अतः मानसिक मंद बच्चों को यह सब व्यवहार सिखाने के लिए पुरस्कार देना आवश्यक है । पुरस्कार से अधिगम अधिक सुखदायी एवं आनंदमय हो जाता है । एक बार व्यवहार सीख लेने के बाद कुछ विशेष विधियों से पुरस्कार धीरे-धीरे हटा लिए जाते हैं । पुरस्कार रिश्वत नहीं है । रिश्वत व्यक्तिगत लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं । यहाँ पुरस्कार मानसिक मंद बच्चों को बेहतर और शीघ्र सीखने के लिए प्रयोग किए जाते हैं ।

115. मानसिक मंद व्यक्तियों को किस प्रकार की वस्तुये पुरस्कार जैसी लगती हैं ?

विभिन्न प्रकार के मानसिक मंद व्यक्तियों के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुएँ पुरस्कार हो सकती हैं । इसमें कोई भी खाद्य या पेय वस्तुये हो सकती हैं, पैसे, अंक, अध्यापक या अभिभावक द्वारा कॉपी पर दिए हुए स्टार, टोकन, दूरदर्शन के कार्यक्रम देखना, घर से बाहर जाना, साईकिल चलाना, क्रिकेट खेलना, गेंद खेलना, रेडियो सुनना, संगीत, विभिन्न वस्तुएँ जैसे पेन, पेसिल, किताबें, नए कपड़े, या जुबानी प्रशंसा, गले लगाना, चूंबन लेना, बच्चे को कार्यभार सौंपना या छात्रनायक बनाना आदि सम्मिलित किए जा सकते हैं । प्रत्येक बच्चा अनन्य है और पुरस्कार प्रत्येक बच्चे के लिए अलग अलग होते हैं । आपके बच्चों को वह वस्तु-विशेष पुरस्कार लगती है या नहीं यह इस बात पर निर्भर करता है कि, आप में अपने बच्चे के लिए प्रभावशाली पुरस्कार का पता लगाने का कौशल कितना है और आप अपने बच्चे को पुरस्कार कैसे देते हैं जो अभिभावक को कई बार सीखना पड़ता है ।

116. क्या मानसिक मंद बच्चे को दड़ कभी नहीं देना चाहिए ?

व्यवहार तकनीकों के अनुसार दड़ का अर्थ है अवाच्छनीय व्यवहार के तुरन्त बाद बच्चे के सामने से उसकी पसन्द की चीज़ हटा देना या बच्चे को उस की नापसन्द की चीज़ देना । जैसे कि, पसन्द, नापसन्द अलग अलग बच्चों के लिए अलग-अलग होती है। इन्हें पहचान लेना आवश्यक है। मारना, पीटना या गाली देना ऐसे तरीकों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मानसिक मंद बच्चे के व्यवहारिक-समस्या के प्रबंध के लिए दड़ का प्रयोग न्यायात्मक विधि से करना चाहिए लेकिन तभी जब दूसरा कोई चारा न हो। अन्य प्रयोग होने वाले उपाय हैं जैसे कि, वातावरण का पुनर्निर्माण करना, विभेदक प्रबलन आदि। व्यवहारिक-समस्या उत्पन्न करने वाले वातावरण के सभी तत्त्वों को पूर्णतया समझने के बाद बच्चे की आवश्यकता के अनुसार प्रयोग करने वाले तरीकों का चयन किया जाता है। चयन प्रक्रिया में अभिभावक को हमेशा सम्मिलित किया जाता है।

117. यदि बच्चा माता-पिता के लिए अवज्ञाकारी है परन्तु ग्राधः दूसरों की बात सुनता है तो क्या बच्चे को माता-पिता से दूर किसी छात्रावास में भेज देना चाहिए ?

बच्चा दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करता है और माता-पिता के साथ नहीं, यह अपने आप में इस बात का सूचक है कि, समस्या अभिभावकों में और उनकी देखभाल में है। अतः बच्चे को दूर किसी छात्रावास में भेज देने से समस्या का स्थायी हल नहीं हो सकता। जब बच्चे को माता-पिता के साथ अंतः क्रिया (आदान प्रदान) करना होगा यह समस्या फिर सामने आएगी। मानसिक मंद बच्चे में ऐसे अवज्ञापूर्ण व्यवहार सुधारे जा सकते हैं बशर्ते कि, माँ-बाप बच्चे की देखभाल के तरीके बदलने को तैयार हों।

118. यदि अभिभावकों में से एक व्यवहारिक उपचार कार्यक्रम का अनुकरण करता है परन्तु परिवार के अन्य सदस्य अनुकरण नहीं करते, तो क्या इसका बच्चे के व्यवहार पर कोई प्रभाव पड़ता है ?

अच्छे परिणाम पाने के लिए यह आवश्यक है कि, परिवार के सभी सदस्य और साथ ही वे लोग जो बच्चों के साथ अंत : क्रिया करते हैं, व्यवहारिक प्रबंध के वाच्छनीय तरीकों का दृढ़ता से अनुकरण करें। यदि एक अभिभावक वाच्छनीय तरीके दृढ़ता के साथ अपनाता है तो बच्चा शायद उसके साथ उचित व्यवहार करे परन्तु दूसरों के साथ उसका दुर्ब्यवहार जारी रहेगा।

119. व्यवहारिक-समस्या के प्रबंध के लिए किन विशेषज्ञों से संपर्क स्थापित करना चाहिए ?

सुलभता के अनुसार माता-पिता को नैदानिक मनोवैज्ञानिक, शैक्षिक मनोवौज्ञानिक, विशेष शिक्षक, प्रशिक्षण प्राप्त विशेष अध्यापक अथवा मानशिचकित्सकों से मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए। विशेषज्ञ मानसिक मद व्यक्तियों के व्यवहार प्रबंध में प्रशिक्षित होने चाहिए।

NOTES

संप्रेषण

माता-पिता की मुख्य चिन्ताये तब आरंभ होती है जब बच्चा बोलने में असमर्थ होता है। अर्थपूर्ण बातचीत करना समझदारी से जुड़ी होती है जो फिर धूम-फिर कर बच्चे की बौद्धिक क्षमताओं और सज्ञान से संबंधित होती है। माता-पिता ऐसे बहुत से कारणों का अनुमान लगाने लगते हैं कि, उनका बच्चा बोलने में असमर्थ क्यों है या सामान्य बच्चे जैसे साफ और जल्दी-जल्दी बोलने में असमर्थ क्यों हैं बद्धजिह्वा (मौन) (टंगटाई) बोलने से संबंधित कोई सरचनात्मक विकार पहला कारण है जिससे उन्हे किसी विशेषज्ञ की सहायता लेना आवश्यक लगता है। अभिभावक विभिन्न प्रश्नों के उत्तर ढूँढते रहते हैं जैसे कि : क्या वह बोलने लगेगा ? वह कब बोलेगा ? वह बोल नहीं पाता है इसका क्या कारण है, हम उसे बोलने के लिए कैसा प्रशिक्षण दे सकते हैं अथवा क्या करने की आवश्यकता है। पुस्तक के इस भाग में इस प्रकार के अनेक प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं।

क्या मेरी बच्ची कभी बोल सकेगी ? ?



मूल्याकन परिणामों से ज्ञात होता है कि, तुम्हारी बच्ची अत्यधिक AI मानसिक मद है। अतः वह शायद M मेरे या तुम्हारे जैसी बात न कर पाए।



तो फिर यह कैसे कुछ मांगेगी या बात करेगी ?



बोलने के अलावा हम इसे बात चीत के अच्छे वैकल्पिक तरीके सिखायोगे जैसे कि, संकेतों या इशारों का प्रयोग/हाथभाव, या सप्रेषण बोर्ड का प्रयोग करना।



क्या इन सबसे इसे बोलने में मदद मिलेगी ?



प्रशिक्षण के साथ यह अपनी मूल आवश्यकताये बताने में समर्थ हो जाएगी।



120. संप्रेषण क्या है ?

संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से दो या दो से अधिक व्यक्ति जानकारी, आवश्यकताएँ भावनाएँ अथवा इच्छाओं का आदान-प्रदान करते हैं। यह संदेश कई प्रकार से प्रेषित किया जा सकता है जैसे कि, बोलना, पढ़ना, लिखना, भाव भंगिमा आदि।

121. मानसिक मंद बच्चे को संप्रेषण कौशलों में प्रशिक्षण देने की क्या आवश्यकता होती है ?

अन्य बच्चों के समान मानसिक मंद बच्चे के लिए संप्रेषण की आवश्यकताये बहुत ज़रूरी है। मानसिक मंद बच्चों में अन्य कठिनाईयों के साथ एक कठिनाई यह है कि, उनमें आशिक विलंब अथवा अपर्याप्त संप्रेषण कौशल पाए जाते हैं। विकलागता की गभीरता के अनुसार अर्थपूर्ण संप्रेषण का पूर्ण अभाव भी हो सकता है। मानसिक मंद व्यक्तियों को अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को सामाजिक आदान-प्रदान की आवश्यकताओं को अभिव्यक्त कर पाने के लिए, अपने वातावरण को समझने और व्यवस्थित कर पाने में समर्थ बनाने के लिए संप्रेषण प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है।

122. संप्रेषण के सबसे साधारण तरीके क्या हैं ?

लोग विभिन्न इन्द्रियों द्वारा (सर्वेदनात्मक तरीकों से) संप्रेषण करते हैं जैसे कि, छूकर, सूधकर, सुनकर और देखकर संप्रेषण के साधारण तरीकों के उदाहरण इस प्रकार हैं-

- सुनकर : बोलना, सकेत देना, दूरभाष, संकट घटी (अलार्म) आदि।
- देखकर : पढ़ना, लिखना, हाव-भाव करना, चेहरे के भाव, शारीरिक भाव-भंगिमा, बेतार का तार, दूरदर्शन, नृत्य आदि।
- छूना और सूधना : हाथ मिलाना, चूमना, गले मिलना, चुभाना, फूल सूधना आदि।

123. क्या वाणी, भाषा और संप्रेषण का एक ही अर्थ है ?

चाहे लोग वाणी/वाक्, भाषा और संप्रेषण को अतर्बदल करके प्रयोग कर लेते हैं फिर भी इनका मतलब एक नहीं है। संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से दो या अधिक व्यक्ति जानकारी, आवश्यकताओं, भावनाओं अथवा इच्छाओं का आदान - प्रदान करते हैं। भाषा जानकारी के आदान - प्रदान करने का एक ऐसा माध्यम है जिसमें क्रमबद्ध शब्द और चिन्हों का प्रयोग होता है और जो किसी विशेष समुदाय के लोगों द्वारा प्रयुक्त किया जाता है। वाणी - भाषा संप्रेषण की ध्वनि उत्पन्न करने के लिए बार-बार प्रयोग की जाने वाली चौज़ है, उदाहरण के लिए - यदि दो व्यक्ति हिन्दी में बात कर रहे हैं तो संप्रेषण दो व्यक्तियों के बीच हिन्दी भाषा के माध्यम से जानकारी आदान-प्रदान करना है। क्योंकि, दोनों बोल रहे हैं इसलिए संप्रेषण वाणी/वाक् के माध्यम से हो रहा है।

124. क्या मानसिक मंद व्यक्ति, अविकलाग व्यक्तियों के समान ही संप्रेषित करते हैं ?

अविकलाग व्यक्तियों में आपस में संप्रेषण करने का सबसे आसान तरीका वाणी/वाक् है। मानसिक मंद बच्चों को उनकी विकलागता की प्रकृति के कारण बोल चाल की भाषा के वाक् संप्रेषण में बहुत कठिनाई होती है। परन्तु अभी कुछ वर्षों पूर्व मानसिक मंद व्यक्तियों को साकेतिक भाषा सिखाने में सफलता मिली है। शब्दों के बोलने के साथ-साथ संकेत करके सिखाया जाता है जिससे बच्चा संकेत के साथ-साथ शब्द को देख और सुन भी सके, यद्यपि इस पद्धति के कुछ सीमा बंधन भी हैं फिर भी यह संप्रेषण न कर पाने के कारण होने वाली कुठा को बहुत कम कर सकती हैं। मानसिक मंद व्यक्तियों द्वारा संप्रेषण के लिए प्रयोग होने वाले अन्य माध्यम हैं शारीरिक भाषा, भाव भगिमा लिखित शब्द और चित्र।

125. क्या सभी मानसिक मंद व्यक्तियों को सप्रेषण समस्याये होती है ?

अधिकांश मानसिक मंद बच्चों को बोलने में या बात करने में कठिनाई होती है जो उनकी शैक्षिक प्रगति में किसी सीमा तक प्रभाव डालती है। सप्रेषण समस्याओं के शारीरिक कारण भी हो सकते हैं या फिर वे किन्हीं सामाजिक, भावुक, सांस्कृतिक तत्वों से भी उत्पन्न हो सकती हैं।

लगभग 80% मानसिक मंद व्यक्तियों में सप्रेषण समस्याये होती हैं। सप्रेषण समस्याओं की श्रेणी में निम्नलिखित सम्मिलित है :

- बोलने में पूर्णतया असमर्थता
- सामान्य शब्द-ध्वनि उत्पन्न करने में कठिनाई होना । जिसके फलस्वरूप अस्पष्ट उच्चारण या अशक्त उच्चारण होता है ।
- दूसरों की वाणी/वाक्/बात समझने में कठिनाई ।
- शब्दों को जोड़ने में कठिनाई होना ।

लगभग 40% मानसिक मंद व्यक्ति बोल नहीं पाते हैं यानि कि, उनमें वाणी/वाक् विलक्षण नहीं होती/वे बात ही नहीं कर पाते इसके अलावा 40% मानसिक मंद व्यक्तियों में श्रवण समस्याये होती हैं। अभिभावकों को अपने बच्चे की विशेष सप्रेषण समस्याओं के लिये वाणी/वाक् विशेषज्ञ नाक-कान-गला (ई.एन.टी) विशेषज्ञ की सलाह लेनी चाहिए।

126. क्या सप्रेषण समस्या वाले सभी बच्चे मानसिक मंद होते हैं ?

सप्रेषण समस्याओं वाले सभी बच्चे मानसिक मंद नहीं होते । सप्रेषण समस्याये बहुत से कारणों से हो सकती हैं जैसे : श्रवण समस्याये गत्यात्मक अथवा संवेदनात्मक समस्याये । केवल वे बच्चे जो विकास के अन्य क्षेत्रों जैसे संज्ञानात्मक विकास, गत्यात्मक विकास, भाषा विकास आदि में मंद गति दर्शाते हैं उनमें ही मानसिक मंद होने की अधिक आशंका रहती है ।

127. किसी भी अभिभावक को यह कैसे पता लगेगा कि, बच्चे के न बोलने का कारण उसकी श्रवण समस्यायें हैं या कि मानसिक मंदता ?

यद्यपि श्रवणदोष वाणी/वाक् और सामान्य वाणी/वाक् उत्पादन के सीखने में बाधा उत्पन्न करती है, फिर भी, बच्चे के व्यवहार में कुछ ऐसे अन्तर होते हैं जिनसे यह ज्ञात होता है कि, यदि बच्चा बोलना नहीं सीख पाया तो इसका कारण उसका श्रवण दोष है या कि, मानसिक मंदता। यदि कोई बच्चा बहरा पैदा हुआ है या छोटी आयु में ही कोई श्रवण दोष हो गया है तो कुछ ऐसे लक्षण हैं जो आरंभ में ही समस्या का संकेत दे देते हैं जैसे कि, पीछे से ताली बजाने पर बच्चा ध्वनि की ओर सिर घुमाने में असमर्थ होता है। अत्यधिक त्रृटि/दोष वाले बच्चे का आरंभिक व्यवहार एवं विकास बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा कि, त्रृटि/दोष रहित बच्चे का। श्रवण दोष वाले बच्चे 6-8 महीने की आयु के बाद तुतलाना बन्द कर देते हैं। परन्तु मानसिक मंद बच्चे के मुख्य लक्षण हैं उनके विकास की धीमी गति और अधिगम की कम योग्यता। ऐसे बच्चे जिनके मानसिक मंदन का निदान किया जाता है। कीरिपोर्ट से यह पता चलता है कि, वे अपनी आयु के अनुसार उचित कौशल जैसे कि : गर्दन सभालना, पलटी खाना, बैठना, खड़े होना, घुटनों के बल चलना और रेगना या शौचादि पर नियंत्रण करना अथवा शीघ्र खाना खा लेना आदि समस्त कौशलों के विकास में विलंब दर्शाते हैं। संपूर्ण बौद्धिक अथवा विकासात्मक मूल्यांकन, श्रवण मूल्यांकन के साथ इस बात की पुष्टि करने में सहायक सिद्ध हो सकता है।

128. मेरा बच्चा ठीक प्रकार से सुन नहीं सकता। क्या उसके अभी तक न बोल पाने का यह भी एक कारण हो सकता है ?

वाणी/वाक् एवं भाषा के सीखने के लिए पर्याप्त श्रवण बहुत आवश्यक है। यदि कोई मानसिक मंद व्यक्ति शब्दों को साफ सुनने में असमर्थ है तो उसके लिए बोलना सीख पाना कठिन हो जाता है। इस से प्रायः मानसिक मंद बच्चे और दूसरों को भी कुठा एवं निराशा हो जाती है।

यद्यपि 40% मानसिक मंद बच्चे को श्रवण समस्याएँ होती हैं फिर भी यह ध्यान रखना आवश्यक है कि, बोलने की क्षमता अन्य कई तत्वों पर निर्भर करती है जैसे-पर्याप्त गत्यात्मक योग्यताएँ, सही संवेदनात्मक तंत्र, पर्याप्त अभियोजन प्रक्रिया कौशल तथा समृद्ध एवं प्रेरक वातावरण ।

129. माता-पिता अपने मानसिक मंद बच्चे की संप्रेषण समस्याओं को कितनी शोधता से भांप सकते हैं ?

माता-पिता अपने बच्चे की संप्रेषण समस्याओं का, बच्चा पैदा होने के तीन सप्ताह के भीतर ही, पता लगा सकते हैं कि, जो बच्चे के भौतिक-तत्रिकीय स्तर एवं विकासात्मक सीढ़ियों के अभिग्रहण के आधार पर होता है । इसके अलावा जन्म के समय संभावित संप्रेषण समस्याओं का पता लगाना भी संभव है यदि बच्चा किसी शारीरिक विकलांगता जैसे सैरिब्रल पाल्सी विदीर्ण/दरार, फटी हुई तालु जैसी समस्या के साथ-पैदा हुआ है ।

शारीरिक परीक्षण द्वारा जाँचा-गया भौतिक-तत्रिकीय स्तर संभावित वाणी/वाक्/भाषा समस्याओं का अच्छा सूचक है । आरंभिक प्रतिक्रियात्मक स्वरूप (अर्ली रिफ्लैक्स पैटर्न) की साधारणता (नार्मल्सी) द्वारा संभावित वाणी/वाक्/भाषा समस्याओं की आशंका वाले बच्चों का पता लगाया जा सकता है । असामान्य तानात्मक प्रतिवर्त (एब्नार्मल टोनिक रिफ्लैक्स) द्वारा यह सकेत मिल जाता है कि, केन्द्रीय तत्रिकीय तंत्र (सेन्ट्रल नर्वस सिस्टम) का या-तो विलंब विकास है अथवा असामान्य विकास । इसके अलावा तत्रिकीय-गत्यात्मक गतिविधियाँ जैसे कि, निगलना, चबाना या चूसना भी संभावित वाणी/वाक् समस्याओं का सकेत करती है । यदि किसी आयु सीमा के बाद भी अपरिपक्व मुखी गामक गतिविधियाँ जारी रहती हैं तो वे वाणी/वाक् के विकास में बांधा उत्पन्न कर सकती हैं ।

यदि एक बार भी माता-पिता को संप्रेषण समस्याओं की आशंका लगे तो बच्चे को तुरन्त कान-नाक-गला विशेषज्ञ/वाणी/वाक् विशेषज्ञ के पास, परामर्श के लिए ले जाना चाहिए ।

130. क्या बोलने के लिए सही शारीरिक संरचना का होना आवश्यक है ? क्या यह मानसिक मंद बच्चे में प्रायः सही होती है ?

वाणी उत्पादन एक जटिल प्रक्रिया है। वाणी/वाक् यंत्रावली संरचना जैसे जीभ, जबड़ा, होठ आदि मस्तिष्क के साथ सामजस्य होने से वाणी/वाक् उत्पन्न होती है। अतः यह अत्यावश्यक है कि, वाणी उत्पादन में प्रयोग होने वाली शारीरिक संरचना बिल्कुल सही हो। मानसिक मंद व्यक्तियों में वाणी यंत्रावली जैसे कि, ओठ, जीभ या कंठ आदि प्रभावित हो सकते हैं। क्षति की सीमा, विकलांगता की गंभीरता एवं प्रकृति पर निर्भर करती है।

131. अपने मानसिक मंद बच्चों के साथ संप्रेषण करते समय अभिभावकों द्वारा कौन सी गलतियाँ हो जाती हैं ?

प्रायः ऐसा देखा गया है कि, कुछ अभिभावक अपने मानसिक मंद बच्चे के साथ कम बात करते हैं क्योंकि, वे ऐसा सोचते हैं कि, बच्चा समझेगा नहीं। अभिभावकों की बातचीत में विभिन्नता (नवीनता) की कमी होती है और वही नीरसता पूर्ण अनुदेश होते हैं जैसे : आओ, ले लो, दें दो, खाओ आदि। इसके अलावा माता-पिता अपने बच्चे से वाक् ध्वनियों के सही उत्पादन की आशा रखते हैं जो बच्चे एवं माता-पिता दोनों के लिए कुंठा पैदा कर सकता है।

132. बच्चे में वाणी एवं भाषा विकास के प्रोत्साहन के लिए माता-पिता की क्या भूमिका है ?

संप्रेषण प्रशिक्षण में माता-पिता की आलिप्ती अत्यावश्यक है क्योंकि, माता-पिता बच्चे के जीवन के आरंभिक वर्षों में किसी अन्य वयस्क अथवा बच्चे के मुकाबले अपने बच्चे के साथ बातचीत करने में अधिक समय बिताते हैं। बच्चे पहले माता-पिता के साथ परस्पर क्रिया द्वारा संप्रेषण खेल सीखते हैं और आपस के संप्रेषण द्वारा मिलने वाले सुख का अनुभव करते हैं। माता - पिता कौन शब्दावली या शब्दों का प्रयोग

करते हैं, जब बच्चा प्रतिक्रिया दिखाता है या बोलने के लिए ध्वनि उत्पन्न करता है तो वे अपने बच्चे को बढ़ावा देने के लिए कैसे प्रशंसा करते हैं, अपने बच्चे को कैसे सुधारते हैं अथवा सीखने में बच्चे की किस प्रकार मदद करते हैं और अपने अनुभवों का अनुदेश कैसे देते हैं ये सब बच्चे के भाषा विकास पर अत्यन्त प्रभाव डालता है।

133. क्या मानसिक मंद बच्चों का संप्रेषण-प्रशिक्षण किसी भी आयु में आरंभ किया जा सकता है ?

जीवन के आरंभिक वर्षों में बच्चे का मस्तिष्क प्लास्टिक के समान होता है जो किसी भी साचे में ढल सकता है। वह ग्रहणशील, अधिक सहज अनुग्रामी और लचीला होता है। जिससे वह कोई भी भाषा जल्दी ही सीख लेता है। यदि बच्चे की संप्रेषण समस्याओं का शीघ्र पता नहीं लगता और प्रभावशाली सहायता प्रदान नहीं की जाती, तो संप्रेषण कौशल सीखने के महत्वपूर्ण वर्ष खो जाते हैं। वाणी विकास एवं भाषा अधिगम जन्म से लगभग 3-4 वर्ष की आयु तक बहुत शीघ्रता से होता है। 0-6 वर्ष की आयु के बीच दिए गए प्रशिक्षण के परिणाम सबसे अच्छे होते हैं। फिर भी, देर से आरंभ करना, बिल्कुल न करने से बेहतर होता है।

134. क्या सभी मानसिक मंद व्यक्ति एक ही प्रकार के संप्रेषण प्रशिक्षण पाते हैं ?

कोई भी दो मानसिक मंद बच्चे एक जैसे नहीं होते अतः बच्चे को प्रशिक्षण उसकी क्षमताओं और आवश्यकताओं के आधार पर दिया जाता है। सामान्यतः अत्यधिक गभीर मानसिक मंद बच्चों को उनके कुछ महत्वपूर्ण व्यवहारों जैसे - अनुरोध करने और अनुदेश का पालन करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। अल्प मानसिक मंद बच्चों को भाषा विकास, बातचीत करने और अनुदेशों का पालन करने में प्रोत्साहित करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है।

135. विदीर्ण / फटी हुई तालु क्या होता है ?

विदीर्ण तालु वाले बच्चे में मुँह के ऊपर का भाग नाक के रास्ते से जुड़ा हुआ होता है । सामान्यतः 800 बच्चों में से एक विदीर्ण तालु वाला बच्चा पैदा होता है ।

136. क्या विदीर्ण तालु की समस्या वाले व्यक्ति बोलने में असमर्थ होते हैं ?

विदीर्ण तालु वाले बच्चों को संप्रेषण समस्याये होने की आशका रहती है । बच्चा भाषा के प्रयोग में धीमा हो सकता है अथवा भाषा प्रयोग में असामान्य अभिरचना बना लेता है । अनुसधानों से ज्ञात होता है कि, विदीर्ण तालु के बच्चे सामान्य बच्चों के मुकाबले छोटे और कम जटिल वाक्यों का प्रयोग करते हैं । इसके अलावा, इन बच्चों के शारीरिक विकार उनके लिए कुछ विशेष ध्वनियाँ ठीक प्रकार से उत्पन्न करना असभव बना देते हैं । यदि बच्चा कुछ विशेष ध्वनियाँ आसानी से उत्पन्न करने में असमर्थ है तो वह इन ध्वनियों को पूर्णतया छोड़ देता है या उसके बदले में अन्य आसान ध्वनियों का प्रयोग करने लगता है । उदाहरण के लिए – मुँह के अग्रभाग से उत्पन्न होने वाली ध्वनियों के बदले में पृष्ठ भाग से उत्पन्न होने वाली ध्वनियों का प्रयोग किया जा सकता है जैसे कि, "ट" को "क" बोला जा सकता है अतः "ठोपी" को "कोपी" बोला जाएगा "ड" को "ग" की तरह बोला जा सकता है जिससे "डौग" को "गोग" बोला जाएगा ।

इसके अलावा, उन मुखी ध्वनियों, जिनमें हवा मुँह से बाहर निकलती है, के बदले में नासिका का प्रयोग किया जा सकता है । जैसे कि "ब" को "भ" की तरह बोला जाएगा अतः "बाल" "माल" बन जाएगा "ड" को "न" की तरह बोला जाएगा अतः "डे" "ने" बन जाएगा ।

ध्वनि की आवाज़ सामान्य बच्चों की आवाज़ से भिन्न हो सकती है । सामान्यतः बोलने में अत्यधिक अनुनासिकता (नासिका का अत्यधिक अनुकंपन) के गुण होते हैं । उपरोक्त व्यवहार के मिश्रित प्रभाव से बच्चे

की बोली साफ व समझने योग्य कम ही रह जाती है ।

विदीर्ण तालु की समस्या वाले बच्चों के प्रबंध के लिए वाक् एवं भाषा चिकित्सक अथवा नाक-कान-गला विशेषज्ञ अभिभावकों की सहायता कर सकते हैं ।

137. "विदीर्ण ओठ" क्या होता है ?


प्रसवपूर्व विकास के आरंभ में यानि कि, माता के गर्भ में छठे से बारहवें सप्ताह में ओठ के बीच एक लम्बी खुली जगह रह जाती है जिससे वे भाग मिल नहीं पाते इसे "विदीर्ण ओठ" कहते हैं ।

138. क्या मानसिक मंद बच्चे विदीर्ण ओठ की समस्या के कारण बोलने में असमर्थ होते हैं ?

कुछ ध्वनियाँ ओठ द्वारा वायु बाहर फेंकने से उत्पन्न की जाती हैं । यदि विदीर्ण ओठ के कारण वाणी अस्पष्ट है तो शल्य चिकित्सा द्वारा विदीर्ण ओठ ठीक कराया जा सकता है । लेकिन कभी-कभी विदीर्ण ओठ की सफल शल्यचिकित्सा के उपरांत भी मानसिक मंद बच्चे में वाक् समस्याये बनी रहती हैं । ऐसा इसलिए होता है क्योंकि, बोलने की योग्यता और भी कई तत्वों पर निर्भर करती है जैसे कि, उचित गामक योग्यतायें, सही संवेदनात्मक यत्रावलि, पर्याप्त ज्ञानात्मक प्रक्रिया कौशल और एक भरपूर एवं प्रेरक वातावरण, जो मानसिक मंद बच्चों में काफी हद तक कम पाया जाता है ।

139. मेरा मानसिक मंद बच्चा कुछ ध्वनियाँ जैसे "प" और "म" का उच्चारण कर लेता है मगर "इ" या "व" जैसी ध्वनियाँ नहीं उच्चार पाता इसका क्या कारण है ?

बच्चे वाक् ध्वनि उत्पन्न करना, एक विशेष पद्धति द्वारा सीखते हैं । कम जटिल ध्वनियों का उत्पादन अधिक जटिल ध्वनियों से पहले सीखा जाता



मानसिक मंद व्यक्तियों को चाकू, सड़ेत, हावधन अथवा संग्रह भेद हुआ सोचन करने के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है ।

है। बच्चे की आंगभिक शब्दावली में कुछ शब्द अन्य शब्दों से जल्दी सीखे जाते हैं।

140. क्या भाषा एवं संप्रेषण प्रशिक्षण केवल वाक् चिकित्सक के कक्ष में ही दिया जा सकता है?

भाषा एवं संप्रेषण कौशल प्रशिक्षण अलग रहकर नहीं हो सकता। वाक् चिकित्सक अपने चिकित्सालय में बच्चे की क्षमताओं का मूल्यांकन करता है और कुछ नीतियों का प्रदर्शन करता है। भाषा एवं संप्रेषण अधिगम माता अथवा संरक्षक और बच्चे के बीच दैनिक क्रिया-कलापों में ही होना आवश्यक है जैसे कि, कपड़े पहनना, खाना खाना, कपड़े धोना आदि। अतः यह अत्यावश्यक है कि, भाषा संप्रेषण प्रशिक्षण बच्चों के प्राकृतिक वातावरण में ही हो जैसे कि, उसका घर, विद्यालय और अन्य प्राकृतिक (वास्तविक) परिवेश। वास्तव में कार्यक्रम का अध्यापकों अथवा अभिभावकों द्वारा प्रभावशाली रूपसे कार्यान्वयन वाक्-चिकित्सक के निरीक्षण में प्राकृतिक (वास्तविक) वातावरण में ही हो सकता है।

141. एक अभिभावक/संरक्षक को अपने मानसिक मंद बच्चे को संप्रेषण कौशल में प्रशिक्षण देने के लिए एक दिन में कितना समय बिताना चाहिए?

बच्चे को संप्रेषण कौशल में प्रशिक्षण देने के लिए किसी भी नियम के अनुसार कोई विशेष समय सीमा निर्धारित नहीं है। ऐसा प्रस्तावित है कि, मानसिक मंद बच्चों की भाषा एवं संप्रेषण का प्रशिक्षण दैनिक क्रिया-कलापों में ही होना चाहिए जिससे उसे कौशल अभ्यास के अधिकतम अवसर मिल सके।

142. क्या अंत में सभी मानसिक मंद बच्चे बोलना सीख लेते हैं। यदि नहीं, तो ऐसे कौन से तरीके हैं जिनके माध्यम से मानसिक मंद व्यक्तियों को संप्रेषण सिखाया जा सकता है?

यद्यपि मानसिक मंद व्यक्तियों को भाषा एवं संप्रेषण प्रशिक्षण द्वारा अपनी

आवश्यकताये एवं इच्छाये व्यक्त करने में मदद मिलती है फिर भी लगभग 40% मानसिक मंद व्यक्ति बोल चाल की भाषा के माध्यम से संप्रेषण करने में अत्यधिक कठिनाई का अनुभव करते हैं।

वे मानसिक मंद व्यक्ति जो सीधे बोल कर संप्रेषण में असमर्थ है उन्हें अमौखिक/साकेतिक (नॉन-वर्बल) माध्यम से संप्रेषण करने में प्रशिक्षण दिया जाता है इसमें शारीरिक भाषा, हावभाव, लिखित शब्द और चित्र सम्मिलित हैं। अमौखिक / साकेतिक संप्रेषण पद्धति मुख्यतः दो भागों में विभाजित है।

- सहायता रहित संप्रेषण पद्धति जैसे कि, साकेतिक भाषा का प्रयोग,
- सहायता प्राप्त संप्रेषण पद्धति जैसे कि, चित्रों, इलैक्ट्रोनिक यंत्रों आदि का प्रयोग.

143. साकेतिक भाषा क्या है? भारत में मानसिक मंद के साथ यह कहाँ तक लाभप्रद है?

साकेतिक भाषा एक प्रकार का अमौखिक संप्रेषण है जिसमें व्यक्ति हाथ की अवस्था और हावभाव द्वारा अपना संदेश संप्रेषित करता है। यद्यपि, यह श्रवण विकलाग व्यक्तियों के लिए विकसित की गई है तथापि साकेतिक भाषा मानसिक मंद व्यक्तियों के संप्रेषण की सहायता के लिए प्रयोग की जाती है जिससे उन्हें अपनी दैनिक मूल आवश्यकताओं को संप्रेषित करने में सहायता मिलती है।

मानसिक मंद व्यक्तियों को साधारण/सरल पद्धतियों की आवश्यकता होती है। साकेतिक भाषा में प्रयुक्त संकेत एवं हावभाव भिन्न-भिन्न संस्कृतियों के लिए भिन्न हैं और विभिन्न स्थानों पर भिन्न-भिन्न होती हैं। इसी प्रकार सामान्य जनसंख्या का बहुत कम भाग ही संकेतों एवं हावभावों को समझ सकता है जिससे इस प्रकार का संप्रेषण बहुत कम व्यक्तियों तक सीमित रह जाता है। मानसिक मंद व्यक्तियों को संबंधित

शारीरिक समस्यायें भी हो सकती हैं जिनके कारण उन्हें सकेत देने में बाधा होती हो। अतः साकेतिक भाषा का प्रयोग बहुत सीमित है। परन्तु कुछ अन्य पद्धतियाँ भी हैं जैसे संप्रेषण बोर्ड जो मानसिक मंद व्यक्तियों को बेहतर रूप से संप्रेषण करने में सहायक हैं।

144. क्या यह सत्य है कि, यदि बच्चे को साकेतिक भाषा सिखाई जाए तो वह बोलना बन्द कर देता है ?

मानसिक मंद व्यक्तियों में भी संप्रेषण की सामान्य आवश्यकता होती है। विभिन्न गामक, तत्रिकीय अथवा संवेदनात्मक विकारों के कारण कुछ मानसिक मंद व्यक्तियों को वाक् कौशल विकसित करने में अधिक कठिनाई होती है। अतः उनके लिए एक अमौखिक पद्धति निर्मित करने की आवश्यकता है जो उन्हें संप्रेषण करने में सहायता कर सके। साकेतिक भाषा ऐसी ही अमौखिक पद्धतियों में से एक है।

संप्रेषण की अमौखिक पद्धतियों का तब विकास किया जाता है जब मानसिक मंद व्यक्ति के वाक् के माध्यम से संप्रेषण करने की संभावना बहुत कम हो। अमौखिक संप्रेषण का निर्णय लेने से पहले विभिन्न तत्वों का ध्यान रखा जाता है जिसमें संवेदनात्मक-गामक तत्र, भाषा-विकास का स्तर, स्थिति, आयु एवं पद्धति की स्वीकार्यता का अंतः संबंध हों।

फिर भी, यह हमेशा याद रखना चाहिए कि, अमौखिक पद्धति प्रयोग करने का एक बार लिया हुआ निर्णय हमेशा के लिए नहीं है। यह संप्रेषण को सुगम बनाने का सिर्फ एक माध्यम है।

145. अभिभावकों को अपने मानसिक मंद बच्चे का संप्रेषण प्रशिक्षण कब तक जारी रखना चाहिए ?

अधिकतर मानसिक मंद बच्चे के लिए संप्रेषण प्रशिक्षण आजीवन होता है। बच्चे की प्रगति को नोट करने के लिए वाक् चिकित्सक के पास,

समय - समय पर जाना उचित होता है, साथ ही घर से प्रोत्साहन और समर्थन देना, समय बिताना, अपने बच्चे के साथ बोलना और सुनना उतना ही आवश्यक है जितना कि, किसी विशेषज्ञ की मदद ।


146. हम दिल्ली में रहते हैं हम घर में तेलुगू भाषा बोलते हैं मेरे बच्चे को विद्यालय में हिन्दी माध्यम से सिखाया जाता है । क्या इसका बच्चे पर दुष्प्रभाव पड़ेगा ?

यद्यपि संप्रेषण के अवसर उन्नत करने के लिए भाषा प्रशिक्षण जहाँ तक संभव हो, बच्चे की मातृभाषा में ही होना चाहिए, तथापि हमारा समाज प्राकृतिक रूप से बहुभाषीय है यानि कि, हम में से अधिकांश एक से अधिक भाषा का प्रयोग कर सकते हैं । ऐसा देखा गया है कि, मानसिक मंद बच्चों के साथ सीखने को प्राकृतिक प्रक्रिया में एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग करने से वे बहुभाषीय हो जाते हैं । फिर भी मानसिक मंद बच्चों को एक से अधिक भाषा सीखने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है । इससे कभी - कभी शैक्षिक उपलब्धि कम हो जाती है जिसके फलस्वरूप कुठा उत्पन्न होती है एवं आत्म सम्मान की हानि होती है ।

उचित यही होगा कि, अभिभावक और विद्यालय में अध्यापकों के बीच ऐसा व्यवहारिक समन्वय हो जिससे उपचार प्रशिक्षण और शैक्षिक कार्यक्रम में मातृ भाषा के माध्यम से शिक्षण संभव हो सके । उपाख्यान संबंधी विवरणों और अनुसंधान निष्कर्षों से यह ज्ञात होता है कि, यदि वातावरण आश्वस्त अवसर प्रदान करें तो मानसिक मंद व्यक्ति विद्यालय प्रशिक्षण में प्रयोग होने वाली दूसरी भाषा भी सीख लेते हैं ।

दैनिक क्रिया-कलाप

सभी माता-पिता, विशेष रूप से माँ पर ही बच्चे की देखभाल और लालन-पालन का बोझ पड़ता है। इस प्रकार का बोझ बच्चे के जीवन के आरंभिक वर्षों में अधिक होता है चाहे बच्चा सामान्य ही क्यों न हो, क्योंकि, बच्चा अपनी मूल आवश्यकताओं जैसे कि, शौच, भोजन, कपड़े पहनना आदि के लिए माँ पर ही निर्भर करता है। माँ-बाप भी बड़ी प्रसन्नता से इन सब कठिनाईयों को झेलते हैं क्योंकि, वे अच्छी तरह जानते हैं कि, बहुत जल्द हमारा बच्चा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्वावलंबी हो जाएगा। परन्तु, मानसिक मंद बच्चे के साथ ऐसा नहीं होता क्योंकि, वह माता-पिता पर बहुत अर्से तक निर्भर रहता है। प्रतिदिन प्रातः से रात तक माता-पिता के लिए ये एक कठिन अग्नि परीक्षा होती है यदि बच्चा अत्यधिक मानसिक मंद है और उसे संबंधित शारीरिक विकलागता भी है तो समस्या और भी बढ़ जाती है। माता - पिता कई प्रकार के प्रश्नों के उत्तर ढूँढते हैं जैसे कि, क्या मेरा बच्चा कभी अपने आप खाना खा सकेगा, इसकी देखभाल कितने समय तक करनी पड़ेगी, शौच साफ करना होगा, क्या कोई ऐसी विधि है जिससे इसे स्वयं भी मूल आवश्यकताओं के लिए प्रशिक्षित किया जा सके; क्या मानसिक मंद लड़कियों को अपने मासिक धर्म की साफ-सफाई के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है। इस भाग में कुछ प्रसंगानुकूल प्रश्नों के उत्तर दिए जा रहे हैं।



147. दैनिक क्रिया-कलाप का क्या अर्थ है ? मानसिक मंद व्यक्तियों को दैनिक क्रियाकलापों में प्रशिक्षण के अंतर्गत क्या सिखाया जाता है ?

आत्म-अवधान कौशल के नाम से भी जानी जाने वाली दैनिक क्रियाओं में वे व्यावहारिक कौशल सम्मिलित किए जाते हैं जो जीवन की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए और समाज में कार्य करने के लिए आवश्यक होते हैं । दैनिक क्रिया-कलापों में निम्न लिखित चीजें सिखायी जाती हैं :

- मूल कौशल जैसे-भोजन करना, शौच, कपड़े उतारना और कपड़े पहनना ।
- अधिक उन्नत कौशल जैसे-बनाव श्रृंगार करना, नहाना, मासिक-धर्म की साफ-सफाई, ब्रश करना, कपड़ों की देखभाल और खरीदारी, सौदा खरीदना, घर की देखभाल करना और सुरक्षा कौशल, खाना पकाना और सबन्धित सामाजिक कौशल जैसे कि, खाना खाने संबंधी आचार-नियम ।

148. जीवन की दैनिक क्रियायें तो नित्यचर्या क्रियायें हैं । क्या मानसिक मंद व्यक्ति ये क्रिया-कलाप स्वाभाविक रूप में नहीं सीख लेगा ?

मानसिक मदन के कारण मानसिक मंद व्यक्ति के सोचने और अवलोकन करने के कौशल कम होते हैं जो नित्यक्रम की कुछ मूल क्रियाओं को सीखने में मदद करती है । ऐसी परिस्थिति में, मानसिक मंद व्यक्तियों को शीघ्रातिशीघ्र मूल आत्म-अवधान में प्रशिक्षण देना आवश्यक है ।

149. क्या सभी मानसिक मंद व्यक्ति अपनी मूल आवश्यकताओं की पूर्ति करने में आत्मनिर्भर हो सकते हैं ?

उचित उपचार द्वारा अधिकांश मानसिक मंद व्यक्ति कुछ मूल आत्म अवधान कौशल जैसे भोजन करना, शौच, नहाना, कपड़े पहनना आदि

सीख सकते हैं। यद्यपि, मानसिक मंद व्यक्ति अपनी मूल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किस सीमा तक प्रशिक्षित किए जा सकते हैं यह उनकी विकलांगता को गंभीरता पर निर्भर करता है तथापि, ऐसे तरीके दृढ़ना आवश्यक है जिसके द्वारा उनमें आत्मनिर्भरता बढ़ाई जा सके। अतः उचित प्रशिक्षण, अवसर एवं अनुभवों द्वारा अत्यं और मध्यम मानसिक मंद व्यक्ति जिसे कोई महत्वपूर्ण संबंधित समस्या न हो, आत्म अवधान कौशलों में नैपुण्य प्राप्त कर सकते हैं जब कि, गंभीर और अत्यधिक गंभीर मानसिक मंद कुछ मूल कौशलों में ही दक्ष हो सकते हैं।

150. हमारा बच्चा चार वर्ष का है। हम ऐसा अनुभव करते हैं कि, उसे खाना, यहनना, नहाना आदि क्रियायें सिखाने से समय नष्ट होता है क्योंकि, यही कार्य यदि उसके लिए हम कर दें तो इसमें हमारे समय व कार्यशक्ति दोनों की ही बचत होती है। आप का क्या सुझाव है ?

मानसिक मंद बच्चों को अपनी देखभाल स्वयं करना सिखाने में कभी भी समय की बर्बादी नहीं है। सभी मानसिक मंद व्यक्ति प्रशिक्षित किए जा सकते हैं चाहे वे किसी भी बौद्धिक स्तर के हों। बच्चों को आत्मअवधान क्षेत्रों में प्रशिक्षित करने से माता-पिता को बच्चे की मूल आवश्यकताओं की अविरत देखरेख के बोझ से मुक्ति मिल सकती है और बच्चा आत्म निर्भर हो जाता है और उसमें सक्षमता का भाव जागता है जो उसके आत्मविश्वास को बढ़ाता है।

151. शौच - प्रशिक्षण कितनी शीघ्र आरंभ किया जा सकता है ?

शौच प्रशिक्षण आरंभ किया जा सकता है यदि :

- मानसिक मंद बच्चा दिन के एक निश्चित समय काल में टट्टी या पेशाब करता है।
- यदि बच्चा एक-दो घंटे नियमित रूप से सूखा रह सकता है।
- यदि बच्चा कम से कम ढाई वर्ष का है।

अनुकूलतम लाभ के लिए उपर्युक्त होगा कि, गंभीर मानसिक मंद बच्चे का प्रशिक्षण पाँच वर्ष की आयु से ही आरंभ किया जाए । परन्तु यदि मानसिक मंद व्यक्ति जिसे शौच प्रशिक्षण नहीं दिया गया और वह उपर्युक्त तीनों मानकों को पूरा करता है तो उसके मानसिक मंदता के स्तर पर ध्यान न देते हुए प्रशिक्षण आरंभ कर देना चाहिए ।

152. किसी को यह कैसे पता लगेगा कि, उनका बच्चा शौच प्रशिक्षण के लिए तैयार है ?

मानसिक मंद बच्चा शौच प्रशिक्षण के लिए तैयार है या नहीं यह तय करने के लिए इनमें पाँच परिस्थितियाँ आवश्यक हैं ।

- क्या बच्चा एक-दो घटे के लिए लगातार सूखा (बिना पेशाब के) रहता है ?
- क्या बच्चा लगातार कपड़े को पूरा भिगोता है या थोड़ा-थोड़ा गीला करता रहता है ? (पेशाब रुक-रुक करता है या के खुलकर करता है)
- क्या बच्चे के मूत्राशय एवं आंतङ्गियों के नियन्त्रण में कोई शारीरिक समस्या तो नहीं है ?
- क्या मानसिक मंद बच्चा सामान्य दो वर्ष के बच्चे के जितना समझने में समर्थ है ?
- क्या माता-पिता के पास प्रशिक्षण का अनुकरण करने का समय है ?

153. किस आयु तक किसी व्यक्ति से शौच प्रशिक्षण अपेक्षित है ?

शौचादि कौशल सीखना प्रत्येक मानसिक मंद बच्चे के लिए भिन्न-भिन्न है । सभी शौच प्रशिक्षण बच्चे के शारीरिक परिपक्वता के विशेष स्तर तक पहुंचने, प्रशिक्षण अवसर और बच्चे को दिए गए अनुभवों पर निर्भर करता है । यह आवश्यक है कि, माता-पिता बच्चे को जीवन के आरंभिक वर्षों में शौच-प्रशिक्षण देने पर विशेष महत्व दें ।

उपर्युक्त प्रशिक्षण द्वारा अधिकांश मानसिक मंद व्यक्ति कम से कम कुछ

शौचादि कौशल सीख सकते हैं। सामान्यतः अल्प मानसिक मंद व्यक्ति जिन्हें कोई महत्वपूर्ण संवधित समस्या नहीं होती, अधिकतम प्रशिक्षण योगदान प्रदान करने से 7-8 वर्ष की आयु तक शौच - प्रशिक्षण में आत्मनिर्भर हो जाते हैं। मध्यम मानसिक मंद बच्चे 11-12 वर्ष की आयु तक इस कौशल में नैपुण्य प्राप्त कर लेते हैं। यद्यपि गंभीर और अत्यधिक गंभीर मानसिक मंद व्यक्तियों को आजीवन अवलबन की आवश्यकता होती है फिर भी ऐसे तरीके ढूढ़ना आवश्यक है जिनसे उन्हें प्रोत्साहन मिले और उनमें आत्मनिर्भरता बढ़ाई जा सके।

154. मानसिक मंद व्यक्तियों के शौच-प्रशिक्षण में क्या सिखाया जाता है ?

शौच-प्रशिक्षण में मूत्राशय एवं आतंडियों का नियन्त्रण सिखाया जाता है। शौच-प्रशिक्षण द्वारा मानसिक मंद व्यक्ति आवश्यकता पड़ने पर शौचालय का उचित प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रशिक्षण में निम्नलिखित बातें सिखायी जाती हैं।

- आवश्यकता पड़ने पर शौचालय जाने की क्षमता,
- शौच के समय कपड़े (निकर) उतारना/पहनना,
- शौचालय में या उपयुक्त स्थान पर मल/मूत्र त्यागना,
- शौच के बाद स्वयं की सफाई करना,
- शौचालय में पानी डालना/फ्लश करना.

155. क्या मानसिक - मंद व्यक्तियों को यह सीखना आवश्यक है कि, उन्हें सूखा रहना चाहिए ?

अपने लिए स्वयं कार्य कर पाने की खुशी के साथ-साथ यदि दूसरे द्वारा उनकी सफलता की प्रशंसा हो तो मानसिक मंद बच्चे के आत्म-विश्वास में वृद्धि होती है और उसे ऐसा और करने का प्रोत्साहन मिलता है। बच्चा जितना सक्षम होता जाता है उतना ही उसमें अपने ऊपर और अपनी क्षमताओं पर विश्वास होता जाता है।

मानसिक मंद बच्चे के सूखा रह पाने में असमर्थता उसके विद्यालय और अन्य मनोरंजक क्रियाकलापों पर रोक लगा सकते हैं। सूखा रह पाने में असफल होने से अभिभावक और मानसिक मंद बच्चे के बीच सीखने-सिखाने का समय घट जाता है। कमज़ोर स्वास्थ, पेचिश, आत्रिक सक्रामक रोग जैसे गभीर स्वास्थ्य सकट भी हो सकते हैं। सूखा रहने में असमर्थ होने से मानसिक मंद बच्चा कम खुशमिजाज़ और दूसरों द्वारा कम स्वीकार किया जाता है।

156. मेरा दस वर्ष का बच्चा रात को बार-बार बिस्तर गीला कर देता है क्या उसे रात को सूखा रहने का प्रशिक्षण दिया जा सकता है?

मानसिक मंद व्यक्ति, चाहे उन्हें दिन के लिए शौच-प्रशिक्षण दिया गया हो। तब भी, रात के समय बिस्तर गीला कर देते हैं। मानसिक मंद व्यक्तियों में रात को विस्तर गीला करने का कारण सामान्यतया 'इन्द्रिय संबंधी' होता है जैसे कि, विकास अथवा परिपक्वता में विलंब; वशागत अथवा बच्चे की आयु। कभी-कभी मानसिक मंद व्यक्तियों में इसका कारण संवेदनात्मक या मनोवैज्ञानिक भी हो सकता है। यदि बच्चा दिन में अधिक समय तक सूखा रहता है और रात्रि के समय मूत्राशय नियंत्रण के विकास के लिए कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया तो एक प्रशिक्षित विशेष अध्यापक आपका मार्गदर्शन कर सकता है। यदि रात्रि के समय बिस्तर गीला करने का कारण संवेदनात्मक अथवा मनोवैज्ञानिक है तो आपको आगे के मार्गदर्शन के लिए नैदानिक मनोवैज्ञानिक से संपर्क करना चाहिए।

157. विशेष विद्यालय ने मेरे 8 वर्षीय बच्चे को भर्ती करने से इन्कार कर दिया है क्योंकि, उसे शौच प्रशिक्षण नहीं है। मुझे क्या करना चाहिए?

जिन मानसिक मंद बच्चे को शौच प्रशिक्षण प्राप्त नहीं है उन्हें प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षित विशेष अध्यापकों की आवश्यकता होती है और

कोई भी विशेष - विद्यालय आपके बच्चे को भर्ती करने से इस आधार पर मना कर सकते हैं कि, उनके पास कम प्रशिक्षित जनशक्ति है, चाहे सैद्धान्तिक रूप से सभी विशेष विद्यालयों को ऐसी स्थितियों को संभालने के लिए आवश्यक अवसरचना से सुसज्जित होना चाहिए। फिर भी, विशेष विद्यालय बच्चों को घर पर आधारित कार्यक्रमों में भर्ती कर सकते हैं जिसमें माता-पिता को बच्चे को घर पर ही प्रशिक्षित करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है।

यदि आपके क्षेत्र में आपके बच्चे को भर्ती करने वाले विद्यालय नहीं हैं तो सबसे अच्छा विकल्प है घर पर आधारित कार्यक्रम का अनुसरण करना। इस बारे में चाईल्ड गाइडेन्स क्लीनिक भी आप की मदद कर सकते हैं।

158. मेरी बच्ची 4 वर्ष की है। अभी तक मैं ही उसे खाना खिलाती हूँ क्योंकि, वह स्वयं खाने में असमर्थ है। क्या यह सम्भव है कि, वह कभी स्वयं खाना खा सकेगी ?

अधिकांश मानसिक मंद व्यक्ति अपने आप खाना ; खाना सीख सकते हैं, फिर भी कुछ तत्व बाधा उत्पन्न कर सकते हैं और मानसिक मंद व्यक्तियों में खाने के कौशल - सीखने में और ग्रहण करने में कठिनाई अथवा विलंब पैदा कर सकते हैं। वे हैं :-

- गामक अथवा तत्रिकीय विकलांगता,
- मुँह के भाग/रास्ते (छिद्र) और पेशी विन्यास में सरचनात्मक विकार,
- ध्यान संबंधी समस्यायें,
- अत्यधिक विनाशकारी व्यवहार,
- विशेष आहार - संबंधी आवश्यकतायें,
- संवेदनात्मक त्रृटियाँ,
- अपर्याप्त अधिगम वातावरण जैसे कि, अत्थधिक संरक्षण ;

- अभिभावकों की निर्लिपि और अपर्याप्त प्रशिक्षण संरक्षण बच्चे को विलंब या खाने के अपूर्ण कौशलों की ओर अग्रसर कर सकते हैं।

गत्यात्मक एवं तत्त्रिकीथ विकलांगता वाले मानसिक मंद बच्चों के लिए सहायता उपकरणों का प्रयोग किया जा सकता है। खाने के कौशल में आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रयुक्त सहायक उपकरणों के चयन में व्यवसायिक चिकित्सक एवं विशेष अध्यापक अभिभावकों का मार्गदर्शन कर सकते हैं।

159. सामान्यतः अभिभावक अपने मानसिक मंद बच्चे को खाना खिलाते समय किन-किन समस्याओं का सामना करते हैं ?

मानसिक मंद बच्चों में खाना खिलाने की समस्याये कुछ शारीरिक अवस्थाओं अथवा अपर्याप्त अधिगम वातावरण के कारण होती है। माता-पिता को शारीरिक अवस्थाओं के कारण जिन जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है वे हैं :

- सिर और धड़ के नियन्त्रण की कमी,
- बैठने में संतुलन की कमी
- हाथ को मुँह तक लाने में कठिनाई,
- आँख और हाथ के बीच का कमज़ोर सामजस्य

बच्चे की इन कठिनाईयों को दूर करने के लिए उचित यही होगा कि, व्यवसायिक चिकित्सक अथवा एक प्रशिक्षित विशेष अध्यापक से परामर्श लें।

अपर्याप्त अधिगम वातावरण के कारण होने वाली भोजन करने की कठिनाईयाँ निम्नलिखित हैं :

- खाने में बहुत ज्यादा समय लगाना,
- खाते समय विनाशकारी व्यवहार करना,
- भोजन गिराना,

- भूख का संकेत न देना,
- खाने योग्य और न खाने योग्य वस्तुओं में भेद न कर पाना,
- खाना चुराना,

बच्चे को स्वयं भोजन करने के कौशल और खाना खाने के समय सही व्यवहार सिखाने में मदद करने के लिए किसी नैदानिक मनोवैज्ञानिक अथवा प्रशिक्षित विशेष शिक्षक से सहायता लेना उचित होगा ।

160. मेरा सात वर्षीय बच्चा खाना खाने में बहुत समय लगाता है । क्या यह उचित होगा कि, उसे परिवार के बाकी सदस्यों से पहले खाना खिला दिया जाए ?

यह आवश्यक है कि, मानसिक मद बच्चा परिवार के अन्य सदस्यों के साथ ही खाना खाए । खाने के समय परिवार के एकत्रित होने का सबसे अच्छा अवसर होता है जहाँ सामान्यतः विकलांगता का विचार किए विना, बच्चे बड़ों के व्यवहार का अवलोकन करके खाने की अच्छी आदते सीखते हैं । इसके अलावा माता-पिता बच्चों और परिवार के अन्य सदस्यों के बीच अत्यन्त अनुकूल अधिगम और साझेदारी हो सकती है मगर यह माता-पिता पर निर्भर करता है कि, वे इस समय का किस प्रकार उपयोग करते हैं । मानसिक मद व्यक्ति ऐसी स्थितियों से लाभान्वित होते हैं अतः उन्हें परिवार के भोजन के समय सम्मिलित किया जाना चाहिए । यदि मानसिक मद बच्चा खाने में बहुत समय लगाता है तो कारणों का पता लगा कर इस का प्रबंध करना चाहिए । एक नैदानिक मनोवैज्ञानिक अथवा प्रशिक्षित विशेष अध्यापक से सहायता के लिए परामर्श लिया जा सकता है ।

161. अभिभावकों को अपने मानसिक मद बच्चे के दाँत साफ करने में किस प्रकार की समस्यायें होती हैं ?

अभिभावकों को अपने मानसिक मद बच्चों के दाँत साफ करने में निम्न लिखित समस्याओं का सामना करना पड़ता है ।



उचित प्रशिक्षण द्वारा, मानसिक मंद व्यक्तियों को आत्म अवधान
के कोशल सिखाए जा सकते हैं।

- थूकने में कठिनाई
- पेस्ट निगल लेने की आदत,
- ब्रश पकड़ने के लिए अंगुलियों में सामजस्य की कमी,
- दातों के पीछे तक ब्रश ले जाने में असमर्थता,
- पहल करने की कमी, अथवा दात साफ करने से इन्कार करना,
- चाहे बच्चे को ब्रश करना आता हो, फिर भी, वह दूसरों से दात साफ कराने का आग्रह करता है।

बच्चे को ब्रश करने के कौशल सिखाने के लिए और दात साफ करते समय होने वाली समस्याओं को काबू करने के लिए नैदानिक मनोवैज्ञानिक अथवा प्रशिक्षित विशेष अध्यापक की सहायता लेना उपयुक्त होगा।

162. मानसिक मंद व्यक्तियों के लिए मसूड़ों और मुँह की सफाई कितनी आवश्यक है?

विकलागता का विचार किए बिना, स्वस्थ दात और मसूड़े और मुख की सफाई व्यक्ति के पूर्ण स्वास्थ्य एवं हित के लिए आवश्यक है। ये खाना खिलाने में सुधार लाने के लिए, वाक् विकास में सहायता करने के लिए, आकर्षक रूप के लिए और बदबू की रोकथाम करके सामाजिक स्वीकार्यता बढ़ाने के लिए आवश्यक होता है।

163. क्या मानसिक मंद बच्चों में दातों व मसूड़ों के रोग अधिक होते हैं?

मानसिक मंद बच्चों में मुँह की पूरी सफाई न होने के कारण मसूड़ों के रोग अधिक होते हैं। विशेष रूप से डाऊन सिन्ड्रोम बच्चों में मसूड़ों के रोग सबसे अधिक होते हैं, जींचे के अगले दात गंभीर रूप से प्रभावित होकर जीवन के आरंभिक वर्षों में ही टूट जाते हैं जिससे खाने की व सौन्दर्य की समस्यायें बढ़ जाती हैं। इसके अलावा मानसिक मंद व्यक्तियों को मसूड़ों के रोग निम्न कारणों से हो सकते हैं।

- मुँह और जीभ का नियंत्रण कम होने के कारण भोजन मसूड़ों और दातों में चिपक जाता है और वे जीभ को प्राकृतिक रूप से हिलाकर इसे साफ करने में भी असमर्थ होते हैं ।
- विकलाग बच्चों को नरम व चिपचिपा भोजन खिलाया जाता है जिसके कारण मसूड़े नरम, कमज़ोर और अस्वस्थ हो जाते हैं ।
- दाँत किटकिटाना (पीसना), जिससे दाँत खराब हो जाते हैं ।
- मिरगी की दवाओं से भी मसूड़े अस्वस्थ अथवा सूज जाते हैं ।
- कभी-कभी मानसिक मंद बच्चों को अधिक मीठा देकर बिगाड़ दिया जाता है जिससे दाँत सड़ जाते हैं ।

164. क्या मानसिक मंद बच्चे को मुह की सफाई का प्रशिक्षण दिया जा सकता है ?

उचित प्रशिक्षण देकर मानसिक मंद बच्चे को मुह की सफाई में आत्मनिर्भर बनाना सभव है । परन्तु अत्यधिक और गभीर मानसिक मंद बच्चों को माता-पिता/सरक्षकों से आजीवन सहारे की आवश्यकता होती है । इसके संदर्भ में कुछ मार्गदर्शी सिद्धान्त हैं जिनका अनुकरण किया जा सकता है ।

- प्रतिदिन दाँत साफ करना ।
- भोजन करने के बाद दात साफ करना या कुल्ला करना ।
- बच्चे के मसूड़ों और दातों के अनुसार सही दूध ब्रश का चयन करना ।
- दाँत साफ करने के लिए सही तरीका अपनाना सामान्यतः दाँत साफ करते समय गोलाकार विधि का प्रयोग करना चाहिए इससे दाँत के एनमिल का नुकसान कम होता है ।
- दाँत का रोग होने पर शीघ्र ही दातों के डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए ।

165. मानसिक मंद बच्चों को नहलाते समय माता-पिता को सामान्यतः किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है ?

मानसिक मंद बच्चे को नहलाते समय सामान्यतः माता-पिता को निम्न लिखित कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है ।

- समय पर नियमित स्नान करने के उपक्रम में कमी,
- हाथों में सामंजस्य की कमी,
- अभिभावक/सरक्षक द्वारा बच्चे को नहलाना अधिक पसंद करना बजाए इसके कि, बच्चे को स्वयं नहाने देना,
- पूरे शरीर पर साबुन लगाने, मलने और धोने में असमर्थता,
- पानी, साबुन का अधिक प्रयोग करना, स्नानघर से बाहर न निकलना, नहाने में बहुत समय लगाना ।

166. क्या मानसिक मंद बच्चों को अपने आप नहाने का प्रशिक्षण दिया जा सकता है ?

उचित प्रशिक्षण अवसर एवं अनुभव प्रदान करने से मानसिक मंद बच्चे को अपने आप नहाने के कौशल में निपुण किया जा सकता है । मानसिक मंद बच्चे को इस कौशल में आत्मनिर्भर होने की संभावना बढ़ जाती है यदि बच्चे में :-

- अनुदेशों का पालन करने का सामर्थ्य है,
- हाथ और आँख का उचित सामंजस्य है जिससे वह तेल साबुन लगा सके, पानी डाल सके और शरीर का प्रत्येक अंग पोछ सके ।

167. किस आयु तक मानसिक मंद लड़कियाँ यौन रूप से परिपक्व हो जाती हैं ?

मानसिक मंद लड़कियों में यौन परिपक्वता उसी आयु में होती है जिसमें कि, बौद्धिक रूप से सामान्य लड़कियों में यानि कि, 12 से 16 वर्ष की आयु के बीच ।

168. क्या मानसिक मंद लड़कियाँ अपने मासिक धर्म की साफ सफाई करने के लिए प्रशिक्षित की जा सकती हैं ?

जब मानसिक मंद लड़कियों में पहली बार मासिक स्राव होता है तो यह अत्यावश्यक है कि, उन्हें मासिक धर्म की साफ सफाई के लिए प्रशिक्षित किया जाए। उनके अद्योवस्त्रों में सही अनुकूलताओं का प्रयोग करना चाहिए जिससे उन्हें आत्म-निर्भर होने में सहायता मिले। मानसिक मंद लड़कियाँ कहाँ तक अपने मासिक-धर्म की साफ सफाई व देखभाल करने में आत्मनिर्भर हो सकती हैं यह बहुत कुछ उनकी बौद्धिक योग्यताओं पर, प्रशिक्षण के लिए प्रदान किए गए अवसरों पर और संबंधित समस्याओं का होने या न होने पर निर्भर करता है।

169. परिवार में कौन व्यक्ति मानसिक मंद व्यक्तिओं को दैनिक क्रिया-कलापों में प्रशिक्षण देने में सम्मिलित किए जाने चाहिए ?

मानसिक मंद बच्चे की देखभाल परिवार के सदस्यों पर एक अतिरिक्त बोझ है यदि परिवार के सभी सदस्य बच्चों के प्रशिक्षण एवं पुनर्वास में योगदान दें तो यह बोझ कम हो जाएगा। अतः उचित यही होगा कि, परिवार के सभी सदस्य बच्चे के दैनिक क्रियाकलापों में प्रशिक्षण करने में सम्मिलित हों। जहाँ तक संभव हो मानसिक मंद बच्चों को शौच, स्नान, कपड़े पहनने अथवा मासिक धर्म की देखरेख करने में प्रशिक्षण देते समय गोपनीयता बनाए रखने के लिए परिवार के समान लिंग वाले सदस्य/सरक्षक का सम्मिलित होना उचित होगा।

170. मैं सत्रह वर्षीय मानसिक मंद लड़के की माँ हूँ और उसे मैं ही नहलाती हूँ मुझे बहुत शर्म आती है। आपके विचार से मुझे क्या करना चाहिए ?

उचित यही होगा कि, आप एक पुरुष सदस्य को ले जो बच्चों को स्नान कराने में उसकी सहायता कर सके। उपयुक्त प्रशिक्षण-कार्यक्रम द्वारा मानसिक मंद व्यक्तियों को अपनी देखभाल स्वयं करना सिखाया जा सकता है। एक प्रशिक्षित अध्यापक आपको प्रशिक्षण दे सकता है और

संबंधित व्यक्ति आपके मानसिक मंद बच्चे को नहाने के कौशल सिखा सकता है।

171. मेरा बेटा चालीस वर्ष का है अभी तक अपनी मूल आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता। आप क्या सलाह देते हैं?

उचित उपचार प्रशिक्षण द्वारा, अधिकांश मानसिक मंद व्यक्ति, फिर भी, कुछ मूल आत्मअवधान कौशल सीख सकते हैं। यह भी आवश्यक है कि, अभिभावक अपने मानसिक मंद बच्चे को आरंभिक वर्षों में ही प्रशिक्षित करने के लिए किसी विशेषज्ञ की सहायता ले ताकि, वह बेहतर रूप से सीख सके।

किसी प्रशिक्षित विशेष अध्यापक से सहायता ले अथवा अभिभावक-प्रशिक्षण-कार्यक्रमों में भाग ले जिससे आपको अपने बच्चे को आत्म-अवधान आवश्यकताओं की पूर्ति में प्रशिक्षित करने में नेपुण्य प्राप्त हो।

शैक्षिक योग्यता

मानसिक मंद व्यक्ति के स्तर के अनुसार शैक्षिक कौशलों का पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है। अधिकांश मामलों में मानसिक मंद बच्चों को शैक्षिक प्रशिक्षण देने का तात्पर्य होता है, क्रियात्मक शिक्षा देना (जो उन्हें जीने के लिए कौशलों का प्रशिक्षण देती है)। अधिकांश मामलों में उन्हें पैसों का सही हिसाब-किताब रखना, अपने आप विनियम करना, और छोटा-मोटा व्यापारिक लेन देन कर पाना, जैसे कि खरीदारी, बैंक का लेन-देन, डाक घर आदि का प्रशिक्षण देना ही उद्देश्य होता है जिससे वे वयस्क जीवन के उत्तरदायित्वों के लिए तैयार हो सकें। अतः यह आवश्यक है कि, उन्हें न केवल समय का ज्ञान रहे बल्कि, वक्त की पाबंदी एवं अन्य कार्य सबधी व्यवहारों का भी ध्यान रहे। प्रायः अभिभावक यह प्रश्न पूछते हैं कि, उनके मानसिक मंद बच्चे को क्या प्रशिक्षण दिया जा सकता है और बच्चे के लिए किन कौशलों का सीखना आवश्यक है। इस भाग में शैक्षिकता सबधी प्रश्नों को लिया गया है।

क्या तुम जानती हो कि, रसेश अब 50 तक गिन सकता है ।

रमेश, क्या तुम मुझे सब्ज़ी और दही डालने के लिए दो चम्मच दोगे । मैं दो चम्मच लाना भूल गई ।



अगले दिन

ऐसा क्यों होता है कि, मेरा बच्चा 50 तक गिनती गिन सकता है मगर दो चम्मच ठीक से नहीं ला सकता ।

इसमें दो प्रकार की स्थितियाँ सम्भिलित हैं रटन गिनती और अर्थपूर्ण गिनती । आपके बच्चे को अभी अर्थपूर्ण गिनती सीखनी है ।



172. मानसिक मंद व्यक्तियों को शिक्षा के अंतर्गत क्या सिखाया जाता है ?

मानसिक मंद व्यक्तियों के लिए पारपरिक शैक्षिक कार्यक्रमों में शैक्षिक कौशलों पर अधिक जोर दिया जाता है। शैक्षिक कुशलता के अंतर्गत पढ़ना, लिखना, गणित, समय का ध्यान रखना और पैसों का हिसाब रखना आदि होता है जो बच्चे शिक्षा के लिए तैयार नहीं होते उन्हें आवश्यक बाते सिखाई जाती हैं जैसे कि, रंगों एवं आकार की पहचान, चित्रों का मिलान करना इत्यादि ।

173. मानसिक मंद बच्चों को कौन शिक्षा देता है ?

विशेष अध्यापक जो विशेष शिक्षा में प्रशिक्षित हैं, शैक्षिक कौशलों में प्रशिक्षण देते हैं। किसी संस्थान या विशेष विद्यालय की आवश्यकताओं और स्रोतों के अनुसार शिक्षकों एवं शैक्षिक मनोवैज्ञानिकों को भी सम्मिलित कर लिया जाता है ।

174. मानसिक मंद व्यक्तियों का शैक्षिक प्रशिक्षण कब आरंभ किया जाता है ?

मानसिक मंद व्यक्ति भी विकास की उन्हीं अवस्थाओं से गुज़रते हैं जिनसे उनके अविकलांग साथी, लेकिन कुछ धीमी गति से। सामान्यतः अल्प मानसिक मंद व्यक्तियों का शैक्षिक प्रशिक्षण 5-6 वर्ष की आयु से आरंभ होता है, जब बच्चा विशेष विद्यालय में भर्ती किया जाता है। परन्तु शिक्षा - पूर्व का प्रशिक्षण जल्दी आरंभ किया जा सकता है। मध्यम और अत्यधिक मानसिक मंद व्यक्तियों के बौद्धिक एवं सामाजिक क्रिया-कलाप विद्यालय जाने की आयु से पहले ही दिखाई दे जाते हैं। अधिक स्पष्ट करने के लिए यह कहा जा सकता है कि, 5-6 वर्ष की आयु तक अत्यधिक एवं मध्यम मानसिक मंद व्यक्ति मूल आत्म-अवधान आवश्यकताओं जैसे कि, शौच, भोजन अथवा कपड़े पहनना आदि की

पूर्ति नहीं कर पाते । अतः उन्हें "अपनी सहायता आप" से संबंधित प्रशिक्षण देने पर प्राथमिकता दी जाती है और उन्हें शिक्षा से पूर्व सामाजिक कौशल और यदि आवश्यकता पड़े तो गामक-कौशल भी प्रदान किए जा सकते हैं ।

175. मानसिक मंद व्यक्ति शिक्षण से कितना सीख सकता है ?

अधिकांश मानसिक मंद बच्चे मूल-शिक्षण के अनुदेशों से लाभान्वित होते हैं । अधिगम की गति भिन्न-भिन्न होने के कारण मानसिक मंद व्यक्तियों में शिक्षण उपलब्धि भिन्न-भिन्न स्तर की होती है ।

लंचित एवं सुव्यवस्थित प्रशिक्षण के साथ अल्प मानसिक मंद व्यक्ति पाँचवीं या छठी कक्षा तक उत्तीर्ण हो सकते हैं । परन्तु अल्प मानसिक मंद बच्चों में पढ़ने के और समझने के कौशल बहुत क्षीण होते हैं । मध्यम से अत्यधिक मानसिक मंद व्यक्ति कम से कम सरक्षात्मक शब्दावली जैसे 'खतरा' 'ठहरो' आदि अपना नाम और समाज में आमतौर से प्रयोग होने वाले अन्य साधारण शब्द पढ़ना सीख सकते हैं ।

176. मानसिक मंद व्यक्ति सीखने के लिए अधिक प्रयत्न नहीं करते अतः उनकी बैद्धिक क्षमतायें अविकलाग बच्चों के मुकाबले कम होती हैं । वह कहाँ तक सत्य हैं ?

मानसिक मंद बच्चों की बैद्धिक क्षमतायें अविकलाग बच्चों के मुकाबले कम होती हैं । जितनी गंभीर विकलागता होगी उतनी ही कम बुद्धि होगी और फलस्वरूप उतनी ही अधिगम कठिनाईयाँ अधिक होगी । मानसिक मंद बच्चों में अधिगम तथा स्मरण क्रिया कम होने के कई कारण हैं जैसे :-

- संबद्ध अधिगम घटना में ध्यान केन्द्रित कर पाने की क्षमता कम होना,
- एक स्थिति से दूसरी स्थिति में अधिगम अंतरित करने की क्षमता कम होना,

- आकस्मिक अधिगम से लाभान्वित होने की क्षमता कम होना,
- केन्द्रीय तत्रिकीय संकाय (सैन्ट्रल नर्वस-सिस्टम) का कम विकसित होना ।

177. क्या मानसिक मंद व्यक्तियों का शिक्षण सामान्य व्यक्तियों जैसा ही होता है ?

मानसिक मंद व्यक्तियों को अधिगम समस्याये होती है जैसे कि, एक स्थिति से दूसरी स्थिति में अथवा व्यक्तियों और स्थानों आदि में अधिगम अंतरित करने की क्षमता कम होती है । अतः उनके शिक्षण के लिए विशेष पद्धतियाँ प्रयुक्त की जाती हैं । उनके अनुदेश कार्यक्रमों में ऐसी क्रियायें सम्मिलित की जाती हैं में जो उन्हें दैनिक-जीवन में तुरन्त प्रयोग होने वाले कौशल सिखाने में सहायता कर सकें और उन्हें जहाँ तक हो सकें प्राकृतिक बातावरण में आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर कर सकें ।

178. क्रियात्मक शिक्षण से क्या अभिप्राय है ?

क्रियात्मक शिक्षण में पढ़ना, लिखना और गणित के कौशल सिखाये जाते हैं, जो, दैनिक जीवन चर्चा में आवश्यक होते हैं । इन योग्यताओं को बहुत लोग 'अति जीविता कौशलो' के नाम से जानते हैं । बहुत लोगों के लिए यह कौशल अन्य कौशलों के मुकाबले साधारण लग सकते हैं जैसे कि, साधारण सी खरीदारी के बाद हिसाब-किताब करना या किसी अपरिचित परिस्थिति में शौचालय के संकेत पढ़ना । वे जटिल भी हो सकते हैं जैसे-चैक काटना, या खरीदारी करना । क्योंकि, मानसिक विकलांग बच्चे सामान्यीकरण करने और कक्षा अधिगम स्थिति से दैनिक स्थितियों में अंतरित करने में असमर्थ होते हैं, क्रियात्मक प्रशिक्षण उनके लिए अति आवश्यक है । इससे उन्हें समुदाय में जीने के लिए मूल कौशल सीखने में सहायता मिलती है ।

179. क्या मानसिक मंद विद्यार्थियों को पढ़ना सिखाया जा सकता है?

अर्थपूर्ण पढ़ने में जो पढ़ा जाता है उसे समझना भी होता है। मानसिक मंद बच्चों को उनकी विकलांगता की गंभीरता के अनुसार अर्थपूर्ण पढ़ना सिखाया जा सकता है। व्यवस्थित प्रशिक्षण द्वारा मानसिक विकलांग व्यक्ति ऐसी पुस्तके पढ़ना सीख सकते हैं जिसके लिए 4-6 कक्षा तक के कौशलों की आवश्यकता होती है। मध्यम विकलांग व्यक्तियों से अत्यधिक मानसिक मंद व्यक्ति अत्यधिक अधिगम अभावों के कारण कम-से-कम संरक्षात्मक शब्द, जैसे कि, 'खतरा' 'ठहरो' आदि 'अपने नाम' और समुदाय में दैनिक जीवन चर्चा में प्रयोग होने वाले अन्य शब्दों को पढ़ना सीख सकते हैं।

180. क्या मानसिक मंद विद्यार्थियों को पढ़ना सीखने से पहले किसी प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है?

मानसिक विकलांग बच्चे को पढ़ाने से पहले पठन-पूर्व कौशल का प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक है। पठन-पूर्व प्रशिक्षण में निम्न लिखित बातें सम्मिलित हैं।

- समझ-बूझ सिखाना, जैसे-बोले हुए शब्द से संबंधित चित्र ढूँढ़ना।
- दृश्यों में अंतर सिखाना, जैसे कि बच्चे का वस्तुओं और चित्रों की तुलना करना।
- आवाजों में अंतर सिखाना जैसे कि, बच्चा बताता है कि, शब्दों की आवाज एक जैसी है या नहीं।
- दृष्टि अथवा संवेदी यंत्रावली को सही करना।

181. पढ़ने के कौशल के अंतर्गत क्या-क्या सिखाया जाता है?

मानसिक मंद व्यक्तियों के अन्य कार्यक्रमों की तरह पठन कार्यक्रम का

उद्देश्य दैनिक क्रिया - कलापो, अवकाश क्रियाओं और व्यावसायिक तैयारी आदि से सीधे संबंधित होते हैं। एक क्रियात्मक पठन कार्यक्रम, संरक्षण एवं ज्ञान के लिए पढ़ने पर केन्द्रित होता है। संरक्षण पठन कार्यक्रम द्वारा विद्यार्थी भवन सकेत, गलियों के सकेत और बातावरण के अन्य सामान्य सुरक्षा शब्द पढ़ने के योग्य हो जाता है। ज्ञान पठन कार्यक्रम द्वारा मानसिक मंद व्यक्तियों को व्यावसायिक नेपुण्य से संबंधित क्रियात्मक कौशल जैसे-(आवेदन-पत्र भरना, वगीकृत रोज़गार पढ़ना इत्यादि) टेलिफोन डायरेक्टरी, नक्षों का प्रयोग करना, समाचार पत्र पढ़ना आदि सिखाये जाते हैं।

क्योंकि, कोई भी दो मानसिक मंद व्यक्ति एक समान नहीं होते इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि, पठन कार्यक्रम प्रत्येक बच्चे की आवश्यकताओं एवं योग्यताओं के अनुसार बनाया जाए।

182. क्या मानसिक मंद व्यक्तियों को गणित सिखाने से पहले कुछ प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है ?

मानसिक मंद व्यक्ति को गणित सिखाने से पहले प्रशिक्षण की आवश्यकता हो सकती है। गणित से पहले सीखे जाने वाले कौशल हैं।

- बच्चे को परिमाण के मूल संप्रत्यय की समझ होनी चाहिए जैसे कि, अधिक, कम, बड़ा, छोटा आदि।
- बच्चे को लेबल के मूल संप्रत्यय की समझ होनी चाहिए जैसे कि, रटन गिनती आदि।
- बच्चों को माप के मूल संप्रत्यय की समझ होनी चाहिए जैसे कि, भारी, हल्का आदि)
- बच्चे को परिमाण से संबंधित मूल सकेतों की समझ होनी चाहिए जैसे 1,2,3 आदि।

183. गणित कौशलों में क्या सम्मिलित किया जाता है ?

मानसिक मद व्यक्तियों को गणित कौशलों में प्रशिक्षण देने के उद्देश्य के दो पहलू हैं। प्रथम चरण में बच्चों को गणित की मूल सक्रियायें जैसे कि, जमा, घटा, भाग, गुणा करना सिखाया जाता है। दूसरे में गणित के इन कौशलों को प्रतिदिन की समस्याओं में दैनिक-क्रियाओं और कार्य स्थान में अतिजीविता का उपकरण की भाँति लागू करने का प्रशिक्षण दिया जाता है।

मूल गणित सक्रियायें जैसे कि, भाग, जमा, घटा, गुणा, पैसे का प्रयोग, समय बताना और परिमाण, गणित प्रशिक्षण कार्यक्रम की मुख्य विषय सूची है।

184. मेरा बच्चा एक से सौ तक गिनती गिन सकता है लोकिन कमरे में बैठे पाँच व्यक्ति नहीं गिन सकता, ऐसा क्यों है ?

मानसिक मद बच्चों में यह बड़ी आम समस्या है। मानसिक मद बच्चे ज्ञान को नए कार्यों अथवा स्थितियों को प्रभावशाली रूप से अतरित करने में असमर्थ होते हैं। अतः चाहे बच्चों ने एक से सौ तक गिनती रट ली हो फिर भी, वह अर्थपूर्ण ढंग से पाँच तक भी नहीं गिन सकता। अर्थपूर्ण गिनती ही बच्चे को सीखने के लिए आवश्यक होती है। एक प्रशिक्षित विशेष अध्यापक से सलाह लेनी चाहिए।

185. मेरा बच्चा, कहने पर, दुकान से सामान ला सकता है मगर बाकी बचे ऐसे ठीक से नहीं ला पाता। क्या उसे इस कौशल में प्रशिक्षित किया जा सकता है ?

उचित प्रशिक्षण अवसर-एवं अनुभवों के साथ मानसिक मद बच्चा घर में विद्यालय में अपनी क्षमताओं के अनुसार सबसे अच्छा सीख सकता

है और कर सकता है। यद्यपि, कुछ बच्चे, अपनी बौद्धिक विकलांगता के अंश के अनुसार, पैसे के लेन-देन के कौशल में कुछ हद तक सीमित रहते हैं फिर भी, यह आवश्यक है कि, मानसिक मंद व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न तरीकों को दूढ़ा जाए।

चाहे मानसिक मंद बच्चे को पैसे का लेन-देन सिखा पाने की सीमा कुछ आवश्यक कौशलों पर निर्भर करती है जैसे कि, सिक्के पहचानना और प्रारंभिक जोड़ना/घटाना कर पाना, यह कौशल उच्च शिक्षण कौशल सिखाए बिना भी सिखाये जा सकते हैं। 'उदाहरण' के लिए खरीदारी करते समय अभिकलनात्मक कौशल के बंदले पॉकेट कैल्कुलेटर का प्रयोग किया जा सकता है अथवा एक विद्यार्थी बस का सही किराया देना सीख सकता है। यदि वह सही सिक्कों की पहचान कर ले या मासिक बस पास बनवा ले। आगे के मार्गदर्शन के लिए एक प्रशिक्षित विशेष अध्यापिका से परामर्श किया जा सकता है।

186. मेरा बच्चा समय नहीं बतला सकता। क्या उसे इसमें प्रशिक्षण दिया जा सकता है?

मानसिक मंद बच्चा किस हद तक समय बतला सकता है यह निर्भर करता है उसकी विकलांगता की प्रकृति एवं गंभीरता पर, प्रशिक्षण की मात्रा और प्रकृति पर, सीखने के लिए उसे दिए गए अवसरों पर, इसके अलावा कुछ कौशल जो उसे समय बनाने में सहायता करेंगे वे हैं :

- अर्थपूर्ण ढंग से एक से साठ तक गिनती गिनना, (अंकीय अर्थात् डिजिटल घड़ियों को शामिल करने के लिए)
- अर्थपूर्ण ढंग से एक से साठ तक संख्या पढ़ पाना,
- अर्थपूर्ण ढंग से पाँच के गुणांक पचपन तक गिन पाना।

अधिक मार्गदर्शन के लिए एक प्रशिक्षित विशेष अध्यापक से परामर्श प्राप्त करना चाहिए ।

187. क्या मानसिक मंद व्यक्तियों को लिखना सीखने से पहले किसी प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है ?

मानसिक मंद बच्चे को लिखना सीखने से पहले कुछ (प्री-राइटिंग) कौशलों में प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है । मुख्य (प्री-राइटिंग) कौशल है :

- ऊँख - हाथ का पर्याप्त सामंजस्य
- स्थूल गामक (बड़ी मांसपेशियाँ) और सूक्ष्म गामक (अंगुली, छोटी मांसपेशियाँ) का सामंजस्य
- मूल सप्रत्ययों का ज्ञान जैसे ऊपर - नीचे, दाये-बाये आदि ।

188. लेखन कौशलों के अंतर्गत क्या - क्या सिखाया जाता है ?

लेखन कौशल सीखना मुख्यतः बौद्धिक योग्यताओं पर निर्भर करता है । मानसिक मंद व्यक्तियों के लेखन कौशल में इस प्रकार के कौशल सीखने पर महत्व दिया जाता है जो उन्हें उनके दैनिक जीवन में और कार्य स्थल में सहायता करे । इसमें नामव पता लिखना, चैक भरना, नौकरी के लिए आवेदन पत्र लिखना, मित्र को पत्र लिखना, अवकाश पत्र लिखना, आदि सम्मिलित किया जाता है ।

189. सप्रत्यय प्रशिक्षण में क्या सिखाया जाता है ?

सप्रत्यय प्रशिक्षण में तुलना करने एवं छाटने के कौशल सम्मिलित किए जाते हैं जैसे कि, रंग आकार लिंग एवं आकृति । सप्रत्यय प्रशिक्षण का उद्देश्य सामान्यत : क्रियात्मक होता है जिससे मानसिक मंद बच्चा अपने दैनिक जीवन में उनका प्रयोग करने में समर्थ हो ।



क्रियात्मक शिक्षण दैनिक क्रियाओं से सीधे संबंधित होना चाहिए

190. मेरा बच्चा टेलीविज़न पर देखी गई फ़िल्म की कहानी याद रख सकता है मगर पहाड़े याद करने में कठिनाई महसूस करता है, ऐसा क्यों ?

उपर्युक्त अधिगम स्थितियों में दो भिन्न-भिन्न प्रकार के सप्रत्यय हैं । टी.वी. पर देखी गई फ़िल्म एक ठोस और अर्थपूर्ण सप्रत्यय है जब कि पहाड़े याद करना एक अमूर्त काल्पनिक सप्रत्यय है । मानसिक मंद बच्चे ठोस एवं अर्थपूर्ण सप्रत्यय अमूर्त सप्रत्यय के मुकाबले कहीं अच्छी प्रकार समझ सकते हैं क्योंकि, इसे वे सीधे देख सकते हैं और स्थिति का अनुभव कर सकते हैं जबकि, अमूर्त सप्रत्ययों में कल्पना शक्ति एवं उच्च बौद्धिक क्रियाओं का प्रयोग होता है जिसकी इनमें कमी होती है ।

191. जब कभी हम अपने बच्चे को पढ़ना या लिखना सिखाने बैठते हैं वह रोने त्वग जाता है या पुस्तके फाड़ देता है । उसका सहयोग प्राप्त करना बहुत कठिन है । क्या इसके लिए कुछ किया जा सकता है ?

जैसे ही आप बच्चे को पढ़ने या लिखने के लिए कहते हैं तो वह रोने लगता है या पुस्तके फाड़ने लगता है, इसके कई कारण इसके बाहरी विश्लेषण में रोने या पुस्तके फाड़ने की समस्या एक जैसी हो । व्यवहार प्रबंध कार्यक्रम बताने से पहले एक पूर्ण रूप से क्रियात्मक अथवा व्यवहार विश्लेषण की आवश्यकता है । फिर भी, निम्न संभावनाओं में से एक या अधिक विद्यमान हो सकती है ।

- आप बच्चे को जो सिखाना चाहते हैं बच्चा उसमें रुचि नहीं रखता,
- हो सकता है कि, बच्चे के लिए कार्य या तो अत्यन्त कठिन है या फिर अत्यन्त सरल ।

- बच्चे को पढ़ाने के लिए भौतिक वातावरण उचित न हो यानि कि, बहुत शोर वाला हो या भीड़ वाला हो ।
- शायद बच्चे ने यह सीख लिया हो कि, रोकर या पुस्तकें फाड़कर काम से बच सकते हैं क्योंकि, कभी-कभी या आम तौर से आप उसे रोने या पुस्तकें फाड़ने के व्यवहार के बाद काम बन्द करने की अनुमति दे देती हैं ।
- बच्चे को खेलना पसन्द है या अपनी रुचि की ओजे करना पसन्द है जो वह कभी-कभी या सामान्यतः रोने या पुस्तकें फाड़ने के बाद करता है ।
- आपका पढ़ाने का ढंग उचित न हो जैसे कि, बच्चे पर अत्यधिक दबाव डालना, या पढ़ते समय उसे उचित मार्गदर्शन या पुरस्कार न करने के लिए परामर्श प्राप्त किया जा सकता है ।

व्यावहारिक तकनीकों में प्रशिक्षित नैदानिक मनोवैज्ञानिक अथवा विशेष अध्यापक द्वारा इन समस्याओं के प्रबंध के लिए और आगे विश्लेषण करने के लिए परामर्श प्राप्त किया जा सकता है ।

NOTES

अवकाश

प्रायः मानसिक मद व्यक्तियों में अपना खाली समय सक्रिय रूप से अथवा सृजनात्मक रूप से बिताने के आवश्यक कौशल नहीं होते। वे एक दिन में अपेक्षाकृत बहुत कम समय के लिए शैक्षिक कार्यक्रमों में भाग लेते हैं फिर बाकी के समय में कुछ करने को नहीं होता। इसलिए यह अनाधिकृत समय मानसिक मद व्यक्ति के जीवन में एक महत्वपूर्ण भाग बन जाता है। इस अनाधिकृत समय में मानसिक मद व्यक्ति कई अनुचित एवं समस्यापूर्ण क्रियाओं की ओर आकर्षित हो जाता है। मानसिक मद व्यक्तियों को रचनात्मक एवं लाभदायक क्रियाओं में प्रशिक्षित करने की आवश्यकता होती है। जिससे उन्हें अपना अवकाश का समय सही ढंग से बिताने में सहायता मिल सके। इस भाग में मानसिक मंद व्यक्तियों के अवकाश के क्रियाकलापों से संबंधित माता-पिता द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं।



192. "अवकाश" क्या है ? क्या मानसिक मंद बच्चों के लिए अवकाश का समय होना आवश्यक है ?

"अवकाश" शब्द का अर्थ है व्यक्ति का खाली समय, जब भी संभावना हो व्यक्ति अपनी पसंद की क्रियाओं को कर सकता है। अवकाश की क्रियायें अन्य व्यक्तियों के साथ भी हो सकती हैं और अकेले में भी।

मानसिक मंद व्यक्ति के लिए अवकाश एवं मनोरंजन उतना ही आवश्यक है जितना कि, किसी अन्य व्यक्ति के लिए। इसका प्रभाव सकारात्मक और सृजनात्मक होता है और व्यक्ति के संवेगात्मक एवं मनोवैज्ञानिक विकास में योगदान देता है। पारंपरिक रूप से अवकाश कौशल विद्यालय और कार्य से अलग खाली समय से संबंधित है जो मित्रों और परिवारों के साथ आनन्द मनाने के लिए होता है।

193. सामान्य बच्चे अपनी अवकाश क्रियाओं की योजना बना सकते हैं। क्या मानसिक मंद भी ऐसा करने में समर्थ होते हैं ?

अवकाश कौशलों में सुव्यवस्थित अनुदेशों और प्रशिक्षण के बिना मानसिक मंद व्यक्ति अपने अवकाश के समय की उचित रूप से योजना नहीं बना पाते। प्रशिक्षण किस सीमा तक दिया जा सकता है यह विकलांगता की गंभीरता पर निर्भर करता है जैसे कि, अत्यधिक मानसिक मंद व्यक्ति को प्रशिक्षित करने के लिए अल्प मानसिक मंद व्यक्ति से अधिक प्रशिक्षण देने की आवश्यकता होती है।

194. "खाली दिमाग शैतान का घर होता है"। क्या उन्हें प्रशिक्षण क्रियाओं में व्यस्त रखना आवश्यक है ?

मानसिक मंद व्यक्तियों को अपने खाली समय में कैसे आनन्द उठाना है यह सीखने में सहायता करना आवश्यक है। यदि मानसिक मंद बच्चा व्यस्त रहे तो बहुत अच्छा है लेकिन किसी भी प्रकार की उपलब्ध क्रिया

में उन्हें व्यस्त रखना चाहिए, यह ठीक नहीं। चुनी हुई अवकाश क्रिया उस व्यक्ति के पसन्द की होनी चाहिए। सिखाई जाने वाली प्रत्येक क्रिया बच्चे की रुचि एवं आवश्यकताओं के अनुसार होनी चाहिए और बच्चे को सुव्यवस्थित कार्यक्रम बनाकर सिखाना चाहिए।

195. क्या सभी मानसिक मंद व्यक्ति अवकाश क्रियाओं में भाग ले सकते हैं ?

अधिकाश मानसिक मंद व्यक्ति अवकाश क्रिया – कलापो में भाग ले सकते हैं। परन्तु, उनके भाग लेने की सीमा उनकी विकलागता की गंभीरता पर निर्भर करती है। घर में या विद्यालय में उचित प्रशिक्षण, अनुभव और अवसर दिए जाने पर व्यक्ति संतोष और आनंद देने वाली क्रियाओं को सीख सकता है।

196. मानसिक मंद व्यक्तियों को अवकाश क्रिया-कलाप सिखाने का क्या उद्देश्य है ?

मानसिक मंद व्यक्तियों को अवकाश शिक्षा देना अति आवश्यक है क्योंकि, उनके पास बहुत सा खाली समय रहता है। मानसिक मंद व्यक्ति शिक्षा कार्यक्रमों में दिन में थोड़ी सी देर के लिए भाग लेते हैं और दिन के बाकी समय के लिए उनके पास कुछ ऊरजा को नहीं होता। इस खालीपन को भरने के लिए कुछ रचनात्मक क्रियायें प्रस्तुत करनी चाहिए। खेल और अवकाश क्रिया-कलापों को प्रोत्साहन देना चाहिए और सुव्यवस्थित कार्यक्रम तैयार करना चाहिए क्योंकि, खाली समय का उपयोग करना अति आवश्यक है। अवकाश क्रिया-कलापों का उद्देश्य मानसिक मंद व्यक्ति को इस योग्य बनाना है कि, जब कभी खाली समय मिले तो वह स्वयं अथवा अपने पसन्द वाले किसी व्यक्ति के साथ अपनी अभिरुचि के क्रिया – कलाप कर सके और खेल सके। इसके अलावा अवकाश कौशलों के विकास से सामाजिक संज्ञानात्मक, घरेलू, भाषायी एवं गामक कौशलों के विकास को भी प्रोत्साहन मिलता है।

197. मानसिक मंद बच्चे प्रायः किस प्रकार के क्रिया - कलाप पसन्द करते हैं ?

मानसिक मंद बच्चे विभिन्न प्रकार के अवकाश क्रियाकलापों का आनन्द लेते हैं। परन्तु उनके भाग लेने की सीमा उनकी विकलांगता की गभीरता और उन्हें दिए गए प्रशिक्षण, अवसर और अनुभवों पर भी निर्भर करती है।

अवकाश क्रिया - कलाप, दूसरों को खेलता, नृत्य करता, गाता आदि देखने से लेकर वास्तव में व्यक्तिगत रूप से भाग लेने तक विस्तृत हो सकता है। यह किसी पत्रिका में कहानी पढ़ना अथवा गप लगाना भी हो सकता है। यहाँ पर यह समझ लेना आवश्यक है कि, हम अपना खाली समय कैसे बिताना चाहेंगे - यह हमारे अधिगम अनुभवों का ही परिणाम होता है। अधिकांश मानसिक मंद व्यक्तियों के लिए टी.वी., रेडियो सुलभ होते हैं अतः वे उनके साथ ही चिपक जाते हैं। मानसिक मंद व्यक्ति, यदि सही अवसर प्रदान किए जाएं तो, तैरना, घुड़सवारी, विभिन्न साज़ बजाना, चित्रकारी करना, अनुरेखन (स्कैचिंग) करना, घर के अन्दर और घर से बाहर के खेल खेलना, खाना पकाना आदि भी सीख सकते हैं और विभिन्न प्रकार की विस्तृत क्रियाओं में शामिल हो सकते हैं।

198. क्या अवकाश क्रिया - कलाप इस प्रकार नियोजित किए जाने चाहिए कि, इन क्रियाओं के माध्यम से अधिगम हो सके ?

मानसिक मंद व्यक्तियों के लिए अवकाश के समय संलग्न रहना और सूजनात्मक क्रियाये करना, उनके भाषा, गामक, सामाजिक संज्ञानात्मक और घर के कौशलों के विकास के लिए सबसे प्रभावशाली ढंग है। परन्तु इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि, मानसिक मंद व्यक्तियों से उनके प्रदर्शन की अपेक्षा उनकी वर्तमान शक्तियों एवं उपलब्धियों के अनुसार हो इसके अलावा, यह नहीं भूलना चाहिए कि, अवकाश का अर्थ है खाली समय, जिसमें अधिगम का कोई दबाव न हो सिर्फ अपनी इच्छानुसार क्रियाकलापों में भाग ले।

199. खाली समय के दौरान ऐसे कौन से अस्वीकारात्मक व्यवहार होते हैं जिनमें मानसिक मद व्यक्ति आसल हो सकते हैं ?

मानसिक मद व्यक्ति, उचित अवकाश क्रियाकलाप न होने के कारण अनुचित और अस्वीकार्य सामाजिक व्यवहारों में आसल हो सकते हैं । आम तौर से बताये गये समस्या व्यवहार है शरीर दोलन (हिलाना), हाथ थपथपाना, वस्तुये घुमाना, स्वयं धातक व्यवहार जैसे-काटना, असामाजिक (गैर-मिलनसार) होना, अनुचित यौन-व्यवहार आदि ।

ऐसा भी देखा गया है कि, यदि मानसिक मद व्यक्तियों को उचित अवकाश कौशल सिखाये जाएं तो अस्वीकार्य व्यवहार भी कम हो जाते हैं ।

200. क्या मानसिक मद व्यक्तियों को विभिन्न क्रियाओं का आनन्द लेना सिखाने में माता-पिता की भी कोई भूमिका है ?

मानसिक मद व्यक्तियों के अवकाश कौशलों के विकास एवं निर्वाह के लिये माता-पिता/परिवार की आलिप्ती अति आवश्यक है । घर में बच्चे के अवकाश समय के सदुपयोग में माता-पिता, भाई बहनों, दादा-दादी आदि की आलिप्ती बड़ी स्वाभाविक है । माता-पिता, भाई-बहन और परिवार के अन्य सदस्य मानसिक मद बच्चों को उन क्रियाओं में लगाने में मदद कर सकते हैं जो वे आनंददायक एवं संतोष जनक पाते हैं ।

201. अपने मानसिक मद बच्चों की अवकाश क्रिया-कलाओं का नियोजन करते समय अभिभावकों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ?

कुछ मानसिक मद बच्चों के माता-पिता यह विश्वास करते हैं कि, उनके बेटा/बेटी को शारीरिक और सामाजिक सकटों से सरक्षण की आवश्यकता है, वे कभी परिपक्व नहीं होंगे और उनके अभिभावक होने के नाते यह जिम्मेदारी है कि, वे इस विकलागता को स्वीकार ले, और बच्चे से बहुत कम आकृक्षा रखें । इन विश्वासों के फलस्वरूप, मानसिक



उचित प्रशिक्षण के साथ मानसिक और व्यक्ति विभिन्न अवकाश क्रिया-कलाओं में भाग ले सकते हैं।

मंद व्यक्ति उचित एवं सामाजिक रूप से स्वीकृत अवकाश के समय के क्रियाकलाप सीखने और उसमें संलग्न होने के अवसर खो देते हैं।

अतः यह अत्यावश्यक है कि, अभिभावक निष्पक्ष होकर जहाँ तक संभव हो, मानसिक मंद व्यक्तियों को विकासात्मक प्रक्रिया के दौरान सामान्य अवकाश क्रिया – कलापों में भाग लेने के अवसर प्रदान करे।

202. क्या अभिभावकों को मानसिक मंद व्यक्तियों को अविकलांग व्यक्तियों के साथ दोस्ती करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए ?

जहाँ कहीं संभव हो, मानसिक मंद व्यक्तियों को अविकलांग व्यक्तियों के साथ मित्रता करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इससे व्यक्ति के समस्त व्यक्तित्व विकास में सहायता और समाज में स्वीकृति मिलती है।

203. मानसिक मंद बच्चे के अभिभावक होने के नाते हमें विद्यालय के बाद बाले समय में और छुट्टियों में अपने बच्चों को संभालना कठिन लगता है। इसके लिए क्या करना चाहिए ?

इसके लिए सबधित बच्चे की अध्यापिका से मिलकर विचार-विमर्श करना उचित होगा, जिससे अवकाश कौशल प्रशिक्षण को किसी प्रकार शिक्षा की योजना में सम्मिलित किया जा सके। इससे बच्चे को विद्यालय में ही नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम में नए अवकाश क्रिया – कलाप सीखने में सहायता मिलेगी इसके अलावा मानसिक मंद बच्चे को खाली समय को सृजनात्मक रूप से उपयोग करने में मदद मिलेगी।

204. क्या विशेष विद्यालय में मानसिक मंद व्यक्तियों के लिए कुछ अवकाश क्रिया – कलापों का आयोजन किया जाता है ?

अधिकांश विशेष विद्यालयों में अवकाश क्रिया-कलाप-प्रशिक्षण एक अभिन्न भाग है। देश के अधिकांश विशेष विद्यालय विशेष ओलंपिक खेलों में भाग लेते हैं। इसके अलावा कुछ विशेष विद्यालयों में संगीत, नृत्य, नाटक और कला को भी अवकाश-क्रियाकलाप-कार्यक्रमों में शामिल किया गया है।

- अन्य खिलाड़ियों के साथ प्रतियोगिता करने के बोध का संज्ञानात्मक प्रदर्शन करें

अत्यधिक गंभीर रूप से मंद व्यक्ति के लिए, जो औपचारिक स्पेशल ओलंपिक्स में भाग नहीं ले सकते; उनके लिए विशेष ओलंपिक्स गामक क्रियाओं का प्रशिक्षण कार्यक्रम (मोटर एक्टिविटि ट्रेनिंग प्रोग्राम) आयोजित करता है।

अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के स्पेशल ओलंपिक्स के कार्यालय से संपर्क करें।

208. मेरा 18 वर्ष का मानसिक मंद बच्चा हिन्दी फ़िल्में देखना बहुत पसन्द करता है। उसे व्यस्त रखने के लिए नियमित रूप से वीडियो केसेट ले आती हूँ। क्या मैं ठीक कर रही हूँ?

किसी भी चीज़ की अधिकता बुरी होती है। इसकी बहुत अधिक संभावना है कि, तुम्हारा बेटा वीडियो से देखकर कोई अनुचित व्यवहार सीख ले जो बाद में तुम्हे नियन्त्रित करने में कठिन लगे। इसके अलावा आपके बच्चे की दृष्टि पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। उचित यही होगा कि, आप अपने बेटे को अन्य अवकाश क्रिया कलाप सिखाना आरंभ कर दे। इस संबंध में विशेष अध्यापक आपकी मदद कर सकते हैं।

209. क्या मानसिक मंद बच्चों को अविकलांग बच्चों के साथ अवकाश क्रिया-कलापों में भाग लेने के लिए अतिरिक्त सहारे की आवश्यकता होती है?

अपने गामक, त्रिकीय अथवा सवेदनात्मक विकारों के कारण कुछ मानसिक मंद व्यक्तियों को अविकलांग साथियों के साथ अवकाश क्रिया-कलापों में भाग लेने के लिए सहारे की आवश्यकता होती है। परन्तु अनुकूलित साधन अथवा सुविधा प्रयोग करने वाले मानसिक मंद व्यक्तियों को उस समय समाज से आदान प्रदान करते समय पृथक नहीं रखना चाहिए।

205. विशेष ओलंपिक क्या है ?

विशेष ओलंपिक एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय है जो सन् 1968 में जोसेफ पी. केनेडी जूनियर फाऊडेशन के मार्गदर्शन में श्रीमती इयूनिस केनेडी श्रीवर द्वारा स्थापित किया गया । इस निकाय का मुख्य कार्य मानसिक मंद व्यक्तियों के लिए चार वर्ष में एक बार अंतर्राष्ट्रीय खेलों का आयोजन करना है । भारत में मानसिक मंद व्यक्तियों के लिए खेलकूद (एथलेटिक्स) खेल और क्रीड़ाये (गेम्स एण्ड स्पोर्ट्स) का आयोजन करने का कार्य स्पेशल ओलंपिक्स इन्डिया करती है । इस ट्रस्ट का मुख्यालय बंगलौर में है ।

206. विशेष ओलंपिक्स का उद्देश्य क्या है ?

विशेष ओलंपिक्स मानसिक मंद व्यक्तियों को एक साथ आपस में मिलने का एक दूसरों से आदान-प्रदान करने का अवसर प्रदान करती है और उन्हें अपने कौशलों की परीक्षा के लिए एक दूसरे के साथ प्रतियोगिता करने का अवसर प्रदान करती है । विशेष ओलंपिक्स का सृजन मानसिक मंद व्यक्तियों को ऐसे अवसर प्रदान करने के लिए किया गया था जिसमें वे भी चुनौति का मूल्य और विजय के आनन्द का अनुभव कर सकें । यह मानसिक मंद व्यक्तियों के समूहों को एक ऐसी स्थिति में मिलने का अवसर भी प्रदान करती है जो सामाजिक भी है और प्रतियोगितात्मक भी है ।

207. स्पेशल ओलंपिक्स में कौन लोग भाग ले सकते हैं ?

आजकल, स्पेशल ओलंपिक्स 16 औपचारिक और छः प्रदर्शन खेलों में प्रतियोगिता का आयोजन करता है, इसमें कोई भी मानसिक मंद खिलाड़ी भाग ले सकता है जो निम्न मानकों की पूर्ति कर सकें:

- किसी भी खेल के नियमों का दृढ़ता से पालन करे ।
- किसी खेल के लिए आवश्यक गतिविधियों का शारीरिक रूप से प्रदर्शन करने की क्षमता हो ।

- अन्य खिलाड़ियों के साथ प्रतियोगिता करने के बोध का संज्ञानात्मक प्रदर्शन करें

अत्यधिक गभीर रूप से मंद व्यक्ति के लिए, जो औपचारिक स्पेशल ओलंपिक्स में भाग नहीं ले सकते; उनके लिए विशेष ओलंपिक्स गामक क्रियाओं का प्रशिक्षण कार्यक्रम (मोटर एक्टिविटि ट्रेनिंग प्रोग्राम) आयोजित करता है।

अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के स्पेशल ओलंपिक्स के कार्यालय से संपर्क करें।

208. मेरा 18 वर्ष का मानसिक मंद बच्चा हिन्दी फ़िल्में देखना बहुत पसन्द करता है। उसे व्यस्त रखने के लिए नियमित रूप से बीड़ियों केसेट ले आती हूँ। क्या मैं ठीक कर रही हूँ?

किसी भी चीज़ की अधिकता बुरी होती है। इसकी बहुत अधिक सभावना है कि, तुम्हारा बेटा बीड़ियों से देखकर कोई अनुचित व्यवहार सीख ले जो बाद में तुम्हे नियत्रित करने में कठिन लगे। इसके अलावा आपके बच्चे की दृष्टि पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। उचित यही होगा कि, आप अपने बेटे को अन्य अवकाश क्रिया कलाप सिखाना आरंभ कर दे। इस संबंध में विशेष अध्यापक आपकी मदद कर सकते हैं।

209. क्या मानसिक मंद बच्चों को अविकलांग बच्चों के साथ अवकाश क्रिया-कलापों में भाग लेने के लिए अतिरिक्त सहारे की आवश्यकता होती है?

अपने गामक, तंत्रिकीय अथवा सबेदनात्मक विकारों के कारण कुछ मानसिक मंद व्यक्तियों को अविकलांग साधियों के साथ अवकाश क्रिया-कलापों में भाग लेने के लिए सहारे की आवश्यकता होती है। परन्तु अनुकूलित साधन अथवा सुविधा प्रयोग करने वाले मानसिक मंद व्यक्तियों को उस समय समाज से आदान प्रदान करते समय पृथक नहीं रखना चाहिए।

210. मानसिक मंद व्यक्तियों को अवकाश क्रिया कलापों के लिए एक दिन में कितना समय देना चाहिए ?

"ऑल वर्क एण्ड नो प्ले मेक्स रोहित अ डल ब्वाय" । यह मानसिक मंद व्यक्तियों के लिए भी सत्य है । यद्यपि, ऐसा कुछ नहीं है कि, अवकाश क्रिया-कलापों के लिए कोई समय सीमा निर्धारित की जा सके फिर भी उचित यही होगा कि, आरंभ में अवकाश क्रिया कलापों के लिए दिन में चरणबद्ध कार्यक्रम बनाए जाएं । इससे मानसिक मंद बच्चों को यह समझने में मदद मिलेगी कि, अवकाश कौशल क्या है और उनका कब उपयोग किया जा सकता है ।

211. क्या कुछ ऐसी संस्थायें हैं जो मानसिक मंद व्यक्तियों के लिए इस प्रकार के अवकाश क्रिया - कलापों को नियोजित करती हैं और आयोजित करती हैं ?

ऐसी कोई विशेष संस्थायें जानकारी में नहीं हैं जो केवल अवकाशक्रिया कलाप ही प्रदान करें । परन्तु बहुत सी अभिभावक संस्थायें, गैर सरकारी संस्थायें और सरकारी संस्थायें विभिन्न अवकाश क्रिया-कलापों का आयोजन करती हैं, विशेष रूप से छुट्टियों में । सामान्यतः ये चित्रकारी, संगीत, नृत्य, पर्वतारोहण और ग्रीष्मकालीन शिविर जैसे अवकाश क्रिया - कलाप होते हैं । ये क्रिया-कलाप केवल मानसिक मंद व्यक्तियों के लिए हो सकते हैं अथवा समाकलित क्रियाकलाप की तरह हो सकते हैं जिसमें सामान्य साथी और भाई-बहन भी सम्मिलित हो सकते हैं । ऐसे क्रिया-कलापों को जहाँ तक संभव हो प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है ।

NOTES

रोज़गार

हमारे देश जैसे देश में जहाँ हमारे निर्भर करने के लिए कोई सामाजिक संरक्षकता प्रणाली नहीं है, विकलागता का विचार किए विना प्रत्येक व्यक्ति को कुछ काम करके पैसा कमाना है और अपना सहारा स्वयं ही ढूँढ़ना है। बच्चे का भविष्य और उसके रोज़गार के बारे में चिंता करना माता-पिता के लिए बड़ा स्वाभाविक है, क्योंकि, बच्चा सामान्यतः दूसरों पर निर्भर ही समझा जाता है। मानसिक मंद व्यक्तिओं के लिए उच्चत प्रशिक्षण होने से उनकी क्षमताओं के बारे में जागरूकता आने में और समाज में उनकी स्वीकृति होने के कारण, मानसिक मंद व्यक्तियों के लिए कार्य करके अपनी जीविका कमाना संभव होता जा रहा है यद्यपि मानसिक मंद व्यक्तियों के व्यावसायिक पुनर्वास के कार्यों में अभी काफी चुनौतियों का सामना करना बाकी है। फिर भी, इस दिशा में प्रयत्न करते रहना आवश्यक है। आजीविका कमाने के अलावा, रोज़गार, मानसिक मंद व्यक्तियों को लोगों से मिलने और सामाजीकीकरण का अवसर प्रदान करता है। इससे आत्म सम्मान की भावना का विकास होता है और उन्हें समाज में लाभदायक योगदान देने का अवसर भी मिलता है। इस भाग में व्यावसायिक प्रशिक्षण, कार्य और मानसिक मंद व्यक्तियों के रोज़गार से संबंधित प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं।



212. क्या मानसिक मंद व्यक्तियों को काम करने की आवश्यकता होती है ?

किसी भी व्यक्ति का मूल्य उसके समाज में दिए जा रहे योगदान से आका जाता है। कार्य मानसिक मंद व्यक्ति को समाज में कुछ योगदान देने और एक मूल्यवान स्वीकृत सदस्य बनने का अवसर प्रदान करता है। कार्य के द्वारा न केवल कौशलों और नए रिश्तों का विकास होता है अपितु आत्म - सम्मान का भी विकास होता है जिसके फलस्वरूप वैयक्तिक सतोष मिलता है। जैसे - जैसे माता-पिता, साथी और आम जनता किसी महत्वपूर्ण कार्य को पूरा होते हुए देखते हैं वैसे - वैसे व्यक्ति की इज्जत और प्रतिष्ठा दोनों बढ़ जाती है। अतः मानसिक मंद व्यक्तियों के लिए कार्य करना अतिआवश्यक है। कार्य किसी व्यवसाय से संबंधित होना चाहिए और व्यवसाय किसी कमाई से जो जीने के लिए आवश्यक है।

213. क्या मानसिक मंद व्यक्ति काम कर सकते हैं ?

मानसिक मंद व्यक्तियों में अर्थपूर्ण कार्य करने की क्षमता होती है। मानसिक मदन का अर्थ यह नहीं कि, ऐसे व्यक्ति कुछ सीखने, करने या व्यवसाय करने में असमर्थ हैं। वास्तव में, उचित प्रशिक्षण तकनीकों के द्वारा अपेक्षाकृत अत्यधिक मानसिक मंद व्यक्ति भी सीख सकते हैं और वस्तुओं का उत्पादन कर सकते हैं जिससे उनकी कमाई हो सके और अर्थपूर्ण व्यवसाथ मिल सके।

214. क्या मानसिक मंद व्यक्ति कार्य करके जीविका करा सकते हैं?

मानसिक मंद व्यक्तियों की कार्य करने की क्षमता को प्रायः उनकी वास्तविक क्षमता से कम ही आका जाता है। इस दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य का एक कारण है कि, मानसिक मंद व्यक्तियों ने बहुत कम व्यवसायों में प्रवेश किया है, उनकी अयोग्यता को बढ़ावा दिया गया है अथवा उनके

द्वारा कार्य के दौरान खराब आदतें प्रदर्शित की गईं। ये सभी दिखाई देने वाली कमियाँ उपयुक्त योजना एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण की कमी का ही परिणाम हैं।

इसके फलस्वरूप मानसिक मंद व्यक्ति ऐसे कार्यों में लगे हुए हैं जहाँ उन्हें कम पारिश्रमिक मिलता है। मानसिक मंद व्यक्ति ने अब यह सिद्ध कर दिया है कि, उनमें कुछ भी सीखने, करने और अपनी जीविका कमाने की क्षमता है। अभिभावकों को किसी व्यावसायिक पुनर्वास परामर्शदाता अथवा रोज़गार विशेषज्ञ से परामर्श लेना चाहिए जो मानसिक मंद व्यक्तियों की इस क्षमता को लाभप्रद दीर्घकालिक रोज़गार में परिवर्तित कर सके।

215. क्या कुछ ऐसे मानसिक मंद व्यक्ति भी हैं, जिन पर व्यावसायिक प्रशिक्षण लागू नहीं होता?

सैद्धान्तिक दृष्टि से सभी मानसिक मंद व्यक्तियों को व्यवसाय संबंधित प्रशिक्षण देना चाहिए। कुछ चिकित्सीय अथवा संबंधित स्थितियाँ जैसे कि, मिरगी के दौरे, दृश्य अथवा श्रव्य विकार आदि मानसिक मंद व्यक्ति को किसी विशेष प्रकार के कार्य का प्रशिक्षण प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। व्यावसायिक पुनर्वास परामर्शदाता अभिभावकों की मानसिक मंद व्यक्तियों के कार्य करने की योग्यता निश्चित करने में सहायता कर सकते हैं।

216. अभिभावकों को अपने मानसिक मंद बच्चे के व्यवसायिक योजना के बारे में कब ध्यान देना चाहिए?

वास्तव में सही व्यावसायिक योजना तब दी जाती है जब बच्चे की आयु 16 वर्ष हो जाए। फिर भी, अभिभावकों को चाहिए कि, वे बच्चे को छोटी आयु से ही घर के काम-काज करने का अवसर दे जिससे मानसिक मंद बच्चे की शक्तियों और कमज़ोरियों के बारे में पता लगाने

में मदद मिलती है और व्यावसायिक नियोजन करने में भी सहायता मिलती है। बच्चे के लिए व्यावसायिक योजना बनाने में व्यावसायिक पुनर्वास परामर्शदाता अभिभावक की सहायता कर सकते हैं।

217. मानसिक मंद व्यक्तियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण की योजना बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ?

व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, मानसिक मंद व्यक्तियों को रोज़गार के लिए तैयार करता है। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम विशेषरूप से किसी एक कार्य के लिए या एक प्रकार के कार्यों के लिए तैयार किया जाता है अथवा समाज में कुछ कार्यों का व्यवस्थित रूप से कार्य अनुभव प्रदान किया जाता है जिससे बाद में व्यक्ति के कार्य स्थापन का चयन किया जा सके। इसमें आयु का मुख्य रूप से ध्यान दिया जाता है। इसके अलावा, जिन अन्य बातों का ध्यान रखा जाता है वे हैं :-

- व्यक्ति की शारीरीक योग्यतायें,
- व्यक्ति की सवेदनात्मक योग्यतायें,
- पिछला कार्य विवरण,
- क्षमतायें एवं रुचियाँ,
- पारिवारिक पृष्ठभूमि ।

218. व्यावसायिक पुनर्वास में विशेष विद्यालय की क्या भूमिका है ?

मानसिक मंद बच्चा विशेष विद्यालय में विभिन्न शक्तियों एवं आवश्यकताओं के साथ प्रवेश पाता है। विद्यालय की प्रक्रिया के दौरान अध्यापक उसकी वर्तमान योग्यताओं का विकास करते हैं और उन्हें आत्मनिर्भर होकर कार्य करने योग्य बनाने के लक्ष्य की पूर्ति के लिए प्रशिक्षण देते हैं। विद्यालय में पूर्व-व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया

जाता है और इस प्रकार बच्चे को व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए तैयार किया जाता है। व्यक्ति को पूर्व - व्यावसायिक से व्यावसायिक स्तर तक लाने की परिवर्तन प्रक्रिया में विद्यालय की एक महत्वपूर्ण भूमिका है।

219. क्या कुछ ऐसे कौशल हैं जो मानसिक मंद व्यक्तियों के लिए कार्य से पूर्व सीखने आवश्यक हैं?

कुछ कौशल जैसे - समय का सटुपयोग और समय की पालनी, अनुदेशों का पालन करना, कार्य स्थल पर उचित सफाई बनाए रखना, साथियों के साथ अच्छी तरह रहना आदि कुछ ऐसे कौशल या कार्य संबंधित व्यवहार हैं जो मानसिक मंद व्यक्ति को कार्य आरंभ करने से पहले सीख लेने चाहिए। फिर भी, यह आवश्यक नहीं है। इन सभावित कमियों के वैकल्पिक हल के लिए सृजनात्मक तरीके अपनाए जा सकते हैं मानसिक मंद व्यक्ति को कार्य संसार में जितनी जल्दी संभव हो सके अनुभव प्रदान करने में ये कमियाँ बाधक नहीं होनी चाहिए। कार्य संबंधी कौशलों में प्रशिक्षण के लिए व्यावसायिक पुनर्वास कर्मचारियों से संपर्क स्थापित करना चाहिए।

220. क्या मानसिक मंद व्यक्तियों को कार्य से पहले किसी प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है? ऐसा प्रशिक्षण वे कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं?

कार्य संबंधी व्यवहारों ओर रोज़गार संबंधी कौशलों से पहले के प्रशिक्षण मानसिक मंद व्यक्तियों को निश्चित रूप से कोई भी कार्य जल्दी सीख लेने में और नौकरी को भी बनाए रखने में मदद करते हैं। फिर भी, यदि किसी व्यक्ति ने पहले प्रशिक्षण नहीं प्राप्त किया तब भी वह कार्य - शक्ति में प्रवेश करने के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है। सफलता के लिए कार्यरत प्रशिक्षण प्रदान करना अति आवश्यक है।

इस प्रकार का प्रशिक्षण विशेष विद्यालयों, सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों द्वारा चलाए गए व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों के पूर्व - व्यावसायिक विभागों में उपलब्ध है ।

221. जब मंद व्यक्ति कार्य स्थान/व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों में जाते हैं तो उन्हें अपने - आप आना जाना पड़ता है । उनके अभिगमन के लिए क्या प्रबंध होगा ?

मानसिक मंद व्यक्तियों के लिए सेवायें उपलब्ध कराने वाले व्यावसायिक केन्द्रों में विधार्थियों/कर्मचारियों की सुविधा के लिए उनके अपने वाहन हो सकते हैं । अभिभावकों को इन केन्द्रों में मासिक शुल्क देना पड़ता है । क्योंकि, विद्यार्थी/कर्मचारी भिन्न-भिन्न स्थानों से रहते हैं इसलिए व्यावसायिक केन्द्रों । कार्यस्थलों तक आने के लिए प्रत्येक स्थान तक वाहन उपलब्ध कराना संभव नहीं होता । अभिभावकों को अपने बेटे / बेटी को स्वयं ही केन्द्र / कार्य स्थल तक लाना पड़ता है या फिर किसी ऐसे निश्चित स्थान तक लाना पड़ता है जहाँ से उन्हें बस मिल सके । अत्य मानसिक मंद व्यक्तियों को सार्वजनिक वाहन द्वारा घर से व्यवसाय केन्द्र/कार्य स्थल तक जाने में और वापस आने में प्रशिक्षण दिया जा सकता है ।

222. मानसिक मंद व्यक्तियों के लिए घर से कार्य-स्थल तक जाना और वापस आना कितना सुरक्षित है ?

यदि कोई मानसिक मंद व्यक्ति किसी सार्वजनिक बस द्वारा यात्रा करता है तो वह सामान्य जनता के सामने पूरी तरह रहता है । अतः उसका शोषण करना या उसे बुरा-भला कहने की संभावना बहुत कम होती है । फिर भी, शोषण करने की संभावना को बिल्कुल रद्द नहीं किया जा सकता । आने जाने का प्रशिक्षण प्रदान करते समय मानसिक मंद बच्चों को यह सिखाना चाहिए कि, उन्हें जहाँ तक संभव हो अपने आप को शोषित होने से कैसे बचाना चाहिए ।

223. क्या अभिभावक अपने मानसिक मंद बच्चे का किसी विशेष रोजगार कार्यालय में नाम दर्ज करा सकते हैं ? क्या मानसिक मंद व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाती है ?

वर्तमान परिस्थितियों में विशेष रोजगार कार्यालय मानसिक मंद व्यक्तियों के लिए कोई सेवा प्रदान नहीं करते । वे अपनी सेवायें केवल दृष्टिहीन, श्रव्य विकलांग, शारीरिक विकलांग, शल्य विकलांग (ऑर्थोपीडिक) को ही प्रदान करते हैं ।

224. मानसिक मंद व्यक्तियों के लिए कितने प्रकार के रोजगार होते हैं ?

मानसिक मंद व्यक्तियों में भी अन्य व्यक्तियों की भाँति व्यावसायिक आकांक्षाये होती है । परन्तु बौद्धिक कमियों के कारण वे अपनी आकांक्षाओं के अनुसार व्यावसायिक पद पाने में अधिक कठिनाई महसूस करते हैं । ये कठिनाईयाँ और सीमा बंधन न केवल उनकी अपनी कमियों के कारण होती हैं अपितु कुछ व्यवसायों में कल्पना शक्ति और सृजनात्मकता की कमी और रुदिवद्व प्रवृत्ति के कारण भी होती हैं । मुख्यतः दो प्रकार के कार्य स्थितियों का रोजगार सेवाओं में प्रभुत्व रहता है । वे निम्नलिखित हैं :

- परिरक्षित स्थितियाँ जहाँ व्यक्तियों को ऐसे स्थान पर रखा जाता है जहाँ सारी कार्यशक्ति विकलांग व्यक्तियों की ही होती है ।
- खुली स्थितियाँ जहाँ मानसिक मंद व्यक्ति अविकलांग व्यक्तियों के साथ मिल कर काम करते हैं ।

225. परिरक्षित रोजगार क्या है ?

परिरक्षित रोजगार एक सरचनात्मक कार्यक्रम है जिसमें कार्य-विश्लेषण, कार्य-सामंजस्य, व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण और आशिक रोजगार

सम्मिलित किए जाते हैं जिसमें मानसिक मंद' व्यक्तियों को प्रतियोगी रोज़गारों के लिए अथवा किसी सुरक्षित वातावरण में कार्य जारी रखने के लिए तैयार किया जाता है ।

परिरक्षित रोज़गार मुख्यतः : तीन प्रकार के होते हैं : पूर्व - व्यावसायिक क्रिया-कलाप केन्द्र - इस केन्द्र का उद्देश्य ऐसा शिक्षण कार्यक्रम प्रदान करना है जो उन व्यक्तियों को व्यावसायिक कौशल सिखाने पर जोर देता है जो रोज़गार के लिए अभी तैयार नहीं है। अधिकांश विशेष विद्यालयों में पूर्व - व्यावसायिक केन्द्र होता है जहाँ अधिकांश समय मानसिक मद व्यक्तियों को इस तरह के कार्य सिखाए जाते हैं जैसे कि, चुनना, अलग अलग करना, मोमबत्ती बनाना, मिलान करना, छोटा - मोटा जोड़ने का काम आदि । सामान्यतः इसमें कोई वेतन नहीं दिया जाता या अगर दिया भी जाता है तो बहुत कम ।

- **परिरक्षित कार्यशाला** - यह एक ऐसी सुविधा है जो ऐसे मानसिक मद व्यक्तियों को दी जाती है जो प्रतियोगी रोज़गार में कार्य करने में असमर्थ होते हैं । ये उनके क्रियास्तर के अनुसार नियत्रित वातावरण में कार्य करने के अवसर प्रदान करता है । इस प्रतिमान (मॉडल) में कर्मचारी ऐसी स्थिति में रखे जाते हैं जहाँ कार्य-शक्ति पूर्ण रूप से मानसिक मंद व्यक्तियों की होती है । इसका निरीक्षण किसी अविकलांग व्यक्ति द्वारा किया जाता है । जो शाखा द्वारा नियुक्त किया जाता है । मानसिक मंद कर्मचारियों को वेतन वृत्तिका के रूप में दिया जाता है या फिर उत्पादन के आधार पर ।
- **कार्य केन्द्र** : कार्य केन्द्र, पारंपरिक परिरक्षित रोज़गार और विकलांग व्यक्तियों के रोज़गार के बीच, समाज, व्यापार और उद्योग में एक पुल का कार्य करता है । इस विकल्प में व्यक्तियों का एक समूह समुदाय - आधारित व्यापार में अथवा उद्योग में कार्य करता है जो व्यावसायिक शाखा के प्रशिक्षित कर्मचारी के निरीक्षण में होता है ।

226. मानसिक मंद व्यक्तियों के लिए परिरक्षित कार्यशाला कैसे आरंभ की जा सकती है ?

कार्यशाला आरंभ करने की प्रक्रिया योजना समूह के निर्माण से ही शुरू हो जाती है। योजना तभी आरंभ हो जाती है जब कोई एक, व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का समूह मानसिक मंद व्यक्तियों के विकास के लिए पर्याप्त रूप से बचनबद्ध होकर उसे व्यावहारिक रूप देते हैं। योजना में तीन चीजों की आवश्यकता होती है।

- (i) जानकारी एकत्रित करने के लिए और निर्णय लेने के लिए योजना दल बनाना,
- (ii) बाजार में, सेवाओं की और उत्पादन की आवश्यकताओं के अवसरों के बारे में जानकारी एकत्रित करना
- (iii) प्रस्तावित कार्यक्रम तैयार करना।

प्रस्तावित कार्यक्रम तैयार करते हुए निम्न प्रश्नों के उत्तर देना महत्वपूर्ण है :-

- किस प्रकार का कार्य दिया जाएगा ?
- कार्य किस प्रकार लिया जाएगा ?
- इसे आयोजित कैसे किया जाएगा ?
- इसका शिक्षण किस प्रकार होगा ?

जो व्यक्ति परिरक्षित कार्यशाला आरंभ करना चाहते हैं उन्हें अन्य योजकों से मिलना चाहिए जो इस प्रकार की कार्यशालाएँ चला रहे हैं - जिससे वे कार्यशाला चलाने के लिए नित्यप्रति को समस्याओं के बारे में जान सकें। योजना समिति को स्थानीय समाजकल्याण विभाग से संपर्क करके यह पता लगाना चाहिए कि, क्या राज्य के पास उन्हें इस प्रकार की

कार्यशाला आरंभ करने के लिए आर्थिक मदद प्रदान करने की कोई योजना है।

227. परिरक्षित कार्यशालाओं में मानसिक मंद व्यक्ति किस प्रकार के कार्य करते हैं?

यद्यपि मानसिक मंद व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य भिन्न-भिन्न स्थानों पर भिन्न-भिन्न हैं फिर भी उनके कुछ गुण मिलते हैं। सफलता पूर्वक चलाई गई कार्यशालाओं में वास्तविक उत्पादन के बजाए पैकिंग, जोड़ने और वस्तुओं के नौपरिवहन पर अधिक बल दिया जाता है।

228. परिरक्षित कार्यशालाओं में मानसिक मंद व्यक्तियों को किस प्रकार भुगतान दिया जाता है?

परिरक्षित कार्यशालाये मानसिक मंद व्यक्तियों को भुगतान उनके उत्पादन संख्या के अनुसार, उत्पादन के अनुसार अथवा उत्पादकता का विचार किए बिना मासिक वृत्तिका के रूप में दिया जाता है। यद्यपि भारत में अभी कोई राष्ट्रीय अध्ययन उपलब्ध नहीं है, परिरक्षित कार्यशाला का वेतन प्रतिमाह 30 रु से 300 रु. तक हो सकता है।

229. परिरक्षित कार्यशाला में सभी सह-कर्मचारी मानसिक मंद होते हैं। क्या इसका मानसिक मंद बच्चे पर दुष्प्रभाव पड़ता है?

किसी व्यक्ति को परिरक्षित कार्यशाला में भेजने का संभावित दुष्प्रभाव यह है कि, मानसिक मंद वयस्क अपने हम उम्र अविकलांग साथियों से अलग हो जाते हैं अतः जो साथी उनकी आयु के उचित व्यवहार कौशलों और सामाजिक व्यवहारों के प्रतिमान (मॉडल) बन सकते थे, उनको देखने के अवसर वे खो देते हैं। अन्य संभावित हानि यह है कि, इन कार्यशालाओं में कार्य करने से विकलांग कर्मचारी को आलोचना और उपहास स्वीकार करने के अवसर प्राप्त नहीं होते जबकि, इन स्थितियों के साथ सभी व्यक्तियों को सामंजस्य करना होता है।

230. क्या मानसिक मंद व्यक्तियों को कार्य में लगातार निरीक्षण की आवश्यकता होती है ?

अक्सर नियोक्ताओं द्वारा इस प्रकार की शिकायतें सुनने में आती है कि, मानसिक मंद व्यक्ति लंबे समय तक अपने आप काम नहीं कर सकते। लेकिन, सुव्यवस्थित प्रशिक्षण तकनीकों द्वारा मानसिक मंद व्यक्तियों को अपने आप कार्य करने का प्रशिक्षण दिया जा सकता है। प्रशिक्षणदाता से प्राप्त करने वाली सहायता को मात्रा मानसिक मंद व्यक्ति के शारीरिक एवं मानसिक योग्यताओं पर निर्भर करती है।

231. क्या मानसिक मंद व्यक्ति सामान्य परिस्थितियों में सामान्य व्यक्तियों के साथ कार्य कर सकते हैं ? क्या इस प्रकार के कार्य विकल्प हमारे देश में भी उपलब्ध हैं ?

मानसिक मंद व्यक्ति अविकलाग कर्मचारियों के साथ सामान्य परिस्थितियों में कार्य कर सकते हैं। अधिकांश कार्यों में फेर-बदल किया जा सकता है और उचित प्रशिक्षण एवं सहायता से मानसिक मंद व्यक्ति सफल और उत्पादक कर्मचारी बन सकता है। हमारे देश में इस प्रकार का विकल्प अभी-अभी शुरू हुआ है। ऐसी स्थापन परिस्थियाँ बहुत कम हैं जहाँ मानसिक मंद व्यक्ति सामान्य व्यक्तियों के साथ नियुक्त किये गए हैं।

232. समाकलित कार्य संगठन क्या है ?

समाकलित कार्य संगठन में मानसिक मंद व्यक्तियों को ऐसे स्थानों पर नियुक्त किया जाता है जहाँ कार्य शक्ति में अधिकांश अविकलाग व्यक्ति होते हैं। मानसिक मंद व्यक्तियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों से विभिन्न मात्रा में सहायता प्राप्त हो सकती है परन्तु फिर भी वे जिस व्यापार में कार्य कर रहे होते हैं उसके कर्मचारी माने जाते हैं। समाकलित कार्य संगठन मुख्यतः दो प्रकार का होता है।


- सहायता प्राप्त रोज़गार - इस प्रतिमान में मानसिक मंद व्यक्ति व्यावसायिक केन्द्रों के द्वारा दिए गए प्रशिक्षण और सहायता के साथ, पैसा कमाने के लिए समुदाय कार्य स्थितियों में कार्य करते हैं। सहायता प्राप्त रोज़गार में विकलांग कर्मचारी की सहायता आवश्यकताओं की प्रकृति को पहचान कर, जब तक सहायता चाहिए तब तक सहायता प्रदान करते हैं फिर कर्मचारी की प्रगति का परिवेक्षण करते हुए धीरे-धीरे सहायता कम कर देते हैं।
- प्रतियोगितात्मक रोज़गार - इसका अर्थ है कि, पैसा कमाने के लिए साधारण जनशक्ति में पद के लिए सबसे उत्तम एवं योग्य व्यक्ति होने के आधार पर नौकरी ढूँढ़ना। इसमें व्यक्ति बिना किसी बाहरी सहयोग के नौकरी करता है।

233. समाकलित स्थिति में मानसिक मंद व्यक्ति किस प्रकार का कार्य करता है ?

हमारे देश में, समाकलित स्थिति में मानसिक मंद व्यक्तियों के लिए कुछ काम दिलाने की व्यवस्था है परन्तु पाश्चात्य देशों में उत्पादन खाद्य सेवाये, लिपिक गण, क्लर्कशाही, अहाते की देखभाल, विनियम एवं बच्चों की देखभाल के क्षेत्रों में भी सफलता प्राप्त होने की रिपोर्ट मिली है। इसके अतिरिक्त सफलता, परिवारनियोक्ता और व्यावसायिकों की कल्पना तक ही सीमित होती है। सफलतापूर्वक स्थापित किए हुए अधिकांश व्यक्ति अल्प मानसिक मंद होते हैं। फिर भी, उचित प्रशिक्षण और दीर्घकालिक सहायता से मध्यम और कम गंभीर मानसिक मंद व्यक्तियों को भी नियमित कार्य शक्ति में डाला जा सकता है।

234. क्या यह सत्य है कि, परिरक्षित कार्यशालाओं में मानसिक मंद व्यक्ति को समाकलित स्थिति में कार्य करने के लिए तैयार किया जाता है ?

लम्बे समय से यह धारणा चली आ रही है कि, मानसिक मंद व्यक्तियों



अवसर प्रदान करने पर यानसिक मंद व्यक्ति, सामाज्य व्यक्तियों के साथ
कार्य कर सकता है।

को समाकलित कार्यस्थिति में रोज़गार देने से पहले उन्हें विभिन्न कार्य वातावरणों को समझने के लिए बहुत समय लगता है उदाहरण के लिए- इस ट्रॉफिकोण से मानसिक मंद व्यक्ति व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र में कार्य आरंभ करेगा और जब वे कुछ विशिष्ट कौशलों में निपुणता प्राप्त कर लेते हैं फिर उन्हें आगे परिरक्षित कार्यशालाओं में भेज दिया जाता है जहाँ फिर उन्हें कुछ कौशलों में निपुणता प्राप्त करनी होती है ताकि, उन्हें नियन्त्रित अथवा समाकलित कार्य स्थितियों में स्थापित किया जा सके।

यद्यपि यह धारणा युक्तियुक्त प्रतीत होती है फिर भी, दुर्भाग्य से अनुभव और अनुसंधान इसकी पुष्टि नहीं करते। इसके विपरीत ऐसे प्रमाण मिले हैं जो इस संप्रत्यय की पुष्टि करते हैं कि, व्यावसायिक परामर्शदाता को मानसिक मंद व्यक्तियों के लिए उत्तम समुदाय स्थापना और कार्य देखने की आवश्यकता है जो कर्मचारी की योग्यताओं और कौशलों से मेल खाए, न कि, कार्य की आवश्यकताओं के अनुसार कार्य हो। इस विश्लेषण के आधार पर मानसिक मंद व्यक्तियों के लिए प्रदान की जाने वाली सहायता का स्तर एवं प्रकृति का निर्धारण किया जाता है जो मानसिक मंद व्यक्तियों को सफलतापूर्वक स्थापित करने में समर्थ होगी बजाए इसके की, संभावित मानसिक मंद व्यक्तियों को रोज़गार के लिए तैयार करने के लिए विभिन्न अवस्थाओं से गुज़रने की एक अंतहीन प्रतीक्षा करनी पड़े।

235. यदि एक बार मानसिक मंद व्यक्ति किसी कार्य में स्थापित हो जाता है तो क्या उसे कार्यरत सहायता की आवश्यकता होती है ? कार्य के दौरान उन्हें कौन सहायता प्रदान करता है ?

अधिकांश मध्यम एवं गंभीर मानसिक मंद व्यक्ति विभिन्न स्तरों की सहायता के बिना कार्य करने में असमर्थ होते हैं। आवश्यक सहायता, कार्य से सीधे संबंधित हो सकती है अथवा रोज़गार से संबंधित अन्य पहलुओं से जैसे कि, कार्य तक आना और जाना, आत्म - अवधान

प्रबंध आदि । सामान्यतः व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र, परिवार के सदस्य और नियोक्तागण इस प्रकार की सहायता प्रदान करते हैं । क्योंकि, प्रत्येक व्यक्ति की अनन्य आवश्यकतायें होती हैं उचित यही होगा कि, माता-पिता, व्यावसायिक सलाहकार केन्द्र और नियोक्ता मिलकर एक दल बनाए जिससे कार्य में अधिकाधिक सफलता संभव, हो सके ।

236. यदि मानसिक मंद व्यक्ति सामान्य स्थितियों में सामान्य व्यक्तियों के साथ कार्य कर रहा है क्या उसे नियमित (सामान्य) वेतन दिया जाएगा ?

यदि कोई व्यक्ति सामान्य स्थितियों में सामान्य लोगों के साथ कार्य कर रहा है तो उसे सामान्य वेतन दिया जाएगा । परन्तु पूरा वेतन पाने के लिए कर्मचारी को दिन में पूरे उतने घटे काम करना होगा जितने घटे नियोक्ता द्वारा निर्दिष्ट हैं । अन्यथा नियोक्ता व्यक्ति को उसके काम करने के समय अथवा उत्पादन दर के आधार पर वेतन दे सकता है ।

237. अपने सह-कर्मचारियों के साथ ठीक से रहना कार्य स्थिति में आवश्यक है । क्या मानसिक मंद व्यक्ति को सहकर्मचारियों के साथ ठीक तरीके से रहने के लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता है ?

सामान्य कार्य स्थिति में, कार्य बनाए रखने के लिए मानसिक मंद व्यक्तियों की अविकलांग व्यक्तियों के साथ अंतः क्रिया अति आवश्यक है । न केवल मानसिक मंद व्यक्तियों को उपयुक्त व्यवहार बनाने में और सामाजिक कौशलों में विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है बल्कि, अविकलांग कर्मचारियों को भी प्रशिक्षण को आवश्यकता होती है । ताकि, वे अपने बीच विकलांग कर्मचारियों को अपना ले मानसिक मंद व्यक्तियों को कार्य स्थान पर आलोचना स्वीकार करने, मित्र बनाने और अपने सहकर्मचारियों के साथ ठीक से व्यवहार करने की शिक्षा दी जानी चाहिए ।

238. मानसिक मंद स्त्रियों के लिए सामान्य व्यक्तियों के साथ, जिसमें स्त्री-पुरुष दोनों ही सम्मिलित हैं, किसी कार्य स्थिति में कार्य करना कितना सुरक्षित है ?

यदि कोई मानसिक मंद स्त्री ऐसी किसी स्थिति में कार्य कर रही है तो उसकी सुभेद्यता उतनी ही है जितनी कि, किसी सामान्य स्त्री की या शायद उससे थोड़ी ज्यादा । मानसिक मंद व्यक्तियों को सामान्य व्यक्तियों के साथ कार्य करने की आवश्यकता होती है ताकि, वे उचित सामाजिक व्यवहार का प्रतिरूप बना सके । किसी परिरक्षित कार्यशाला में स्त्रीकर्मचारी की सुभेद्यता कुछ कम नहीं होती । मानसिक मंद व्यक्तियों, स्त्रियों और पुरुषों दोनों को स्वयं को शोषित होने और यौन दुर्व्यवहार होने से स्वयं को बचाने के प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है ।

239. कुछ मानसिक मंद व्यक्ति अपना कार्य बनाए नहीं रख पाते ऐसा क्यों होता है ?

जब कोई मानसिक मंद व्यक्ति अपना कार्य बनाए रखने में असमर्थ होता है तो इसके कई कारण होते हैं । यह आवश्यक नहीं कि, कुछ गंभीर मामलों को छोड़कर सीमित बुद्धि अपने आप में एक कारण हो । अनुचित सामाजिक कौशल और अनुचित व्यवहार कुछ मुख्य कारणों में से एक है । इसके अलावा, संबंधित शारीरिक विकलागता, नियोक्ता के विचार संप्रेषण कौशलों की कमी, व्यवहार समस्या आदि का भी दुष्प्रभाव हो सकता है ।

240. नियोक्ता मानसिक मंद व्यक्तियों को रोज़गार देने में क्यों हिचकिचाते हैं ?

मानसिक मंद वयस्कों के कार्य करने की योग्यता को प्रायः अत्यापेक्षित किया जाता है । इसका एक कारण है कि, नियोक्तागण मानसिक मंद व्यक्तियों की ऐसी योग्यताओं से अनभिज्ञ होते हैं और उसके कार्य करने

की समर्थता के बारे में निश्चित नहीं हो पाते । प्रशिक्षण की कमी के कारण भी मानसिक मंद व्यक्ति अपर्याप्त कर्मचारी सिद्ध होते हैं । मानसिक मंद व्यक्तियों में उपचार-रहित समस्या व्यवहारों के कारण अथवा सामान्यतः मानसिक मंद व्यक्तियों की अस्वीकार्यता भी नियोक्ताओं को मानसिक मंद व्यक्तियों को नियुक्त करने से रोकती है ।

241. स्व-रोज़गार का क्या अभिप्राय है ? स्व-रोज़गार में मानसिक मंद व्यक्तियों द्वारा किस प्रकार के कार्य लिये जाते हैं ?

स्वरोज़गार का अर्थ है छोटा-सा उद्योग जो कुछ कर्मचारियों को रोज़गार देते हैं या शायद केवल उनके स्वामी को ही । स्व-रोज़गार मानसिक मंद व्यक्ति के लिए अर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने का एक माध्यम है। परन्तु, यह बात समझ लेनी चाहिए कि, स्व-रोज़गार सभी व्यक्तियों के लिए नहीं होता । यह सामान्यतः अल्प मानसिक मंद व्यक्तियों से सबधित है । सबधित शारीरिक विकारों परिवार के सदस्यों अथवा समुदाय की विकलांगता के प्रति प्रतिक्रियाये, उनके आत्म विश्वास को कम करने और उन्हें पहल करने या आरंभ करने के लिए कम या अधिक प्रेरित करती है ।

भारत में विभिन्न प्रकार की स्व-रोज़गार की योजनाएँ आरंभ की गई हैं। इन योजनाओं को चलाने में अभिभावकों का समर्थन बहुत आवश्यक है । अभिभावकों और विशेषज्ञों के साथ निम्नलिखित स्व-रोज़गार योजनाओं में से कुछ स्व-रोज़गार योजनाये मंद व्यक्तियों द्वारा चलाई जा सकती हैं ।

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| लॉटरी की टिकट बेचना, | किताबों पर जिल्द लगाना, |
| छतरी मरम्मत करना, | ईट बनाना, |
| जूता साफ करना, | मूर्ति की ढ़लाई करना, |
| पेट्रोल बेचना, | फोटो कापी का काम करना, |

टेलीफोन बूथ	खेती बाड़ी करना
मुर्गी पालना	स्क्रीन प्रिटिंग
तस्वीरों पर फ्रेम करना	पान की दुकान
पुराना धातु बेचना	खिलोनों की दुकान,
धोबी का कार्य	पौधों की नर्सरी
डाक टिकट बेचना	बर्टन बनाना
कपड़े का व्यापार	

242. स्व-रोज़गार की योजना मानसिक मंद व्यक्तियों के लिए कैसे आरम्भ की जा सकती है ?

व्यास्क व्यावसायिक केन्द्र एवं व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। मानसिक मंद व्यक्ति उन व्यवसायों में प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं जो वे आगे आजीविका के रूप में अपनाना चाहते हैं। एक बार प्रशिक्षित होने के बाद मानसिक मंद व्यक्ति अपनी बचत इकट्ठी करके अपना कारोबार शुरू कर सकता है। फिर भी, यह देख लेना चाहिए कि, जिस व्यापार में व्यक्ति प्रशिक्षित है, उसकी बाजार में मांग हो। अभी, मानसिक मंद व्यक्तियों को स्व-रोज़गार आरंभ करने में सरकार द्वारा वितीय सहायता प्रदान नहीं की जारही है। बैंकों द्वारा ऋण उपलब्ध हो सकते हैं जो मानसिक मंद व्यक्तियों के अभिभावक अथवा सबधित सरक्षक ही ले सकते हैं क्योंकि, मानसिक मंद व्यक्ति किसी प्रकार के अनुबंध को नहीं ले सकता।

243. व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र क्या है ? इन केन्द्रों में किस प्रकार की सेवायें उपलब्ध हैं ?

व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, भारत सरकार द्वारा निर्मित किए गए हैं जो

विकलांग व्यक्तियों को रोज़गार दिलाने के अवसर प्रदान करते हैं जिस से उनमें आत्म - भाव बढ़े और उनका समाज में योगदान बढ़ाया जा सके। इस समय देश भर में तेरह व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र हैं जो सभी प्रकार की विकलांगता के कल्याण के लिए कार्यरत हैं। व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्रों में विभिन्न प्रकार की सेवाएँ उपलब्ध हैं जैसे कि,

- प्रत्येक व्यक्ति की योग्यता स्तर का निर्धारण करने के लिए मूल्यांकन करना।
- परामर्श दाता से व्यक्तिगत रूप से संपर्क करके मार्गदर्शन एवं परामर्श सेवाएँ देना।
- व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं कार्य सामंजस्य कार्यक्रम।
- दूरसंचार, गामक सहायता उपकरण और अन्य तकनीकी सहायता उपकरण उपलब्ध कराना।
- उपयुक्त रोज़गार में स्थापना करना।
- रोज़गार दिलाने के बाद की सेवायें।

यद्यपि व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्रों का उद्देश्य सभी प्रकार की विकलांगताओं के लिए सेवाये उपलब्ध कराना है तथापि ये अल्प मानसिक मंद व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से कार्य करते हैं जो रोज़गार खोलने में सबसे अधिक सभाव्य हैं। विभिन्न कार्यक्रमों और योग्यता मानकों पर अधिक जानकारी स्थानीय व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र विभाग से प्राप्त की जा सकती है। (व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्रों की सूची इस पुस्तक में सलग्न है)

244. मानसिक मंद व्यक्तियों के व्यावसायिक पुनर्वास में अभिभावक किस प्रकार योगदान दे सकते हैं ?

चीन की एक कहावत है कि, एक अभिभावक 10,000 अध्यापकों के

बराबर है। व्यावसायिक पुनर्वास में शायद एक ही सबसे आवश्यक तत्व है और वह है परिवार के विचार और समर्थन। एक समर्थक परिवार के प्रशिक्षण कार्यक्रम में कर्मचारी के कौशल भंडार में, और स्थानीय अर्थव्यवस्था में जो भी कमियाँ होती हैं, सामान्यतः उनकी क्षतिपूर्ति करने में महत्वपूर्ण रूप से सहायता करता है। समर्थक परिवार के सदस्य जैसे कि, माता-पिता, भाई-बहन, दादा-दादी, मित्र और शुभ-चितक रोज़गार ढूढ़ने में काम की आदतों को सुधारने में सहायता कर सकते हैं और व्यक्ति की रुचियों और क्षमताओं के बारे में सही जानकारी का मुख्य स्रोत भी बन सकते हैं। परिवार, परिवहन का प्रबंध करने में सहायता कर सकता है, कार्य परियोजना में नम्बर हो सकते हैं और व्यक्ति को कार्य स्थान पर प्रशिक्षण देने में सहायता कर सकते हैं हमारे देश में बहुत सी अभिभावक संस्थायें अपने बच्चों के लिए व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र बना रही हैं।

245. यदि मानसिक मद व्यक्ति कार्य ढूढ़ने में असफल रहता है तो क्या होता है ?

यद्यपि मानसिक मद व्यक्ति के जीवन में कार्य महत्वपूर्ण चीज़ है फिर भी यह अपने आप में सबकुछ नहीं है। यदि कोई मानसिक मद व्यक्ति कार्य ढूढ़ने में असफल रहता है तो उसके जीवन को समाकलित स्थितियों में अवकाश और सृजनात्मक कार्यक्रमों से अलंकृत करने के लिए कदम उठाने चाहिए, जिससे व्यक्ति अपने आप को पृथक नहीं समझता। साथ ही, इच्छित कार्यों की संभावना भी देखते रहना चाहिए।

NOTES

लैगिकता

मानसिक मंद व्यक्ति भी विकास की उन्हीं अनुक्रमिक अवस्थाओं से गुजरता है जैसे कि, शैशवकाल, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वयस्कता, अधेड़आयु और वृद्धावस्था । मनुष्यों में यौन भावनाएँ और यौन-व्यवहार का आरभ सामान्यः, विकलागता का विचार किए विना, किशोरावस्था में होता है । बौद्धिक रूप से सामान्य व्यक्ति विकास की प्रक्रिया के दौरान अपनी यौन भावनाओं को सामाजिक रूप से स्वीकार्य तरीकों से व्यक्त करना सीख लेते हैं । परन्तु मानसिक मंद व्यक्ति कई करणों से यह नहीं सीख पाते, सीखने के लिए सामाजिक अवसरों की कमी के कारण, यौन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनुपयुक्त अथवा प्रशिक्षण के अभाव के कारण, और बौद्धिक योग्यताओं की कमी के कारण, जो उनके व्यवहार के परिणामों को न समझ पाने में, दिखाई देती है । इसके फलस्वरूप मानसिक मंद व्यक्तियों का लैगिक रूप से अनुचित लाभ उठाया जाता है अथवा वे अनुचित यौन-व्यवहार दर्शाते हैं जो अत्याधिक शर्मिन्दगी का कारण बनते हैं । इस भाग में मानसिक मंद व्यक्तियों के लैगिक विकास एवं उनके यौन-व्यवहारों से संबंधित अभिभावकों की चित्ताओं को लिया गया है ।

क्या तुमने आज के अखबार में पढ़ा कि, मानसिक मंद लड़कियों के एक समूह का गर्भाशयोच्छेदन किया जा रहा है ।



लेकिन वे इन बच्चों का गर्भाशयोच्छेदन क्यों कर रहे हैं ?



वह कहते हैं कि, क्योंकि, वे अपने मासिक-धर्म की साफसफाई का ध्यान नहीं रख सकती, गर्भाशय को निकाल देना चाहिए, जिससे यह समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाए ।



मेरी मानसिक मंद बेटी को विशेष अध्यापिका ने अपने मासिक-धर्म की साफसफाई के बारे में प्रशिक्षित किया है ।



...वह अपने मासिक-धर्म के समय साफ सुधरी रहती है ।



यदि ऐसा है, तो इस प्रकार की बातों में कोई निर्णय लेने से पहले मानसिक मंद स्त्रियों के अधिकारों को ओर ध्यान देना चाहिए ।



246. क्या मानसिक मंद व्यक्तियों को यौन भावनाएँ होती हैं ?

मानसिक मंद व्यक्ति शैशवकाल से विकसित हो कर वयस्क सप्ताह में प्रवेश करते हुए उन्हीं सब भावनाओं, रुचि और शारीरिक आवश्यकताओं से गुज़रते हैं जैसे कि, अविकलांग बच्चे । उनमें भी यौन भावनाओं और यौन इच्छाओं का विकास होता है । परन्तु यौन अभिव्यक्ति की तीव्रता, विकलांगता की गंभीरता बढ़ने के साथ-साथ कम हो जाती है ।

247. क्या मानसिक मंद व्यक्तियों में यौन परिपक्वता उसी आयु में आती है जिसमें कि, सामान्य व्यक्ति की ?

मानसिक मंद व्यक्ति का शारीरिक विकास जिसमें लैगिकता भी सम्मिलित है सामान्यतः किसी भी सामान्य बच्चे के समान ही होती है । परन्तु लैगिक विकास के अप्रधान लक्षण जैसे कि, जंधन बालों का विकास, लड़कों में दाढ़ी, आदि और लड़कियों में वक्षस्थल का विकास, आदि में मानसिक मंद की प्रकृति के आधार पर विलंब हो सकता है ।

248. मानसिक मंद व्यक्ति अपनी यौन आवश्यकताओं को किस प्रकार व्यक्त करते हैं ?

छूना, बोलना, गलेमिलना, चुबनलेना, प्यार करना, लाड़ प्यार करना, रगड़ना, हस्तमैयुन करना, सामान्य यौन संभोग अथवा केवल हाथ पकड़ना कुछ ऐसे तरीके हैं जिसके द्वारा मानसिक मंद व्यक्ति अपनी यौन आवश्यकताओं को अभिव्यक्त करते हैं ।

249. क्या मानसिक मंद व्यक्ति यौन समस्याओं में अधिक सुमेद्ध हैं ?

मानसिक मंद व्यक्ति यौन समस्याओं में अधिक सुमेद्ध होते हैं क्योंकि :-

- यौन भावनाओं और इच्छाओं को सामाजिक रूप से स्वीकार्य तरीके से व्यक्त करना सीखने के सीमित अवसर होते हैं ।

- विवेचन क्षमता कम होती है ।
- व्यवहार के परिणामों को समझने में असमर्थ होते हैं ।
- मानसिक मंद व्यक्तियों को अनुचित रूप से यौन इच्छाये अभिव्यक्त करने पर अनुपयुक्त पुरस्कार देना ।

250. मानसिक मंद व्यक्तियों में साधारणत : यौन समस्याएँ कौन सी होने का समाचार मिलता है ?

मानसिक मंद व्यक्तियों में होने वाली कुछ यौन समस्याएँ है :-

- सार्वजनिक स्थानों में हस्तमैथुन करना ।
- लोगों के बीच कपड़े उतारना,
- अत्याधिक स्नेहमय/अत्याधिक आक्रमणकारी व्यवहार
- अत्याधिक आलिंगन करना अथवा चिपके रहना,
- दूसरों को निरंतर छूना अथवा चिपके रहना,
- अनचाहा गर्भ,
- समलिंग कामी व्यवहार ।

251. क्या मानसिक मंद व्यक्तियों को अपनी यौन इच्छाओं को उचित रूप से पूरा करने में प्रशिक्षण दिया जा सकता है ?

बाल्यावस्था और किशोरावस्था के दौरान औपचारिक यौन शिक्षा कार्यक्रम प्रदान करके मानसिक मंद व्यक्तियों को उनकी यौन आवश्यकताओं को उचित रूप से पूरा करना सिखाया जा सकता है । परन्तु यौन आवश्यकताओं को अभिव्यक्त करने में आत्मनिर्भरता व्यक्ति की मानसिक मंदन की गंभीरता पर निर्भर करती है ।

252. क्या मानसिक मंद व्यक्तियों को काम-वासना (सैक्स) का अधिकार है ?

विकलांगता का विचार किए बिना, सभी व्यक्तियों को समानाधिकार

है। परन्तु प्रत्येक अधिकार के साथ उतनी ही सख्त जिम्मेदारी जुड़ी हुई है। यद्यपि आदर्श यही है कि, मानसिक मंद व्यक्ति भी एक अच्छा और सुखी जीवन व्यतीत करें। लेकिन जब उसकी क्रियाये किसी अन्य व्यक्ति को आलिप्त करती है तो यह केवल अधिकार का ही प्रश्न नहीं उठता बल्कि, उसके परिणामों और जिम्मेदारियों का भी प्रश्न बन जाता है।

253. क्या मानसिक मंद व्यक्ति सामान्य विलिंगी (हैंड्रोसैक्सुअल) संबंध स्थापित कर सकते हैं?

अल्प मानसिक मंद व्यक्ति जिन्हे कोई संबंधित समस्या नहीं है, साधारण विलिंगी संबंध स्थापित कर सकते हैं। परन्तु, जैसे-जैसे मानसिक मंदता की गंभीरता बढ़ती जाती है सामान्य विलिंगी संबंध स्थापित करना उतना ही कठिन हो जाता है।

254. क्या मानसिक मंद व्यक्ति यौन रूप से दुरुपयोग किए जाने में अधिक सुमेद्द्य है?

यौन आवेग पर कमज़ोर नियन्त्रण होने के कारण मानसिक मंद व्यक्ति यौन रूप से दुरुपयोग किए जाने के अधिक सुमेद्द्य होते हैं। अध्ययनों से ज्ञान होता है कि, दुरुपयोग के उच्च स्तर का कारण उनकी वास्तविक विकलागता ही है। मानसिक मंद व्यक्तियों के दुरुपयोग होने की संभावना बढ़ाने वाले कुछ मुख्य तत्व हैं:-

- लैंगिकता और संबंधों के बारे में जानकारी की कमी,
- सार्वजनिक अथवा व्यक्तिगत व्यवहार के बारे में जानकारी की कमी,
- मानसिक मंद व्यक्ति प्रायः पृथक रखे जाते हैं और उन्हें मित्र बनाने के सामाजिक अवसर कम ही प्राप्त होते हैं जिसमें वे अकेलापन/ प्यार की भूख महसूस करते हैं और फलस्वरूप दुर्व्यवहार के अधिक संभाव्य हो जाते हैं।
- उनमें संपर्क के लिए बलपूर्वक इन्कार करने के कौशलों की और आत्मसम्मान की कमी होती है।

पश्चिमी देशों के अनुसंधान परिणामों से ज्ञात होता है कि, आधिकांश व्यक्ति जिन्होंने यौन दुर्व्यवहार किया उसके शिकार मानसिक मंद व्यक्ति ही थे ।

255. मानसिक मंद स्वयं पर हुए यौन-दुर्व्यवहार को सप्रेषित करने में असमर्थ होते हैं । क्या उनके व्यवहार में कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं जिससे यौन दुर्व्यवहार का पता लगाया जा सके ?

कई व्यवहारिक और शारीरिक संकेत हैं जिससे यौन दुर्व्यवहार का पता लगाया जा सकता है :-

- चलने या बैठने में कठिनाई
- अधोवस्त्र फटे होना या दाग लगा होना या खून के धब्बे होना,
- गुप्तागो में दर्द या खुजली होना,
- गुप्तागो अथवा एनल क्षेत्र में खरोचे होना या खून आना,
- मैथुनिक रोग होना,
- गर्भ ठहरना,
- नीद न आना, अचानक और बार-बार भयानक स्वप्न देखना,
- पहले के विश्वसनीय और अच्छे संबंधों वाले व्यक्ति से आँख चुराना,
- अवर्णित पेट का दर्द अथवा खाने की आदतों में बदलाव होना,
- अकेले होने का डर,
- बिस्तर गीला करना (पेशाब कर देना)
- अवकाश के क्रियाकलापों में बदलाव, या पहले आनन्द देने वाली मनोरंजक क्रियाओं में भाग लेने में असुरक्षित होना,
- पापाचार अथवा भाग जाना,
- कपड़े उतारने से, नहाने से या नहलाने से मना करना,

- यकायक शैशव व्यवहार (चूसना, काटना या हिलना)

256. क्या मानसिक मंद व्यक्तियों को वंध्यीकृत (स्टैरिलाईज़ड) करना चाहिए ?

इस प्रश्न का सीधा 'हाँ' 'या' 'न' में उत्तर देना कठिन है क्योंकि, यही किसी भी विकलांग या अविकलांग व्यक्ति पर लागू होता है। वंध्यीकृत करने का निर्णय किसी भी व्यक्ति की विशेष योग्यताओं के आधार पर लिया जा सकता है। सामान्यतः इस प्रकार का निर्णय लेने का दायित्व मानसिक मंद व्यक्ति के माता-पिता या संरक्षक का होता है, फिर भी यह निश्चित करने के लिए कि, यह निर्णय सही है माता-पिता को डॉक्टर (चिकित्सक) के अलावा एक पुनर्वास विशेषज्ञ और जहाँ कहीं सभव हो मानसिक मंद व्यक्तियों को स्वयं भी निर्णय लेने की प्रक्रिया में सम्मिलित कर लेना चाहिए।

257. क्या मानसिक मंद व्यक्तियों में यौन इच्छाओं पर रोक लगाने का प्रयास करना उचित है ?

किसी भी व्यक्ति के (लैगिकता, कामुकता) काम-वासना के अधिकार को रोकना या अस्वीकार करना मनुष्य की मनोवृत्ति का अमानुषिक उल्लंघन (अत्याचार) है। यौन इच्छाओं की उचित अभिव्यक्ति करने में प्रशिक्षण देने से एक मानसिक मंद व्यक्ति के लिए सकारात्मक वयस्क सबध का आनंद लेने के द्वारा खुल जाते हैं।

258. क्या हस्तमैथुन से अन्धापन या कोई कमज़ोरी आ जाती है ?

हस्तमैथुन से किसी प्रकार का कोई अन्धापन या कमज़ोरी नहीं आती। हस्तमैथुन एक हानिरहित यौन सुख का स्रोत है जो व्यक्ति को तनाव मुक्त कर के उसके अपने शरीर के बारे में सिखाता है। पाश्चात्य अध्ययनों से ज्ञात होता है कि, 90% पुरुष और 60% स्त्रियाँ कभी हस्तमैथुन करती हैं।

259. मानसिक मंद व्यक्ति कभी-कभी सबके सामने हस्तमैथुन करते हैं जो कि, बहुत शर्मनाक होता है क्या उनका यह व्यवहार बदला जा सकता है ?

मानसिक मंद व्यक्ति की यह सबसे बड़ी समस्या है कि, वह लैगिकता को स्वीकार्य तरीकों से व्यक्त नहीं कर सकता। मानसिक मंद व्यक्तियों को यह समझना कठिन लगता है कि, उन्हें यह व्यवहार कब और कहाँ करना है। कोई प्रशिक्षित, नैदानिक मनोवैज्ञानिक अथवा विशेष शिक्षक, अभिभावक इन समस्याओं का प्रबंध करने में मार्गदर्शन कर सकते हैं।

260. मानसिक मंद व्यक्ति कभी-कभी पर्दे पर प्रतिमान (मॉडल) देखकर यौन संधि प्रस्ताव की नकल करते हैं। अभिभावक इसमें क्या कर सकते हैं ?

मानसिक मंद व्यक्ति दूसरों को देखकर कई अच्छे या बुरे व्यवहारों की नकल करते हैं। वे यह नहीं समझ पाते कि, ये सामाजिक रूप से उचित हैं या नहीं और ऐसे व्यवहारों की नकल सबके सामने करने से क्या परिणाम होंगे ? क्या यह एक समस्या बन जाएगा ? यदि मानसिक मंद व्यक्तियों को अवसर प्रदान किए जाएं और अन्य अवकाश क्रियाये (घर के अन्दर या घर से बाहर की) सीखने के लिए प्रोत्साहित किया जाए तो यह उन्हें संभवतः विस्तृत विकल्प मिलेगा और नकल करने के लिए सृजनात्मक प्रतिमान भी मिलेंगे।

261. मानसिक मंद व्यक्ति किशोरावस्था या वयस्क होने पर भी माता-पिता के साथ सोने की जिद करते हैं क्या उन्हें इसकी अनुमति दे देनी चाहिए ?

मानसिक मंद व्यक्तियों को कुछ भी सीखने या भुलाने में बहुत समय लगता है। मानसिक मंद व्यक्तियों में यह समझ कम होती है कि, उनके व्यवहार सामाजिक रूप से स्वीकार्य या अनुकूल हैं या नहीं,। ऐसा ही एक व्यवहार जो भारत में बौद्धिक रूप से सामान्य बच्चे के साथ आ



प्रान्तिक यद व्यक्तियों के अधिकार भी अन्य व्यक्तियों के समान ही होते हैं

जाता है वह है अभिभावक के साथ न सोना । परन्तु मानसिक मद व्यक्ति में स्वाभाविक रूप से ये व्यवहार नहीं आ पाता, जब तक कि, माता-पिता द्वारा सचेत प्रयत्न न किया जाए कि, उन्हें अपने मानसिक मद बच्चे को अलग सोना सिखाना है । अलग सोने का प्रशिक्षण 3-5 वर्ष की आयु से देना आरंभ किया जा सकता है या फिर उससे भी पहले । यदि बच्चा अलग सोने से बहुत डर जाता है तो अभिभावक को किसी नैदनिक मनोवैज्ञानिक से व्यावहारिक उपचार के लिए परामर्श लेना चाहिए ।

262. मैं 16 वर्षीय लड़के की माँ हूँ और मुझे उसे नहलाना-धुलाना बहुत मुश्किल लगता है और शर्म आती है । ऐसा कहाँ तक उचित है ?

उचित यही है कि, कोई पुरुष सदस्य आपके बेटे को नहलाने-धुलाने में मदद करे । उचित प्रशिक्षण कार्यक्रम द्वारा मानसिक मद व्यक्तियों को अपनी देखभाल स्वयं करना सिखाया जा सकता है । किसी प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षक से परामर्श प्राप्त करें जो आपको और सबधित व्यक्ति को आपके मानसिक मद बच्चे को नहाने में नैपुण्य हासिल करने में प्रशिक्षण दे सके ।

263. मेरी 20 वर्षीय पुत्री स्नानघर से नहाकर नग्न ही सबके सामने बाहर निकल आती है । क्या उसे इस आदत को छोड़ने का प्रशिक्षण दिया जा सकता है ?

मानसिक मद व्यक्तियों में शर्म की भावना नहीं होती जो कि, अविकलाग व्यक्तियों में सामान्य विकास के दौरान आ जाती है । अतः उन्हें यह समझाने में कठिनाई होती है कि, कौन से व्यवहार सार्वजनिक रूप से किए जा सकते हैं और कौन से गोपनीय रूप से । यह आवश्यक है कि, अभिभावक गोपनीयता की भावना मानसिक मद व्यक्ति में आरंभ से ही डालें । फिर भी, मानसिक मद व्यक्ति को प्रशिक्षण के सही तरीके प्रयोग करके गोपनीयता बनाए रखने का प्रशिक्षण दिया जा सकता है । विशेष

अध्यापक/शिक्षक अथवा मनोवैज्ञानिक से सहायता और परामर्श के लिए संपर्क किया जा सकता है।

264. मानसिक मद व्यक्तियों को कभी-कभी दूसरों के शरीर के गुप्त स्थानों को छूने की आदत होती है। क्या उन्हें ऐसा करने देना चाहिए?

कुछ मानसिक मद व्यक्ति इस प्रकार के सामाजिक रूप से अनुचित व्यवहार सीख लेते हैं जो बड़े शर्मनाक होते हैं। मानसिक मद व्यक्ति इस प्रकार के व्यवहारों में, विभिन्न कारणों से, पड़ जाते हैं जैसे कि दूसरों का ध्यानाकर्षण करने के लिए दूसरों के साथ सामाजिक अतः क्रिया आरंभ करने या बनाए रखने के लिए अथवा यौन भावनायें व्यक्त करने के लिए। क्योंकि, इन व्यवहारों के भिन्न-भिन्न व्यक्तियों के लिए भिन्न-भिन्न कारण हो सकते हैं उनका विश्लेषण करना, उनके प्रवध के लिए सही नीतियाँ अपनाना बहुत आवश्यक हो जाता है। सहायता और परामर्श के लिए किसी मनोवैज्ञानिक अथवा प्रशिक्षित विशेष अध्यापक से संपर्क किया जा सकता है।

265. मानसिक मद व्यक्तियों में यौन समस्याओं को रोकने के लिए माता-पिता और परिवार के सदस्य क्या भूमिका निभा सकते हैं?

माता-पिता प्रायः अपने बच्चों के सबसे पहले और मुख्य यौन शिक्षक होते हैं। वे अपने बच्चों को लैगिकता, सामाजिक व्यवहारों, जीवन के मूल्यों और धारणाओं के बारे में क्या सिखाते हैं यह उनके अपने व्यवहारों, विचारों पर निर्भर करता है, जो वे अपने व्यवहार और शब्दों द्वारा अभिव्यक्त करते हैं। कभी-कभी माता-पिता के लिए अपने मानसिक मद बच्चे के साथ यौन चर्चा करना बड़ा मुश्किल होता है। घनिष्ठ सबध बना कर और नैदानिक मनोवैज्ञानिक, प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ता, मनोशिचकित्सीय अथवा डॉक्टर जैसे विशेषज्ञों से परामर्श प्राप्त करके अभिभावक अपने मानसिक मद व्यक्तियों को यौन इच्छाओं को उचित रूप से अभिव्यक्त करना सीखा सकते हैं और यौन समस्याओं की रोक थाम कर सकते हैं।

NOTES


विवाह

विवाह किसी के जीवन का न केवल उस क्यक्ति के लिए जिसका विवाह होता है बल्कि, उसके माता - पिता के लिए भी एक महत्वपूर्ण अवसर होता है। विवाह एक सामाजिक पद्धति है जो सामान्यतः वयस्कता, आत्मनिर्भरता मातृत्व-पितृत्व और सुरक्षा से जुड़ी होती है। जैसे ही मानसिक मंद व्यक्ति वयस्क होता है माता - पिता उनके भविष्य की सुरक्षा के लिए चित्तित हो जाते हैं। प्रश्न उठने लगते हैं - माता - पिता के न रहने पर क्या होगा? क्या मानसिक मंद व्यक्ति का विवाह हो सकता है जिससे उसके लिए सुरक्षा सुनिश्चित हो जाए? यदि उसका विवाह हो भी जाये उसमें कितनी समस्या है? क्या मानसिक मंद व्यक्तियों को विवाह करने का समानाधिकार है? क्या मानसिक मंद व्यक्ति पति-पत्नी माता-पिता बनने के उत्तरदायित्व उठाने में समर्थ होते हैं? ये और ऐसे ही प्रश्नों के उत्तर देना बड़ा कठिन और जटिल कार्य है क्योंकि, ये प्रत्येक व्यक्ति की योग्यताओं, उसके कानूनी स्तर, सामाजिक-सांस्कृतिक मूल्यों और स्थानीय समुदाय के रिवाज और परिवार विशेष पर निर्भर करता है। फिर भी, इस भाग में अभिभावकों द्वारा पूछे गए कुछ साधारण प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयत्न किया गया है।

मैं अनीता के लिए उपयुक्त चर के बारे में सोच रहा था



लेकिन, तुम यह सब क्यों कह रहे हो ?




मैं घर के पास वाली किराने की दुकान के मालिक के बारे में सोच रहा था, उसके माता - पिता नहीं हैं, ना ही कोई और जिम्मेदारी ।



अनीता मानसिक मद है । जब वह अपनी ही आवश्यकताओं का ध्यान नहीं रख सकती तो वह यह जिम्मेदारी कैसे निपाएगी । और अगर वह एक मानसिक मद बच्चे को जन्म देती तो ?



तुम्हारा मतलब अनीता का कभी विवाह नहीं होगा । हम दोनों क्यों न मनोवैज्ञानिक के पास चले, और विचार-विमर्श करके सही निर्णय ले ।



266. क्या मानसिक मद व्यक्तियों का विवाह हो सकता है ?

विवाह दो सहमत वयस्कों के मध्य एक सम्मिलन है। इसमें साथियों को आपस में सामंजस्य रखना होता है, वैवाहिक जीवन की दिन - प्रतिदिन की जिम्मेदारियों को निभाना होता है। बच्चों को जन्म देना और पालना होता है, भविष्य के लिए योजना बनाना होता है और घर चलाने के लिए पर्याप्त आर्थिक स्रोत जुटाने होते हैं। मानसिक मद व्यक्ति विवाह से सबधित यह सब दायित्व कहाँ तक निभा सकते हैं, यह सब ध्यान रख कर ही, उनके विवाह के बारे में सोचना चाहिए।

परन्तु धरती के नियमानुसार मानसिक मद व्यक्ति को अल्प (अप्रधान) कहा जाता है अतः वे किसी अनुबंध में नहीं पड़ सकते। इसलिए मानसिक मद व्यक्तियों के विवाह की बात रद्द हो जाती है।

267. क्या विवाह मानसिक मदन का उपचार है ?

कुछ अभिभावक अभी भी ऐसा महसूस करते हैं कि, यदि वे अपने मानसिक मद वयस्क को यौन संतोष प्रदान करते हैं, या उनके कंधों पर विवाह के दायित्वों का बोझ डाल देते हैं, तो इससे उनके मानसिक मद बच्चे की समस्या के उपचार में मदद मिलेगी। परन्तु यह एक मनघड़त बात है। मानसिक मदन एक ऐसी स्थिति है जिसका कोई इलाज नहीं है।

268. मानसिक मद व्यक्ति के विवाह का निर्णय लेने से पूर्व किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ?

मानसिक मद व्यक्ति के विवाह का निर्णय लेने से पहले जिन बातों का ध्यान रखना चाहिए वे निम्न लिखित हैं :

- व्यक्ति का क्रियात्मक स्तर और प्रस्तावित साथी,
- व्यावहारिक (वास्तविक) विषयों जैसे कि - आर्थिक स्रोत, रोज़गार का स्तर और बच्चे को जन्म देने का प्रश्न,

- मानसिक मंदता की स्थिति और इसके उलझावों के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करके दोनों साथियों का पूरी स्वीकृति के साथ वैवाहिक बंधन में बंधना।

269. मानसिक मंद व्यक्ति को आजीवन सहारे की आवश्यकता होती है। इस समस्या का सामना करने के लिए अभिभावक कभी - कभी अपने मानसिक मंद बेटे/बेटी को किसी सामान्य व्यक्ति या किसी विकलांग व्यक्ति के साथ जिसकी सामान्य बुद्धि हो, विवाह के बारे में सोचने लगते हैं, क्या यह उचित है ?

विवाह का सार साहचर्य (सहचारिता) है। मानसिक मंद व्यक्ति अपने साथी की सहचर्य आवश्यकताओं को कहाँ तक सतुष्ट कर सकता है यह देखना आवश्यक है। बौद्धिक रूप से सामान्य व्यक्ति के लिए विवाह करना या विवाहोत्तर सबध बनाना बड़ा आसान है, परन्तु मानसिक मंद व्यक्ति के लिए यह मानसिक आघात गंभीर दुष्प्रभाव छोड़ सकता है। मानसिक मंद व्यक्ति के आजीवन सहारे के लिए अन्य कई लाभदायक तरीके भी हैं जैसे कि, परिवारिक स्वाभाविक सहारे आदि। माता - पिता के इस प्रकार का निर्णय लेने से पूर्व उचित यही होगा कि, किसी चिकित्सीय मनोवैज्ञानिक अथवा किसी प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ता से मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए सलाह - मशवरा करे।

270. जहाँ माता या पिता दोनों में से एक मानसिक मंद है वहाँ सामान्य बच्चा पैदा होने की कितनी संभावना है ?

जहाँ एक साथी मानसिक मंद है वहाँ सामान्य बच्चा पैदा होगा, इसकी संभावना इस बात पर निर्भर करती है कि, प्रभावित साथी की ऐसी स्थिति अनुवाशिक है या परिवेश संबंधी। यद्यपि इसकी व्यापकता सूचित करने के लिए कोई अध्ययन उपलब्ध नहीं तथापि ऐसा विवरण मिला है कि, मानसिक मंद अभिभावकों के अधिकांश बच्चे सामान्य बुद्धि के होते हैं।

परन्तु मानसिक मंद बच्चे की दर सामान्य बुद्धि वाले अभिभावकों के मुकाबले एक या दोनों मानसिक मंद अभिभावकों में काफी ज्यादा है। इस क्षेत्र में अनुवांशिक परामर्शदाता मार्गदर्शन कर सकता है।

271. मानसिक मंद व्यक्ति का विवाह कहाँ तक सफल रहता है?

आर्थिक स्रोत, कार्य पाना और उसे बनाए रखने की समर्थता और दोनों साथियों के बीच का मेल सफल विवाह के आवश्यक अंग हैं। उपाख्यान विवरणों से ज्ञात होता है कि, मानसिक मंद व्यक्तियों का रोज़गार स्तर अविकलांग व्यक्तियों जैसा नहीं होता और उन्हे अक्सर आर्थिक समस्यायें आती हैं। ऐसी भी रिपोर्ट मिली है कि, विवाहित मानसिक मंद सामाजिक रूप से अपेक्षाकृत अकेले रह जाते हैं और उनके विश्वसनीय मित्र बहुत कम होते हैं। उन्हें अपने परिवार से लगातार अथवा बार - बार सहोर की आवश्यकता होती है जो कभी - कभी मदद के लिए आगे नहीं आते।

272. यदि कोई मानसिक मंद पुत्र कमाता नहीं और माता - पिता उसकी हर जरूरत पूरी कर देते हैं, क्या माता - पिता को ऐसी स्थिति में अपने बेटे के विवाह के बारे में सोचना चाहिए?

विवाह का सारभूत साहचर्य है। अपने मानसिक मंद बच्चे के विवाह के बारे में निर्णय लेने से पहले माता - पिता/सरक्षक को निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए :

- व्यक्ति का क्रियात्मक स्तर और भावी साथी की मानसिक मंद व्यक्ति से विवाह की स्वीकृति,
- व्यावहारिक विषय जैसे, लगातार आर्थिक सहारा, और स्रोत, रोज़गार का स्तर और बच्चा पैदा करने और पालने का प्रश्न।

इस प्रकार का निर्णय लेने से पहले उचित यही होगा कि, माता - पिता

किसी नैदानिक मनोवैज्ञानिक अथवा प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ता से मार्गदर्शन प्राप्त करें।

273. शोषित होने से बचाने के लिए उचित यही होगा कि, माता - पिता अपने मानसिक मंद पुत्र / पुत्री का विवाह अपने परिवार में ही करे ?

मानसिक मंद व्यक्तियों के आजीवन सहारे के लिए विवाह कोई हल नहीं है। निकट संबंधियों में विवाह मानसिक मंदन की एक बड़ी समस्या है। इसमें मानसिक मंद बच्चा पैदा होने की सभावना बढ़ जाती है। सामाजिक कार्यकर्ता, नैदानिक मनोवैज्ञानिक अथवा विशेष शिक्षक मानसिक मंद व्यक्ति को देखभाल के लिए कुछ दीर्घ कालिक हल ढूढ़ने में अभिभावकों को मदद कर सकते हैं।

274. क्या कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे मानसिक मंद बच्चे के विवाह से संबंधित विभिन्न विषयों के बारे में सही निर्णय लेने में हमारी मदद कर सकते हैं ?

नैदानिक मनोवैज्ञानिक, प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ता, आनुवाशिक परामर्शदाता, मनश्चिकित्सक अथवा कोई भी प्रशिक्षित पुनर्वास विशेषज्ञ विवाह से संबंधित मामलों में अभिभावकों की सहायता कर सकते हैं।

275. मानसिक मंद व्यक्तियों के सामान्य वैवाहिक साधियों को किस प्रकार की सामान्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है ?

अधिकांश विवरण केवल किसी पर ही आधारित है। उनकी प्रतिक्रियाओं से ज्ञात होता है कि :

- यौन असंतोष रहता है।
- वैवाहिक जीवन की मांग को पूरा करने में कठिनाई होती है।
- बच्चा पैदा करने और पालने से संबंधित कठिनाईयाँ आती हैं।



विवाह करने से धार्मिक मदन का उपचार नहीं हो सकता ।

276. क्या किसी मानसिक मंद व्यक्ति को विवाह से संबंधित सामान्य परिवारिक दायित्व निभाने का प्रशिक्षण दिया जा सकता है ।

विकलागता की गंभीरता के अनुसार मानसिक मंद व्यक्तियों को सामान्य परिवारिक दायित्व निभाने का प्रशिक्षण दिया जा सकता है । अधिकांश मानसिक मंद अभिभावकों को आर्थिक सहायता की आवश्यकता होती है, स्वास्थ्य एवं बच्चे की देखभाल में प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है और घर चलाने में दिन - प्रतिदिन की समस्याओं का प्रबंध करने में परामर्श की आवश्यकता होती है । यह सब विशेषज्ञों और अभिभावकों के सहयोग से ही सभव हो सकता है ।

277. मानसिक मंद व्यक्तियों के विवाह कितने स्थायी होते हैं ?

यद्यपि हमारे देश में मानसिक मंद व्यक्तियों के विवाह की मज़बूती पर कोई अनुसंधान नहीं हुआ उपाख्यान प्रतिवेदन से ज्ञात होता है कि, चिकित्सीय मनोवैज्ञानिक या प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ता की विशेष सेवाये दपति को दैनिक जीवन के दायित्वों को निभाने में सहायता प्रदान करने में बड़ी महत्वपूर्ण है ।

278. यदि माता - पिता अपने मानसिक मंद पुत्र / पुत्री का विवाह करने का निर्णय लेते हैं तो उन्हे किस प्रकार की शका एवं दायित्व उठाने को तैयार रहना चाहिए ?

मानसिक मंद व्यक्ति का विवाह करने का निर्णय लेते समय माता - पिता को निम्नलिखित शकायें एवं उत्तर दायित्वों के लिए तैयार रहना चाहिए -

- मानसिक मंद व्यक्ति द्वारा मानसिक मंद बच्चे पैदा करने की सभावना,
- मानसिक मंद व्यक्ति के बच्चे को पाल - पोस कर बड़ा करना,
- आवश्यकता पड़ने पर परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करना,

- मानसिक मंद व्यक्ति को शोषण एवं दुर्व्यवहार से बचाना,
- मानसिक मंदन की गभीरता के अनुसार घर चलाने में शारिरिक सहायता प्रदान करना, मानसिक मंद व्यक्ति को उसके जोड़ीदार (वैवाहिक साथी) द्वारा छोड़ जाना या तलाक दे देना ।

279. मेरी मानसिक मंद पुत्री का विवाह एक अविकलाग आदमी से हुआ है । उनकी आठ वर्ष की एक मानसिक मंद पुत्री है । वे सभी मेरे साथ रहते हैं । कुछ दिनों से मेरी मानसिक मंद पुत्री अपने पति व पुत्री के साथ अलग रहने का हठ कर रही है । उचित क्या है ?

हर किसी को अपनी पसंद के स्थान पर रहने का अधिकार है । यदि माता - पिता को ऐसा महसूस होता है कि, उनकी मानसिक मंद वेटी विवाहित जीवन के सभी दायित्व निभा सकती है तो उन्हे उसे स्वतंत्र रूप से अपने परिवार के साथ रहने की अनुमति दे देनी चाहिए और साथ ही प्रोत्साहन भी देना चाहिए । फिर भी, किसी नैदानिक मनोवैज्ञानिक अथवा किसी प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ता से मार्गदर्शन प्राप्त कर लेना चाहिए ।

NOTES

अभिभावक सहयोग

मानसिक मंद व्यक्तियों और परिवारों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तथा कल्याण क्रिया - कलापों को प्रोत्साहित करने में अभिभावक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। पिछले एक दशक से मानसिक मंद व्यक्तियों के माता - पिता इकट्ठे होकर अभिभावक समूह अथवा अभिभावक संस्थाये बना रहे हैं। हमारे देश में यह मानसिक मंद व्यक्तियों के पुर्नवास प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण माईलस्टोन है। ऐसा देखा गया है कि, सेवाओं का औचित्य भी माता - पिता के सहयोग के बढ़ने से बढ़ जाता है।

अभिभावक संस्थाये उनके समूह की आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न क्रियाओं में लगी हुई हैं जैसे कि, मानसिक मंद बच्चों के लिए सेवा केन्द्र, विशेष विद्यालय, प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र चलाना इसके अलावा, वे अभिभावक से अभिभावक तक जानकारी प्रदान करने में और सवेदनात्मक समर्थन देने में अभिभावक और समुदाय के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने में और अपने मानसिक मंद बच्चों के लिए अधिवक्ता के समान सम्मिलित होने में। अभिभावक संस्थाओं से और अभिभावक आलिप्ती से संबंधित प्रश्न पुस्तक के इस भाग में दिये गए हैं।

बच्चे को प्रशिक्षण के लिए हर सप्ताह आपके पास लाना हमारे लिए बहुत मुश्किल है ।



मैं जानता हूँ, मुश्किल होगा, आपके शहर में मानसिक मंद बच्चे के लिए कोई सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं । मेरे विचार से कुछ अभिभावकों को इकट्ठा होकर अपने शहर में सेवाये आरंभ कर लेनी चाहिए



लेकिन मानसिक मंद बच्चे को कौन प्रशिक्षण देगा ?



हम आपके लिए प्रशिक्षित अध्यापक का पता लगाएंगे और समय - समय पर तकनीकी सहायता भी देते रहेंगे ।



यह बहुत अच्छा रहेगा, मैं इसके बारे में अन्य अभिभावकों से विचार-विमर्श करूँगा ।



280. क्या मानसिक मंद बच्चों के प्रशिक्षण और पुनर्वास में माता - पिता किसी प्रकार से योगदान दे सकते हैं ?

माता - पिता अपने मानसिक मंद बच्चे के प्रशिक्षण एवं पुनर्वास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अभिभावक बच्चे के स्थायी अध्यापक, समाजीकीकरण करने वाले एजेन्ट और मुख्य देखभाल करने वाले होते हैं। क्योंकि, माता - पिता बच्चे के बारे में सबसे अधिक जानते हैं इसलिये प्रभावशाली उपचार कार्यक्रम, अभिभावकों, अध्यापकों और विशेषज्ञों को सम्मिलित करके ही तैयार किया जा सकता है।

281. मानसिक मंद व्यक्तियों और उनके परिवारों के कल्याण को प्रोत्साहित करने के लिए माता - पिता क्या योगदान दे सकते हैं ?

परिवार को परिस्थिति, अभिभावकों के विचार और अन्य तत्व जैसे कि, माता - पिता के पास कितना समय है, उनकी आर्थिक स्थिति उनके योगदान को प्रभावित कर सकती है। अभिभावकों ने या तो सक्रिय रूप से या निष्क्रिय रूप से सभी संभव क्रियाओं और सेवाओं में वहुत योगदान दिया है जिन्हें चार मुख्य क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है।

- मानसिक मंद व्यक्तियों और परिवारों के लिए विभिन्न सेवाओं को स्थापित करना और चलाना जैसे कि, विशेष विद्यालयों, व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों और उत्पादन केन्द्रों को चलाना, अवकाश क्रियाओं और शिविरों का आयोजन करना, अन्य अभिभावकों के साथ जानकारी बाटना, मानसिक मंद बच्चों के अभिभावकों और परिवारों को समर्थन प्रदान करना, और अभिभावकों का विशेषज्ञों के साथ बेहतर संबंध बनाना।
- विशेषज्ञों को मानसिक मंद व्यक्तियों और उनके परिवारों की रुचियों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण एवं उपचार कार्यक्रम में भाग ले कर समर्थन देना, मानसिक मंद बच्चों के बारे में जानकारी उपलब्ध

कराना और उनके परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना ।

- विभिन्न मीडिया का प्रयोग करके जन ज्ञान कार्यक्रम को चलाकर समाज के साथ संपर्क स्थापित करना और रुचि लेने वाले व्यक्तियों को कल्याण एवं पुनर्वास कार्यक्रम में सम्मिलित करना ।
- मानसिक मंद व्यक्तियों और उनके परिवारों के लिए कल्याण एवं पुनर्वास कार्यक्रम से संबंधित स्थानीय, राज्यीय, राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर नीतियां बनाने में पक्ष समर्थक बनकर भाग लेना ।

282. क्या अभिभावकों को अध्यापकों की भूमिका ले लेनी चाहिए ?

अभिभावक अभिभावक होते हैं और अध्यापक अध्यापक होते हैं । अधिक नियमनिष्ठ हो तो यह कहा जा सकता है कि, कोई एक दूसरे का स्थान नहीं ले सकता । अभिभावक स्वभावतः अध्यापक हैं क्योंकि, वे जाने अनजाने अपने बच्चों को कुछ सीखाने में मदद करते रहते हैं । प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापक के मार्गदर्शन में अभिभावक अपने मानसिक मंद बच्चे के प्रशिक्षण कार्यक्रम में अनुपूरक और समर्थक बनकर महत्वपूर्ण रूप से सम्मिलित हो सकते हैं । मानसिक मंद व्यक्तियों को पढ़ाना एक जटिल प्रक्रिया है । यदि कोई अभिभावक मानसिक मंद व्यक्तियों को पढ़ाने का व्यवसाय करने का निर्णय लेता है, तो वह ऐसा किसी विशेष अध्यापक प्रशिक्षण कोर्स द्वारा ही कर सकता है जो देशभर में मानसिक मंद व्यक्तियों के लिए कार्य कर रही विभिन्न संस्थाओं में आयोजित किये गये हैं ।

283. एक अभिभावक किसी दूसरे मानसिक मंद बच्चे के अभिभावक की किस प्रकार मदद कर सकता है ?

एक अनुभवी अभिभावक दूसरे अभिभावक के साथ महत्वपूर्ण भूमिका

निभाता है, जिसके बच्चे का हाल ही में मानसिक मंदन का निदान किया गया है। अनुभवी अभिभावक या ऐसे अभिभावक जो मानसिक मद बच्चा होने के इसी प्रकार के अनुभवों से गुज़र रहे हैं, सर्वेदनात्मक समर्थन, सेवाओं के बारे में जानकारी प्रदान कर सकते हैं और अपनी उपस्थिति से यह तथ्य प्रमाणित करते हैं कि, हम फिर भी जी सकते हैं और मातृत्व - पितृत्व की भाँग को भी पूरा कर सकते हैं।

अभिभावक एक दूसरे को बहुमूल्य समर्थन प्रदान कर सकते हैं क्योंकि, वे एक दूसरे को सुनते हैं एक दूसरे के अनुभव वाटते हैं, और सहायता करते हैं (उदाहरण के लिए, यातायात, लाभप्रद जानकारी और परामर्श)

देश में मानसिक मद बच्चों के कल्याण के लिए कार्यरत कुछ अभिभावक संस्थाओं ने इस प्रकार का 'अभिभावक से अभिभावक को समर्थन कार्यक्रम' आरंभ किए जो बहुत लाभप्रद साबित हुए हैं।

284. बच्चे की आवश्यकताओं को पूरा करने में माता - पिता अध्यापकों की कहाँ तक मदद कर सकते हैं ?

मानसिक मद बच्चा अपने दिन का अधिक भाग माता - पिता के साथ बिताता है। इसलिए माता - पिता अपने बच्चों के विकास को प्रभावित एवं व्यवस्थित करने में बेहतर स्थिति में होते हैं। अभिभावक अपने बच्चे की विशेष समस्याओं और उसकी समर्थताओं और असमर्थताओं के बारे में जानकारी देकर उचित उपचार कार्यक्रम नियोजित करने में अध्यापकों की मदद कर सकते हैं।

अभिभावक अपने बच्चे को विद्यालय में सिखाए गए कौशल अथवा व्यवहारों को घर और अन्य स्थानों में करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। अध्यापक अभिभावक से समर्थन के लिए निवेदन कर सकते हैं ताकि, वे अपने मानसिक मद बच्चों के कार्यक्रम प्राकृतिक वातावरण में जैसे घर, और सामाजिक स्थितियों में आगे बढ़ा सके जो कि, उनके प्रशिक्षण के लिए सर्वोत्तम होता है।

285. क्या अभिभावकों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एकत्रित होना चाहिए ?

मानसिक मद बच्चों के अभिभावकों का सहयोग बढ़ाने के लिए और उन्हें अपने बच्चों के कल्याण के लिए अधिक व्यवस्थित होकर सृजनात्मक योगदान देने के लिए एकत्रित होकर अभिभावक समूह अथवा अभिभावक संस्थाये बनाने को आवश्यकता है ।

286. क्या देश भर में मानसिक मद व्यक्तियों के कल्याण के लिए पहले ही बनी कुछ अभिभावक संस्थाये हैं ?

मानसिक मद व्यक्तियों के कल्याण के लिए प्रथम अभिभावक संस्था सन् 1960के आरंभ में बी. एम इन्स्टीट्यूट अहमदाबाद में बनी थी । कुछ समय की चुप्पी के बाद 1970 के दशक में और 1980 के दशक के आरंभ तक इस समय हमारे देश में 40 पजीकृत अभिभावक संस्थाये हैं, जो मानसिक मद व्यक्तियों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को बढ़ावा देने में लगी हुई हैं ।

अब 4-5 पजीकृत अभिभावक संस्थाये हर वर्ष जुड़ जाती हैं । इन अभिभावक संस्थाओं का विवरण और उनके क्रिया कलाप एन. आई. एम. एच. सिकन्दराबाद द्वारा प्रकाशित निर्देशिका में दिये गये हैं ।

287. एक अभिभावक संस्था किस प्रकार स्थापित की जाती है ?

मानसिक मद बच्चों के रूचि लेने वाले अभिभावक एकत्रित होकर एक संस्था बना सकते हैं जिसमें नियम लिखित वातों का पूरी तरह अध्ययन कर लेना चाहिये ।

- अभिभावक संस्था के उद्देश्य, जो उनकी वर्तमान आवश्यकताओं और भविष्य की योजनाओं पर आधारित होंगे ।
- नियम और अप्रधान लक्ष्य, जैसे कि, संविधान, जो संस्था को चलाने में सहायक होंगे ।

- संस्था के सभी निर्वाचित / नियोजित सदस्यों की सूची, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, खजांची कार्यपालक और जनरलबॉडी मैम्बर्स तैयार करना,
- कोई भी संस्था स्थापित करने के लिए कम से कम आठ सदस्यों की आवश्यकता होती है (माता और पिता इसमें अलग - अलग सदस्य माने जा सकते हैं)

288. अभिभावक संस्था को किन लक्ष्यों की पूर्ति करने की आकांक्षा रखनी चाहिए ?

मानसिक मंद बच्चों के अभिभावक एकत्रित होकर विभिन्न लक्ष्यों की पूर्ति के लिए संस्थाये बनाते हैं। आवश्यकताओं के अनुसार, अभिभावक संस्थाये, मानसिक मंद व्यक्तियों के लिए विद्यालय अथवा व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र आरंभ करते हैं अथवा अभिभावकों को जानकारी देते हैं और समर्थन प्रदान करते हैं। क्रिया - कलापों का स्वरूप कुछ भी हो मगर अभिभावक संस्थाओं के सर्वोपरि उद्देश्य है :

- यह निश्चित करना कि, मानसिक मंद व्यक्तियों को सहायता प्रदान की जा रही है, उनके परिवार अधिक ऐच्छित भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं और वे सामान्य समाज में एक प्रतिष्ठित एवं सम्मानित जीवन व्यतीत कर रहे हैं।
- मानसिक मंद व्यक्तियों की देखभाल करने वाले परिवार, मित्र और अन्य शुभचिन्तकों को समर्थन प्रदान करके सशक्त बनाना,
- मानसिक मंद व्यक्तियों के जीवन की विभिन्न स्थितियों में उन्नति, प्रगति एवं विकास के अनुभव प्रदान करने वाला वातावरण उपलब्ध कराने में सहायता प्रदान करना ।

289. अभिभावक संस्थाओं को सुविधा देने में विशेषज्ञों की क्या भूमिका है?

क्योंकि, विशेषज्ञों का अभिभावकों के साथ अधिक संबंध रहता है, वे आरंभ में मिलने के लिए निष्पक्ष स्थान प्रदान करके, रुचि लेने वाले अभिभावकों के बीच बातचीत आरंभ करने में मदद कर सकते हैं। अभिभावक समूहों की आगे की विशेष आवश्यकताओं के आधार पर विशेषज्ञ समर्थन प्रदान कर सकते हैं जैसे कि, दल की आवश्यकताओं का पता लगाना, अभिभावक समूह की, बैठकों के लिए सुविधाये प्रदान करना, अभिभावकों में आपस के सबधों को बढ़ावा देना, नियम और कार्यक्रम बनाने में सहायता प्रदान करना, तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करना, अभिभावकों को स्रोत जुटाने के लिए प्रेरणा देना और अभिभावकों को अपनी सहायता के लिए सहायक हो ऐसी अन्य क्रियाये प्रदान करना।

290. क्या अभिभावक संस्थाओं को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि, सभी अभिभावक सदस्यों की आवश्यकताये पूरी हो रही हैं ?

अभिभावक एकत्रित होकर संस्था बनाते हैं जिससे उनकी आवश्यकताये पूर्ण हो सकें और वर्तमान पुनर्वास कार्यक्रम को समर्थन देकर मज़बूत बना सकें। अभिभावकों में सामूहिक रूप से कुछ साधारण आवश्यकताये होती हैं जो कि, सामान्यत, अधिकांश सदस्यों की होती हैं मगर कुछ विशेष आवश्यकताये ऐसी भी होती हैं जो केवल कुछ अभिभावक सदस्यों की ही होती हैं। किसी भी अभिभावक संस्था के लिए प्रत्येक अभिभावक सदस्य की वैयक्तिक आवश्यकताओं को पूरा करना सभव नहीं होता चाहे सभी संस्थाओं की आकृक्षा यही हो। अतः यह आवश्यक हो जाता है कि, सहमति के साथ आवश्यकताओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए। अभिभावक सदस्यों की आवश्यकताये कहाँ तक पूरी हो सकती हैं यह निर्भर करता है अभिभावक के इकट्ठे और एक होकर रहने पर।



अभिभावक को सतानता से सेवा औ का अथपूर्ण होना सुनिश्चित है

291. देश में अभिभावक संस्थाओं द्वारा कौन सी विभिन्न क्रियायें ली जाती हैं ?

आजकल अभिभावक संस्थायें कई प्रकार की क्रियाओं में संलग्न हैं जिससे उनकी पारिवारिक आवश्यकताये पूरी हो सके और वर्तमान पुनर्वास सेवाओं को समर्थन देकर सशक्त किया जासके । इसमें निम्न लिखित हैं :

- मानसिक मद व्यक्तियों के लिए सेवायें और प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना जैसे कि, विशेष विद्यालय, व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र, उत्पादन केन्द्र आदि ।
- व्यावसायिकों और विशेषज्ञों द्वारा व्याख्यान, अथवा विचार विमर्श के माध्यम से या फिर समाचार पत्र, पत्र-पत्रिकाओं, सावधिक पत्रिकाओं अथवा अनौपचारिक संवाद एवं विचार विमर्श द्वारा अभिभावक के साथ जानकारी बाटना ।
- आपस में मदद करना, अभिभावक से अभिभावक को समर्थन और परामर्श सेवाओं द्वारा परिवार के सदस्यों की आवश्यकताये पूरी करना ।
- मानसिक मद बच्चों और परिवारों के लिए सामाजिक मेल मिलाप, पिकनिक, अवकाश क्रिया कलाप, और खेल क्रियाओं का आयोजन करना । अध्यापक / अभिभावक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन करना ।
- प्रदर्शनी आदि की व्यवस्था करके सामाजिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना । विशेषज्ञों और अभिभावकों के बीच उचित संबंध बनाए रखने का कार्य करना ।
- मानसिक मद बच्चे और उनके परिवारों की आवश्यकताओं का समर्थन करना और विभिन्न स्तरों पर, स्थानीय, राज्यीय, राष्ट्रीय अथवा अंतराष्ट्रीय नीतियाँ बनाने की प्रक्रिया में सम्मिलित होना ।

292. अभिभावक संस्थाओं में किन लोगों को सदस्य के रूप में सम्मिलित करना चाहिए ?

मानसिक मंद वच्चों के माता और पिता दोनों के लिए अभिभावक सदस्य बनना आवश्यक है और अभिभावक संस्था की क्रियाओं में समान रूप से भाग लेने की कोशिश करनी चाहिए। अभिभावक सदस्यों के अलावा जिनका बहुमत रहना ही चाहिए जिससे संस्था का पूरा ध्यान अभिभावक / परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने में केन्द्रित रहे। अन्य सदस्य जो सम्मिलित किए जा सकते हैं वे हैं : शुभ - चिन्तक/ संरक्षक, तकनीकी विशेषज्ञ और अन्य सक्रिय, रुचि लेने वाले और सबंद्ध व्यक्ति ।

293. अभिभावक संस्थाओं में भाई-बहनों की क्या भूमिका है ?

भाई-बहन, मानसिक मंद व्यक्तियों और माता-पिता के लिए भी, प्राकृतिक परिवार समर्थन व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भाग है। भाई-बहनों का वर्तमान अथवा भविष्य में योगदान कितना है यह संबंध निर्भर करता है माता-पिता के पालन पोषण पर और उनके आरंभिक प्रशिक्षण एवं संबद्धता पर। अभिभावकों को मानसिक मंद वच्चों के भाई-बहनों को अभिभावक संस्था की क्रियाओं में सम्मिलित करना चाहिए। भाई-बहन संस्था में एक उपसमूह बना सकते हैं और इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन कर सकते हैं जैसे कि, सृजनात्मक अवकाश अथवा खेल क्रियाये जो मानसिक मंद व्यक्तियों और अविकलाग व्यक्तियों के बीच स्वस्थ अंतःक्रिया को बढ़ावा देती है। विशेषज्ञों द्वारा संवाद का आयोजन किया जा सकता है जिससे वे अपने मानसिक मंद भाई-बहनों की विशेष आवश्यकताओं के बारे में जान सकें। उनको ज्यादा अच्छी तरह से सभाल सकें अथवा मानसिक मंद भाई-बहन होने के अनुभव आपस में बाँट सकें जिससे उन्हें आपसी समर्थन मिल सके ।

294. अभिभावक संस्था में समुदाय की क्या भूमिका है ?

अभिभावक संस्था की सत्ता बनाए रखने के लिए समाज का सहयोग अत्यावश्यक है। समाज अभिभावक संस्था का पालन पोषण करता है और उसे विकसित करता है। चंदा इकट्ठा करने में, ज्ञान कार्यक्रम और पुनर्वास कार्यक्रम में सदस्यों की सहायता करता है।

295. देश में अभिभावक संस्थाओं का अन्य संस्थाओं के साथ संबंध कैसे सुविधाजनक बनाया जा सकता है ?


सरकारी / गैर - सरकारी संगठनों की राष्ट्रीय बैठकों में भाग लेकर, समाचार पत्रों में अपने कार्यक्रमों के उद्देश्यों से संबंधित विज्ञापन देकर और अन्य संस्थाओं के साथ सहयोगी परियोजनाएं चालू करके अभिभावक संस्थाये अपने संबंध बढ़ा सकती हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आरंभ में एन. आई. एम. एच. सिकन्दराबाद में 30 नवम्बर 1990 में मानसिक मंद व्यक्तियों के कल्याण के लिए कार्यरत पंजीकृत अभिभावक संस्थाओं की प्रथम बैठक का आयोजन किया गया। इसी प्रकार की दूसरी राष्ट्रीय अभिभावक बैठक 11 - 12 जुलाई 1994 में एन. आई. एम. एच. सिकन्दराबाद में ही फिर आयोजित की गई।

सामुदायिक सहयोग

मानसिक मंद व्यक्तियों का समुदाय द्वारा स्वीकार कर लेना उनके पूर्ण पुनर्वास की उपलब्धि के लिए अति आवश्यक है। उचित प्रशिक्षण द्वारा मानसिक मंद व्यक्ति स्वयं को समाज के लिए एक उपयुक्त सदस्य और योगदाता सिद्ध कर रहे हैं। अब यह समुदाय का दायित्व है कि, वह उनके लिए सभी द्वारा खोल दें और सभी संभव अवसर उपलब्ध कराए ताकि, उन्हें विकसित एवं सामान्य होने में मदद मिल सके बजाए इसके कि, उन्हें समाज का असमर्थ हिस्सा कह कर कलंकित करें। समुदाय में इस प्रकार का सकारात्मक बदलाव आ रहा है, परन्तु इस बदलाव की गति को बढ़ाने की आवश्यकता है। आस - पड़ोस के लोग, मित्रगण, सोसंबंधी, नियोक्तागण, सह - कर्मचारी, खेल के साथी, सह - यात्री और समुदाय के अन्य नागरिकों को यह सिखाने की आवश्यकता है कि, वे किस प्रकार मानसिक मंद व्यक्ति और उसके परिवार वालों को मदद करने में योगदान दे सकते हैं, और उन्हे भारत के स्वतन्त्र नागरिक की तरह रहने के समान अधिकार दे सकते हैं। अभिभावक और परिवार के अन्य सदस्यों को कभी - कभी समुदाय के व्यक्तियों द्वारा मानसिक मंद व्यक्तियों की उपेक्षा और अस्वीकृति के विचारों का सामना करने में बड़ी कठिनाई होती है। समुदाय के लोगों द्वारा मिलने वाले सहयोग को कैसे बढ़ाया जाए? क्या मानसिक मंद व्यक्तियों के माता-पिता और परिवार के अन्य सदस्य समुदाय का समर्थन प्राप्त करने के लिए स्वयं कुछ कर सकते हैं? समुदाय के लोग किस प्रकार का योगदान दे सकते हैं? इस भाग में ऐसे ही और इस से सम्बन्धित कई प्रश्नों के उत्तर दिये गए हैं।

आप 200 रुपये प्रति माह बस का शुल्क मांग रहे हैं। मैं यह देने में असमर्थ हूँ हमारी देख भाल के लिए इस के पिता भी जीवित नहीं हैं।

आप इसे स्कूल लाने और ले जाने का काम स्वयं ही क्यों नहीं कर लेती।



यह मैं कैसे कर सकती हूँ बच्चा शारीरिक रूप से विकलाग है। एक दस वर्ष के बच्चे को गोद में उठा कर तीन तीन बसे बदलना मेरे लिए बहुत मुश्किल है।

बच्चा, मैं सोचूँगी इस के लिए क्या किया जा सकता है आप मुझ से अगले सप्ताह में मिलो।



अगले सप्ताह

मैंने टैक मैक कपनी के मालिक से बात की थी। वे बच्चे के उत्तरदायी होने के लिए सहमत हो गए हैं और बस शुल्क भी वही देंगे।

इस मेहरबानी के लिए भगवान उनका और उनके परिवार वालों का भला करें। उन्होंने तो मेरी सारी मुश्किलें दूर कर दी।



296. क्या मानसिक मंदन एक सामाजिक समस्या है ?

मानसिक मंद व्यक्तियों की सामाजिक स्वीकार्यता इस बात पर निर्भर करती है कि, उस समुदाय के लोग उन्हें कैसे देखते हैं। किसी भी मानसिक मंद व्यक्ति का प्रतिरूप ज्यादा इस बात पर निर्भर करता है कि, वह समाज के लिए कितना लाभप्रद एवं उत्पादक सदस्य है। जहाँ मानसिक मंद व्यक्तियों को सामने नहीं लाया जाता और समाज के साथ मिलने - जुलने की अनुमति नहीं दी जाती वहाँ ऐसे लोगों का अस्वीकारात्मक प्रतिरूप बन जाता है। मानसिक मंद व्यक्तियों को प्रशिक्षित एवं स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य है, जहाँ तक सभव हो सके, उन्हें आत्म - निर्भर बनाकर समाज का अंगभूत बनाना।

297. मानसिक मंद बच्चे के परिवार अपने आप को समुदाय से पृथक महसूस करते हैं। क्या इसका परिवार पर कोई दुष्प्रभाव पड़ता है ?

सामाजिक पृथक्करण एक द्विमुखी प्रक्रिया है। एक ओर यह समुदाय के स्वीकार न करने का परिणाम हो सकता है, दूसरी ओर यह परिवार की अपनी समझ और स्वयं ही किसी में भाग न लेने के कारण भी हो सकता है। लम्बे समय का पृथक्कीकरण मानसिक मंद बच्चे के विकास पर दुष्प्रभाव छोड़ सकता है। इसमें समर्थन जैसे कि, पड़ोसियों, मित्रों सहकर्मचारियों, धार्मिक समूहों अथवा परिवार के विस्तृत सदस्यों से अपादान अथवा सबेगात्मक समर्थन प्राप्त करने की संभावना भी बहुत कम हो जाती है। इस प्रकार का समर्थन, परिवार के लिए मानसिक मंद बच्चे की अवस्था का बेहतर ढंग से सामना करने के लिए बहुत आवश्यक है।

298. क्या अभिभावक इस प्रकार का समर्थन प्राप्त करने के लिए अपने आप को सम्मिलित कर सकते हैं ?

मानसिक मंद व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समुदाय के

समर्थन की बड़ी आवश्यकता होती है। समुदाय के लोगों को यह जानना और समझना चाहिए कि, मानसिक मंद व्यक्ति कौन है? उनकी विशेष आवश्यकतायें कैसी हैं? और उन्हें बेहतर रूप से विकसित होने के लिए, उपलब्धि के लिए और योगदान देने के लिए समुदाय के लोगों से किस प्रकार की स्वीकार्यता और समर्थन की आवश्यकता होती है। समुदाय समर्थन प्राप्त करने के लिए अभिभावकों को चाहिये कि, वे अपने मानसिक मंद बच्चों को पास - पड़ौस और समुदाय के लोगों के साथ अंत क्रिया करने की अनुमति दे दे।

- जहाँ कहीं सभव हो सके लोगों से अथवा लोगों के समूहों से मानसिक मंद व्यक्तियों की आवश्यकताओं और योग्यताओं के बारे में बात करे।
- मानसिक मंद व्यक्तियों द्वारा उत्पादित उत्पादनों की प्रदर्शनी लगा कर आम जनता के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन करें।
- मानसिक मंद व्यक्तियों की क्षमताओं के बारे में साहित्य लिखकर योगदान दे।

299. सबसे बड़ी कठिनाई जिसका सामना माता - पिता को करना होता है वह है अपने बच्चे की स्थिति के बारे में समुदाय के लोगों को बताना। हम अपने बच्चे का सकारात्मक प्रतिमान कैसे बना सकते हैं क्या इसके लिए कुछ मार्गदर्शी सिद्धान्त हैं?

माता - पिता अपने मानसिक मंद बच्चों को अपने साथ लोगों में या परिवार के समारोहों में ले जाने से झिझकते हैं इस का एक प्रतिवेदित कारण है कि, वे लोगों को अपने बच्चे की स्थिति से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने में कठिनाई एवं संकोच अनुभव करते हैं। लोगों के दिलों में मानसिक मंद व्यक्तियों के लिए सही धारणाये बनाने के लिए अभिभावकों को चाहिए कि, वे दूसरों को बच्चे की स्थिति के बारे में उचित रूप से बताएँ जो वे तभी कर सकते हैं जब वे स्वयं बच्चे की

स्थिति से पूर्णतया अवगत हो । सच्चा संप्रेषण तभी संभव है जब अभिभावक अपनी अपराध और शर्म की भावनाओं से मुक्त होकर अपने मानसिक मंद बच्चे को जैसा वह है उसे उसी रूप में स्वीकार करें, बजाए इसके कि, सोचते रहें कि, उसे कैसा होना चाहिए था । अपने बच्चे के बारे में दूसरों के प्रश्नों के उत्तर देते हुए माता - पिता को सत्यशील, सुस्पष्ट और खुला होना चाहिए । अधिक लाभप्रद होगा यदि इस बात पर अधिक ज़ोर देंगे कि, उनका बच्चा क्या - क्या कर सकता / सकती है, बजाए इसके कि, वह क्या नहीं कर पाता / पाती ।

300. बच्चे के व्यवहार से होने वाली शर्मिन्दगी के कारण हमने अपने मित्रों के बीच आना - जाना छोड़ दिया है इसलिए कुछ मित्रों ने भी हमारे घर आना जाना छोड़ दिया है । आपके विचार से इस का कोई प्रभाव हमारे मानसिक मंद बच्चे पर पड़ेगा ?

मानसिक मंद व्यक्ति के सामाजिक कौशलों के विकास पर सीमित सामाजिक अंतःक्रिया का महत्वपूर्ण रूप से प्रभाव पड़ता है । इस बात की भी अधिक सभावना रहती है कि, बच्चा अपने अस्वीकार्य व्यवहारों के कारण सामाजिक स्वीकार्यता भी खो दे । मानसिक मंद व्यक्तियों के व्यवहारों को सुधारा जा सकता है और उनका नियन्त्रण जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करना चाहिए । व्यावहारिक तकनीकों में प्रशिक्षित नैदानिक मनोवैज्ञानिक अथवा विशेष शिक्षकों से परामर्श प्राप्त किया जा सकता है ।

301. आस - पड़ोस के बच्चे मेरे बच्चों के साथ मेल - जोल नहीं रखना चाहते । उनके संबंधों को बेहतर बनाने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ ?

मानसिक मंद बच्चों वाले परिवारों को, बच्चे के प्रति पास - पड़ोस के लोगों की प्रतिक्रियाओं का सामना प्रायः करना पड़ता है । ये प्रतिक्रियायें दया और सहायतापूर्ण भी हो सकती हैं और भयानक और उपेक्षापूर्ण भी

हो सकती है। पास - पड़ोस में बेहतर संबंध बनाने के लिए अभिभावकों को स्वयं ही पहल कर लेना चाहिए। इसके लिए पास-पड़ोस के बच्चों को घर में छोटी - मोटी पार्टी या समारोह में आमत्रित किया जा सकता है। इससे दूसरे बच्चों को मानसिक मंद बच्चे के साथ मेल - मिलाप बढ़ाने का अवसर मिलता है। माता - पिता को ऐसे अवसर का लाभ उठाना चाहिए और दूसरे बच्चों को अपने बच्चे की विकलांगता के बारे में बताना चाहिए और यह भी कि, वे किस प्रकार सहायक हो सकते हैं। कुछ अभिभावकों को पास - पड़ोस के बच्चों के लिए सामूहिक खेल आयोजित करना बहुत लाभप्रद लगा। मानसिक मंद बच्चों को सामर्जिक एवं खेल कौशल भी सिखाने चाहिए जिससे उन्हें दूसरों के साथ मिलने - जुलने में मदद मिल सके। इस के लिए किसी विशेष अध्यापक अथवा मनोवैज्ञानिक से सहायता प्राप्त की जा सकती है।

302. क्या मानसिक मंद व्यक्तियों एवं उनके परिवारों के प्रति समुदाय के अस्वीकारात्मक विचारों को बदलना सम्भव है ?

सरकारी और गैर - सरकारी संस्थाओं द्वारा चलाए जा रहे ज्ञान अभियान मानसिक मंद व्यक्तियों के बारे में समाज में लगातार बेहतर समझ बना रहे हैं। विभिन्न मीडिया विशेष रूप से टेलीवीज़न ने जनता को शिक्षित करके मानसिक मंदन से संबंधित समस्याओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने में मदद की है। विभिन्न गैर - सरकारी संस्थायें जिसमें अभिभावक संस्थायें भी सम्मिलित हैं और “राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान” ने समाज में मानसिक मंद व्यक्ति को स्वीकार करने में मदद करने के लिए ज्ञान कार्यक्रम का आयोजन किया है। यदि सही तरीके अपनाए जाएं तो विचारात्मक बदलाव धीरे - धीरे आता है लेकिन आता निश्चित रूप से है। समुदाय के अभिभावकों, विशेषज्ञों और शुभचिन्तकों को अपने प्रयत्न जारी रखने चाहिए विशेष रूप से यह बताना चाहिए कि, मानसिक मंद व्यक्ति क्या करने में समर्थ हैं और वे क्या कर सकते हैं।

स्थिति से पूर्णतया अवगत हों। सच्चा संप्रेषण तभी संभव है जब अभिभावक अपनी अपराध और शर्म की भावनाओं से मुक्त होकर अपने मानसिक मंद बच्चे को जैसा वह है उसे उसी रूप में स्वीकार करें, बजाए इसके कि, सोचते रहें कि, उसे कैसा होना चाहिए था। अपने बच्चे के बारे में दूसरों के प्रश्नों के उत्तर देते हुए माता - पिता को सत्यशील, सुस्पष्ट और खुला होना चाहिए। अधिक लाभप्रद होगा यदि इस बात पर अधिक ज़ोर देंगे कि, उनका बच्चा क्या - क्या कर सकता / सकती है, बजाए इसके कि, वह क्या नहीं कर पाता / पाती।

300. बच्चे के व्यवहार से होने वाली शर्मिन्दगी के कारण हमने अपने मित्रों के बीच आना - जाना छोड़ दिया है इसलिए कुछ मित्रों ने भी हमारे घर आना जाना छोड़ दिया है। आपके विचार से इस का कोई प्रभाव हमारे मानसिक मंद बच्चे पर पड़ेगा ?

मानसिक मंद व्यक्ति के सामाजिक कौशलों के विकास पर सीमित सामाजिक अंतःक्रिया का महत्वपूर्ण रूप से प्रभाव पड़ता है। इस बात की भी अधिक संभावना रहती है कि, बच्चा अपने अस्वीकार्य व्यवहारों के कारण सामाजिक स्वीकार्यता भी खो दे। मानसिक मंद व्यक्तियों के व्यवहारों को सुधारा जा सकता है और उनका नियन्त्रण जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करना चाहिए। व्यावहारिक तकनीकों में प्रशिक्षित नैदानिक मनोवैज्ञानिक अथवा विशेष शिक्षकों से परामर्श प्राप्त किया जा सकता है।

301. आस - पड़ोस के बच्चे मेरे बच्चों के साथ मेल - जोल नहीं रखना चाहते। उनके संबंधों को बेहतर बनाने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ ?

मानसिक मंद बच्चों वाले परिवारों को, बच्चे के प्रति पास - पड़ोस के लोगों की प्रतिक्रियाओं का सामना प्रायः करना पड़ता है। ये प्रतिक्रियायें दया और सहायतापूर्ण भी हो सकती हैं और भयानक और उपेक्षापूर्ण भी

हो सकती है। पास - पड़ोस में बेहतर संबंध बनाने के लिए अभिभावकों को स्वयं ही पहल कर लेना चाहिए। इसके लिए पास-पड़ोस के बच्चों को घर में छोटी - मोटी पार्टी या समारोह में आमत्रित किया जा सकता है। इससे दूसरे बच्चों को मानसिक मंद बच्चे के साथ मेल - मिलाप बढ़ाने का अवसर मिलता है। माता - पिता को ऐसे अवसर का लाभ उठाना चाहिए और दूसरे बच्चों को अपने बच्चे की विकलांगता के बारे में बताना चाहिए और यह भी कि, वे किस प्रकार सहायक हो सकते हैं। कुछ अभिभावकों को पास - पड़ोस के बच्चों के लिए सामूहिक खेल आयोजित करना बहुत लाभप्रद लगा। मानसिक मंद बच्चों को सामर्जिक एवं खेल कौशल भी सिखाने चाहिए जिससे उन्हें दूसरों के साथ मिलने - जुलने में मदद मिल सके। इस के लिए किसी विशेष अध्यापक अथवा मनोवैज्ञानिक से सहायता प्राप्त की जा सकती है।

302. क्या मानसिक मंद व्यक्तियों एवं उनके परिवारों के प्रति समुदाय के अस्वीकारात्मक विचारों को बदलना संभव है ?

सरकारी और गैर - सरकारी संस्थाओं द्वारा चलाए जा रहे ज्ञान अभियान मानसिक मंद व्यक्तियों के बारे में समाज में लगातार बेहतर समझ बना रहे हैं। विभिन्न मीडिया विशेष रूप से टेलीवीज़न ने जनता को शिक्षित करके मानसिक मंदन से संबंधित समस्याओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने में मदद की है। विभिन्न गैर - सरकारी संस्थाये जिसमें अभिभावक संस्थाये भी सम्मिलित हैं और “राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान” ने समाज में मानसिक मंद व्यक्ति को स्वीकार करने में मदद करने के लिए ज्ञान कार्यक्रम का आयोजन किया है। यदि सही तरीके अपनाए जाए तो विचारात्मक बदलाव धीरे - धीरे आता है लेकिन आता निश्चित रूप से है। समुदाय के अभिभावकों, विशेषज्ञों और शुभचिन्तकों को अपने प्रयत्न जारी रखने चाहिए विशेष रूप से यह बताना चाहिए कि, मानसिक मंद व्यक्ति क्या करने में समर्थ हैं और वे क्या कर सकते हैं।


303. कुछ लोग हमारे बच्चे में अधिक रुचि दर्शाते हैं और इसके इलाज के लिए कई प्रकार के सुझाव भी देते हैं जो हम जानते हैं कि, सही नहीं होते। हमें ऐसे लोगों से बच कर रहना बहुत मुश्किल लगता है। क्या इन लोगों से निपटने का कोई विशेष तरीका है ?

कुछ लोग सभवत : जिज्ञासावश एवं आपकी सहायतार्थ कई प्रकार के सुभाव देते हैं जो आपको काम के नहीं लगते। सामान्यतः ऐसे लोगों को मानसिक मंद की स्थिति की समस्याओं की बड़ी सीमित जानकारी होती है। यदि आप उन्हें अपने बच्चे की स्थिति के बारे में पूरी ईमानदारी से जानकारी दें और उन्हें बताएँ कि, आपने विशेषज्ञों की सलाह ली है, यदि वास्तव में ली हो तो, यह सहायक सिद्ध हो सकता है। कभी – कभी बातचीत का विषय ही बदल देना चाहिए यह कठिन तो होता है मगर असभव नहीं। अभिभावकों को यह समझ लेना चाहिए कि, कुछ भी करने के लिए अंतिम निर्णय उनका अपना ही होता है।

304. मानसिक मंद बच्चों वाले परिवारों को समुदाय किस प्रकार समर्थन प्रदान कर सकता है ?

मानसिक मंद बच्चों वाले परिवारों को समुदाय के लोग जो सबसे बड़ा समर्थन प्रदान कर सकते हैं वे हैं :

- मानसिक मंद व्यक्तियों को जैसे वे हैं वैसे ही स्वीकार करके और उनकी उन्नति एवं विकास के लिए, शिक्षण, प्रशिक्षण, रोज़गार, मनोरंजन के समान अवसर प्रदान करके देश के अन्य नागरिकों की भाति सामान्य जीवन व्यतीत करने में मदद करें।
- मानसिक मंद व्यक्तियों के लिए हो रही कल्याण क्रियाओं को पैसे द्वारा, समय देकर या कौशलों द्वारा, जो भी संभव हो, योगदान देकर प्रोत्साहित करें।



पुनर्जीव कार्यक्रम के प्रतिसाहन के लिए सम्प्रदाय का सहयोग आवश्यक है।

305. क्या रोटरी क्लब, लायन्स क्लब, रैडक्रास आदि स्वयंसेवी संस्थाये मानसिक मंद बच्चों के परिवारों की किसी प्रकार से सहायता कर सकती है ?

रोटरी क्लब, लायन्स क्लब, रैडक्रांस जैसी स्वयंसेवी संस्थाये मानसिक मंद बच्चे के परिवारों की अनेक प्रकार से सहायता करती रही हैं जैसे कि :

- देश में विशेष विद्यालयों की स्थापना करना,
- एक विशेष विद्यालय के लिए किसी गरीब परिवार के सदस्य को भर्ती करना,
- विशेष विद्यालय में टेबल फैन, टाईपराईटर, और अन्य उपकरण दान में देना,
- मानसिक मंद व्यक्तियों के लिए कार्यक्रम आयोजित करने के लिए धन एकत्रित करना,
- मानसिक मंद बच्चों के लिए पिकनिक और अन्य आमोद - प्रमोद की क्रियाओं का आयोजन करना,
- योग्य मंद विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करना,
- जाँचने / परखने के लिए शिविरों का आयोजन करना,
- जनता में जागरूकता लाने के लिए कार्यक्रमों का आयोजन करना, इत्यादि ।

मानसिक मंद व्यक्तियों और उनके परिवारों की आवश्यकताओं को और उनके विशेषज्ञों के साथ संबंधों को उचित रूप से समझ कर मानसिक

मंद व्यक्तियों के लिए कल्याण कारी क्रिया - कलाप और प्रशिक्षण कार्यक्रम को प्रोत्साहित करने में इस प्रकार की संस्थाये एक विशेष स्रोत बन सकती हैं और लाभप्रद सिद्ध हो सकती हैं ।

306. क्या धार्मिक संस्थायें, मानसिक मंद बच्चों के परिवारों को किसी प्रकार का सहयोग दे सकती हैं ?

धार्मिक संस्थायें मानसिक मंद बच्चे के अभिभावकों को सर्वेदनात्मक समर्थन प्रदान कर सकती हैं । इसके अलावा कुछ धार्मिक संस्थायें कुछ अभावग्रस्त परिवारों को सामग्री अथवा अर्थिक सहयोग भी प्रदान करती हैं । मानसिक मंद बच्चा होने की परिस्थिति का सामना करने के लिए इस प्रकार की सामग्री एवं अर्थिक सहयोग बहुत से अभिभावकों के लिए आवश्यक होता है । परन्तु यहाँ यह जान लेना आवश्यक है कि, मानसिक मंद बच्चे को जीवन में आत्मनिर्भर होकर कार्य करने के लिए सुव्यवस्थित प्रशिक्षण अति आवश्यक है जिसके लिए विशेषज्ञों से सहायता लेने की आवश्यकता होती है ।

छात्रावास

पश्चिमी देशों के असदृश हमारे देश में राज्यीय सरक्षित छात्रावास संस्थान सुविधाये बहुत कम हैं। इतिहास में, छात्रावास सुविधायें, मानसिक मंद व्यक्तियों को समुदाय से पृथक रखने के लिए स्थापित की जाती थी क्योंकि, उन्हें प्रशिक्षण के योग्य नहीं समझा जाता था और परिवार एवं समाज के लिए बाधा समझा जाता था। लेकिन् अब समय बदल गया है इसलिए समाज में मानसिक मंदन की परिभाषा और अनुभूति भी बदल गई है। आज पुनर्वास प्रक्रिया में मानसिक मंद व्यक्तियों को छात्रावास संस्थाओं में भेजने से हतोत्साहित किया जाता है क्योंकि, ये जीवन को सामान्य स्वरूप नहीं प्रदान करता। फिर भी, कभी-कभी अस्थायी अथवा दीर्घकालिक छात्रावास सुविधायें अंतिम विकल्प के रूप में अनिवार्य हो जाती हैं उदाहरण के लिए जब परिवार अत्यधिक तनाव से गुजर रहा हो और मानसिक मंद बच्चे की उचित रूप से देखभाल करने में असमर्थ हो। स्वयसेवी संस्थानों द्वारा चलाए जा रहे लगभग एक तिहाई विशेष विद्यालयों में छात्रावास सुविधाये उपलब्ध हैं। प्रायः माता-पिता यह सवाल करते हैं कि, क्या उनके मानसिक मंद बच्चे के लिए छात्रावास सुविधा लाभप्रद रहेगी? छात्रावास में किस प्रकार की सुविधाये एवं कार्यक्रम उपलब्ध होते हैं इस भाग में अभिभावकों द्वारा उठाए गए इन मामलों को लिया गया है।



307. मानसिक मंद व्यक्तियों के लिए जीने का सर्वोत्तम प्रबंध क्या हो सकता है ?

माता - पिता और भाई - बहनों के साथ अपने घर में रहना मानसिक मंद व्यक्तियों के जीने के लिए सर्वोत्तम प्रबंध है । घर में रहने से एक प्राकृतिक सुरक्षा मिलती है और एक ऐसा वातावरण मिलता है जिसमें प्रभावशाली प्रशिक्षण दिया जा सकता है । मानसिक मंद बच्चा होने से परिवार के सदस्य अनेक प्रकार के तनाव से गुज़रते हैं और उन्हें कई प्रकार के समझौते करने पड़ते हैं जिस के लिए माता - पिता कभी - कभी बड़े निराश होकर छात्रावास सुविधाये ढूढ़ते हैं । ऐसा देखा गया है कि, यदि उचित विशेषज्ञों, परिवारिक एवं सामुदायिक सहयोग, प्रभावित बच्चे और परिवार को आवश्यकता के अनुसार आजीवन प्रदान किया जाए तो यह परिवार को ऐसे संकट एवं अतिरिक्त मांग का सामना करने में सशक्त बनाता है और बच्चे के प्रशिक्षण अथवा स्थापना से संबंधित उचित निर्णय लेने में समर्थ बनाता है ।

308. सामान्य व्यक्तियों को वयस्क होने पर यह निर्णय लेने का अधिकार मिलता है कि, वह परिवार के साथ रहना चाहता है या परिवार से दूर । क्या मानसिक मंद व्यक्ति को यह अधिकार दिया जा सकता है ?

सामान्य व्यक्तियों के असदृश अधिकाश मानसिक मंद व्यक्ति यह निर्णय लेने में असमर्थ होते हैं कि, वे स्वतन्त्र रूप से रह पाएंगे या नहीं क्योंकि, उनकी बौद्धिक क्षमताएं सामान्य से भी कम होती हैं । मानसिक मंद व्यक्ति किस सीमा तक स्वतन्त्र रूप से रह सकता है यह उसकी मानसिक मदन की गंभीरता पर निर्भर करता है । वर्तमान परिस्थिति में हमारे देश में मानसिक मंद व्यक्ति के लिए विकल्प उपलब्ध हैं या तो वह अपने परिवार में भाई - बहनों के साथ रह सकता है या किसी संस्था में ।

309. छात्रावास क्या होता है ? मानसिक मंद व्यक्तियों को इसमें कौन

सी सुविधाये प्रदान की जाती हैं ?

छात्रावास एक सार्वजनिक सरकारी अथवा गैर सरकारी सुविधा अथवा भवन होता है जो व्यक्तियों को 24 घण्टे का विशेष आवास सुविधाये प्रदान करता है। मानसिक मंद व्यक्तियों के छात्रावास में मानसिक मंद व्यक्ति 24 घण्टे के निरीक्षण में रहते हैं। व्यक्तियों के क्रिया - कलाप, सुस्पष्ट औपचारिक नियमावली की पद्धति और कुछ अधिकारियों की समीति द्वारा निर्धारित की जाती हैं।

अच्छे निरीक्षण बाले छात्रावासों में मानसिक मंद व्यक्तियों के लिए संपूर्ण पुनर्वास सेवाये प्रदान की जाती हैं। उचित रूप से चलाए गए छात्रावासों में संतुलित भोजन, साफ - सुधरा बातावरण, खेल - सुविधाये, अवकाश क्रियाये, सामाजिक अंतः क्रिया सुविधाये और शिक्षण एवं प्रशिक्षण की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

310. क्या मानसिक मंद व्यक्तियों के सभी छात्रावासों में एक जैसी सुविधाये होती हैं ?

मानसिक मंद व्यक्तियों के छात्रावासों को चलाने के लिए एक सामान्य समीति नहीं होती। इन छात्रावासों को चलाने के लिए राज्य अथवा केन्द्र सरकार द्वारा कोई कड़े नियम भी नहीं बनाए गए हैं। भिन्न - भिन्न छात्रावासों में भिन्न - भिन्न कार्यक्रम अथवा संबद्ध कर्मचारी होते हैं। अतः किसी भी छात्रावास में उपलब्ध सेवाये कई बातों पर निर्भर करती हैं जिसमें स्रोतों की उपलब्धता मुख्य है जैसे कि, आर्थिक, प्रशिक्षित विशेषज्ञ अथवा भौतिक स्रोत जैसे कि, स्थान, और इन सब से ज़रूरी है संस्थान और कर्मचारियों की उच्च कोटि की देखभाल के लिए वचनबद्धता।

311. क्या यह सत्य है कि, मानसिक मंद व्यक्ति घर में रहने की अपेक्षा छात्रावास में रहकर अधिक आत्मनिर्भर होते हैं ?

परिवार या घर, अधिगम के लिए एक प्राकृतिक स्थिति है। उचित

शिक्षण एवं प्रशिक्षण के साथ मानसिक मंद व्यक्ति घर में अपने परिवार के साथ रहकर आत्मनिर्भर हो सकते हैं। सीखे गए आत्म - निर्भरता या निर्भरता के व्यवहार उस प्रशिक्षण और देखभाल का फल होता है जो प्रत्येक व्यक्ति विकलांगता के बावजूद अपने परिवार में रहकर पाता है। माता - पिता के मानसिक मंद बच्चे के लिए अति सरक्षण के कारण या फिर आत्मनिर्भर होने के लिए माता - पिता द्वारा अधिगम अनुभव कम प्रदान किए जाने के कारण, दूसरों पर निर्भर (पराश्रित) व्यवहार विकसित हो जाते हैं। अतः बच्चे को आत्मनिर्भरता सिखाने के लिए परिवार से पृथक करना आवश्यक नहीं है। इसके बदले में, अति सरक्षण को बदलने से और स्वतंत्र रूप से क्रिया करने पर बल देने से अधिक लाभ होगा।

312. क्या मानसिक मंद व्यक्ति को छात्रावास में रखना उचित है ?
माता - पिता को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ?

किसी भी मानसिक मंद व्यक्ति के लिए सीखने और रहने के लिए छात्रावास उचित स्थान है या नहीं, यह निर्धारित करने के लिए कोई मापदण्ड निश्चित नहीं किया गया। यद्यपि ऐसा देखा गया है कि, छात्रावास में रहने से सीमित वातावरण के कारण बौद्धिक मनोवैज्ञानिक एवं शारीरिक विकास पर दुष्प्रभाव पड़ता है।

माता - पिता को अपने बच्चे को छात्रावास में भर्ती करने का निर्णय लेने में सहायक कुछ परिस्थितियाँ निम्नलिखित हैं :

- यदि परिवार के निवास स्थान के पास कोई दिन में देखभाल करने के लिए स्थान उपलब्ध नहीं है और ऐसे बच्चों के लिए सेवाएँ आरंभ करने के सभी प्रयत्न विफल हो जाएँ।
- यदि परिवार में कोई गंभीर रोग से पीड़ित हो जैसे कि माता - पिता, मानसिक अथवा शारीरिक रूप से रोगी हों अथवा परिवार से कोई सहयोग प्राप्त न हो।
- यदि मानसिक मंद व्यक्तियों के साथ कोई गंभीर व्यवहार समस्या है

जिससे अस्थायी रूप से बच्चे को छात्रावास में भेजना आवश्यक हो जाए ।

- माता - पिता की मृत्यु हो जाने के पश्चात् जहाँ मानसिक मंद व्यक्ति की देखभाल के लिए कोई भाई - बहन या रिश्तेदार न हो ।

अधिक जानकारी के लिए अभिभावक, किसी प्रशिक्षिक पुनर्वास विशेषज्ञ, नैदानिक मनोवैज्ञानिक, प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ता अथवा विशेष शिक्षक से संपर्क करें ।

313. मानसिक मंद व्यक्ति को छात्रावास में भेजने का निर्णय लेने के लिए परिवार में किन लोगों को सम्मिलित करना चाहिए ?

सैद्धान्तिक रूप से संपूर्ण परिवार जैसे कि, अभिभावक, भाई - बहन, दादा - दादी और संबद्ध मानसिक मंद व्यक्ति को छात्रावास में भेजने का निर्णय लेने में सम्मिलित किया जाना चाहिये । इसके अलावा, अन्य मानसिक मंद बच्चों के अभिभावकों से बातचीत करना और सामाजिक कार्यकर्ताओं, विशेष शिक्षकों और नैदानिक मनोवैज्ञानिकों से मार्गदर्शन प्राप्त करना लाभप्रद होगा ।

314. क्या लड़के और लड़कियों के लिए अलग - अलग छात्रावास होते हैं ?

क्योंकि, मंद लड़के और लड़कियाँ दोनों की आवश्यकताये अनन्य होती हैं. भारत में सहशिक्षा छात्रावास सुविधाये नहीं है । उचित निरीक्षण और नियंत्रण रखने में कठिनाई होने के कारण भी लड़के और लड़कियों के छात्रावास अलग - अलग बनाए जाते हैं ।

315. किसी मानसिक मंद व्यक्ति को छात्रावास में भेजने का लगभग कितना खर्च आता है ?

मानसिक मंद व्यक्ति को छात्रावास में भेजने का कोई एक जैसा निश्चित खर्च नहीं है । उपलब्ध सेवाओं और किसी विशेष स्थान पर जीवन

यापन करने के खर्च के अनुसार, खर्च 400 रु. से 1500 रु. प्रति माह या इससे भी अधिक हो सकता है। क्योंकि, इस प्रकार की छात्रावास सुविधायें अधिकतर गैर-सरकारी होती हैं इसलिए अभिभावकों से उपकरण खरीदने और अन्य अवसरचनात्मक खर्च के लिए पैसों की माँग की जा सकती है।

316. छात्रावास में किस प्रकार के कार्यक्रम चलाए जाते हैं?

छात्रावास में मानसिक मंद व्यक्तियों के लिए समाविष्ट पुनर्वास सेवायें प्रदान की जाती हैं। भिन्न-भिन्न संस्थाओं में भिन्न-भिन्न सेवायें प्रदान की जाती हैं। सामान्यतः इन कार्यक्रमों में आत्म अवधान क्रियायें, सप्रेषण कौशल, अवकाश कौशल, घर में रहने के कौशल और समाजिकी करण कौशल सम्मिलित किए जाते हैं।


317. क्या छात्रावास में प्रवेश, मानसिक मंदन की किसी विशेष श्रेणी के लोगों तक ही सीमित है?

प्रत्येक छात्रावास में प्रवेश नियंत्रण के लिए उनके अपने नियम होते हैं। प्रायः ऐसा देखा गया है कि, गंभीर एवं अत्यधिक गंभीर मानसिक मंद व्यक्तियों और उन्हें जिन्हें सबधित समस्याये भी होती हैं जैसे कि, मिरणी, शारीरिक विकलांगता आदि की अपेक्षा मध्यम अथवा अल्प मानसिक मंद व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाती है।

318. माता-पिता को अपने मानसिक मंद बच्चे के जीने का प्रबंध करते हुए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

किसी छात्रावास में भेजने से पहले अभिभावकों को अन्य बातों के साथ निम्न बातों का भी ध्यान रखना चाहिए।

- प्रशिक्षित विशेष शिक्षक, नैदानिक मनोवैज्ञानिक, प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ता, डॉक्टर, भौतिक चिकित्सक, वाक् चिकित्सक और व्यावसायिक परामर्श दाता उपलब्ध हैं या नहीं।



अपना घर जाहे जैसा भी हो बच्चे के लिए सबसे अच्छा वही रहता है।

- अपने बच्चे से मिलती जुलती स्थिति वाले अन्य बच्चों को प्रशिक्षित करने में छात्रावास की प्रसिद्धि,
- छात्रावास का स्थल,
- छात्रावास का विभिन्न भागों में विभाजित किया हुआ खर्च (जैसे कि, शिक्षा का, कमरे का, बोर्ड का, उपकरण आदि का)
- प्रवेश के लिए अपेक्षित योग्यताएँ,
- बच्चा इन कार्यक्रमों से कैसे लाभान्वित होगा,
- भर्ती बच्चे और पर्यावेक्षी कर्मचारी का अनुपात।

उचित यही होगा कि, अभिभावक इस विषय में दूसरे अभिभावकों से प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ताओं, विशेष शिक्षकों और नैदानिक मनोवैज्ञानिकों से मार्गदर्शन प्राप्त करें।

319. मानसिक मंद बच्चे को किस आयु में छात्रावास में भर्ती करना चाहिए ?

छात्रावास में भेजने के लिए मानसिक मंद बच्चे की कोई आयु सीमा निश्चित नहीं है। फिर भी, देश में अधिकांश छात्रावासों में प्रवेश के लिए आयु 6 - 15 वर्ष होती है।

320. क्या मानसिक मंद बच्चों को छोटी आयु में ही छात्रावास भेज देना उचित है ?

जैसा कि, पहले भी कहा जा चुका है कि, मानसिक मंद व्यक्तियों को परिवार में रहने से प्रभावशाली अधिगम के लिए प्राकृतिक स्थान मिलता है। आरंभिक वर्षों में मानसिक मंद बच्चा अभिभावक के साथ संवेदनात्मक संबंध बनाता है जो भविष्य के अधिगम के लिए आधार बनता है। इससे मानसिक मंद बच्चे और उसके भाई-बहनों के बीच के संबंध विकसित होकर शक्तिशाली बनते हैं। यह अनिवार्य है। क्योंकि, हमारे देश में भाई और बहन, माता-पिता की मृत्यु के बाद

मानसिक मंद व्यक्तियों के प्राकृतिक सरक्षक बनते हैं। अतः किसी मानसिक मंद बच्चे को छोटी आयु में ही छात्रावास भेजना उचित नहीं होगा।

321. छात्रावास में रहने वाले सभी लोग मानसिक मंद होते हैं। क्या इसका मानसिक मंद व्यक्ति पर दुष्प्रभाव पड़ सकता है?

बच्चे को छात्रावास में भेजने का संभावित दुष्प्रभाव यह हो सकता है कि, मानसिक मंद बच्चे को अविकलाग साथियों से अलग रखा जाता है। अतः उन्हे अपने सामान्य साथियों और व्यक्तियों के उचित सामाजिक और अन्य व्यवहारों का अवलोकन करके सीखने के अवसर नहीं मिल पाते। क्योंकि, मानसिक मंद व्यक्ति सामान्य अंतःक्रियाओं से अलग रखे जाते हैं और छात्रावास के सीमित वातावरण के कारण सामान्य जीवन नहीं व्यतीत कर सकते, उनके जीवन का स्वरूप बहुत प्रभावित होता है।

322. किसी भी व्यक्ति को छात्रावास में कितने समय तक रहना होता है?

भारत में कई छात्रावासों में रहने की समयावधि से सबधित सुरक्षा नियमावली है जो मानसिक मंद बच्चे की आयु पर आधारित है। सामान्यतः यह 16-21 वर्ष की आयु तक होता है। परन्तु कुछ ऐसे भी छात्रावास हैं जिसमें रहने की समयावधि से सबधित कोई नियमावली नहीं है। ऐसे छात्रावासों में, व्यक्ति जब तक माता-पिता रखना चाहते हैं या जब तक अनके पास इसे रखने के लिए पैसे हैं, तब तक रह सकता है।

323. क्या मानसिक मंद व्यक्ति छात्रावास में दुरुपयोग होने से बच सकता है?

यद्यपि बहुत से छात्रावास दुर्ब्यवहार मुक्त वातावरण होने की घोषणा करते

है। मगर दुर्भाग्यवश कोई छात्रावास दुर्व्यवहार - मुक्त वातावरण की गारंटी नहीं दे सकता। ये दुर्व्यवहार कर्मचारियों द्वारा, समुदाय के सदस्यों द्वारा या फिर मानसिक मंद व्यक्तियों द्वारा एक दूसरे पर किया जाता है। परन्तु, यदि छात्रावास में सुशिक्षित कर्मचारी एवं प्रभावशाली निरीक्षण पद्धति है तो दुर्व्यवहार की संभावना कम हो जाती है। इसके अलावा, भारत के छात्रावासों में रहने वालों को यौन-दुर्व्यवहार से बचाने के लिए समाविष्ट यौन-शिक्षा-प्रशिक्षण न के बराबर ही दिया जाता है।

324. क्या ऐसे छात्रावास हैं जहाँ माता - पिता अपने मानसिक मंद बच्चे को थोड़े समय के लिए डाल सके ?

हमारे देश में ऐसे जाने - माने स्थान बहुत कम हैं, जहाँ मानसिक मंद व्यक्तियों को थोड़े समय के लिए रखने को प्रोत्साहित किया जाता है। परन्तु, इस प्रकार के प्रबंधों की बहुत आवश्यकता है जिसका प्रयोग माता - पिता आपातस्थिति में कर सके जैसे कि, माता - पिता के बीमार होने के समय इत्यादि। मानसिक मंद बच्चों के अभिभावकों को ज़रूरत पड़ने पर आपस में ही एक दूसरे के साथ सहयोग करना पड़ता है।

325. यदि माता - पिता जीवित नहीं हैं और मानसिक मंद व्यक्ति की देखभाल करने के लिए कोई नहीं है, तो क्या ऐसे व्यक्तियों के लिए छात्रावास हैं ?

ऐसी परिस्थिति में जहाँ मानसिक मंद व्यक्ति की देखभाल करने के लिए कोई सरकार नहीं है तो उसे जिला मैजिस्ट्रेट के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है जहाँ से उसे राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे बाल घर (जुविनाइल होम्स) अथवा मानसिक मंद व्यक्तियों के छात्रावास में भेजा जाता है। राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे छात्रावास में भर्ती होने के बाद मानसिक मंद व्यक्ति की सरकारता राज्य की हो जाती है।

326. क्या छात्रावासों के अलावा घर से दूर रहने के लिए कोई और

भी विकल्प है ?

भारत में, अभी, मानसिक मंद व्यक्तियों के लिए घर से दूर रहने के लिए उपलब्ध विकल्प सीमित संख्या में ही हैं। कुछ संस्थान सामूहिक गृह (ग्रुप होम) विकल्प के संप्रत्यय पर प्रयोग कर रहे हैं। सामूहिक गृह एक ऐसा विकल्प है जिसमें मानसिक मंद व्यक्ति के लिए अपने परिवार से दूर रहने का प्रबंध किया जाता है जिसमें वे किसी संस्थान में न रहकर समुदाय स्थिति में रहते हैं। इस प्रकार के प्रबंध में अधिक से अधिक तीन से चार मानसिक मंद व्यक्ति इकट्ठे रहते हैं, जिनका निरीक्षण किया जाता है। ये विकल्प मानसिक मंद स्त्री / पुरुष के अभिभावकों के लिए कहाँ तक उपयोगी, सभव (व्यवहारिक) समर्थ (बर्दाश्त करने योग्य) और स्वीकार्य होगा ये अभी देखना बाकी है।

हमारे देश में किसी भी व्यक्ति के लिए चाहे वह विकलांग है अथवा नहीं, रहने का मुख्य विकल्प उनका अपना परिवार है। चिकित्सीय मनोवैज्ञानिक, प्रशिक्षिक सामाजिक कार्यकर्ता और विशेष शिक्षक जैसे विशेषज्ञ इस विषय में माता - पिता का सही निर्णय लेने में मार्गदर्शन कर सकते हैं।

आर्थिक-योजना

क्योंकि, मानसिक मंद अवस्था को परिवार से आजीवन समय शक्ति और स्रोतों की आवश्यकता रहती है, अतः मानसिक मंद बच्चे की आवश्यकताओं का पूर्वानुमान लगा कर समय से पहले ही योजना बना लेना चाहिए। बचत का परिमाण चाहे कितना ही हो यदि, उचित रूप से पूँजी निवेश किया जाए तो परिवार को आवश्यकता पड़ने पर बड़ा आराम दे सकती है। अभी ऐसे परिवार जिनके मानसिक मंद बच्चे हो उनकी आवश्यकताओं के प्रवध के लिए कोई योजनाये नहीं बनी हैं। परन्तु कुछ अच्छी योजनाये हैं जिनका कुछ अभिभावक और विभिन्न अभिभावक स्थाओं द्वारा सामूहिक रूप से पूर्व - परीक्षण किया जा रहा है। इसी प्रकार, कुछ अभिभावकों के समूहों ने समर्थन अभियान चलाकर जीवन-बीमा-योजना (एल. आई. सी.) को ऐसी योजना बनाने के लिए प्रेरित किया है जो मानसिक मंद बच्चों के माता - पिता के लिए लाभप्रद सिद्ध हो। सामूहिक बीमा योजना चालू करने की संभावना की भी जाँच की गई है। इस भाग में आर्थिक योजना से संबंधित मामलों पर विचार - विमर्श किया गया है।

गीता, भगवान न करे अगर आज
मुझे कुछ हो जाता है तो तुम सबका
क्या होगा ?



तुम्हे कभी ऐसी बातें नहीं करनी
चाहिए।



हमारे बच्चे अभी इतने छोटे हैं, तुम्हे
अभी उन्हे जिन्दगी में कछ बनाना
है, उनकी शादी करनी है और फिर
अपने पोते - पोतियों के साथ खेलना
है।



मुझे सबसे ज्यादा चिन्ता राजू की
है। वह अब 10 वर्ष का है जब हम
दुनिया में नहीं रहेगे तो उसका क्या
होगा ?



क्या हम किसी योजना के बारे में
सोच सकते हैं ?



क्या हमें कुछ पैसे जोड़ने शुरू कर
देने चाहिए, जिससे हमारे बाट राजू
को आर्थिक सुरक्षा मिल सके ?



327. माता - पिता को अपने मानसिक मंद बच्चे के लिए आर्थिक योजना कब आरंभ कर देनी चाहिए ?

यह तो सभी भली - भाति जानते हैं कि, मानसिक मदन एक आजीवन अवस्था है और मानसिक मंद व्यक्ति आर्थिक रूप से पूर्णतया आत्मनिर्भर कभी नहीं हो सकता । यदि परिवार के स्रोत अच्छे हों तो अभिभावकों को तभी से आर्थिक योजना आरंभ कर देनी चाहिए जब मानसिक मंद बच्चा बहुत छोटा है जिससे कि, उसके बाद वाले जीवन, प्रशिक्षण और पुनर्वास का खर्च इस बच्त से पूरा हो सके ।

328. मानसिक मंद व्यक्तियों के लिए आर्थिक-योजना बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ?

मानसिक मंद बच्चे के भविष्य के जीवन के लिए आर्थिक योजना बनाते हुए परिवार के सदस्यों और परिवार के स्रोतों का मुख्य रूप से ध्यान रखा जाता है । यदि परिवार की आमदनी सीमित है तो भी बच्चे के भविष्य की आवश्यकताओं के लिए थोड़े से पैसे अलग रख देना ही अच्छा है । छोटी - छोटी बच्त भी 20 - 25 वर्षों में एक बड़ी रकम बन जाती है, जो माता - पिता की मृत्यु के पश्चात्, मानसिक मंद बच्चे के जीवन का खर्च चलाने के लिए किसी के भी दिल में रुचि पैदा कर सकती है ।

329. क्या कोई मानसिक मंद व्यक्ति बैंक में या किसी अन्य वित्तीय संस्थान में खाता खोल सकता हैं ?

किसी भी आयु का मानसिक मंद व्यक्ति किसी भी बैंक में संयुक्त बच्त खाता खोल सकता है । परन्तु उसे अवयस्क ही समझा जाएगा और खाता उसके संरक्षक द्वारा ही चलाया जाएगा ।

330. क्या कोई मानसिक मंद व्यक्ति किसी बैंक या वित्तीय संस्था से ऋण के लिए आवेदन कर सकता है ?

यद्यपि शारीरिक मद व्यक्तियों के लिए रियायती दरों पर ऋण मिलने की सुविधाये हैं परन्तु इस प्रकार की सुविधाये मानसिक मंद व्यक्तियों के लिए उपलब्ध नहीं हैं। मानसिक मंद व्यक्ति कानूनी रूप से अवयस्क माने जाते हैं अतः वे ऋण के लिए आवेदन करने योग्य नहीं हैं।

331. क्या अभिभावक होने के नाते हम मानसिक मंद बेटे / बेटी का जीवन बीमा करवा सकते हैं ?

भारतीय जीवन बीमा निगम के पास मानसिक मंद व्यक्तियों के लिए जीवन बीमा योजना की कोई विशेष व्यवस्था नहीं है। परन्तु माता - पिता जीवन बीमा करवा सकते हैं और अपने मानसिक मंद बच्चे को नामित कर सकते हैं जिससे उनकी मृत्यु के बाद वह बीमा की रकम प्राप्त कर सके।

332. अभिभावक सहकारिता / ट्रस्ट क्या है ? क्या अभिभावक सहकारिता / ट्रस्ट मानसिक मंद व्यक्तियों के लिए आर्थिक योजना बनाने में कोई मदद कर सकती है ?


अभिभावकों के समूहों को इकट्ठे होकर एक सामूहिक बीमा (ग्रुप इन्श्योरेन्स पालिसी) करवा लेनी चाहिए और अपने मानसिक मंद बच्चे को नामित कर देनी चाहिए जिससे अभिभावक की मृत्यु के पश्चात् वे भोगाधिकार प्राप्त कर सकें।

यदि अभिभावक कोई सामूहिक ट्रस्ट बनाता है तो जीवन बीमा प्राप्ति, ट्रस्ट को जमा कर दी जाती है। ट्रस्ट की आमदनी से मानसिक मंद

आर्थिक योजना 1990-2002

रु 10,000/-

रु 5000/-



आर्थिक योजना शीघ्र प्रारंभ करनी चाहिए ।

व्यक्तियों के जीवन का खर्च चलाया जाता है। इस ट्रस्ट के विभिन्न सदस्य अपनी संपत्ति के अधिकार ट्रस्ट को सौप सकते हैं।

333. क्या मानसिक मंद व्यक्ति की देखभाल करने वाले परिवार द्वारा ट्रस्ट बनाई जा सकती है?

यदि परिवार के पास कोई ऐसी संपत्ति है जो वे अलग रखना चाहते हैं, जिससे होने वाली आमदनी मानसिक मंद व्यक्ति के जीवन खर्च चलाने में प्रयोग की जाए, तो एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से प्राईवेट फैमली ट्रस्ट बनाई जा सकती है।

परिवार के सदस्य को संपत्ति का प्रबंध करने के लिए ट्रस्टी नियुक्त किया जा सकता है। परिवार का एक सदस्य प्रबंधक (मैनेजर) बन सकता है और परिवार के अन्य सदस्य ट्रस्ट के कार्य का निरीक्षण कर सकते हैं। परिवार की ट्रस्ट मूलतः प्राईवेट ही रहती है और जनता के लिए सेवाये प्राप्त करने वाली पंजीकृत चैरिटेबल ट्रस्ट नहीं बन पाती।

334. क्या हमारे देश में कुछ प्रादेश शासन (ट्रस्टीशिप) योजनायें हैं?

यह तो अभी शुरुआत ही है। कुछ अभिभावक समूहों और कुछ जाने माने लोगों ने ट्रस्ट अधिनियम (एक्ट) के अंतर्गत पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट पंजीकृत करवा कर ट्रस्टीशिप योजनायें आरंभ की हैं। संपत्ति की वसीयत इस प्रकार की ट्रस्ट के नाम की जा सकती है यद्यपि सरकार के अधिकार इन ट्रस्टों के नाम करना, कानूनी वैध नहीं है। वसीयत की हुई संपत्ति और संपत्तिभोगी के अधिकारों के लिए ट्रस्टी को उत्तरदायी बनाना आवश्यक है। जिससे, मानसिक मंद व्यक्तियों को भी सुरक्षा मिल सके।

335. उस मानसिक मंद बच्चे का क्या होगा जिसके माता - पिता की मृत्यु बिना कोई संपत्ति या धन छोड़े हो जाती है ?

यदि माता - पिता बिना कोई संपत्ति या धन छोड़े मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं तो मानसिक मंद व्यक्ति की सरकारी कार्यालयों में घूमते हुए मिलते हैं, उनको सरकारी राज्य सरकार प्रदान करती है इसी उद्देश्य से राज्य सरकार के पास आश्रयहीन मानसिक मंद व्यक्तियों के लिए छात्रावास है ।

336. यदि माता - पिता अपने बच्चे के लिए कोई संपत्ति छोड़ना चाहते हैं तो उसकी सुरक्षा कैसे की जाएगी ?

एक प्राईवेट परिवार ट्रस्ट बनाया जा सकता है जो अभिभावकों की इच्छानुसार परिवार के सदस्यों द्वारा नियन्त्रित किया जा सके । संपत्ति से होने वाली आमदनी का प्रयोग मानसिक मंद व्यक्ति के जीवन एवं उपचार के लिए किया जा सकता है ।

यदि अभिभावक प्राईवेट ट्रस्ट का प्रबंध करने के लिए परिवार में किसी को भी नहीं ढूढ़ पाते तो वे न्यायालय में जा सकते हैं, ताकि, वे ट्रस्टी नियुक्त करे जो उनकी संपत्ति की देखभाल कर सके, जिससे संपत्ति से होने वाली आमदनी मानसिक मंद व्यक्ति के जीवन एवं उपचार पर प्रयोग की जा सके ।

NOTES

कानून

भारतीय ल्यूनेसी एक्ट 1912 में पागल / जड़बुद्धि वाले व्यक्तियों की देखभाल की व्यवस्था की गई। इस अधिनियम के बदले में मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 प्रतिस्थापित किया गया जिसमें मानसिक मद व्यक्तियों को बहिष्कृत कर दिया गया। इसके फलस्वरूप, अब मानसिक मद व्यक्तियों की कानूनी अवस्था में विशेष रूप से नागरिक संबंधी स्वतन्त्रता, सरक्षकता, देखभाल, अनुबंध और अपराध संबंधी पद्धतियों और दड़ से संबंधित कानूनी मामलों में एक शून्य सा उत्पन्न हो गया है। आत्मनिर्भरता पूर्ण क्रियाये, रोजगार और स्वतन्त्रता की ओर लक्षित शिक्षा, प्रशिक्षण और पुनर्वास कार्यक्रम के साथ अधिकांश अल्प मानसिक मद व्यक्ति रोजगार के नियम और शर्तें समझने, क्रय - विक्रय करने और स्वतन्त्र रूप से कार्य करने के लिए विभिन्न प्रकार का आवश्यक लेन - देन समझने योग्य हो जाते हैं।

भारत सरकार ने बहुरुल इस्लाम समिति बनाई जिस में विधान संबंधी कई अधिनियमों की सिफारिश की। कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय द्रष्ट का निर्माण करने के लिए वैधानिक विल प्रस्तुत किया जो संसद के दोनों संसदों द्वारा अभी पारित होना बाकी है। इस भाग में विधान संबंधी मामलों को लिया गया है।

अब हम बूढ़े हो रहे हैं। हमें अपनी संपत्ति सब के बीच बॉट देनी चाहिए।



हम यह कैसे विश्वास कर सकते हैं कि, रमेश को आमदनी रमेश पर खर्च हो रही है।



क्या हम अपने बच्चों पर इसकी देखभाल करने का विश्वास कर सकते हैं तुम्हारा क्या छ्याल है?



लेकिन, कौन जानता है कि, हमारे बाद क्या होने वाला है? हमें मनीष और मनीषा से बात करनी चाहिए।



पापा आप सारी संपत्ति रमेश के नाम क्यों नहीं कर देते। आप, कृपया, हमारे बारे में चिंता न करें।



मनीष ठीक कह रहा है। क्या हम परिवार की एक ट्रूस्ट नहीं बना सकते, जो यह निश्चित करे कि, संपत्ति से होनो वाली आमदनी रमेश पर ही खर्च हो रही है।



337. क्या मानसिक मंद व्यक्ति कानूनी तौर पर संपत्ति के उत्तराधिकारी हो सकते हैं ?

यदि वसीयत में ऐसा लिखा हो तो, मानसिक मंद व्यक्ति भी अपने पुरखों की संपत्ति और माता - पिता और संबंधियों की संपत्ति के उत्तराधिकारी हो सकते हैं। परन्तु, मानसिक मंद व्यक्ति कानूनी रूप से अवयस्क समझे जाते हैं चाहे उनकी आयु 18 वर्ष से अधिक क्यों न हो। अतः मानसिक मंद व्यक्ति प्राप्त की हुई संपत्ति को संभाल नहीं सकते। इसलिये मानसिक मंद व्यक्तियों को अपनी प्राप्त की हुई संपत्ति को संभालने के लिए प्राकृतिक संरक्षक अथवा न्यायालय द्वारा नियुक्त सरक्षक की आवश्यकता होती है।

338. क्या मानसिक मंद व्यक्तियों का विवाह कानूनी रूप से स्वीकृत किया जाता है ?

हिन्दू विवाह अधिनियम के अनुसार मानसिक मंद व्यक्ति का विवाह निष्प्रभावी और निरर्थक माना जाता है, क्योंकि, मानसिक मंद व्यक्ति कानूनी रूप से अवयस्क समझा जाता है और अनुबंध नियमों के अनुसार किसी अनुबंध में सम्मिलित नहीं हो सकता।

भारतीय तलाक अधिनियम जो ईसाईयों पर लागू होता है मानसिक मंद व्यक्ति के विवाह को निष्प्रभावी और निरर्थक मानता है। इस्लाम अधिनियम के अंतर्गत ही एक मानसिक मंद व्यक्ति को वयस्क समझा जाता है। माता - पिता मानसिक मंद व्यक्ति का विवाह इस्लाम अधिनियम के अंतर्गत वैध रूप से करवा सकते हैं।



यानी सिक्क मद व्यापारों के सपना अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए विधिवत् तरीके अपनाएँ जा सकते हैं।

339. क्या कोई मानसिक मंद व्यक्ति कानूनी रूप से किसी अनुबंध में सम्मिलित हो सकता है ?

मानसिक मंद व्यक्ति कानूनी रूप से किसी भी अनुबंध में शामिल होने के लिए अपने बौद्धिक विकारों के कारण अक्षम होते हैं । अतः मानसिक मंद व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किया हुआ कोई भी अनुबंध निष्प्रभवी और निर्धक ही समझा जाता है, चाहे वह विवाह हो, या किसी रोजगार की शर्तें और नियमों की स्वीकार्यता हो, दस्तावेज़ हो या किन्हीं दो पार्टीयों जिसमें एक मानसिक मंद है, के बीच का किसी प्रकार का अनुबंध ही हो ।

340. यदि कोई मानसिक मंद व्यक्ति अपराध करता है तो उसके कानूनी उलझाव क्या हो सकते हैं ?

ऐसा तो बहुत दुर्लभ है कि, कोई मानसिक मंद व्यक्ति किसी अपराध में या तो गवाह के रूप में या जानबूझ कर कोई अपराध करने में शामिल हो । धरती के नियमों के अनुसार कोई भी मानसिक मंद व्यक्ति मुकद्दमेबाज़ी नहीं कर सकता, जब तक न्यायालय द्वारा नियुक्त किसी चिकित्सीय अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित नहीं किया जाता कि, यह मानसिक मंद व्यक्ति अपराध करने की प्रकृति, दायित्व और उलझावों को समझने में समर्थ है । यदि कोई मुकद्दमा हो तो मानसिक मंद व्यक्ति को अवयस्क माना जाता है और उसे दंड भी इसी के अनुसार दिया जाता है ।

341. क्या मानसिक मंद व्यक्तियों को वोट देने का अधिकार है ?

मानसिक मंद व्यक्तियों को वोट देने का अधिकार नहीं है, क्यों कि, वे अवयस्क माने जाते हैं ।

342. क्या मानसिक मंद व्यक्तियों का कानूनी रूप से वध्यीकरण किया जा सकता है ?

मानसिक मंद व्यक्ति अवयस्क समझे जाते हैं, अतः माता - पिता/ सरक्षक को उन में वध्यीकरण करने से संबंधित निर्णयः लेना होता है। परन्तु उस प्रकार का निर्णय डॉक्टर, मनोवैज्ञानिक और प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ता से परामर्श कर के अन्तिम उपाय के रूप में लेना चाहिये। मानव अधिकारों को सम्मान देने के लिये जहाँ कहीं भी संभव हो संवद्ध मानसिक मंद व्यक्ति से सहमति ले लेना उचित होगा।

343. क्या मानसिक मंद व्यक्तियों पर रोज़गार से संबंधित कुछ कानून लागू होते हैं ?

रोज़गार नियोक्ता और कर्मचारी के बीच एक अनुबन्ध होता है। अनुबंध अधिनियम के अनुसार मानसिक मंद व्यक्ति को अवयस्क समझा जाता है और वह किसी के साथ किसी भी अनुबंध में शामिल नहीं हो सकता।

मानसिक मंद व्यक्तियों की आर्थिक आत्मनिर्भरता और रोज़गार को प्रोत्साहित करने के लिए वर्तमान कानून को बदलने की आवश्यकता है। विशेष रूप से, उन मानसिक मंद व्यक्तियों के वर्ग के लिए, जो अनुबंध की शर्तों को समझ सकते हैं और स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं।

344. क्या मानसिक मंद व्यक्तियों को यौन-दुर्व्यवहार से बचाने के लिए कुछ कानून हैं ?

मानसिक मंद व्यक्तियों को यौन-दुर्व्यवहार या अन्य किसी प्रकार के दुर्व्यवहार से बचाने के लिए कोई विशेष कानून नहीं बनाए गए हैं।

देश के अन्य नागरिकों की भाति वे भी भारतीय दंड सहिता और अपराधी दंड सहिता के अंतर्गत सुरक्षित हैं ।

345. क्या मानसिक मद व्यक्तियों के लिए विशेष कानून बनाने की आवश्यकता है ?

मानसिक मद व्यक्तियों को समान अवसर देने के लिए और उनके शिक्षण, प्रशिक्षण और रोज़गार के अधिकार सुनिश्चित करने के लिए समाविष्ट विधान की आवश्यकता है । वर्तमान विधान मानसिक मद व्यक्तियों की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करता ।

346. क्या आज का कानून मानसिक मद व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करता है या समाज को मानसिक मद व्यक्तियों से बचाने के लिए कानून बनाया गया है ?

यह सत्य है कि, भारतीय ल्यूनेसी अधिनियम 1912 में मानसिक रोग और मानसिक मदता के व्यक्तियों को अलग - अलग रखने का ध्यान रखा गया है और ऐसे व्यक्तियों को घर से दूर छात्रावास में रखने की बात की गई है । इस प्रकार के पृथक्करण के कानून देश के कई भागों में बदल दिए गए हैं । फिर भी, मानसिक मद व्यक्तियों के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए एक समाविष्ट विधान की अत्यन्त आवश्यकता है ।

NOTES

संरक्षकता

सामाजिक सुरक्षा मानसिक मंद बच्चे के अभिभावकों की एक मुख्य चिन्ता है। अन्य विकसित देशों के असदृश्य हमारे देश में राज्यीय छात्रावास संस्थान नहीं हैं या मानसिक मंद व्यक्तियों के लिए कोई पेन्शन योजना नहीं है। क्योंकि, विकासशील देशों में छात्रावास संस्थान विखंडित प्रक्रिया में हैं और समुदायिक जीवन को प्रोत्साहन दिया जा रहा है स्पष्ट है कि, हमारे देश में इस प्रकार के कार्यक्रम उपयुक्त नहीं होगे। न ही केन्द्र / राज्य सरकार इतने अधिक मानसिक मंद व्यक्तियों को पेन्शन देने में समर्थ हैं। मानसिक मंद बच्चे के अभिभावकों को एक दुःखद परन्तु स्वाभाविक डर बना रहता है कि, उनके बाद उनके बच्चे को कौन देखेगा।

हमारे देश में परंपरागत परिवार पद्धति बहुत मजबूत है। अभी हाल ही में विकसित बहुत से एशियाई देशों जैसे कि, जापान, इन्डोनेशिया सिंगापुर और मलेशिया, में सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों के दबाव से परिवार पद्धति का विरोध किया गया है। परिवार अपने सभी सदस्यों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है। अतः परिवार को सशक्त बनाने के लिए और पद्धति में सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए नए नए तरीके ढूँढ़ने की आवश्यकता है। माता - पिता द्वारा परिवार द्रस्ट, राष्ट्रीय द्रस्ट संरक्षकता का स्थानांतरण, मानसिक मंद बच्चे द्वारा प्राप्त की गई सपति का प्रबंध आदि से संबंधित पूछे गए प्रश्नों को इस भाग में लिया गया है।

मुझे नौकरी से रिटायर होने में 2 वर्ष बाकी हैं। मुझे चिंता है कि, मेरे बाद मेरे बेटे को देखभाल कौन करेगा ?



मैं एक छात्रावास के बारे में जानता हूँ जिसमें मानसिक मंद बच्चों को भर्ती किया जाता है। तुम इसे वहाँ क्यों नहीं भर्ती कर देते ?



तुम्हे नहीं लगता कि, हमें अपने परिवार में ही स्रोत ढूँढ़ने चाहिए। यदि भाई और बहन इसको देखभाल कर सके तो



परन्तु उन्हें भी अपना जीवन जीना है क्या वह इस प्रकार का त्याग कर पाएगे ।



हम अपने बच्चों की तरफ से खुद ही बोल रहे हैं। तुम्हे नहीं लगता कि, हमें उनसे सीधे ही बात कर लेनी चाहिए कि, वे इस बारे में क्या सोचते हैं ।



मेरे छ्याल से यह बिल्कुल ठीक है, यदि अपने परिवार के लोग ही आगे बढ़कर मदद नहीं करेंगे तो... कौन करेगा ?



347. संरक्षकता क्या है ? संरक्षक कौन हो सकता है ?

संरक्षकता का अर्थ है मानसिक मंद बच्चे की देखभाल, सुरक्षा और निगरानी करना ।

अभिभावक मानसिक मंद बच्चे के स्वाभाविक संरक्षक होते हैं । माता - पिता की अनुपस्थिति में भाई - बहन और परिवार के निकट सदस्य स्वाभाविक संरक्षकता की भूमिका अदा करते हैं । माता - पिता के किसी मानसिक रोग या शारीरिक दुर्बलता के कारण असमर्थ होने पर परिवार का अगला मुखिया स्वाभाविक संरक्षक बन जाता है । अनाथ बच्चों के मामले में, जिनकी देखभाल के लिए कोई परिवार का सदस्य नहीं है, उनकी संरक्षकता राज्य सरकार ले लेती है ।

348. संरक्षकता की कब आवश्यकता होती है ?

माता - पिता की अनुपस्थिति में भाई - बहन और परिवार के निकट सदस्य स्वाभाविक रूपसे संरक्षक की भूमिका अदा करते हैं । यदि परिवार में मानसिक मंद व्यक्ति की देखभाल करने के लिए कोई नहीं है तो न्यायालय एक वैध संरक्षक नियुक्त कर सकता है, जो मानसिक मंद व्यक्ति की सपत्ति की देखभाल करें और उसके लिए निर्णय ले सके ।

349. मानसिक मंद व्यक्ति के लिए संरक्षकता का निर्णय लेते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ?

वृद्धावस्था में माता - पिता, अविकलाग पुत्रों और पुत्रियों से सहयोग न पाकर, स्वयं को मानसिक मंद बच्चे की देखभाल करने में असमर्थ महसूस करते हैं । ऐसी परिस्थिति में, माता - पिता अपने मानसिक मंद बच्चे की देखभाल के लिए संरक्षकता के अधिकार आशिक रूप से या पूर्ण रूप से किसी संबंधी, मित्र या शुभचिन्तक को सौंपकर एक अनुबंध

करना चाहते हैं जिससे वे मानसिक मंद बच्चे की देखभाल कर सकें। प्रायः ऐसे अनुबंध मौखिक ही होते हैं जो आपसी विश्वास पर आधारित होते हैं। सरक्षकता किसी दूसरे को सौंपते समय माता - पिता को निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिये ।

- संबंधियों अथवा मित्रों की सरक्षकता की भूमिका निभाने के लिए उपलब्धता, इच्छा और योग्यता ।
- सरक्षकता के लिए चुने हुए व्यक्ति के स्वास्थ्य एवं आयु की प्रत्याशा।
- परिवार के आर्थिक स्रोत ।

सरक्षकता के इस प्रकार के हस्तातरण में आर्थिक मामलों को लिया भी जा सकता है और नहीं भी, जैसे कि, संपत्ति या पैसे या नियमित आमदनी का हस्तातरण, यह दोनों पक्षों के आपसी रिश्ते पर निर्भर करता है। इसके लिए कोई लिखित अनुबंध हो भी सकता है और नहीं भी।

350. मानसिक मंद बच्चे के सरक्षक को किस प्रकार के कर्तव्य निभाने होते हैं ?

न्यायालय द्वारा नियुक्त किया गया सरक्षक न्यायालय के निरीक्षण में मानसिक मंद बच्चे की संपत्ति की देखभाल करता है। सरक्षक मानसिक मंद बच्चे के भोजन, कपड़े और रहने के लिए भी जिम्मेदार है। मानसिक मंद बच्चे के उपचार, देखभाल, जीवन के खर्च, उसकी संपत्ति से होने वाली आमदनी या लाभ में से निकाला जाता है।

जीवन का वास्तविक प्रबंध पोष्य अभिभावक (फौस्टर पेरन्ट्स) द्वारा भी हो सकता है या फिर मानसिक मंद बच्चे को किसी छात्रावास की सुविधा वाले संस्थान / विद्यालय की निगरानी में भी रखा जा सकता है।

351. संरक्षकता कब तक चलती है ?


सामान्यतः मानसिक मंद व्यक्ति, जो कानूनी तौर पर असमर्थ घोषित किया जाता है, जो अपने मामले खुद नहीं निपटा सकते, उन्हें तब तक संरक्षकता चाहिए होती है, जब तक न्यायालय इसकी आवश्यकता समझे ।

352. जिसका कोई देखभाल करने वाला नहीं होता उन मानसिक मंद व्यक्तियों का क्या होता है ?

यदि मानसिक मंद व्यक्ति उपेक्षित और अरक्षित गलियों में घूमता मिलता है तो उसे जिला मैजिस्ट्रेट के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है । जहाँ उसे भारतीय ल्यूनेसी अधिनियम के अंतर्गत मानसिक अस्पताल में भेजा जाता है । यदि मानसिक मंद व्यक्ति की देखभाल के लिए परिवार में कोई न हो तो उनके पड़ोसी अथवा मित्रगण जिला मैजिस्ट्रेट के पास, उनकी देख-रेख के लिए राज्य द्वारा चलाए जा रहे गृहों में रखने के लिए सिफारिश कर सकते हैं ।

उन राज्यों में जहाँ भारतीय ल्यूनेसी अधिनियम 1912 के स्थान पर मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 लागू कर दिया गया है, मानसिक मंद व्यक्तियों को मानसिक रोगी नहीं माना जाता । अतः उन्हें मानसिक अस्पतालों में नहीं भेजा जाता । ऐसी परिस्थितियों में यदि कोई मानसिक मंद व्यक्ति बिना किसी संरक्षक के पाया जाता है तो वह जिला मैजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाता है और उसे अल्पवयस्क गृहों (जुवेनाइल होम्स) में या मानसिक मंद व्यक्तियों के लिए विभिन्न राज्यों द्वारा चलाए गए गृहों में भेज दिया जाता है । एक बार राज्य सरकार द्वारा चलाए गए छात्रावास में भर्ती हो जाने पर मानसिक मंद व्यक्ति की संरक्षकता का दायित्व राज्य का ही हो जाता है ।

353. क्या भारत सरकार मानसिक मंद व्यक्तियों के लिए कोई ट्रस्ट



माता - पिता के बाद मानसिक मद व्यक्तियों के भाई - बहन और
निकट सबूद्धी ही उनके स्वाभाविक संरक्षक बन जाते हैं।

बना रही है जो उनके माता - पिता के बाद उनको देखभाल कर सके ?

भारत सरकार ने बहुल इस्लाम समिति नियुक्त की है जिस ने मानसिक मंद व्यक्तियों और सैरिब्रिल पाल्सी वाले व्यक्तियों के कल्याण के लिए नए कानून बनाने की सिफारिश की है । इस ट्रस्ट का कार्य, ट्रस्ट द्वारा चलाए गए संस्थानों में मानसिक मंद व्यक्तियों और सैरिब्रिल पाल्सी वाले व्यक्तियों की देखभाल एवं उनके लिये पुनर्वास प्रदान करना है । इस अधिनियम के अंतर्गत अभिभावक ट्रस्टों के नाम संपत्ति वसीयत करने और मृत्यु के पश्चात् ट्रस्ट को सरक्षकता अधिकार हस्तातिरित करने में समर्थ होते हैं ।

राष्ट्रीय ट्रस्ट बनाने की बात सरकार के विचाराधीन है । दोनों सदनों से पारित होने के बाद राज्य सरकारों के विधानों द्वारा अनुसमर्थन करने के पश्चात् ही राष्ट्रीय ट्रस्ट संक्रियात्मक होगी ।

354. क्या मानसिक मंद व्यक्तियों की सरक्षकता के कोई और विकल्प भी हैं ?

कुछ मानसिक मंद व्यक्तियों के माता - पिता ने समूह बनाए हैं और अभिभावक संस्था सहकारिता या ट्रस्ट के रूप में पंजीकृत करवाया है आपसी सहयोग के साथ वे अपनी संपत्ति ट्रस्ट के नाम वसीयत करने में सहमत हो सकते हैं । इसके फलस्वरूप उनकी मृत्यु के पश्चात्, मानसिक मंद व्यक्ति की सरक्षकता और देखभाल का दायित्व पंजीकृत ट्रस्ट का हो जाता है ।

इस प्रकार की संस्थाये अथवा ट्रस्ट अभी विकास की आरंभिक अवस्थाये ही हैं । कुछ ट्रस्टों में अभिभावक सदस्यों ने मानसिक मंद वच्चों की देखरेख के लिए छात्रावासों की स्थापना की है ।

355. क्या सरक्षकता को नियमित करने के लिए कोई नियम है ?

परिवार अधिनियम, सपत्नि हस्तातरण अधिनियम और सरक्षकता अधिनियम, सरक्षक नियुक्त करने और न्यायालय द्वारा नियुक्त सरक्षक के दायित्व को सभालने के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त बताते हैं ।

क्योंकि, प्रत्येक परिवार की आवश्यकताये अनन्य होतो हैं, सरक्षकता से संबंधित कानूनी सलाह लेना आवश्यक है ।

लाभाधिकार / रियायतें

एक कल्याणकारी / राज्य अपने सभी प्रकार के व्यक्तियों की जिसमें अनाथ और विकलाग व्यक्ति भी सम्मिलित हैं, देखभाल करता है। जब से समाज-कल्याण-मंत्रालय का निर्माण हुआ है, केन्द्र / राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों द्वारा अनेक प्रकार के लाभाधिकार एवं रियायतें बढ़ा दी गई हैं। इसमें आयकर रियायतें, वे विकलाग जो उपकरण खरीदने में असमर्थ हैं उन्हें निःशुल्क उपकरण वितरित करना रेलवे किरायों में रियायत, रोजगार में आरक्षण, विद्यालय एवं महाविद्यालय में शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति, स्व - रोजगार आरंभ करने के लिए ब्याज की रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध कराना, और अन्य कई प्रकार के लाभ जैसे कि, शारीरिक विकलाग व्यक्तियों को जमीन के बटन में प्राथमिकता देना आदि सम्मिलित हैं। मानसिक मंद व्यक्तियों को भी रियायतों और लाभ - अधिकारों की आवश्यकता होती है इसकी अनुभूति अभी हाल ही में की गई है। इसके फलस्वरूप कुछ साधारण रियायतें उपलब्ध कराई गई जैसे कि, राज्य परिवहन निगम में निःशुल्क बस यात्रा, आयकर लाभ, विशेष विद्यालयों में प्रशिक्षण के लिए छात्रवृत्तियाँ। इस भाग में दी गई जानकारी मुख्यतः मानसिक मंद वच्चे के परिवारों की आवश्यकताओं से संबंधित है और जहाँ कहीं संभव हो सका अन्य प्रकार की विकलागता के व्यक्तियों के उपलब्ध लाभाधिकार और रियायतों से तुलना की गई है, इस आशा के साथ कि, भविष्य में इस प्रकार की रियायतें मानसिक मंद व्यक्तियों के लिए भी उपलब्ध कराई जायेगी।

हमें राजू को स्कूल में भेजना चाहिए।



मैं उसे स्कूल तो भेजना चाहती हूँ लेकिन फीस बहुत ज्यादा है।



श्रीमती घोष का बेटा विशेष विद्यालय में जाता है हालांकि, उसके पिताजी काम भी नहीं करते। वह इसका किस प्रकार प्रबंध कर रहे हैं, उन्हीं से पता लगाना चाहिए।



अशोक को विशेष विद्यालय में भेजने की तुम कितनी फीस दे रही हो?



नियमित फीस तो 60/- रुपया प्रति² माह है, परन्तु यह राज्य सरकार द्वारा पूर्णतया अदा की जाती है।



क्या ऐसा है? इससे तो हमारी मुश्किल ही हल हो जाती है। हमें राजू को तुरन्त विशेष विद्यालय में भर्ती करवा देना चाहिए।



356. मानसिक मंद व्यक्तियों के परिवारों को आर्थिक कठिनाईयों से राहत देने के लिए सरकार द्वारा कौन से लाभाधिकार और रियायते दी जाती हैं ?

केन्द्र सरकार द्वारा मुख्यतः दो प्रकार की रियायते दी जाती हैं। पहली तो आयकर में छूट से सबधित है और दूसरी रेत के किराये में रियायत दी जाती है।

357. केन्द्र सरकार द्वारा माता - पिता को आयकर में कौन-कौन से लाभाधिकार दिए जाते हैं जो उनके ऊपर निर्भर एक या अधिक विकलांग सबधियों (बेटा, भाई, बहन या कोई और खून का रिश्ता) के उपचार (जिसमें देखभाल करनेवाला भी सम्मिलित है) प्रशिक्षण और पुनर्वास में होने वाले खर्च की पूर्ति कर सके ?

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 डी. डी. के अंतर्गत एक या अधिक मानसिक मंद बच्चे वाले माता - पिता की आमदनी में से स्टैन्डर्ड डिडक्षन के अलावा एक 15,000 रुपये की कटौती मूल्यांकन वर्ष 1994-95 और अकाउन्ट वर्ष 1993 - 94 की भी छूट दी गई है। यह आयकर छूट केवल उन अभिभावकों के लिए है जिनके बच्चे गंभीर रूप से मानसिक मंद हैं और बुद्धि परिक्षण द्वारा जिनकी बुद्धिलब्धि 50 से कम है।

सरकारी लाभाधिकार और रियायतों का लाभ उठाने के लिए जी. ओ. एम एस. नम्बर 109, स्त्री विकास, बाल कल्याण और श्रम विभाग तारीख 5-6-92 के अनुसार किसी मानसिक मंद व्यक्ति के प्रमाण-पत्र किसी नैदानिक मनोवैज्ञानिक / मनोचिकित्सक द्वारा दिया जाना चाहिए और उस पर चिकित्सा अधीक्षक के हस्ताक्षर होने चाहिए।

358. केन्द्र सरकार द्वारा स्थायी रूप से शारीरिक विकलांग अथवा पूर्ण दृष्टिहीन अथवा मानसिक मंद निवासियों को जिनमें लाभदायक

रोजगार करने की क्षमता कम हो जाती है, उनकी क्षतिपूर्ति के लिए कौन - कौन से आयकर लाभाधिकार दिए गये हैं ?

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 यू के अंतर्गत वे निवासी जो स्थायी रूप से शारीरिक विकलांग हैं अथवा पूर्ण दृष्टिहीन है अथवा मानसिक मंद हैं और जिनमें लाभदायक रोजगार करने की वास्तविक क्षमता कम हो गई है उन्हे सन् 1992 - 1993 से उनकी वार्षिक आय में से 20,000 रुपये की छूट का अधिकार दिया गया है ।

359. क्या केन्द्र सरकार द्वारा आयकर में कोई छूट दी गई है जिन अभिभावकों की आय में अवयस्क बच्चे की आय भी सम्मिलित की जाती है और ऐसा अवयस्क बच्चा जो शारीरिक रूप से / मानसिक रूप से मंद है ?

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 यू. के अंतर्गत उन अभिभावकों को आयकर में छूट दी जाती है जिनकी आय में अवयस्क बच्चे की आय सम्मिलित की जाती है जो बच्चा शारीरिक / मानसिक रूप से मंद हैं जिसकी प्रकृति का उल्लेख धारा 80 यू. में किया गया है ।

ऐसे अभिभावकों की उनकी कुल आय में से वह राशि घटा दी जाती है जो कि, उनके अवयस्क बच्चे के लिए धारा 80 यू. में स्वीकृत है यदि बच्चे की आय पृथक रूप से मूल्याकित की जाती है यानि कि, अवयस्क विकलांग की आय अभिभावक की आय के साथ जोड़ कर या 20,000 रुपये जोड़ कर जो भी कम हो ।

360. केन्द्र सरकार द्वारा मानसिक मंद व्यक्तियों को रेल यात्रा में किस प्रकार की छूट ही जाती है ।

रेल किराये में छूट कई प्रकार के विकलांगों को मिलती है जैसे कि,

अन्धे, टी. बी. और कैसर के रोगी को, क्रृजु विकलांग, असंक्रामित कोड़ि के रोगी, वधिर व्यक्ति, मानसिक मंद व्यक्ति और थेलासीमिया के रोगियों को ।

यात्रा की प्रकृति के आधार पर मानसिक मंद व्यक्तियों को दो प्रकार की रेलवे छूट मिलती है ।

- टोली के साथ यात्रा कर रहे मानसिक मंद व्यक्तियों को,
- किसी अनुरक्षक के साथ यात्रा कर रहे मानसिक मंद व्यक्तियों को ।

361. केन्द्र सरकार द्वारा टोली के साथ यात्रा करने वालों मानसिक मंद व्यक्तियों को किस प्रकार की छूट दी जाती है ?

चार से अधिक की टोली में यात्रा कर रहे, राज्य या केन्द्र सरकार द्वारा पंजीकृत विद्यालय या संस्थान में शिक्षा प्राप्त कर रहे मानसिक मंद व्यक्ति को, प्रथम और द्वितीय श्रेणी के मूल शुल्क में 75% की छूट दी जाती है । उसी श्रेणी में यात्रा के लिए प्रति दो विद्यार्थियों के साथ एक अनुरक्षक को निशुल्क टिकट मिलता है चाहे विद्यार्थियों के पास बयस्क टिकट हो या आधा टिकट/ वातानुकूलित शयनयान में भी यात्रा की जा सकती है उसके लिए प्रथम श्रेणी के किराये पर छूट लेकर वातानुकूलित शयनयान का पूर्ण अधिशुल्क देना पड़ता है ।

रेलवे यात्रा की यह छूट मानसिक मंद व्यक्तियों को तब दी जाती है जब :

- वे घर और विद्यालय / संस्थान के बीच यात्रा कर रहे हैं ।
- वे रोज़गार के स्थान पर जा रहे हैं ।
- भारत में परीक्षा केन्द्र के स्थान पर जा रहे हैं ।

रेल यात्रा की यह छूट सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों और

संस्थानों के लिए स्वीकार्य है। यदि विद्यालय / संस्थान स्थानीय रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर को निर्धारित आवेदन पत्र एवं छूट प्रमाण-पत्र पर आवेदन करें तो वे भी इस छूट का लाभ उठा सकते हैं।

362. सरकार द्वारा उन मानसिक मंद व्यक्तियों को रेल यात्रा में किस प्रकार की छूट दी जाती है जो केवल अनुरक्षक के साथ ही यात्रा कर सकते हैं?

केवल अनुरक्षक के साथ यात्रा करने वाले मानसिक मंद व्यक्तियों को दो प्रकार की रेलवे छूट दी जाती है।

- एकल यात्रा टिकट
- मासिक अवधि टिकट / त्रैमासिक अवधि टिकट।

363. मानसिक मंद व्यक्तियों को एकल यात्रा टिकट में किस प्रकार की छूट उपलब्ध है?

5 वर्ष या कम आयु के मानसिक मंद बच्चे के साथ यात्रा कर रहे एक अनुरक्षक को प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के मूल किराये में 75% की छूट दी जा सकती है। एक मानसिक मंद व्यक्ति के लिए केवल एक अनुरक्षक को यात्रा करने की अनुमतिमिलती है। मानसिक मंद व्यक्ति के साथ यह अनुरक्षक कोई भी वयस्क हो सकता है। टिकट खरीदते समय मानसिक मंद व्यक्ति को स्टेशन पर उपस्थित रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रथम श्रेणी में आरक्षण के समय उन्हें द्विशयिका डिब्बा (कूपे) देने में प्राथमिकता दी जाती है। छूट के साथ वापसी टिकट जारी करने की सुविधा भी उपलब्ध है। वापसी यात्रा टिकट की उपलब्धता की अवधि यात्रा आरंभ करने की तारीख से एक महीना होती है। प्रथम श्रेणी के रियायती किराये के साथ शयनयान का पूरा अधिशुल्क देकर वातानुकूलित शयनयान में यात्रा की जा सकती है।

मानसिक मंद व्यक्ति और उसके अनुरक्षक की संयुक्त रियायती टिकट मानसिक मंदन के निर्धारित प्रमाणपत्र की फोटो कॉपी प्रस्तुत करने से सीधे स्टेशन मास्टर द्वारा जारी की जाती है।

मानसिक मंद व्यक्ति और उसके अनुरक्षक के लिए मूल शुल्क का 25% ही लिया जाता है।

364. मासिक अवधि टिकट / त्रैमासिक अवधि टिकट में मानसिक मंद व्यक्तियों को किस प्रकार की छूट उपलब्ध है?

प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के मासिक अवधि टिकट के किरायों में मानसिक मंद व्यक्ति और उसके अनुरक्षक दोनों को भारतीय रेलवे के उपनगरीय और अनुपनगरीय भागों में स्वीकृत किया गया है।

मानसिक मंद व्यक्तियों और उनके अनुरक्षक के मासिक अवधि टिकट / त्रैमासिक अवधि टिकट, मानसिक मंदन के निर्धारित प्रमाण-पत्र की फोटो कॉपी प्रस्तुत करने से सीधे स्टेशन मास्टर द्वारा जारी की जाती है। इसके अलावा मासिक अवधि टिकट / त्रैमासिक अवधि टिकट से संबंधित अन्य स्थितियों में जैसे - जैसे आम जनता पर लागू होते हैं, आवेदन किए जा सकते हैं।

365. क्या रेलवे छूट के लिए जारी किए गए प्रमाण - पत्र की प्रामाणिकता की कोई अवधि होती है?

मनश्चिकित्सक / नैदानिक मनोवैज्ञानिक द्वारा जारी किए गए प्रमाण - पत्र, जारी की गई तिथि से तीन वर्ष तक मान्य होते हैं। इस प्रमाण - पत्र में मानसिक मंद व्यक्ति का विस्तृत विवरण दिया होता है जैसे कि आयु, लिंग, व्यक्तिगत पहचान चिह्न और बाये हाथ के अंगूठे की छाप या हस्ताक्षर और मानसिक मंद व्यक्ति की बुद्धिलब्धि।


366. मानसिक मद व्यक्ति के अन्य यात्रा लाभाधिकार कौन-कौन से है ?

अधिकाश राज्य सरकारों ने, जिनके पास राज्य की अपनी परिचालित क्षेत्रीय परिवहन निगम है, मानसिक मद व्यक्तियों के अनुरक्षक के साथ मानसिक मदन का प्रमाण - पत्र प्रस्तुत करने पर नगर में तथा ग्राम - पथों पर रियायती / निःशुल्क बस यात्रा करना स्वीकार किया है। उदाहरण के लिए, आन्ध्र प्रदेश में मानसिक मद वच्चा बस यात्रा निःशुल्क करता है और उसके अनुरक्षक को तीन महीने में केवल 20 रु देना पड़ता है, जिला मार्गों पर मानसिक मद व्यक्ति और उसके अनुरक्षक को केवल 50 % किराया ही देना पड़ता है।

367. क्या केन्द्र सरकार, मानसिक मद व्यक्तियों को सहायता-उपकरण खरीदने में कुछ सहायता करती है ?

विकलांग व्यक्तियों की गतिशीलता के लिए और स्वतन्त्र रूप से कार्य करने के लिए सहायता उपकरण जैसे कि, पौहियों वाली कुर्सी, बैसाखों हियरिंग एड की आवश्यकता होती है। श्रवण विकार अथवा शारीरिक विकार वाले मानसिक मद व्यक्तियों को भी सहायता उपकरणों की आवश्यकता हो सकती है।

केन्द्र सरकार की योजना किसी भी आयु एवं लिंग के भारतीय नागरिकों के लिए खुली है जिसमें केवल वही सहायता उपकरण सम्मिलित किए जाते हैं जिनका मूल्य 25 रुपये से कम या 3000 रु से अधिक नहीं है। जहाँ एक से अधिक उपकरण की आवश्यकता है वहाँ अलग प्रकार की सीमायें लागू होगी। यह सहायता प्राप्त करने के लिए वही व्यक्ति उपयुक्त है जो रोज़गार या स्व - रोज़गार में लगे हुए हैं और जिनकी सभी स्रोतों से औसत आय 2500 रु. प्रति माह से अधिक नहीं है। यदि



सरकार मानसिक मंद व्यक्तियों एवं उनके माता - पिता को
विभिन्न प्रकार के लाभाधिकार एवं छूट देती है ।

पराश्रित है तो अभिभावक / संरक्षक की आय 2500 रु. प्रति माह से अधिक नहीं है ।

सहायता की राशि निम्नलिखित है ।

कुल आय सहायता की राशि

- 1200 रु. प्रति माह तक सहायता उपकरण का पूरा मूल्य
- 1201 – 2500 रु. प्रति माह सहायता उपकरण के मूल्य का 50%

यह लाभाधिकार प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को उसकी विकलागता और सहायता उपकरण के विवरण से सबधित किसी उपयुक्त प्राधिकारी से प्रमाण-पत्र की आवश्यकता होती है । अधिकांश पुनर्वास केन्द्रों से इस योजना के अंतर्गत सहायता उपकरण वितरित किए जाते हैं जिनका मूल्य केन्द्र सरकार अदा करती है ।

368. क्या सरकार अपने कर्मचारियों को मानसिक मंद होने के कारण कुछ और लाभधिकार भी देती है ?

मुख्यतः सरकारी कर्मचारी को मानसिक मंद बच्चे के शिक्षण, प्रशिक्षण और पुनर्वास के लिए चार प्रकार के लाभधिकार उपलब्ध हैं ।

- चिकित्सीय खर्च की प्रतिपूर्ति,
- परिवार के लिए ऐन्शन,
- शिक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति
- जहाँ पुनर्वास सेवायें उपलब्ध हैं उन स्थानों में स्थानांतरण करने की प्राथमिकता ।

369. क्या मानसिक मंद व्यक्तियों के औषधीय उपचार पर होने वाले खर्च की प्रतिपूर्ति हो सकती है ?

केन्द्रीय और राज्य सरकार के कर्मचारियों को निर्दिष्ट चिकित्सा

प्रधिकारियों से ही उपचार प्राप्त करना होता है। जहाँ केन्द्र/राज्य सरकारी डिस्पैन्सरी/अस्पताल उपलब्ध नहीं होते वहाँ पर होने वाले खर्च की राज्य/केन्द्र सरकार निर्धारित नियमों के अनुसार प्रतिपूर्ति करती है।

सार्वजानिक क्षेत्र में कार्य कर रहे कर्मचारी भी औषधीय उपचार निर्दिष्ट चिकित्सीय प्रधिकारी द्वारा प्राप्त करके लाभ उठा सकते हैं। जो कर्मचारी औद्योगिक कार्यों में लगे हैं वे ई. एस. आई. योजनाओं के अंतर्गत ई. एस. आई. अस्पताल / डिस्पैन्सरी से उपचार प्राप्त करके लाभान्वित हो सकते हैं। यदि ई. एस. आई. अस्पतालों / डिस्पैन्सरी में उपचार उपलब्ध न हो तो प्रतिपूर्ति की जाती है।

370. क्या जिसका बच्चा मानसिक मंद है ऐसे सरकारी कर्मचारी का अपनी पसंद के स्थान पर स्थानांतरण हो सकता है ?

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग अपने कार्यालय में मेमो नं. ए.बी - 14017 / 41 / 90 इस्टेल्लीशमैन्ट (आर आर) ता. 15 फरवरी 1991 में मंत्रालयों / विभागों का प्रत्येक केस के प्रति सहानुभूति पूर्ण दृष्टिकोण अपनाने और जहाँ तक संभव हो सके उनके निवेदन के स्थान पर नियुक्ति करने का प्रयत्न करने का निर्देश दिया है। यदि कोई सरकारी कर्मचारी किसी मानसिक मंद बच्चे का अभिभावक है तो उनका स्थानांतरण उनकी पसन्द के स्थान पर करना चाहिए जहाँ मानसिक मंद बच्चे के शिक्षण और प्रशिक्षण की सुविधाये उपलब्ध हो।

371. क्या अभिभावक की मृत्यु के पश्चात् उसके पेन्शन के लाभाधिकार मानसिक मंद बच्चे को दिए जा सकते हैं ?

परिवार पेन्शन कर्मचारी के परिवार उसकी मृत्यु के बाद कार्यरत / कार्यनिवृत होकर मासिक पेन्शन के रूप में दी जाती है। यहाँ परिवार का अर्थ है, मरने वाला व्यक्ति, उसका पति / पत्नी बेटा (बेटे)

अविवाहित बेटी/बेटियाँ जिसकी आयु 25 वर्ष से कम हो, उसकी मृत्यु तक या पुनः विवाह तक जो भी पहले हो, दी जाती है। उसके बाद उनके बच्चे को उनके लिंग का ध्यान किए विना, एक - एक करके उनके जन्म के अनुसार दी जाती है।

यदि मरने वाले के परिवार में कोई विकलाग पुत्र जैसे कि, मानसिक मद हो तो पेन्शन उनके जीवन काल तक / या जब तक वह कमाना आरंभ नहीं कर देता तब तक मिलती रहती है। यदि पुत्री को इस प्रकार की विकलागता है तो ऊपर की दोनों स्थितियों के अलावा, उसके विवाह तक पेन्शन मिलती रहती है।

372. क्या केन्द्र सरकार को कोई ऐसी योजना है जिसके अंतर्गत मानसिक मद बच्चे के विद्यालय की फीस की प्रतिपूर्ति की जा सके?

स्कूल फीस की प्रतिपूर्ति सभी केन्द्र सरकार कर्मचारियों के लिए विना किसी वेतन सीमा के को जाती है, जिनका मानसिक मद बच्चा होता है।

यदि बच्चा किसी मान्यता प्राप्त / अनुमोदित / केन्द्र सरकार / राज्य सरकार / सघ क्षेत्र, प्रशासन द्वारा सहायता प्राप्त संस्था में पढ़ रहा है, जो अधिकतम 50 रु. प्रति माह है की प्रतिपूर्ति की जाती है, शुल्क की राशि स्वीकृत नहीं की जाती परन्तु यदि फीस शुल्क केन्द्र सरकार / राज्य सरकार / सघ क्षेत्र प्रशासन द्वारा स्वीकृत कर लिया जाए तो देय फीस और वास्तविक प्रदत फीस की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

373. क्या राज्य सरकार स्कूल जाने वाले मानसिक मद व्यक्तियों को कुछ छूट / छात्रवृत्ति भी प्रदान करती है ?

कुछ राज्य सरकारों ने स्कूल जाने वाले विकलाग बच्चों जिसमें मानसिक मद बच्चे भी सम्मिलित हैं, को छात्रवृत्ति प्रदान करने की योजनायें बनाई हैं। आन्ध्र प्रदेश सरकार उन संस्थानों / विशेष विद्यालयों को 100 रु.

प्रति माह, छात्रवृत्ति देती है जहाँ मानसिक मद बच्चा पढ़ा है बशर्ते कि, माता - पिता की आय 1200 रु. प्रति माह से कम हों। किसी भी वर्ष में 1000 से अधिक राशि नहीं दी जाती। अन्य राज्य सरकारों द्वारा दिए गए इस प्रकार के लाभाधिकार की जानकारी अपने - अपने राज्य सरकारों के समाज कल्याण विभाग से संपर्क करके प्राप्त की जा सकती है।

छात्रवृत्ति योजना का लाभ उठाने के लिए विशेष विद्यालय राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए। कोई भी अभिभावक राज्य सरकार से छात्रवृत्ति का लाभाधिकार और केन्द्र सरकार के कर्मचारी होने के नाते विद्यालय शुल्क की प्रतिपूर्ति करके दोहरा लाभ नहीं उठा सकता।

374. क्या देश की राज्य सरकारों की मानसिक मद व्यक्तियों के परिवारों के लाभ के लिए कोई समान योजना / नियम भी है?

विकलाग व्यक्तियों और उनके परिवारों के कल्याण एवं पुनर्वास के लिए प्रत्येक राज्य सरकार के अपने ही कार्यक्रम और क्रिया कलाप हैं।

विभिन्न राज्यों में, मिलने वाले लाभाधिकार एवं छूट भिन्न - भिन्न हैं जो राज्य सरकार द्वारा किसी विशेष कार्यक्रम अथवा क्रिया कलाप को प्राथमिकता देने पर निर्भर करता है। अधिक जानकारी के लिए अपनी - अपनी राज्य सरकारों के समाज कल्याण विभाग को संपर्क करें जो विकलाग व्यक्तियों के कल्याण की देखभाल करते हैं।

375. क्या हवाई यात्रा के लिए कोई छूट दी जाती है?

भारतीय / इंडियन एयरलाईंस कारपोरेशन, डृष्टिहीन व्यक्तियों को एकल यात्रा के लिए, या सभी घरेलू उड़ानों पर वापसी यात्रा के साथ एकल किराया 50% की छूट प्रदान करती है (परिपत्र संख्या सी-आई. एम / 17) परन्तु अनुरक्षकों का पूरा किराया देना पड़ता है। मानसिक मद व्यक्तियों को हवाई यात्रा में किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाती।

NOTES

NOTES

प्रस्तावित पाठ्य सामग्री

यदि संभव हो तो अभिभावकों को अधिक पढ़ने के लिए निम्नलिखित पुस्तकों का प्रयोग करने का सुलाव दिया जा रहा है। फिर भी, अभिभावक अपनी स्थिर स्रोत, संपर्क, ज्ञान और सुलभता के अमुसार अपनी पाठ्य सूची को बढ़ा सकते हैं।

सामान्य जानकारी (जनरल इन्फरमेशन)

1. आर. स्मिथ (1983). चिल्ड्रन विद मैन्टल रिटार्डेशन : अ पेरन्ट्स गार्ड एक्सेजनल पेरन्ट, लाईब्रेरी 1170 कॉमनवेल्थ एवेन्यू, बॉस्टन, यू.एस.ए. \$ 14.95.
2. जे. स्कलीचकोम (1993). कोपिंग विद सेरिब्रल पाल्सी : आमर्स टू क्वश्चन्स पेरन्ट्स ऑफन आस्क. पी. आर. ओ. ई. डी. 8700 शोल क्रीक वी बन वी. डी. ऑस्टिन टैक्सास (टू.एस.ए.) 78757. \$ 24.00.
3. एच. रेजार (1987). चिल्ड्रन विद एपीलैप्सी : अ पेरन्ट्स गार्ड. एक्सेजनल पेरन्ट लाईब्रेरी, 1170 कॉमनवेल्थ एवेन्यू, बॉस्टन, यू.एस.ए. \$ 14.95.
4. एम. आरसन्स & टी. गिटिस (1992). द हैन्डबुक ऑफ ऑटिज्म : अ गार्ड फॉर पेरन्ट्स एण्ड प्रोफेशनल्स. रूटलैज, 11 न्यू फैटर लेन, लदन, इ.सी 4 पी. ई. 14.95.
5. के. स्ट्रे गन्डरसेन (1988). बेबीज विद डाक्टर सिन्ड्रोम : अ न्यू पेरन्ट्स गार्ड. बुडबाईन हाऊस, 5615 फिशर्स लेन, रोकविल एम डी 20852 (यू.एस.ए.) \$ 19.95.

परिवार पर प्रभाव (इन्पैक्ट ऑन फॉमली)

1. के. मोजिज (1983). इन्पैक्ट ऑफ इनिशिपल डायग्नौसिस : मोबलाईजिंग फैमली रिसोर्सिं, रिसोर्स नेटवर्क्स इक. 1618 ओरिगन एव, # 210 इवेन्स्टन आईएल (यू.एस.ए) 60201. \$ 5.
2. के. मोजिज (1983). इन्पैक्ट ऑफ चाईल्डहुड डिसेबिलिटी : द पेरन्ट्स स्ट्रगल, रिसोर्स नेटवर्क्स इक. 1618 ओरिगन एव. # 210. इवेन्स्टन आई एल (यू.एस.ए) 60201. \$ 5.
3. आर टेलर (1992). ऑल बाय सैल्फ : अ फार्डर्स स्टोरी बाऊट अ डिफ्रेन्टली एबल्ड चाईल्ड. लाईट ऑन बुक्स एण्ड विडियो टेप्स, पी. ओ. बाक्स 8005, सूट 358, बोल्डर सी ओ (यू.एस.ए) 80306. \$ 10.
4. डी. जे. मेयर & पी. एफ. बाडसे (1985). लिविंग विद अ ब्रदर ऑर सिस्टर विद स्पेशल नीड्स : अ बुक फॉर सिबिलग्स. यूनिवर्सिटी ऑप बॉशिंग्टन प्रैस, पी. ओ बाक्स 50096, सीटल डॅल्टो ए 98145-5096. \$ 12.95.
5. ई. थोम्पसन (1986). ब्रिगिंगअप अ मैन्टली डैन्डीकैप्ड चाईल्ड : इट्स नॉट ऑल टियर्स ! थोरसन पब्लिशिंग हाऊस, डेनिगटन एस्टेट वैलिंगबोरो नौथरेन्ट्स (यू.के) एन 82 आर ब्यू 5.99 ब्रिटिश पाऊण्ड.

ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਉਪਚਾਰ (ਅਲੰਕਾਰੀ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ)

1. ਟੀ.ਵੀ. ਬ੍ਰਾਜੇਲਟਨ (1983). ਇੰਡੋ ਮਦਰਸ਼ - ਡਿਫ੍ਰੈਨਸਿਸ ਇਨ ਡਵੈਲਪਮੈਂਟ ਡੇਲਾਕੌਟੀ ਪ੍ਰੈਸ, ਡੈਗ ਹੈਮਸਰ ਕੋਲਡ ਪਲਾਜ਼ਾ, 45 ਇੱਸਟ 47 ਸਟ੍ਰੀਟ, ਨ੍ਯੂਯਾਰਕ, ਏਨ. ਵਾਈ. (ਯੂ. ਏਸ. ਏ) 10017
2. ਏਫ. ਕੈਪਲਨ (1978). ਦ ਫਾਰਸਟ ਟੁਏਲਚ ਮਥਸ ਆਂਫ ਲਾਈਫ ਬੈਨਟਮ ਕੁਕਸ, 666 ਜਵੀ ਅਵੈਨ੍ਯੂ, ਨ੍ਯੂ ਯਾਰਕ, ਏਨ. ਵਾਈ. (ਯੂ. ਏਸ. ਏ) 10103 \$ 5.99.
3. ਏਮ. ਕਲੀਨ (1990). ਪੇਰਨਟ ਆਰਿਟਿਕਲਸ ਫਾਰ ਅਲੰਕਾਰੀ ਇੰਟਰਵੈਨਸ਼ਨ, ਥੈਰੇਪੀ ਸਿਕਲ ਵਿਲਟਸ, 3830 ਡੀ. ਬੈਲੀਵ੍ਯੂ/ਪੀ ਓਬਾਕਸ 42050, ਟਕਸਨ, ਏ. ਜੈਡ (ਯੂ. ਏਸ. ਏ) 85733. \$ 39.
4. ਡੀ. ਮਿਸ਼ੇਲ (1985). ਧੀਰ ਚਾਈਲਡ ਇਜ਼ ਜਿਫ੍ਰੈਨਟ : ਅ ਹੈਨਡਕੁਕ ਫਾਰ ਪੇਸ਼ਨਟਸ ਆਂਫ ਧੀਰ ਚਿਲਡਨ ਵਿਦ ਸ੍ਰੇਸ਼ਲ ਨੀਡਸ. ਅਨਵਿਨ ਪਕਲਕੇਸ਼ਨਸ 40, ਮ੍ਯੂਜਿਯਮ ਸਟ੍ਰੀਟ, ਲਦਨ, ਡਕ੍ਟੂ ਸੀ 1 ਏ 1 ਏਲ ਧੂ (ਯੂ. ਕੇ) 2.50 ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਉਣਡਸ.
5. ਏਮ. ਹੈਨਸਨ ਏਂਡ ਏਸ. ਹੈਰਿਸ (1986). ਟੀਚਿਂਗ ਦ ਧੀਰ ਵਿਦ ਮੋਟਰ ਡੀਲੇਜ਼) ਅ ਗਾਈਡ ਫਾਰ ਪੇਰਨਟਸ ਏਂਡ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ. ਪੀ ਆਰ ਓ - ਇੰ ਡੀ 8700 ਸ਼ੋਲ ਕ੍ਰੋਕ ਬੀ 1 ਬੀਟੀ, ਐਸਿਟਨ, ਟੈਕਸਾਜ਼ (ਯੂ. ਏਸ. ਏ) 78757. \$ 27.00.

ਅਚਵਹਾਰ (ਬਿਹੇਵਿਧਿ)

1. ਆਰ. ਪੇਸ਼ਾਬਿਰਿਆ (1991). ਮੈਨੇਜਿਂਗ ਬਿਹੇਵਿਧਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਇਨ ਚਿਲਡਨ : ਅ. ਗਾਈਡ ਫਾਰ ਪੇਰਨਟਸ. ਵਿਕਾਸ ਪਕਲਿਸ਼ਿਂਗ ਹਾਊਸ, ਨ੍ਯੂ ਦਿਲਲੀ ₹ 50/-.
2. ਏਸ. ਏਸ. ਕੌਣਸ਼ਿਕ (1988). ਪੇਰਨਟਸ ਏਜ. ਟੀਚਿਂਚ : ਨਾਰਦਨ ਕੁਕ ਸੈਨਟਰ 422/1 ਅਸਾਰੇ ਰਾਡ, ਨੰਡੀ ਦਿਲਲੀ 110002 ₹ 145/-.
3. ਮਾਰਿਨ ਹਰਵਟ (1989). ਬਿਹੇਵਿਧਰਲ ਟੀਟ ਮੈਟ ਆਂਫ ਪ੍ਰਾਬਲਮ ਚਿਲਡਨ : ਅ. ਪ੍ਰੈਕਿਟਕਲ ਮੈਨੁਅਲ ਗੌਸ & ਸਟ੍ਰੋਟਨ ਇਕ. 111 5 ਕੀ. ਨ੍ਯੂ ਯਾਰਕ 100003 \$ 16.50.
4. ਜੇ. ਪ੍ਰੇਸਲੈਡ (1988). ਓਵਰ ਕਮਿਗ ਡਿਫਿਕਲਟ ਬਿਹੇਵਿਧਿ : ਅ. ਗਾਰੇਡ ਏਂਡ ਸੋਸਿਬੁਕ ਫਾਰ ਹੈਲਿਗ ਧਾਪਲ ਵਿਦ ਸੀਵਰ ਮੈਨਟਲ ਹੈਨਡੀਕੈਪ. ਕੀ. ਆਈ. ਏਸ. ਏਚ. ਪਕਲਕੇਸ਼ਨਸ ਸੇਲਤਾ, ਫੋਲੇ ਇੰਡੋਸਟ੍ਰਿਯਲ ਪਾਰਕ, ਸਟੋਰਟਪੋਰਟ ਰੋਡ, ਕਿਨਡਰਮਿਨਿਸਟਰ ਵਾਅਸ ਡੀ. ਵਾਈ 117 ਕ੍ਰੂ ਜੀ. 19.95 ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਉਣਡ.

ਸਿਖਿਆ (ਅਕੱਡਮਿਕਸ)

1. ਡੀ. ਜੈਫਰੀ ਏਂਡ ਏਸ. ਰਕੈਫਿਗਟਨ (1985). ਲੈਟ ਭੀ ਰੋਡ. ਹਾਮਨ ਹਾਰਾਇਜ਼ਨਸ ਸੋਰੀਜ, 43 ਗ੍ਰੇਡ ਰਸ਼ਲ ਸੇਨਟ ਡਕ੍ਟੂ ਸੀ 1 ਬੀ 3 ਪੀ ਏ. 3.50 ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਉਣਡਸ.
2. ਏਚ.ਡੀ. ਕਡ ਫ੍ਰੈਂਡਿਕਸ ਏਟ ਆਲ (1985). ਦ ਟੀਜਿਗ ਰਿਸਚਰ ਕਾਰਿਕੂਲਮ ਫਾਰ ਸਿਵੇਰਲੀ ਏਂਡ ਮੌਡਰੇਟਲੀ ਹੈਨਡੀਕੈਪ. ਚਾਲਸ ਥਾਮਸ ਪਕਲਕੇਸ਼ਨ, 2600 ਆਕੁਥ ਫਾਰਸਟ ਸਟ੍ਰੀਟ, ਸਿਗਾਫਾਲਡ ਆਈ ਏਲ (ਯੂ. ਏਸ. ਏ) 62 794-9265 \$ 19.75.
3. ਏਸ. ਵੈਨਡਰ, ਪੀ. ਜੇ. ਵੈਲੀਟ੍ਰਾਟੀ, ਏਸ. ਵੈਨਡਰ (1985). ਟੀਚਿਂਗ ਦ ਮੌਡਰੇਟਲੀ ਏਂਡ ਸਿਵੇਰਲੀ ਹੈਨਡੀਕੈਪ ਵੱਲਿਧਮ I, II, III. ਪੀ ਆਰ ਓ - ਇੰ ਡੀ. 8700 ਸ਼ੋਲ ਕ੍ਰੋਕ ਬੀ 1 ਬੀ ਡੀ, ਐਸਿਟਨ, ਟੈਕਸਾਜ਼ (ਯੂ. ਏਸ. ਏ) 78757. \$ 54.00.

ਸਪ੍ਰੇ਷ਣ (ਕਸ਼ਿੱਤਿਕੇਸ਼ਨ)

1. ਆਰ. ਸੀਨਕਵੀਜ਼ ਮਸਰੰ ਏਂਡ ਏਸ. ਕੈਪਲਨ (1989). ਆਈ ਰੇਜ਼ ਭਾਈ ਆਈਜ਼ ਟੂ ਸੇ ਐਸ. ਹੈਟਨ ਮਿਲਿਨ 2 ਪਾਰਕ ਸਟ੍ਰੀਟ, ਬੋਸਟਨ ਏਸ ਏ (ਯੂ. ਏਸ. ਏ) 02108. \$ 17.95.

- एम. शैकरेडर (1987). पेरन्ट आर्टिकल्स - एन्हैन्स पेरन्ट इन्वॉल्वमैट इन लैंग्वेज लर्निंग फॉर अर्ली इन्टरवैन्शन. थेरेपी स्किल निलडर्स, 3830 ई. ब्रैलीब्यू / पी. ओ. वॉक्स 42050 टक्सन, ए. ज़ेड (यू.एस.ए) 85733. \$ 39.
- डी. जैफरी एण्ड आर. मैकोनके (1978). लैट थी स्पीक. सौवेनीर प्रैस, 43 ग्रट सस्मल स्ट्रीट, लंदन, डब्लू.सी 1 बी 3 पी.ए, 6.95 ब्रिटिश पाउण्ड्स.
- ए. मैनोलसन (1992). इट टेक्स दू. टु. टॉक : अ पेरन्ट्स गार्ड दु हैलिपंग चिल्डन कौम्यूनिकेट. हैवन सेन्टर, औट्टोरियो. \$ 25.00.
- एस. स्वार्ट्स एण्ड चे. मिलर (1988) द लैंग्वेज ऑफ टॉएज़ : टीचिंग कौम्यूनिकेशन स्किल्स दू स्पेशल नीड्स चिल्डन अ गार्ड फॉर पेरन्ट्स एण्ड टीचर्स वुडबाईन हाऊस, 5615 फिशर्स लेन, रॉकविले, एम डी 20852 (यू.एस.ए) \$ 12.95.

दैनिक क्रिया - कलाप (ऑक्टोविटिज़ ऑफ डेली लिविंग)

- सी. मैक्सेनहन (1987). फॉर्डिंग एण्ड क्रेयरिंग फॉर इन्फैन्ट्स एण्ड चिल्डन विद स्पेशल नीड्स. बुक आर्डर डिपार्टमेन्ट, अमेरिकन ऑक्युपेशनल थेरेपी एसोसिएशन, 1983 पिकार्ड ट्राईव, पी.ओ. वॉक्स 500096, रॉकविले एम डी. (यू.एस.ए) 20849 \$ 5.20.
- प्राक्तन्स विद ईटिंग. इन्टरवैन्शन्स फॉर चिन्डन एण्ड इडल्ट्स विद डॉक्यूमेन्ट्स डिसेंबिलिटीज (1987). (खाने के व्यवहार से संबंधित दस पेपर). ऑर्डर न. 1520, बुक ऑर्डर डिपार्टमेन्ट, अमेरिकन ऑक्युपेशनल थेरेपी एसोसिएशन, 1383 पिकार्ड ट्राईव, पी.ओ. वॉक्स 500096, रॉकविले, एम डी (यू.एस.ए) 20849 \$ 10.00.
- जे. कार (1985). हैलिपंग थोर रिटार्ड चाईल्ड : अ स्टैप बाई स्टैप गार्ड दू एक्वरी डे प्राक्तन. पैन्जुइन बुक्स, हैमण्डसर्वथ, मिडलसैक्स, इंग्लैड.
- एस. स्टड्यू (1988). पाथवेज़ दु सक्सैस : पब्लिकेशन्स, फॉर इन्डिपैन्डेन्ट लिविंग. ए.ए.ए.म आर पब्लिकेशन्स, 5101 कैलोरमा रोड, एन. डब्लू. वॉशिंग्टन डी.सी. 200009 - 2683 (निवेदन पर मूल्य उपलब्ध)
- डी. वर्नर (1987). डिसेंबल्ड विलेज जिल्डन. हैस्परियन फाऊन्डेशन, पैलो आल्टो, सी.ए. (यू.एस.ए) (निवेदन पर मूल्य उपलब्ध)

अवकाश (लिज़र)

- डी. जैफरी एण्ड एस. चैस्लीन (1986). लैट्स ज्वायन ईन. सौवेनीर प्रैस, 43 ग्रेट रस्सल स्ट्रीट, लंदन, डब्लू.सी 1 बी 3 पी.ए, 6.95 ब्रिटिश पाउण्ड्स.
- आर. लोयर (1990). थोर प्ले हैल्पस : प्ले आईडियास फॉर चिल्डन विद स्पेशल नीड्स. बटरवर्थ एण्ड हेनमैन, लिनाक्रेस हाऊस, जॉरडन हिल, ऑक्सफोर्ड ओ.एक्स 28 डी.पी., 13.50 ब्रिटिश पाउण्ड्स.

3. पी. बैहमैन (1977). हैलिंग द मैन्टली रिटार्ड एक्वायर प्ले स्किल्स. चार्टर्स थामस पब्लिकेशन्स 2600 साऊथ फर्स्ट- स्ट्रीट, सिग्नफोल्ड, आई. एल. (यू. एस. ए) 62 794 - 9265 (निवेदन पर मूल्य उपलब्ध)
4. ए. फाइन एण्ड एन. फाइन (1988). थैराप्यूटिक रिक्रिएशन फॉर एक्सैप्शनल चिल्ड्रन. चार्टर्स थामस पब्लिकेशन 2600 साऊथ फर्स्ट स्ट्रीट, सिग्नफोल्ड, आई. एल. (यू. एस. ए) 62794 - 9265. \$ 9.25.
5. आर. मैकौनके एण्ड एफ गैलेगर (1978). लैट्स प्ले. यूनिवर्सिटी ऑफ उल्स्टर, सेन्ट मार्केल हाऊस (यू. के) (माँग पर मूल्य उपलब्ध)

छात्रावास (हॉस्टल)

1. जी. ओ कौनर (1976). होम इज अ गुड प्लेस. ए. ए. एम आर पब्लिकेशन, 5101 कॉलोरम रोड, एन डब्लू वॉशिंगटन डी. सी. 200009-2683 (भाँग पर मूल्य उपलब्ध)

समुदाय देखरेख (कम्युनिटी केयर)

1. ए. नायक (1984). पब्लिक अवेयरनैस एण्ड ऐट्रिट्यूड ट्रुवर्डस प्रब्लिम्स ऑफ मैन्टली हैन्डीकैप्ड ए डब्लू. एम एच, टर्नर मौरिसन बिल्डिंग, बैक स्ट्रीट, बम्बई 400 023, (माँग पर मूल्य उपनब्ध)
2. पी. एंबट एण्ड आर सेप्सफोर्ड (1988). कम्युनिटी केयर फॉर मैटली हैन्डीकैप्ड चिल्ड्रन. ओपन यूनिवर्सिटी प्रैस, 12 कौटरिज क्लोज, स्टोनी स्ट्रैटफोर्ड, मिल्टन कीनेस एम के 11 1 बी वाई, इंगलैड 4.50 ब्रिटिश पाउण्ड्स.
3. एल. गैथिंग, आर. लिओनार्ड एण्ड के. ओ लाफलिन (1986). पर्सन टु पर्सन : कम्युनिटी अवेयरनैस ऑफ डिसएबिलिटी. बिलियम एण्ड बिलकिन इक, ए डी आई एस पी टी बाई लि. 404 सिड्नी रोड, बैलगोला, एन एस डब्लू 2093, ऑस्ट्रलिया, \$ 16.95.
4. सी. ब्राऊन (1990). माई लैफ्ट फुट. मैन्डेरियन पब्लिशर्स (अकिश पुस्तक की दुकानों पर उपलब्ध) \$ 6.95.
5. एल. डी. पार्क (1987). हाओ टु बी ए फ्रैन्ड टु द हैन्डीकैप्ड वाईफ सर्विसज़ फॉर द हैन्डीकैप्ड. इक, 352 पार्क एवेन्यु साऊथ, न्यू यार्क, एन वाई 10010 (भाँग पर बूल्य उपलब्ध)

आर्थिक योजना (फाइनान्शियल प्लैनिंग)

1. डी. टेल्क (1992). फाइनेन्शियल प्लैनिंग फॉर द मैन्टली हैन्डीकैप्ड-अ गाईड फॉर येरन्ट्स एण्ड काउन्सलर्स. टी आई एस पब्लिकेशन्स, डियोनार रु.25/-.
2. एच. आर. टर्नबुल, ए टर्नबुल, जी. जे. ब्रोनिकी, जे. ए. समर्स एण्ड रौडर-जौरडन, सी (1992). डिसएबिलिटी एडुके द फैमिली - अ गाईड टु डिसिजन्स फॉर एडल्ट्सहुड (तृतीय संस्करण). पाल एच बूक्स पब्लिशिंग के. पी. ओ. बॉक्स 10624, बाल्टी मोर, एम डी 21285 - 0624 \$ 29.00.

3. डी. पी. होल्डर्न (1985). फाईलैन्शियल प्लैनिंग फॉर द हैन्डीकैप्ड. चाल्स थॉमस पब्लिकेशन, 2600 साऊथ फर्स्ट स्ट्रीट, सिंगाफोर्लंड, आई एल (यू.एस.ए) 62794 - \$ 32.50.

सामाजिक सुरक्षा / सरक्षकता (सोशल सिक्युरिटी/गार्डियन शीष)

1. आफ्टर आई एम गौन बट विल हैप्पन टू माई हैन्डीकैप्ड चाईल्ड - गैरल्ड सैक्चुरी (1984). सौविनीर प्रैस, 43 ग्रेट रस्सल सेन्ट लदन डब्लू सी 1 वी 3 पोए 5.95 ब्रिटिश पाउण्ड्स।

लैगिकता (सेक्युरिटी)

- इ. टवे, जी. कोठावाला एण्ड एम. पिल्लई सैक्सुएलिटी एण्ड द मैन्टली टैन्डीकैप्ड : अ मैनुअल फॉर पेरन्ट्स एण्ड टीचर्स, ए जब्लू एम एच, टनर मौरिसन विल्डिंग, वैक स्ट्रीट, बम्बई 400023, (निवेदन पर मूल्य उपलब्ध)
- आर. के. भारत (1982). सैक्सुएलिटी एण्ड द मैन्टली रिटार्डेंड कॉलेज हिल प्रेस, सेन डिगो, सी ए 92120 \$ 19.95.
- डी. प्रिफिट्स, वी. क्विन्से एण्ड डी. हिंगसबगर (1989). चेन्जिंग इनएप्रोप्रिएट सैक्सुअल बिहेवियर. पाँल बूकर्स पब्लिशिंग, पी. बॉक्स न. 10624, बाल्टीमोर, एम. डी (यू.एस.ए) \$ 30.00.
- एम.क्राप्ट एण्ड ए क्राप्ट (1982). सैक्स एण्ड मैन्टल हैन्डीकैप : अ गाईड फॉर पेरन्ट्स. राउटलेज एण्ड कैगन पाँल लि., 9 पार्क स्ट्रीट, बौस्टन एम ए 02108 (निवेदन पर मूल्य उपलब्ध).
- ग्रीन, ए.एम (1986). सैक्सुएलिटी इन हब्लू आई, फ्रेसर, आर. सी. एम. गिल्लीवर, ए.एम. ग्रीन केयरिंग फॉर पोपल विद मैन्टल हैन्डीकैप्स. बटरवर्थ एण्ड हैनोमेन, लिनाक्रेस हाऊस, जॉर्डन हिल, ओक्सफोर्ड ओ एक्स 28 डी पी 19.95 ब्रिटिश पाउण्ड्स.

लाभधिकार एवं छूट (बेनिफिट्स एंड कन्सेशन्स)

- आर. चेशावरिया (1991). गर्वनमैन्ट ऑफ इन्डिया बैनिफिट्स एण्ड कन्सेशन्स फॉर द मैन्टली हैन्डीकैप्ड इन्डिवीजुअल्स. एन. आई. एम. एच., मनोविकास नगर, सिकन्दराबाद 500 009. निशुल्क.
- जिला पुनर्वास केन्द्र (1992). प्रोग्राम्स एण्ड कन्सेशन्स गिवन फॉर द डिसए बल्ड बाय द स्टेट गवर्नमेन्ट. कल्याण मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली (निवेदन पर मूल्य उपलब्ध)
- ऑल इन्डिया कॉफेडरेशन ऑफ द ब्लाईंड (1990). प्रोग्राम्स एण्ड कन्सेशन्स फॉर द डिसएबल्ड. एन आई वी. एच. पब्लिकेशन्स, राजपुर रोड, देहरादुन. (निवेदन पर मूल्य उपलब्ध)

अभिभावकों की आतिथी (पेरेट इन्वॉलमेट)

- सी. आर. कैलाहन (1990). सिन्स ऑवन : अ पेरन्ट फॉर द. केयर ऑफ डिसएबल्ड चार्झल्ड जॉन हौपकिन्स प्रैस, 701 डब्ल्यू 40 द स्ट्रीट वाल्टीमोर, एम डी (यू.एस.ए) 21211 \$ 16.95.
- कैर्थ टौपिंग (1986). पेरन्ट्स एस एजुकेटर्स. ब्रुकलाइन बुक्स पी. ओ बाक्स 1046, कम्ब्रिज, एम.ए. (यू.एस.ए) 02238 \$ 12.95.
- टी. शीया एण्ड एम बाहर (1985). पेरन्ट्स एण्ड टीचर्स ऑफ एक्सेशनल चिल्ड्रन : अ हैन्डबुक फॉर इन्वॉल्ट्वमैन्ड. पलिन एण्ड बैकन इक 7 वैल्म एवन्यु, न्यूटन, एम.ए. (यू.एस.ए) 02159. \$ 37.00.
- जी. पैटरसन (1978). लिविंग विद चिल्ड्रन. रिसर्च प्रेस, पी. ओ वॉक्स 3177, चैम्पन आई एल (यू.एस.ए) 61826 5.95 ब्रिटिश पाउण्ड्स.

कानून (लीगल)

- द इन्डियन ल्यूनेसी एक्ट 1912, निवेदन पर एन आई एम एच सिक्कन्दरावाद से उपलब्ध।
- जे एन पाण्डे (1986). कम्पटीट्चूशनल लौ ऑफ इन्डिया. सेन्टल लौ एजन्सी, 11 यूनिवर्सिटी रोड, रु. 55/-
- बी इस्लाम (1988). रिपोर्ट ऑन कमेटी ऑन द लेजिस्लेशन फॉर द हैन्डीकैप्ड कल्याण मन्त्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली (निवेदन पर उपलब्ध)

रोजगार (एम्प्लॉयमेट)

- ए. चट्टोपाध्याय (1986). ऑल इन्डिया डायरेक्टरी ऑफ एजुकेशनल एण्ड वोकेशनल ट्रेनिंग इन्सटीट्यूट फॉर द हैन्डीकैप्ड. पैट्रि और पब्लिशिंग हाऊस, लिक रोड, बहु श्वेष जाफर मार्ग, नई दिल्ली - 2 रु.55/-
- ई. हेल्पर एट आल (1988). ट्रेनिंग इन द कम्यूनिटी फॉर पापल विद डिसएबलिटिज. डब्ल्यू एच ओ, 1211 जनीवा 27, स्विट्जरलैंड (निवेदन पर मूल्य उपलब्ध)
- एम. एस. मून एण्ड ए बोले (1984). वोकेशनल ट्रेनिंग एण्ड एम्प्लायमैट : गाइडलाईन्स फॉर पेरन्ट्स. एक्सेशनल पेरन्ट प्रैस, 1170 कॉमन वैल्थ एव, बॉस्टन, एम.ए. (यू.एस.ए) 19.95.
- सी. स्कॉट (1982). वर्क एक्सपीरिएंस फॉर मैन्टली हैन्डीकैप्ड एडल्ट्स. मैनकैप नेशनल सेन्टर, 123 गोल्डन लेन, लदन. 1.50 ब्रिटिश पाउण्ड्स
- एम. हार्फर एण्ड डब्ल्यू मौम (1992). सैलफ एम्प्लायमैट फॉर डिसएबल्ड पीपल : एक्सपीरिएंस फॉम अफीका और एशिया. आई एल ओ, सी एच - 12 11, जनीवा, स्विट्जरलैंड (निवेदन पर मूल्य उपलब्ध)

परिशिष्ट - 2

एन.आई.एम.एच. के प्रकाशन

कीमत
रुपए
में

सामान्य जानकारी (जनरल इनफर्मेशन)

1. मैन्टल रिटार्डेशन : अ मैनुअल फॉर विलेज रीहैबिलिटेशन चर्कस.	10.00
2. मैन्टल रिटार्डेशन : अ मैनुअल फॉर मल्टी रीहैबिलिटेशन चर्कस.	10.00
3. मैन्टल रिटार्डेशन : अ मैनुअल फॉर गाइडेन्स काऊन्सलर्स.	10.00
4. मैन्टल रिटार्डेशन : अ मैनुअल फॉर सायकोलौजिस्ट्स.	10.00
5. एनुअल सेमिनार औन मैन्टल रिटार्डेशन.	10.00
6. डायरेक्टरी ऑफ प्रोफेशनल्स इन मैन्टल रिटार्डेशन 1989.	20.00

शोध उपचार (अर्ली इंटरवेशन)

7. हैन्डबुक फॉर द ट्रेनर्स ऑफ मैन्टल रिटार्डेशन : प्री-प्राईमरी लैवल.	30.00
8. विशेष आवश्यकताओं वाले छोटे बच्चों के लिए खेल क्रियाये (अंग्रेजी, हिन्दी)	10.00

विद्यालय (स्कूल)

9. डायरेक्टरी ऑफ इन्स्टीट्यूशन्स फॉर द मैन्टली हैन्डीकैप्ड पर्सन्स इन इन्डिया.	25.00
10. सप्लीमैन्ट ऑफ द डायरेक्टरी ऑफ इन्स्टीट्यूशन्स फॉर द मैन्टली हैन्डीकैप्ड पर्सन्स इन इन्डिया, 1989.	10.00
11. सप्लीमैट दू द डायरेक्टरी ऑफ इन्स्टीट्यूशन्स फॉर द मैन्टली हैन्डीकैप्ड पर्सन्स इन इन्डिया, 1992.	10.00
12. औरेगोनाईजेशन ऑफ स्पेशल स्कूल फॉर मैन्टली रिटार्डेंड पर्सन्स	8.00
13. औरेगोनाईजेशन ऑफ स्पेशल क्लास इन रेग्युलर स्कूल	8.00

व्यवहार (बिहेवियर)

14. मानसिक मद बच्चों के शिक्षण की व्यवहारिक पद्धति : शिक्षकों के लिए पुस्तिका (अंग्रेजी, हिन्दी).	10.00
15. भारतीय मद बुद्धि बच्चों के लिए व्यवहार मूल्याकान मापदण्ड (वैसिक-एम आर) रिकार्ड पुस्तिका के साथ (अंग्रेजी, हिन्दी).	10.00

सप्रेषण (कम्युनिकेशन)

16. मानसिक विकलांग व्यक्तियों के सप्रेषण कौशलों के विकास के लिए पुस्तिका (अंग्रेजी, हिन्दी).	10.00
--	-------

दैनिक क्रिया - कलाप (ऑफिटिविट्ज़ ऑफ डेली लीविंग)

17. टूवर्ड्स इन्डिपैन्डेन्स सीरीज़ : एन्हेन्सिंग ग्रैस मोटर स्किल्स.	10.00
18. टूवर्ड्स इन्डिपैन्डेन्स सीरीज़ : फाइन मोटर स्किल्स.	10.00
19. टूवर्ड्स इन्डिपैन्डेन्स सीरीज़ : फीडिंग औन देयर ओन.	10.00
20. टूवर्ड्स इन्डिपैन्डेन्स सीरीज़ : टोयलेट ट्रेनिंग.	10.00
21. टूवर्ड्स इन्डिपैन्डेन्स सीरीज़ : टीचिंग ब्रिंशिंग स्किल्स.	10.00
22. टूवर्ड्स इन्डिपैन्डेन्स सीरीज़ : वी कैन ड्रेस आवरसैल्चस.	10.00

23.	दूवड्स इन्डपैन्डेन्स सीरीज	: देन योर चाईल्ड दू वेद.	10.00
24.	दूवड्स इन्डपैन्डेन्स सीरीज	: देन योर चाईल्ड ग्रमिंग सिक्लस.	10.00
25.	दूवड्स इन्डपैन्डेन्स सीरीज	: टीचिंग वेसिक सोशल स्किल्स.	10.00
26.	मेनुअल फॉर 'दूवड्स इन्डपैन्डेन्स सीरीज़'		10.00
27.	स्किल ट्रेनिंग इन मैन्टली रिटार्ड एसेन्स	: बेदिंग.	10.00
28.	स्किल ट्रेनिंग इन मैन्टली रिटार्ड एसेन्स	: ग्रास मोटर स्किल्स.	10.00
29.	स्किल ट्रेनिंग इन मैन्टली रिटार्ड एसेन्स	: फाईंग स्किल्स.	10.00
30.	स्किल ट्रेनिंग इन मैन्टली रिटार्ड एसेन्स	: इंटिंग स्किल्स.	10.00
31.	स्किल ट्रेनिंग इन मैन्टली रिटार्ड एसेन्स	: ट्रौयलेट ट्रेनिंग.	10.00
32.	स्किल ट्रेनिंग इन मैन्टली रिटार्ड एसेन्स	: दृथ त्रिशिंग.	10.00
33.	स्किल ट्रेनिंग इन मैन्टली रिटार्ड एसेन्स	: इंसिंग.	10.00
34.	स्किल ट्रेनिंग इन मैन्टली रिटार्ड एसेन्स	: ग्रूमिंग.	10.00
35.	स्किल ट्रेनिंग इन मैन्टली रिटार्ड एसेन्स	: साशल स्किल्स.	10.00

कार्य (वर्क)

36.	बोकेशनल ट्रैनिंग एण्ड एम्प्लायमैन्ट ऑफ पर्सन्स विद मैन्टल रिटार्डेशन	10.00
37.	ओपन एम्प्लायमैन्ट औपरच्युनिटीज इन रेलवेज फॉर मैन्टली सिट	10.00
38.	ओपन एम्प्लायमैन्ट औपरच्युनिटोज इन पोस्ट & टेलीग्राफ्स और मैन्टली रिटार्ड एसेन्स	10.00
39.	मैन्टली रिटार्ड एसेन्स	10.00
40.	प्रीप्यरेशन ऑफ पौलीवैग नसरी, वैजीटेवल गाडंन एण्ड सोड पेक्ट्रस	10.00

अनुक्रमिक प्रकाशन (सीरीयल पब्लिकेशन्स)

1. मैन्टार्ड - एक जागरूक विवरणिका (छिमासिक)
2. करावल्मबन पत्रिका (त्रिमासिक)

शैक्षिक परिपत्र एवं पोस्टर (एजुकेशनल फोल्डर्स एवं पोस्टर्स)

1. माई टूल वॉर्क्स
2. टीचिंग टाईम
3. सेयिंग सिम्प्ल वर्ड्स
4. ट्रैल दी डेट, डे एण्ड मन्थ
5. ग्रीटिंग स्किल्स
6. मानसिक विकलाग बच्चों के प्रबंध एवं रोकयाम के लिए दस भिन्न-भिन्न पोस्टर्स।

वीडियो फिल्में

1. स्टैप बाय स्टैप वी लर्न (हिन्दी में भी उपलब्ध)
2. गिव दैस अ चास (हिन्दी में भी उपलब्ध)
3. सहायुक्ति नहीं सहयोग

नोट : उपर्युक्त पुस्तकों एवं फिल्मों के लिए भूगतान डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में निदेशक एन.आई.एम.एच. के नाम भेजें। यह ड्राफ्ट, माँग के साथ सूचना एवं प्रलेखन अधिकारी एम आई एम एच सिकन्दराबाद 500 009 को भेज दें।

पंजीकृत अभिभावक संस्थायें

आन्ध्र प्रदेश

1. पौमेनकैप (मनोकृषि)
मानसिक विकलागो के
लिए विशेष शिक्षा केन्द्र
म.न. 10-2-289/83 (निचली मजिल)
मेहर मेशन, मेहरबाबा मार्ग
शान्तिनगर, हैदराबाद 500 004
2. डी. ए. डी. पेरन्टस एसोसिएशन
फॉर द मैन्टली हैन्डीकैप्ड
एन एफ सी, हैदराबाद 500 762
3. पेरन्टस एसोसिएशन फॉर द वेल्फेयर
ऑफ मैन्टली रिटोर्ड चिल्डन
199-201, बी. बी.एन.आर.नगर
वनस्थली पुरम, हैदराबाद-500 661
4. पेरन्टस एसोसिएशन ऑफ एजीस
ऑफिस एम्प्लोइज़ फॉर द वेल्फेयर
ऑफ मैन्टली हैन्डीकैप्ड
लेखादीप, व्यावसायक पुनर्वास केन्द्र
न. सी. 49, एजीज़ स्टाफ क्वार्टर्स
यूसुफगुडा, हैदराबाद-500 045
5. पेरन्टस एसोसिएशन ऑफ पविलक
सेक्टर एम्प्लाईज़ बालानगर फॉर
द वेल्फेयर ऑफ द मैन्टली
रिटाइड चिल्डन
एच एम टी कालोनी, एच एम टी
पोस्ट ऑफिस के पास
बाला नगर, हैदराबाद-500 037
6. पेरन्टस एसोसिएशन फॉर द वेल्फेयर
ऑफ एडल्ट्स विट मैन्टल रिटाईशन
बी. आर. सी., एटी आई पैम्पस
विद्यानगर, हैदराबाद 500 007
7. पैमेनकैप (पेरन्टस एसोसिएशन फॉर
द मैन्टली हैन्डीकैप्ड पर्सन्स)
मनोचैतन्य, प्लाट न. 5
वैलिग्टन रोड, पिकेट
सिकन्दराबाद - 500 003
8. आकाशा
मानसिक विकलाग बच्चों के कल्याण
के लिए अभिभावक संस्था
एस & टी वर्कशाप के साथ
मेतुगुडा, सिकन्दराबाद - 17
9. पेरन्टस एसोसिएशन फॉर
हूमन सर्विसेज़ (पी.ए.एच.एस.)
201 क्राउन अपार्टमेन्ट्स
म.न. 2-8-113
438 मेतुगुडा, सिकन्दराबाद
10. पैमेनकैप
पेरन्टस एसोसिएशन फॉर मैन्टली
हैन्डीकैप्ड पर्सन्स
म.न. 2-8-113
मुकरमपुरा, करीमनगर - 505030
11. पेरन्टस एसोसिएशन फॉर
द मैन्टली हैन्डीकैप्ड पर्सन्स (पैमेनकैप)
टी.2-48 पावर हाऊस कालोनी
पी.ओ. गोदावरी खानी
जिला करीमनगर - 502209
12. पेरन्टस एसोसिएशन फॉर
द मैन्टली हैन्डीकैप्ड
फर्टिलाईज़र कोरपोरेशन ऑफ झीन्डया
लि. फर्टिलाईज़र सिटी
रामगुडम - 505 210

13. सूर्योक्तरण (पैमेनकैप)
 11-3-16, थुर्पू भावी
 मार्चेला, गुन्द्र 522 426. आ. प्र.
 म.न. 10-2-289/83 (निचली मजिल)
 मेहर मेन्शन, मेहरबाबा मार्ग
 शान्तिनगर, हैदराबाद 500 004

दिल्ली

14. मानसिक विकलाग वच्चो के कल्याण
 के लिए अभिभावक संस्था
 अनुवाशिक विभाग
 कमरा न. 113, बाल-रोग विभाग
 पुरानी ऑपरेशन थियोटर बिल्डिंग
 अखिल भारतीय आर्युर्जिज्ञान संस्थान
 नई दिल्ली - 110057
15. विकलाग बिकास एवं पुनर्वास संस्था
 224, वसन्त एकलंब
 नई दिल्ली - 110057

गुजरात

16. सोसाइटी फॉर द वेलफेर
 ऑफ द मैन्टली रीटीडेड
 51, कृष्णा सोसाइटी
 लौ कालेज के पास
 एलिस ब्रिज, अहमदाबाद 380 006
17. पेरन्ट्स एड गोडयन्स एसोसिएशन
 फॉर मैन्टली हैन्डीकैप्ड
 चिल्ड्रन ऑड एडोल्सेन्ट्स
 15, कमलनयक सोसाइटी
 पोस्ट नवजीवन, अहमदाबाद 380 014

हरियाणा

18. रेड क्रास पेरन्ट्स एसोसिएशन
 फॉर वैलफेर ऑफ मैन्टली हैन्डीकैप्ड
 गोधी नगर, रोहतक
 हरियाणा

कर्नाटक

19. कर्नाटक पेरन्ट्स एसोसिएशन
 फॉर मैन्टली रिटीडेड सिटिजन्स
 न्यू ल. 60 (अल्डा न. 16)
 ग्रान्ट रोड, बगलौर 560 001

20. स्व सहाय समस्याएँ
 वी. 4, बी. ई. एम. एल. फ्लैट्स
 जयलक्ष्मी पुरम, मैसूर 570 012

केरला

21. कन्नारूर पेरन्ट्स एसोसिएशन
 फॉर द मैन्टली रिटार्डेड
 ची रामम
 (पी. ओ.) वेस्ट पांत्रियम - 670 641
22. ऑल केरला एसोसिएशन ऑफ
 द मैन्टली रिटार्डेड, नलनचेरू, त्रिवेन्द्रम

23. स्टेट काऊनिसल फॉर एक्सेशनल चिल्ड्रन
 ए. फेडरेशन ऑफ पेरन्ट्स एसोसिएशन
 फॉर द मैन्टली हैन्डीकैप्ड-केरला
 XL1/2303, पेरामरा बिल्डिंग
 कोची - 682 018

मध्य प्रदेश

24. पेरन्ट्स एसोसिएशन फॉर द
 वेलफेर ऑफ मैन्टली हैन्डीकैप्ड चिन्हन
 ए-28 पद्मनाभा नगर
 रेलवे क्रासिंग गोविन्दपुरी के पास
 भोपाल - 23.

25. पेरन्ट्स एसोसिएशन फॉर
 मैन्टली रिटार्डेड चिल्ड्रन
 स्नेह सपदा विद्यालय
 मानसिक विकलाग वच्चो के लिए
 शिक्षण एवं प्रशिक्षण केन्द्र
 32. बगलो चौक
 पुराना गेस्ट हाउस, भिलाईनगर
 संकटार-8, दुर्ग 490 006.

महाराष्ट्र

26. ए डब्लू एम एच - पी ओ डी एस
(एसोसिएशन फॉर द वेलफेर ऑफ
पर्सन्स विद मैन्टल हैन्डीकैप
पेरन्ट्स ऑफ डाऊन सिन्ड्रोम)
हिल रोड क्लीनिक, 102-वी
रिजिवी पैलेस
हिल रोड, बांद्रा
बम्बई - 400 050
27. एसोसिएशन ऑफ पेरन्ट्स ऑफ
मैन्टली रिटार्ड चिल्ड्रन
5 ए/14 परेर नगर
एस टो. कार्यशाला के पांछे
आगरा रोड, थाने (प.) 400 601.
28. आमिया पालक सगठन
3 जय अनत सहकारी आवास समीति
सुयोग मगल कार्यलय के पास
टोमवीचिली (पू.) 421201
29. जय वकील अभिभावक कल्याण संस्था
इन्डोटेक्स एक्सर्पोट हाऊस प्रा.ति.
"जसविल" लिवरी सिनेमा के सामने
9, सर विट्लदास ठाकरे रोड
बम्बई 400 020
30. स्वीकार
एसोसिएशन ऑफ पेरन्ट्स ऑफ मैन्टली
रिटार्ड चिल्ड्रन
85, आर एम एस कालोनी
नागपुर 440013
31. उमेद परिवार
ए/7 अद्वैतानन्द सोसाइटी
1221, सदाशिव पेट
पुणे - 030

मणिपुर

32. ऑल मणिपुर मैन्टली हैन्डीकैप्ड
पर्सन्स औरोनाईज़ेशन
कैसमथोग, टॉप लेरक
इम्फाल - 795 001
33. पेरन्ट्स एसोसिएशन फॉर
द मैन्टली हैन्डीकैप्ड
मणिपुर, कैसम थोग
टॉप लेरक
इम्फाल 795 001

उडिसा

34. ऊडिसा एसोसिएशन ऑफ
पेरन्ट्स विद स्पेशल चिल्ड्रन
दता टोटा
पुरी - 752 002

राजस्थान

35. विवेक सोसाईटी फॉर द वेलफेर
ऑफ द मैन्टली हैन्डीकैप्ड
5 सीएचए-9, जवाहर नगर
जयपुर 302 004.

तमिलनाडु

36. सोसाईटी फॉर सोशल सिक्योरिटी
ऑफ रिटार्ड वर्सन्स
8, डी सिल्विया रोड
मद्रास - 600 004

37. अरुणोत्थायम
सोसाईटी फॉर द वेलफेर ऑफ
द मैन्टली हैन्डीकैप्ड
पर्थिपन्नूर - 623608
रामद जिला

त्रिपुरा

38. "स्वावलंबन"

अखिल त्रिपुरा अनुसूचित जातियों
जनजानतियों
आल्पसंख्यक उत्थान परिषद द्वारा संगठित
रामनगर रोड न.1, अगरतला
पी ओ रामनगर, त्रिपुरा (प.) - 002

उत्तर प्रदेश

39. उत्तर प्रदेश मानसिक विकलाग नागरिकों के बल्याण के लिए अभिभावक संस्था बी 1/42 अलीगज सैक्टर - के. लखनऊ

उत्तर प्रदेश

39. उत्तर प्रदेश मानसिक विकलाग नागरिकों के कल्याण के लिए अभिभावक संस्था बी 1/42 अलीगज सैक्टर - के. लखनऊ

पश्चिमी बंगाल

40. एसोसिएशन फौर द

इन्टैलेक्चुअली डिसएब्ल्ड
98, एन बव्लाक ई
न्यू अलीपोर
कलकत्ता - 700 053

41. बोध्यायन

मानसिक विकलाग व्यक्तियों के
अभिभावकों की संस्था
109, बी, ब्वाक एफ
न्यू अलीपोर - 700 053

42. बेहाल विकासन

51/1 जगत रोय चौधरी रोड
कलकत्ता - 700 008

व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र

श्रम मंत्रालय, भारत सरकार

आनंद प्रदेश

विकलाग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र
ए.टी.आई., विद्यानगर
हैटरावाड - 500 007

अस्साम

विकलाग व्यावसायिक पुनर्वास
राहवही, गुवाहाटी - 781 008

बिहार

विकलाग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र
भारत सरकार, श्रम मंत्रालय
प/84, गाँधी विहार
अनोसावाद, पटना - 2

दिल्ली

विकलाग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र
आई टी आई होस्टल बिल्डिंग
आई टी आई कैम्पस, पूसा
नई दिल्ली - 12

ગुजरात

विकलाग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र
ए.टी.आई. कैम्पस, कुवरनगर
अहमदाबाद - 382 340

विकलाग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र
उप क्षेत्रीय रोज़गार कार्यालय
कोठी बिल्डिंग पहली मजिल
वडोदरा - 391 001

कर्नाटक

विकलाग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र
22, होसुर रोड
बगलौर - 29

केरल

विकलाग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र
नलाचिया,
तरुवनथपुरम - 15

मध्य प्रदेश

विकलाग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र
नेपियर टाऊन, बसस्टैन्ड के पास
जवलपुर - 482 001

महाराष्ट्र

विकलाग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र
सीटी आई कैम्पस, सियोन
बम्बई - 400 033

उडिसा

विकलाग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र
एस आई आर सी कैम्पस,
यूनिट
भुवनेश्वर - 751 012

पंजाब

विकलाग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र
एटी आई कैम्पस गिल रोड
लुधियाना - 141 003

राजस्थान

विकलाग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र
4-एस ए, जवहार नगर
जयपुर 302 004

त्रिपुरा.

विकलाग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र
श्रम मंत्रालय, अभय नगर
आगरतला - 799 005

तमिलनाडु

विकलाग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र
सी टी आई कैप्पस, गुड्नी
मद्रास - 600 032

उत्तर प्रदेश

विकलाग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र
38, बी आर लेन, बैलियाधाट
कलकत्ता

लेखक एवं अनुवादक संबंधी

लेखक :

रीता पेशावरिया इन दिनों, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकन्दराबाद में, नैदानिक मनोविज्ञान विभाग में प्राध्यापिका के पद पर कार्यरत हैं। वे इन्डिया विजन फाउन्डेशन, नई दिल्ली के मानसिक विकलांग विभाग की निदेशिका (अवैतनिक) भी हैं।

सन् 1972 मे. पजाब से मनोविज्ञान मे स्नातकोत्तर ऊपाधि प्राप्त करके, उन्होने सेन्ट्रल इनस्टीट्यूट ऑफ साईकिएट्री, राँची से दो वर्ष का गहन प्रशिक्षण प्राप्त किया। सन् 1975 मे उन्होने विशेष योग्यता के साथ डी. एम. एण्ड एस. पी. उत्तीर्ण किया। मानसिक विकलांग बच्चों पर व्यावहारिक तकनीके लागू करने का आगे का प्रशिक्षण उन्होने सन् 1986-87 मे मौदुस्ते हस्पताल, लंदन, यू.के. से प्राप्त किया। सन् 1993 मे उन्होने उत्कल विश्वविद्यालयसे पी. एच. डी पूर्ण कर ली। सन् 1985 मे राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान मे काम करने से पहले वे हॉस्पिटल फॉर मैन्टल डिजीज़िस शाहदरा दिल्ली के चाइल्ड गार्डेनस क्लीनिक मे पद भार संभालती थीं।

पिछले 20 वर्षों से वे बच्चों के संवेगात्मक और समस्या व्यवहारों के उपचार मे और उनके परिवारों के साथ सक्रिय रूप से कार्यरत रही। अभी तक देश भर मे उन्होने अभिभावकों एवं मानसिक विकलांगता के क्षेत्र मे कार्य कर रहे विशेषज्ञों के लिए अत्यन्त अधिगम कठिनाईयों वाले बच्चों के शिक्षण एवं प्रशिक्षण के लिए व्यावहारिक आधार के तरीकों को लागू करने मे, मनोवैज्ञानिक एवं व्यावहारिक मूल्यांकन करने मे और परिवारों के साथ परामर्श कौशलों मे लगभग 70 प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन किया है।

उन्होने सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दैनन्दिनियों मे लगभग 20 अनुसंधान पत्रों का योगदान दिया। उन्होने कई पुस्तकों मे अध्याय लिखे

और प्रथम लेखिका के रूप में कई पुस्तकों प्रकाशित की जिन में मैनेजिंग बिहेवियर प्रौद्योगिकी इन चिल्ड्रन : अ गाईड फॉर पेरन्ट्स (1990) प्ले एक्टिविटीज फॉर यंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स (1991), बिहेवियरल अप्रोच इन टीचिंग मैन्टली रिटार्ड चिल्ड्रन : अ मैनुअल फॉर टीचर्स (1992) ; बिहेवियरल असैसमैन्ट स्केल्स फॉर इन्डियन चिल्ड्रन विद मैन्टल रिटार्डेशन (1992) ; नीड्स ऑफ इन्डियन फैमिलीज हैविंग चिल्ड्रन विद मैन्टल रिटार्डेशन (प्रकाशन में) उन्होने मैन्टल हैन्डीकैप अ मैन्युअल फॉर साईकलॉजिस्ट (1988) और मैन्टल हैडीकैप : अ मैनुअल फॉर गाईडैन्स काऊन्सलर्स (1989) नामक प्रशिक्षण पुस्तिकाओं में सह लेखिका का कार्य किया । (इनमें से अधिकाश पुस्तके हिन्दी में उपलब्ध हैं)

देशकीर्ति मेनन राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकन्दराबाद के आरंभ 1984 से निदेशक हैं । सन् 1968 में पजाब विश्वविद्यालय से मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त करके उन्होने केन्द्रीय संस्थान मनशिक्षिता, राँची से नैदानिक मनोविज्ञान में दो वर्ष का प्रशिक्षण प्राप्त किया जहाँ उन्होने सन् 1971 में डी. एम. एण्ड. एस. पी. मे विशेष योग्यता प्राप्त की । उन्होने सन् 1980 में स्नातकोत्तर शैक्षिक एवं अनुसंधान संस्थान से नैदानिक मनोविज्ञान में पी. एच. डी. की उपाधि प्राप्त की । उन्होने एन. आई. एम. एच. मे निदेशक पद पाने से पहले चडीगढ़ में विभिन्न ज़िला मार्गदर्शक परामर्शदाता के रूप में कार्य किया, अमृतसर में पजाब मैन्टल अस्पताल में नैदानिक मनोवैज्ञानिक के रूप में वर्ल्ड हैल्थ और्गनाईज़ेशन सहयोगी केन्द्र में पोस्टग्रेजुएट संस्थान चडीगढ़ में वरिष्ठ सामाजिक वैज्ञानिक के रूप में और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली, में वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी के रूप में कार्य किया ।

पिछले पच्चीस वर्षों में उन्होने मानसिक विकलांग और मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया । वे राष्ट्रीय स्तर की विभिन्न पद्धति नियोजन संमीतियों में सम्मिलित हैं । जिसमें मानसिक स्वास्थ्य परामर्शदाती

समिति भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान, परिषद विकलांग के कल्याण के लिए कार्यकारी दल, योजना आयोग, राष्ट्रीय विकलांग कल्याण परिषद मंत्रालय, भारत सरकार, मानसिक विकलांगों की पुनर्वास परिषद समीति और विकलांगों के शिक्षण एवं कल्याण के लिए सहयोगी समीति, मानव संसाधन विकास मंत्रालय सम्मिलित हैं।

उन्होंने कई प्रसिद्ध राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में लगभग 60 लेख प्रकाशित किए जिसमें पुस्तकें, पुस्तकों के अध्याय और अनुसंधान पत्र सम्मिलित हैं। उनके प्रकाशन के मुख्य क्षेत्र हैं शीघ्र उपचार, परिवार, व्यावसायिक पुनर्वास, समुदाय जागरूकता और ग्रामीण स्वास्थ कर्मचारियों के लिए सामग्री।

राहुल गांगुली इन दिनों राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त परिवारों को सशक्त बनाने की एक बहुकेन्द्रीय परियोजना में अनुसंधान अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हैं। उन्होंने सन् 1990 में राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान से स्नातक उपाधि प्राप्त की। औरेगन (यू.एस.ए) विश्वविद्यालय के विशेष प्रशिक्षण केन्द्र से ग्रेजुएट टीचिंग फैलोशिप अवाई प्राप्त करके उन्होंने दो वर्ष का गहन प्रशिक्षण प्राप्त किया जिसमें वे विज्ञान (विशेष शिज्ञा एवं पुनर्वास) के मास्टर हो गए। सन् 1992 में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त करने के बाद उन्होंने मैकेन्जी पर्सनल सिस्टम्स (औरेगन यू.एस.ए) में रोजगार प्रशिक्षण विशेषज्ञ के रूप में कार्य किया और औरेगन विश्वविद्यालय के रूप में कार्य किया और औरेगन विश्वविद्यालय में सघ द्वारा निधिवद्ध दो वर्षीय रोजगार परियोजनाओं के साथ जुड़े रहे हैं।

पिछले चार वर्षों से वे गंभीर विकलांगता वाले व्यक्तियों के प्रशिक्षण एवं पुनर्वास में सक्रिय रूप से कार्यरत रहे। मानसिक विकलांग बेटा/बेटी को ऐच्छित जीवन शैली देने के लिए परिवारों को सहयोग देना ही उनके कार्य का केन्द्र रहा इसके अलावा मानव सेवासंस्थाओं को परिवार और

वैयक्तिक आवश्यकताओं की ओर अधिक सहानुभूति पूर्ण रूपैया अपनाने में रहें ऑटिस्टिक व्यक्तियों के परिवारों के साथ कार्य करना और कम्प्यूटर की सहायता से मानसिक मंद व्यक्तियों का व्यावसायिक पुनर्वास करना, ये दोनों क्षेत्र उनकी रुचि के क्षेत्र हैं।

सुमित राय दिग्दर्शिका अनुसंधान एवं पुनर्वास संस्थान, भोपाल के कार्यकारी निदेशक हैं, जो उन्होंने सन् 1990 में अपनी पत्नी श्रीमती काकोली रॉय (जो नैदानिक मनोवैज्ञानिक भी है) के साथ स्थापित की। वे दिग्दर्शिका में चलाये जा रहे मानसिक विकलांगता के डिप्लोमा कोर्स के समन्वयकर्ता (कोऑर्डिनेटर) भी हैं। सन् 1992 में अप्लाईड मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त करके उन्होंने केन्द्रीय मनशिकित्सा विभाग, राँची से नैदानिक मनोविज्ञान में दो वर्ष का प्रशिक्षण प्राप्त किया जहाँ से उन्होंने 1984 में डी. एम. एस. पी. उत्तीर्ण किया। उन्होंने बैथूल जिला (मध्यप्रदेश) के क्रिश्चयन मिशनरी अस्पताल में नैदानिक मनोवैज्ञानिक के रूप में कार्य किया। इसके अलावा, उन्होंने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में अनुसंधान अधिकारी के रूप में और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परियोजना में भोपाल गैस टुर्बटना के पीड़ितों के लिए कार्य किया।

पिछले दस वर्षों से वे विकलांग, विकारों वाले और मनोवैज्ञानिक समस्याओं वाले व्यक्तियों के मूल्यांकन, निदान और उपचार/प्रशिक्षण में सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों के अंतर्गत उन्होंने परिवारों और समुदायों के लिए कार्यशालाओं का आयोजन किया। उन्होंने मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई पत्रिकाओं में कई अनुसंधान पत्र एवं समाचार पत्रों में लेख लिखे। मानसिक मंद बच्चों के उन परिवारों के साथ कार्य करना जिन्हें मनोवैज्ञानिक समस्याये हैं और समुदाय में जागरूकता लाना, उनकी रुचि के क्षेत्र हैं।

राजम. पी. आर. एस. पिल्लये, बालविकास प्रशिक्षण केन्द्र त्रिवेन्द्रम के निदेशक हैं और बालविकास प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा चलाए जा रहे मानसिक विकलांगता के डिप्लोमा पाठ्यक्रम के समन्वयकर्ता भी हैं। सन् 1962 में बम्बई विश्वविद्यालय से इतिहास में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त करके उन्होने सन् 1970 में बैस्टन विश्वविद्यालय यू.एस.ए. से शिक्षा में मास्टर डिग्री (एम.एड) पूर्ण की। सन् 1994 में केरल विश्वविद्यालय से उन्होने पी.एच.डी पूरी की। वे नई दिल्ली के मानसिक विकलांगों के कल्याण के लिए बनाई गई संघ के कार्यकारी सचिव रह चुकी हैं। आजकल वे मानसिक मंद बच्चों के शिक्षण की पाठ्यचर्या तैयार करने के लिए केरल सरकार द्वारा बनाई गई उच्च स्तर समीति की सदस्या हैं। मानसिक मंद बच्चों के शिक्षण की पाठ्यचर्या तैयार करने के लिए केरल सरकार द्वारा बनाई गई उच्च स्तर समीति की सदस्या हैं। वे एन.आई.एम.एच.की पाठ्यचर्या समीति की सदस्या भी हैं और भारतीय पुनर्वास परिषद् मानसिक विकलांगता पर सलाहकार समीति की एक सदस्या भी हैं।

वे केरल राज्य में पुनर्वास के क्षेत्र में मानव संसाधन विकास के प्रचार में सक्रिय रूप से कार्यरत हैं। पिछले चार वर्षों से वे मानसिक विकलांगता पर केरल राज्य में वार्षिक संगोष्ठी आयोजित कर रही हैं। ऑल इन्डिया रेडियो पर मानसिक मदन पर बातचीत की श्रृखलाये प्रस्तुत करने के साथ-साथ उन्होने मानसिक विकलांगता के विभिन्न पहलुओं पर तीस से अधिक लेख छपवाए हैं।

आशा गुप्ता इन दिनों विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए नवज्योति केन्द्र की प्रधानाचार्या / निदेशक के रूप में कार्य कर रही हैं। सन् 1964 में स्नातक उपाधि प्राप्त करके उन्होने सन् 1970 में बाल शिक्षा में (दिल्ली विश्वविद्यालय) से डिप्लोमा प्राप्त करने के लिए एक वर्ष का प्रशिक्षण प्राप्त किया। उन्होने सन् 1982 में मानसिक विकलांग कल्याण संघ द्वारा चलाए गए विशेष शिक्षा में सर्टिफिकेट कोर्स पूरा किया और सन् 1987 में राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान के

क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र दिल्ली से मानसिक विकलांगता पर एक वर्ष का डिप्लोमा कोर्स पूरा किया । वे बलवन्त राय मेहता स्कूल फॉर एंक्सेप्शनल चिल्ड्रन, नई दिल्ली में लगभग दो वर्ष के लिए अध्यापिका के रूप में कार्य करती रही । पिछले चौदह वर्षों से वे मानसिक विकलांग व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने में लगी हुई हैं । वे एक मानसिक पुत्र की माँ हैं । उन्होंने मानसिक विकलांग अपनी पसन्द के व्यवसायों में भाग लेने के लिए अधिकाधिक अवसर प्रदान करने के लिए नवज्योति केन्द्र की स्थापना की । आजकल उनके रुचि के क्षेत्र हैं मानसिक विकलांग व्यक्तियों के अर्थिक पुनर्वास के लिए नीतियों का विकास करना । वे समाधान परिषद (नई दिल्ली) की एक सदस्या भी हैं और मार्किटिंग फैडरेशन फॉर दी हैन्डीकैप्ड (नई दिल्ली) की खजाची भी हैं ।

आर. के. होरा इन दिनों राष्ट्रीय मानसिक विकलांग सम्मिलन (रा.मा.वि.स.) सिकन्दराबाद में पिछले चार वर्षों से बाल रोगों में सहायक प्राध्यापक हैं । उन्होंने सन् 1974 में एम.बी.बी.एस. उत्तीर्ण की और फिर पजाव विश्वविद्यालय, पटियाला के अंतर्गत गवर्नर्सेट मेडिकल कॉलेज/रजिस्ट्राअस्पताल से बाल रोग के क्षेत्र में एक वर्ष का प्रशिक्षण और तीन वर्ष की स्नातकोत्तर (एम.डी.) डिग्री प्राप्त की । स्नातकोत्तर के बाद उन्होंने लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल / मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज, नई दिल्ली, में बाल रोग विभाग में साढ़े तीन वर्षों तक रजिस्ट्रार के रूप कार्य किया । फिर उन्होंने रक्षा सेवाओं के अंतर्गत साढ़े छ वर्ष तक विभिन्न सेना अस्पतालों में कार्य किया ।

उन्होंने अभिभावक और विशेषज्ञों के लिए मानसिक विकलांगों के विशेषरूप से चिकित्सीय पहलुओं पर, कई प्रशिक्षण कार्यशालाये आयोजित की । वे रा. मा. वि. स. के चिकित्सीय शिक्षण एवं अनुसंधान कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से कार्यरत हैं । आजकल उनके रुचि के क्षेत्र हैं वच्चों में चयापचयशील विकारों (मेटाबॉलिक डिसऑर्डर) का शीघ्र पता लगाना, उन विकारों की संभव रोकथाम और अनुवाशिक परामर्श ।

अनुवादक

मीरा दुबे - संप्रति राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान सिंकंद्राबाद, मेरे अंशकालिक हिंदी प्राध्यापिका तथा सेट पीटर्स जुनियर कॉलेज, बरकतपूरा हैदराबाद मेरे जुनियर लेक्चरर के रूप मेरे कार्यरत है। 1979 मेरे उस्मानिया विश्व-विद्यालय से हिंदी एम.ए. की उपाधि प्राप्त करके 1982 मेरे 'हिंदी गद्य-काव्य' मेरे एम.फिल. कर 1984 मेरे यहाँ से 'डॉ भगवत शरण उपाध्याय, व्यक्तित्व एवं कृतित्व' पर पी.एच.डी. करते हुये 1985-87 दो वर्ष युनिवर्सिटी कॉलेज फॉर बीमेन, कोठी, हैदराबाद मेरे अवैतनिक हिंदी प्राध्यापिका के रूप मेरे कार्य किया तथा 1987 से डॉ. बी. आर. अबेडकर सार्वत्रिक विश्व विद्यालय मेरे प्रधम वर्ष को भी हिंदी पढ़ा रही है।

आपने लगभग 8 वर्ष मेरे राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान (एन.आई.एम.एच.) द्वारा प्रकाशित अनेक अंग्रेजी की पुस्तकों का अनुवाद किया। जिनमे 'विशेष आवश्यकताओं वाले छोटे बच्चों के लिये खेल-क्रियाये, "मानसिक मद बच्चों के शिक्षण की व्यावहारिक पद्धति" : शिक्षकों के लिए पुस्तिका, "भारतीय मद बुद्धि बच्चों के लिये व्यवहार मूल्यांकन मापदंड (बैसिक एम.आर.)" रेकॉर्ड पुस्तिका।" "मानसिक विकलांग व्यक्तियों के संप्रेषण कौशलों के विकास के लिये पुस्तिका, आदि हैं। तथा संस्थान संस्थान द्वारा ही प्रकाशित "दैनिक - क्रियाकलाप" के क्षेत्र मेरे (9) पुस्तके शैक्षिक परिपत्र एवं पोस्टर्स (7) वार्षिक रिपोर्ट आदि का भी हिंदी मेरे अनुवाद किया। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध लेखक 'डॉ महाराज कुमार रघुवीर सिंह' (तत्कालीन जयपूर महाराज) के स्मृतिग्रन्थ मेरे 'हिंदी गद्य-काव्य'

मेरे महाराज कुमार रघुवीर सिंह का योगदान” पर लेख लिखकर अपना योगदान दिया । इसके अतिरिक्त 1994 मेर्डॉ एम. रंगचारी द्वारा लिखित “गुरुदेवदत्त वैभवम्” अङ्ग्रेजी पुस्तक का अनुवाद एवं पूफरीडिंग का भार संभालकर भगवत् भक्ति मेरी अपना योगदान दिया ।

आरती होरा

एम. ए. मनोविज्ञान 1979 मेरे दिल्ली विश्वविद्यालय से किया तथा उसके बाद शैक्षिक एवं व्यवसायिक मार्गदर्शन एवं परामर्श मेरे राष्ट्रीय परिषद् शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र (एन.सी.ई.आर.टी.) से 1980 मेरे डिप्लोमा प्राप्त किया । आप 1983 से दिल्ली प्रशासन के स्कूल मेरे शैक्षिक एवं व्यावसायिक परामर्शदाता के रूप मेरे कार्यरत हैं ।

बच्चे के अभिलक्षण

1. बच्चे का नाम :
2. आयु :
3. लिंग :
4. मानसिक मदन का स्तर
(यदि ज्ञात हो तो) :
5. सबधित विकार
(उपयुक्त पर सही का चिन्ह लगाए) :

 - (क) मिरणी :
 - (ख) समस्या-व्यवहार :
 - (ग) श्रवण विकार :
 - (घ) दृश्य विकार :
 - (ड) शारीरिक विकार :
 - (च) अन्य कोई (कृपया लिखें) :

6. शिक्षा :
7. व्यवसाय :

कृपया निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए :

- आप के विचार से पुस्तक में दिए हुए प्रश्नों के उत्तर (अधिकाश माता-पिता से) कहाँ तक सबद्ध हैं ?

क्षेत्र	मूल्य निर्धारण		
	बहुत सबद्ध	सबद्ध	सबद्ध नहीं
1. सामान्य जानकारी			
2. परिवार पर प्रभाव			
3. शीघ्र उपचार			
4. शिक्षा			
5. व्यवहार-समस्याये			
6. सप्रेषण			
7. दैनिक क्रिया-कलाप			
8. उच्च शिक्षा			
9. अवकाश			
10. रोज़गार			
11. लैंगिकता			
12. विवाह			
13. अभिभावक सहयोग			
14. समुदाय सहयोग			
15. छात्रावास			
16. आर्थिक योजना			
17. कानून			
18. संरक्षकता			
19. सरकारी लाभाधिकार एवं छूट			

अन्य सुझाव :

2. क्या प्रश्नों के उत्तर माता-पिता को पर्याप्त जानकारी देते हैं जिससे वे अन्य स्रोतों से जानकारी प्राप्त करना आरंभ कर सके ?

क्षेत्र	श्रेणी निर्धारण		
	बहुत सबद्ध	सबद्ध	सबद्ध नहीं
1. सामान्य जानकारी			
2. परिवार पर प्रभाव			
3. शीघ्र उपचार			
4. शिक्षा			
5. व्यवहार-समस्याएँ			
6. सप्रेषण			
7. दैनिक क्रिया-कलाप			
8. उच्च शिक्षा			
9. अवकाश			
10. रोज़गार			
11. लैगिकता			
12. विवाह			
13. अभिभावक सहयोग			
14. समुदाय सहयोग			
15. छात्रावास			
16. आर्थिक योजना			
17. कानून			
18. सरकारी			
19. सरकारी लाभाधिकार एवं छूट			

अन्य सुझाव :

3. पुस्तक में प्रयोग की गई भाषा आपको कैसी लगी ?

क्षेत्र	मूल्य निर्धारण		
	सरल	कठिन	बहुत कठिन
1. सामान्य जानकारी			
2. परिवार पर प्रभाव			
3. शीघ्र उपचार			
4. शिक्षा			
5. व्यवहार-समस्याये			
6. संप्रेषण			
7. दैनिक क्रिया-कलाप			
8. उच्च शिक्षा			
9. अवकाश			
10. रोज़गार			
11. लैगिकता			
12. विवाह			
13. अधिभावक सहयोग			
14. समुदाय सहयोग			
15. छात्रावास			
16. आर्थिक योजना			
17. कानून			
18. सरक्षकता			
19. सरकारी लाभाधिकार एवं छूट			

अन्य सुझाव :

4. पुस्तक मे दिए हुए उदाहरण आपको कैसे लगे ?

क्षेत्र	मूल्य निर्धारण		
	अत्यधिक उचित	उचित	अनुचित
1. सामान्य जानकारी			
2. परिवार पर प्रभाव			
3. शीघ्र उपचार			
4. शिक्षा			
5. व्यवहार-समस्याये			
6. संप्रेषण			
7. दैनिक क्रिया-कलाप			
8. उच्च शिक्षा			
9. अवकाश			
10. रोजगार			
11. लैगिकता			
12. विवाह			
13. अभिभावक सहयोग			
14. समुदाय सहयोग			
15. छात्रावास			
16. आर्थिक योजना			
17. कानून			
18. सरक्षकता			
19. सरकारी लाभाधिकार एवं छूट			

अन्य सुझाव :

5. क्या आप ऐसा सोचते हैं कि, इस पुस्तक को पढ़ कर आपको किसी प्रकार का लाभ हुआ है ?
बहुत/थोड़ा/कोई लाभ नहीं
6. यदि आपको लाभ हुआ है तो कृपया वर्णन कीजिए कि, आपको पुस्तक का कौन सा भाग लाभदायक लगा ?
7. आपके विचार से क्या यह पुस्तक अन्य मानसिक मद बच्चों के माता-पिता के लिए लाभदायक सिद्ध होगी ? यदि हाँ, तो आपके विचार से कैसे सहायक होगी ?

मूविंग फॉरवर्ड

"अधिकांश प्रश्न जो मैंने इस पुस्तक में देखे, पिछले कुछ वर्षों से मेरे दिमाग में उत्पन्न हो रहे थे। अब मैं उनके उत्तर पा सका और मुझे शांति मिली (विशेषकर व्यवहारिक समस्या, सेक्स, शादी के बारे में)। मेरे जैसे लोग जिन्हें मानसिक मद बच्चों के बारे में जानने के लिए विभिन्न प्रकार के लोगों से मिलने के लिए बहुत मुश्किल—से समय मिलता है, इस पुस्तक से बहुत सारी जानकारिया प्राप्त कर सकते हैं।"

- श्रीमती टी. उमा गायत्री (माता)

"यह पुस्तक मानसिक मद लोगों के बारे में वृहत् जानकारी देती है जिससे माता-पिता अपने बच्चे के जीवन के बारे में योजना बना सकते हैं।"

- श्री जी. प्रसाद (पिता)

"भाषा इतनी सरल है कि साधारण पढ़ा-लिखा व्यक्ति भी पढ़ सकता है तथा ऐडिक्ट शब्दों को भी समझ सकता है। मेरी समझ में पुस्तक की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मानसिक मद बच्चों के परिवारों द्वारा सामना किए गए समस्याओं तथा किस प्रकार परिवार के सदस्य मानसिक मद बच्चे के उनर्वास से संयुक्त हैं तथा मानसिक मद बच्चे के 'परिवार सदस्यों के उपर उत्तरदायित्व' के बारे में बताती है।"

- श्रीमती एस. एस. तेहसील (माता)

"यह सबसे सूचनादायक तथा व्यवहारिक है। मेरी सलाह है कि इसको सभी क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित किया जाए जिससे यह अधिक-से-अधिक अभिभावकों तक पहुंच सके तथा अपने उद्देश्य को पूरा कर सकें।"

- श्री ओ. रामकृष्णा (पिता)

"छात्रावास, अभिभावकता, आर्थिक योजना के बहुत—से पहलुओं की मुझे अधिक—से—अधिक जानकारी मिली। कुल भिलाकर यह पुस्तक बहुत ही सूचनादायक तथा एक बहुत अच्छी मार्गदर्शिका भी है। माता-पिता के दिमाग में आनेवाली बहुत—सी शका ये तथा भय इस पुस्तक के पढ़ने के बाद दूर हो जाते हैं तथा कुछ—भी झूठा भय तथा कुछ—भी झूठी आशाएं नहीं रहती।"

- श्रीमती एस. अली (माता)

"निश्चय ही उपयोगी है। यह सभी शकाओं को दूर करती है। अत्यधिक ज्ञानदायी है।"

- श्री टी. श्रीनिवास (पिता)

"यह पुस्तक माता-पिता के लिए एक अमूल्य तथा व्यवहारिक मार्गदर्शिका होने जा रही है। लेखकों ने पुस्तक को माता-पिता के लिए प्रस्तुत किया है जिसमें उन्होंने सरल तथा सटीक तरीके में मानसिक मद बच्चों के माता-पिता के बहुत सारे पृष्ठे गए प्रश्नों का उत्तर दिया है। यह पुस्तक हमारे बच्चों के पालन—पोषण के तरीकों को समझने में वृद्धि, सचार वृद्धि तथा चिता को बॉटने का एक अवसर प्रदान करती है।"

- श्रीमती आर. मार्डा (माता)